खण्ड-411, अंक-4
मंगलवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1916
(12 अप्रैल, 1994 ई0)

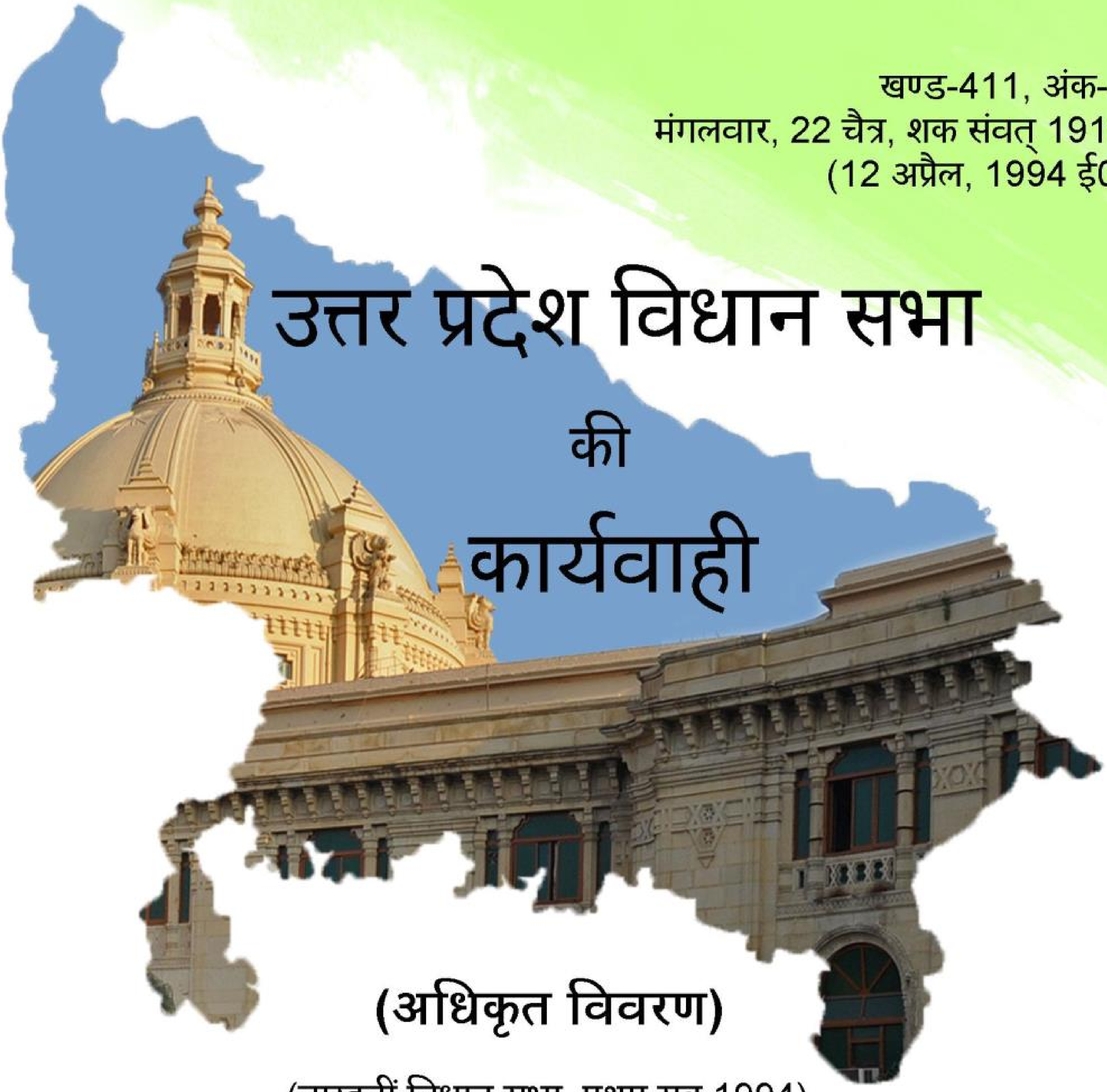

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 411 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश का जलस्तर नीचे गिरने संबंधी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	-1-57
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	57-58
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	58-59
जनपद सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत फीडरों पर फिम्योंसीरिले को हटवाने तथा नियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जौली में 400 के० वी० ए० क्षमता का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण अपूर्ण रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
इलाहाबाद स्थित बड़ी बगिया में बिजली के खम्भे तार आदि तथा तीन फेस की लाइन लगवाये जाने की मांग के संदर्भ में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र मुस्तफा क्वाटर्स में जलभराव को दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	61-62
जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के बढ़पुर 1 से 14 तक के राजस्व गांवों के विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
लखनऊ नगर के आशुतोष नगर (कृष्णानगर) में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	62-63
वाराणसी के महमूरगंज स्थित मंडलीय पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग की मरम्मत कराने एवं अवैध कब्जों को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	63
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं । (जारी)	63-64
जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम कछबन्ध (पूर्व) के लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन अधूरी सड़क को पूर्ण न होने के संबंध में डा० शिवफेर सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	64

विषय	पृष्ठ-संख्या
सहकारिता मंत्री द्वारा जनपद कानपुर में हिन्दू मुस्लिम व सिक्ख जवानों को समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले एक सुरक्षा बल के गठन संबंधी नीतिगत घोषणा सदन से बाहर किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	64-68
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	68
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव सूचनाएं (जारी)	69-82
श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) सदस्य विधान सभा को आज की कार्यवाही से निष्कासित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	82-83
श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) सदस्य विधान सभा का आज की कार्यवाही से निष्कासन का प्रस्ताव वापस किये जाने की मांग ...	84
श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) सदस्य विधान सभा के सदन से निष्कासन को वापस लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	84-88
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	89–105
जनपद आगरा में आये तूफान व ओलावृष्टि से फसल नष्ट होने तथा ईंट भट्टों को हुई क्षति के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना	105-109
उत्तर प्रदेश पंचायत राज विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 के प्रस्तुतीकरण के समय सेन्ट्रल ऐक्ट की प्रतियां वितरित न किये जाने एवं विधेयक पर विचार स्थगित करके अन्य उपवेशन में विचार करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	110–114
कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 को किसी अन्य उपवेशन में प्रस्तुत करने का सुझाव	115–116
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार हेतु कल तक स्थगित किये जाने के संबंध में स्वीकृत व्यवस्था का प्रश्न ...	116–121
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय व्ययक के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) व अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	121–137

विषय	पृष्ठ-संख्या
सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने की इच्छा रखने वाले सदस्यों से लिखित सुझाव मांगे जाने तथा उन्हें कार्यवाही का अंग माने जाने के संबंध में सुझाव ...	138
वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान संख्या 93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी)	138–143
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	143–144
आगरा जिले के सिकन्दरा थानान्तर्गत ग्राम नगला सोहन लाल में बिजली के तारों से आग लगने की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य (पढ़ा हुआ माना गया)	144–145
प्रदेश के बिजली कर्मचारियों द्वारा विद्युत मजदूर संगठन की लेसू कमेटी के आह्वान पर आमरण अनशन आरम्भ किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य (पढ़ा हुआ माना गया) ...	145
इलाहाबाद परिक्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य (पढ़ा हुआ माना गया)... ...	145–146
वाराणसी जनपद में भदोही स्थिति इन्द्रा उलेन लिमि० की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य (पढ़ा हुआ माना गया)	146–147
जनपद उन्नाव में अवैध बसों के संचालन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य (पढ़ा हुआ माना गया)... ...	147–148
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाताओं, पत्रकारों को शासन द्वारा सुविधा प्रदान करने तथा सूचना विभाग को सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उपाय किये जाने विषयक 8 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या–10 नत्थी (ग) के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन	148
नत्थियां	149–175

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	यश पाल आर्य, श्री	नैनीताल
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	रंगनाथ, श्री	वाराणसी
आनन्द यादव, श्री	देवरिया	रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	राजेश कुमार, श्री	बदायूं
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	राम धनी, श्री	गाजीपुर
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री	अल्मोड़ा	राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार	रिजवान जहीर उर्फ	
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर	विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	सर्वेश कुमार उर्फ	
पृथ्वी सिंह विकसित, श्री	हरिद्वार	राकेश, श्री	मुरादाबाद
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	सुशीला सरोज, श्रीमती	हरदोई
बंशीधर, श्री	नैनीताल	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
भागवत पाल, श्री	मिर्जापुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक विधान सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रदेश का जल स्तर नीचे गिरने संबंधी नियम 311 की सूचना को लिए जाने की मांग

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने 311 पर एक सूचना दी है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न प्रहर के बाद सुनेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के एक बड़े भारी हिस्से में जल का स्तर नीचे गिर गया है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे 56 में सुन लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसी से संबंधित मेरा भी एक है।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार की नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने की नीति की जानकारी

**1–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री बची सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण आर्थिक आधार पर करने का निर्णय सरकार लेगी ? यदि हां, तो सरकार कितने प्रतिशत आरक्षण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने का असंवैधानिक बताया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने कल भी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी और आज भी अपनी वेदना आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। मान्यवर, ऐसा लगता है कि मेरे प्रश्नों को सरकार माननीय मंत्री जी ने तय कर लिया है कि "जी नहीं", "प्रश्न नहीं उठता" यही जवाब देंगे। मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण आर्थिक आधार पर करने का निर्णय सरकार लेगी माननीय मंत्री जी ने कहा "जी नहीं" , मैंने पूछा था कि यदि हां, तो सरकार कितने प्रतिशत आरक्षण करेगी आपने कहा कि "प्रश्न नहीं उठता"। तो माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आज के कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीताराम केसरी जी को एक पत्र लिखा उन्होंने स्वयं कहा था कि हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण करने के लिए संविधान संशोधन के लिए पत्र लिखा है और इसी सन्दर्भ में 10 प्रतिशत आरक्षण की उन्होंने घोषणा भी की है तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने की घोषणा इसी सदन में की थी और माननीय मंत्री जी कुछ और बता रहें हैं, दोनों ही कथनों में विरोधाभाष है और माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा के अनुरूप माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है और यह सामूहिक उत्तरदायित्व का भी उल्लंघन हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षंण देने पर विचार करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, माननीय जगदम्बिका पाल जी की जो चिन्ता है उससे कहीं ज्यादा चिन्ता हमारी सरकार को है और मैं समझता हूं कि इसी चिन्ता में माननीय जगदम्बिका पाल जी जिस तरह से यहां हमारी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, हमारे इस काम में भी समर्थन देंगे। मैंने अपने मूल प्रश्न के उत्तर में ही निवेदन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। श्रीमन्, हम संविधान और कानून में यकीन करते हैं। माननीय जगदम्बिका पाल जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र का हवाला दिया है, वह पत्र हमारे हाथ में है। उस पत्र में 2 अप्रैल, 1994 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार के मंत्रालय के माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को एक पत्र लिखा है। जिस पत्र में उन्होंने जो पीड़ा आप कहते हैं, वही हमारी पीड़ा है, उससे कहीं बढ़-चढ़कर पीड़ा माननीय मुख्य मंत्री जी के मन में है, उन्होंने उसमें सवर्ण जाति के लोगों को गरीबी के आधार पर आरक्षण देने के लिये बात की है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से सवर्ण जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति कर ली है। लेकिन वहीं संवैधानिक अड़चन हमारे सामने है संविधान के अनुच्छेद 16–ए में हमारे लिये बाध्यता है। संविधान में परिर्वतन करने का अधिकार भारत सरकार को है, इसलिये भारत सरकार से प्रार्थना की है माननीय मुख्य मंत्री जी ने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 ए में परिर्वतन किया जाय, जिससे आर्थिक आधार पर 10 फीसदी या जो भी उचित होगा, आर्थिक आधार पर हम करना चाहते हैं। पिछली सरकार जब हमारी थी, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, वर्ष 1990 में हमारी सरकार

थी, माननीय कौशिक जी की अध्यक्षता में आरक्षण देने के लिये, अगड़ी जाति सवर्ण जाति के लोगों को 10 फीसदी का आरक्षण देने के लिये हमारी कमेटी बनी थी और उस कमेटी की रिकमन्डेशन्स आयी थीं, लेकिन उसके बाद दूसरी सरकार प्रदेश में आयी, 23 मार्च, 1992 को जो हमारा आर्डिनेन्स था, उसकी पैरवी नहीं की गयी, वह लैप्स हो गया । हमारी नीयत है, हमारी मंशा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं पाल साहब से कि जिस तरह हमारा यहां समर्थन कर रहे हैं, वहां भारत सरकार में भी हमारा इस पर समर्थन कर दें । हम सैद्धान्तिक रूप से आरक्षण देने पर सहमत हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने भाषण दे डाला । लेकिन भाषण से सदन की भावना संतुष्ट कर पाना माननीय मंत्री जी के द्वारा संभव नहीं है । मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि जो माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को अवैध करार दिया है, न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की शब्दावली क्या है । दूसरी बात, माननीय कौशिक जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया पूर्व सरकार के समय में उस समिति ने 10 प्रतिशत गरीब लोगों को आरक्षण देने की संस्तुत की थी । उस समिति को कार्यान्वित करने की दिशा में तत्कालीन सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया या नहीं उठाया गया था ?

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय राम आसरे जी विद्वान हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सर्टिफिकेट माननीय मंत्री जी कैसे दे सकते हैं ?

यह आज के नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई अनुचित नहीं है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, बाध्यता का हमने हवाला दिया है, 25-9-91 को भारत सरकार ने भी 10 फीसदी आरक्षण गैर अनुसूचित जाति या यूं कहें अगड़ी जाति के लोगों को आर्थिक आधार पर करने को कहा था । लेकिन श्रीमन्, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी केस में यह कहा है कि इनका यह अधिकार अवैध है, असंवैधानिक है और उसे निरस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इन्दिरा साहनी का केस है उसमें अपने निर्णय दिनांक 16-11-92 में यह कहा है अंग्रेजी में है पढ़ देता हूं "दि रिजर्वेशन आफ टेन परसेन्ट आफ द पोस्ट्स इन फेवर आफ अदर एकनामिकिली बैकवर्ड सेक्शन आफ दि पिपुल हू आर नाट कवर्ड बाई एनी आफ दि एडजेस्टिंग स्कीम आफ दि रिजरवेशन सेड इन दि इनपज्ड आफिस मेमोरन्डम डेटेड 25-9-91 इज कन्सटीटूशनली इन्वाल्ब ऐण्ड इज एकार्डिनली स्टक डाउन"

इसका हिन्दी में अनुवाद कर देता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16-11-92 में आर्थिक आधार पर आरक्षण अनुमन्य कराये जाने को असंवैधानिक बताया है और भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-9-91 को निरस्त कर दिया है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा भी नाम इसमें है कृपया हमें भी बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने गुप्त जी को बुला लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पत्र उन्होंने भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्री को लिखा है और जिसकी चर्चा इस सदन में हो रही है क्या इस पत्र के बारे में उनको कोई सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो वह क्या है ? दूसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं और मैं यह मानता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का आदर करना चाहिए लेकिन कोई फैसला संविधान के अनुच्छेदों के ऊपर नहीं होता है ? अनेक ऐसे अवसर आये हैं जब संविधान में संशोधन किया गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि संवैधानिक मान्यता को शिथिल करते हुए दस प्रतिशत आरक्षण के बारे में सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? एक योजना यह भी हो सकती है कि विधान मण्डल से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेज दें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने दो सवाल किये हैं। एक तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को क्या पत्र लिखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र में साफ-साफ लिखा है कि लोक सेवाओं/पदों पर भर्ती में आरक्षण के संबंध में इन्दिरा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य नामक वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16 नवम्बर, 1992 में आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में सवर्ण/अगड़ी जाति को आर्थिक आधार पर दुर्बल व्यक्तियों के लिए अनुमन्य किये गये 10 प्रतिशत आरक्षण विषयक कार्यालय ज्ञाप को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्ग का आधार, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन माना है। इस प्रदेश सरकार का मत है कि आर्थिक आधार पर दुर्बल/कमजोर व्यक्ति भी आज के समाज में अपनी विषमता के कारण शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं अर्थात् अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अतिरिक्त सवर्ण/अगड़ी जाति में भी ऐसे व्यक्ति/परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर/दुर्बल होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में (यथा सामाजिक, शैक्षिक आदि) सामाजिक न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। उक्त के प्रकाश में इस सरकार का विचार है कि ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि भारत के संविधान में समुचित संशोधन किया जाय।

अतः निवेदन है कि भारत के संविधान में समुचित संशोधन किये जाने हेतु आवश्यक निर्णय लेने का कष्ट करें ताकि आर्थिक आधार पर दुर्बल/कमजोर ऐसे व्यक्तियों को भी सेवाओं में आरक्षण मिल सके और इन्हें भी अन्य वर्गों के समकक्ष आने का अवसर उपलब्ध हो सके।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा भी प्रश्न में नाम है, मुझे भी पूछने का अवसर दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सुप्रिम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पचास प्रतिशत से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो विकलांग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं इनका जो आरक्षण पूर्व में होता था वह क्या इसमें शामिल है या नहीं ? दूसरी तरफ वह पचास प्रतिशत से ऊपर हो रहा है। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विशेष समुदाय के सम्बन्ध में यह घोषणा एक सार्वजनिक रूप में की थी कि इनका आरक्षण दस प्रतिशत करेंगे।

माननीय मुख्य मंत्री जी की उस घोषणा के अनुरूप, किस रूप में आरक्षण में लागू करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, गुप्त जी का प्रश्न रह गया था, उसके संबंध में बताना चाहता हूं, उन्होंने चिन्ता व्यक्त की थी। मान्यवर, 2 अप्रैल, 1994 का मुख्य मंत्री जी का जो पत्र है, उसके संबंध में भारत सरकार से क्या उत्तर आया, अनुकूल या प्रतिकूल। मान्यवर, गुप्त जी स्वंय अन्दाज लगा सकते हैं, जब प्रमोद तिवारी और जगदम्बिका पाल जी के अनुकूल है तो उसी से अन्दाज लगा सकते हैं। मुख्य मंत्री की तरफ से जो प्रार्थना की गयी है, उसका उत्तर अनुकूल ही होगा। आज इस पत्र को केवल एक सप्ताह ही बीता है और जिस नीयत के साथ मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखा हैं, उनकी नीयत में कहीं कोई अन्तर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी हमारे निवेदन को स्वीकार कर लेगी। जहां तक दूसरे सवाल का प्रश्न है, साहनी केस के बारे में, श्रीमन् राजेन्द्र कुमार गुप्त जी विद्वान हैं और संविधान भी जानते होंगे। हम उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 16 की तरफ ले जाना चाहते हैं। श्रीमन् उसमें साफ लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 16 के सबक्लाज (1) में, कि आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जायेगा समता का सिद्धान्त लागू है, इसलिये जब तक संविधान का संशोधन नहीं किया जायेगा, तब तक इसमें दिक्कत है, इसीलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने संविधान का संशोधन करने के लिये भारत सरकार को लिखा है।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा भी प्रश्न में नाम है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पूर्व में जो विकलांगों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये व्यवस्था थी, उसके संबंध में जानना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से हटकर है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी बात सुन तो लें । सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि सभी जातियों का, सभी श्रेणियों का मिलाकर 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा । मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार की जो आरक्षण नीति है, उसमें किस-किस श्रेणी का कितने-कितने प्रतिशत आरक्षण है और क्या उसमें विकलांगों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी शामिल है, यदि हां तो कितना ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, अग्रवाल जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, 50 फीसदी आरक्षण के बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) में लिखा गया है कि बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब का आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिये । जहां तक विकलांगों और स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गयी है, के संबंध में बताना चाहूंगा कि इसी आदरणीय सदन में 30 दिसम्बर, 1993 को एक अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें विकलांगों और स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । माननीय सदस्य उसको देख लें, देखने के बाद उन्हें कोई शंका नहीं रह जायेगी ।

(श्री बची सिंह रावत यह कहते हुये सदन के फ्लोर पर आ गये कि मेरा भी प्रश्न में नाम है और मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है)

(श्री बची सिंह रावत के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के रवीन्द्र प्रताप मल्ल, सतीश भाटिया, राजेन्द्र सिंह, रवीन्द्र शुक्ला सहित कई सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आ गये और यह कहने लगे कि यह गलत है और न्याय नहीं हो रहा है, तत्पश्चात् कांग्रेस दल के श्री जगदम्बिका पाल सहित कुछ सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के प्रयास से सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अनुरोध सुन लें, आपने मुझे पुकारा था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, क्या आप मुझे अनुमति दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

रावत जी आपको मौका दिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी मैं आपको अवसर देने के लिये तैयार हूं बशर्ते माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पत्र सीताराम केसरी जी को लिखा है, क्या उसमें आप केन्द्रीय सरकार पर स्वयं दबाव डलवाकर इसमें कार्यवाही करायेंगे ?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपका इतना बड़ा दिल है कि आपने दूसरा प्रश्न बुला लिया उसके बाद भी अवसर दिया, इसलिये आप महान हैं । मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो उन्होंने पत्र लिखा है उसी पत्र के साथ इस सम्पूर्ण विधान सभा का एक प्रस्ताव पारित करा लें जिस पर सारे दल तैयार हैं । मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हो जाय कि 10 प्रतिशत का आरक्षण आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों को दिया जाय तो मेरे दल के सभी सदस्य प्रधान मंत्री जी के पास जायेंगे और उन्हें इस बात के लिये राजी करेंगे कि इस संबंध में जो संशोधन आया है उसको वह स्वीकार करें ? यह बात मैं पूरी दृढ़ता के साथ सरकार को अवगत करा देना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह कौन सा सवाल हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

गुप्त जी प्रस्ताव पारित कराने वाली बात तो आप ही कह रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि श्री सीताराम केसरी (कल्याण मंत्री भारत सरकार) जी को पत्र लिखा गया था उसका उत्तर क्या आया है ? इस पर सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय मंत्री जी शायद भूल गये हों लेकिन आपकी याददाश्त अच्छी है । माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी कि हम इसको बढ़ाकर 21 प्रतिशत करेंगे । यदि इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण को भी जोड़ा जाय तो यह 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जायेगा । मैंने उस समय यह शंका व्यक्त की थी कि यदि 50 प्रतिशत से ऊपर हो गया तो यह संविधान के प्रतिकूल होगा । माननीय मंत्री जी ने उस समय यह कहा था कि चाहे 50 प्रतिशत हो जाय या 60 प्रतिशत हो जाय हम इसको करेंगे । कदाचित

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें इण्टरवीन भी किया था लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि चाहे जो परिस्थितियां हों हमारा वादा है कि हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर सवर्णों को भी 10 प्रतिशत का आरक्षण देंगे । मै माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सम्पूर्ण सदन का प्रस्ताव पारित कराकर देंगे ? दस प्रतिशत जो सवर्णों को आरक्षण दिये जाने के संबंध में है, जो कमजोर हैं उसे पूरा करने के लिए भारत सरकार भी तैयार है । दूसरी बात इसको पूरा करने के लिए राज्य शासन को बहुत अधिकार प्राप्त है । क्या सरकार आर्डिनेन्स जारी करके दस प्रतिशत सवर्णों को आरक्षण देगी ? इससे माननीय मंत्री जी भी परिचित हैं, क्या ऐसा प्रस्ताव सदन में देगी इसकी भी नियति है या इनकी नियत में शक है ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आप दे दीजिये । क्या जो माननीय तिवारी जी ने प्रश्न आर्डिनेन्स जारी करने के बारे में कहा, अधिकार क्षेत्र में है, आर्डिनेन्स कर सकते हैं या नहीं ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, पहले मैं अनुरोध करूंगा माननीय तिवारी जी से कि जिस तरह सदन चल रहा है, आर्डिनेन्स की मांग नहीं करना चाहिए । माननीय गुप्त जी ने कहा कि उनको पत्र लिखा गया था माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से, उसका उत्तर आया है कि नहीं । हम सब लोग विधायी कार्यों से अच्छी तरह परिचित हैं, प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह जुड़े हुये हैं । इस संबंध में माननीय श्री सीताराम केसरी जी और प्रधान मंत्री जी का सार्वजनिक रूप से यह बयान आ चुका है कि वह अगड़े वर्गों के निर्धन युवकों को आरक्षण देने पर विचार करेंगे, इस संदर्भ में उस पत्र के पहले ही अनुकूल प्रतिक्रिया आ चुकी है । हमें विश्वास है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इस सदन में उसे पास कराया जायेगा । यह सरकार प्रतीक्षा कर रही है उस संशोधन की विधिक कठिनाइयां तो सभी आती हैं । उत्तर प्रदेश सरकार आर्डिनेन्स करने के संबंध में अगर विधान सभा सत्र में विधेयक लाना पड़ा तो उसे लायेगी । सवर्ण वर्गों को आरक्षण देने के लिये कानून बनायेगी ।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, आप द्वारा इस प्रश्न पर मुझे पहले बोलने का मौका नहीं दिया गया और न ही सुना गया, इसलिये मुझे विरोध करना पड़ा । मान्यवर, मैं उत्तराखण्ड या उतरांचल क्षेत्र से आया हूं, जो कौशिक कमेटी का रिफरेन्स है कि दस प्रतिशत आर्थिक आधार पर कमजोर तबके के लोगों को, जो अगड़ों में बहुत ही कमजोर हैं उनको आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की गयी थी । विशेष रूप से आर्थिक पिछड़े क्षेत्र के आधार पर दो प्रतिशत का प्राविधान किया गया था । जो भी आर्थिक पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें कौशिक कमेटी के अनुसार दो प्रतिशत का आरक्षण लागू किया जायगा । दूसरी बात यह है कि कुछ जिले क्षेत्रीय आधार पर बहुत पिछड़े हैं, वहां पर भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दो प्रतिशत आरक्षण दिया जाय । जो आज उत्तराखण्ड बनाये जाने की बात की जा रही है क्या वहां पर भी यह दो प्रतिशत लागू किया जायगा और इसकी व्यवस्था की जायगी । दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर इसे लागू किया जायगा, इसके साथ-साथ उत्तराखण्ड में पिछड़े लोगों के लिये, जनजाति के लिये क्या प्रतिशत है, एक प्रतिशत है, जहां राज्य

बनाने की बात कर रहे हैं, 26 प्रतिशत पर संशोधन करने पर विचार करेंगे और उसे उत्तराखण्ड में लागू करेगी ? यह दो प्रश्न हैं, उत्तर देने की कृपा करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, माननीय बची सिंह जी ने जो सवाल किया है, उत्तराखण्ड के बारे में, जैसा कि निवेदन किया था कि आरक्षण करते समय जब भारत सरकार की तरफ से भारतीय संविधान में संशोधन हो जाने के बाद ही कुछ किया जायगा, लेकिन आरक्षण करते समय यह आवश्यक नहीं है । कौशिक रिपोर्ट के अनुसार और भी अच्छे ढंग से और भी सुविधायें होंगी, उसका भी सार, गुण-दोष के आधार पर इस पर विचार कर लिया जायगा । माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है । कौशिक रिपोर्ट आज खत्म हो चुकी है, इस तरह अगर पूरे इतिहास के बारे में सोचें तो उस चिन्ता होनी चाहिए । जिन बिन्दुओं से दस प्रतिशत की पैरवी की गयी है उसमें यह नहीं आती ।

(व्यवधान)

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा एक और अनुपूरक है कि इस प्रस्ताव के संबंध में शासन की तरफ से क्या किया गया है, 12 प्रतिशत .....(व्यवधान)

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री बची सिंह रावत व श्री शिव प्रताप शुक्ल जी के एक साथ बोलने पर–शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी आप कृपा करके बैठ जायं । श्री रावत जी आप भी कृपा करके बैठ जायं । यह उचित नहीं है । यदि ऐसा ही होगा तो एक घण्टा इसी प्रश्न पर लग जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कौशिक कमेटी ने अगड़ी जाति को जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही थी परन्तु उस कौशिक कमेटी को भारतीय जनता पार्टी ने भंग कर दिया । और आप उसे पुर्नजीवित करना नहीं चाहते हैं । इसलिए मैं और मेरा दल भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के विरोध में कि उसने कौशिक कमेटी को भंग किया और आप उसे पुर्नजीवित करना नहीं चाहते है, सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप परिपाटी देख लें । किसी भी पुरानी सरकार के फैसले को लेकर नेता कांग्रेस ने जो वाकआउट किया है, वह उचित नहीं है । इस मामले में उनकी नीयत साफ नहीं है । श्री केसरी जी को पत्र लिखा गया है, उसमें वह संशोधन करके दे दें । यदि कोई प्रस्ताव यहां पर लाकर पास होने वाला होता है तो हम सब आगे आने वाले हैं । श्री तिवारी जी ने जानबूझकर व अर्नगल आरोप लगाने का प्रयास किया है । मुझे इसका अफसोस है । आपने उन्हें अनुमति भी नहीं दी थी, फिर भी उन्होंने आरोप लगाये, इसलिये यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो उनसे कहा था कि वह बैठ जायं ।

प्रदेश के बीड़ी मजदूरों को संशोधित मजदूरी दिये जाने की मांग

**2–श्री बिहारी लाल आर्य–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बीड़ी मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित दर 35/- (प्रति हजार) जो कि 3 जनवरी, 1994 से लागू करने का आदेश हुआ था, क्या सरकर द्वारा दिलाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

प्रदेश के बीड़ी नियोजन में लगे बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी अधिसूचना दिनांक 3-1-1994 द्वारा 35/- प्रति हजार बीड़ी बनाने की दर निर्धारित की गयी है । उक्त निर्धारित मजदूरी को कम करने के सम्बन्ध में बीड़ी निर्माताओं के कतिपय प्रत्यावेदन भी शासन को प्राप्त हुए हैं तथा इसके ही उक्त अधिसूचना में निर्धारित दर को फर्रूखाबाद, मुरादाबाद एवं झांसी के कतिपय सेवायोजकों ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष चुनौती दी है जिसमें शासन द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, प्रदेश में बीड़ी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा की थी कि 3 जनवरी, 1994 से बीड़ी मजदूरों को 35 रुपये प्रति हजार के हिसाब से मजदूरी दी जायेगी । परन्तु जब मजदूरी लागू नहीं हो पायी तो पूरे प्रदेश में समस्त बीड़ी मजदूरों ने सामूहिक रूप से आन्दोलन शुरू कर दिया है । और जब उन्होंने आन्दोलन शुरू कर दिया इस पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और बीड़ी मालिकों ने अपने कारखाने बन्द कर दिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये, वक्तव्य क्यों दे रहे हैं ?

श्री बिहारी लाल आर्य–

बीड़ी मालिकों ने कारखाने बन्द कर दिये और मजदूरों ने 20 फरवरी से 12 मार्च तक भूखहताल की ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं, प्रश्न करिये ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

जो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि बीड़ी मजदूरों को 35 रु० प्रति हजार मजदूरी दी जायेगी तो क्या उसे दिलायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, माननीय बिहारी लाल जी ने विस्तार से अपनी बात बताई, कोई सवाल नहीं किया है वह नये सदस्य हैं कोई बात नहीं । लेकिन सारे तथ्य उन्होने रखे, हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं, बीड़ी मजदूरों के बारे में और जगह से भी शिकायतें आई है हम उनकी शिकायतों को जल्दी दूर कर देंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर ठीक है उसी संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि मिनिमम ऐक्ट में यह भी प्राविधान है अगर कोई सेवा योजनक वेजेज नहीं दे रहा है और एरियर अवशेष हो जाता है तो सरकार को अधिकार है कि अवशेष को एज ए लैण्ड रैवेन्यू वसूल करके मजदूरों को बंटवा दे । जो बीड़ी की न्यूनतम दर निर्धारित की जायेगी तो वह उनको नहीं मिल रही है । वह कोर्ट में भी गये लेकिन स्थगन आदेश नहीं मिला सरकार ने मेरा विश्वास है कि अपने शपथपत्र में मजदूरों का पक्ष प्रस्तुत किया होगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि उस बकाये को एज ए लैण्ड रैवैन्यू वसूल कर मजदूरों को दिलवायेगें, उनकी संपत्ति कुर्क करके मजदूरों को उनकी पगार दिलवायेंगे और इसके लिये आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

इसी के साथ एक प्रश्न कर लूं ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं पहले उनका उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्त जी संतुष्ट नहीं हैं । तो जो भी तथ्य रखे गये हैं उन सब को लेकर हम जल्दी बैठक बुला रहे हैं मैं स्वयं उसमें रहूंगा । सारे तथ्यों पर जो कार्यवाही होगी करेंगे (व्यवधान) उस बैठक में जो भी बीड़ी मजदूरों के हितों के लिये कार्यवाही करनी पड़ेगी वह करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मेरा एक सवाल है बीड़ी के लिये झांसी बहुत बड़ा केन्द्र है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं इससे ज्यादा क्या आश्वासन हो सकता है ? (व्यवधान) अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । अगला प्रश्न नत्थी (ख) प्रश्न संख्या 1 ले रहा हूं । (श्री सुरेश खन्ना का नाम पुकारने पर)

(श्री रवीन्द्र शुक्ल, श्री शारदा प्रसाद जैसवाल श्री बिहारी लाल आर्य सदन के मध्य आ गये और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के अनुरोध पर अपनी सीट पर वापस हो गये ।)

(कई सदस्यों द्वारा मांग करने पर हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है । अब इसलिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 में मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा । आप लोग बैठ जाएं अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आप मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम विशुन आजाद और श्री बिहारी लाल आर्य सदन त्याग कर चले गये)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कानपुर में हुए दंगे में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

*1–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के हाल के दंगे में कितने धन व जनबल की हानि हुई है ? क्या घटना के दोषी व्यक्तियों की शिनाख्त हुई है ? शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? क्या घटना में मारे लोगों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कानपुर में पूर्व सभासद काला बच्चा की हत्या को लेकर हाल में हुए दंगे में कुल चार लोगों की जानें गयी तथा लगभग 5,76,400/- रुपये की आर्थिक हानि हुई घटना में आठ दोषी व्यक्तियों की शिनाख्त हुई इसमें से दो को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया दो ने न्यायालय में आत्म समपर्ण किया तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा धारा 82/83 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही की जा चुकी है अपराध शाखा पूर्ण विवेचना के बाद गिरफ्तारी संबंधी अन्य प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी । घटना में मारे गये लोगों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं । पहला प्रश्न यह है कि काला बच्चा के हत्यारों की क्या शिनाख्त हो गयी है और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

दूसरा प्रश्न है कि काला बच्चा और दूसरे लोग जो मारे गये उनके परिवार वालों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् मामले की जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है । अपराधियों की गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो गयी थी और धारा 82, 83 में कार्यवाही हुई है । मारे गये चार व्यक्तियों को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की गयी है । मान्यवर, इसमें पहले विस्तार से चर्चा हो चुकी है । रंजिशवश कुछ अपराधियों की इसमें हत्या हुई जिसको इन्होंने राजनीतिक रंग देने की कोशिश किया और साम्प्रदायिक तनाव भी वहां हुआ और 5 लाख की आर्थिक क्षति और कुछ जानें भी गयी हैं । तो प्रतिगामी शक्तियों का यह चरित्र है दंगा करवाने का ।

(घोर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है कि अब तक इसके हत्यारे अपराधियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो भी प्रश्न करना चाहे हम सबका उत्तर देंगे । अगर काला बच्चा ही इनका आदर्श है तो हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं । उसमें जो अभियुक्त नामजद थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और एक अलग से भी जो बात आई थी, उसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० को दे दी गई है । जो धन की क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति की गई और चार लोगों की जो जानें गई, उनके आश्रितों को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई । फिर भी काला बच्चा ही आपका आदर्श है ... व्यवधान...जरा सुनें, बिना सुने ही शोर मचाया जाएगा ....व्यवधान.....हत्या किसी भी अपराधी की क्यों न हो हमारी सरकार का कर्तव्य है कि उसमें जो अपराधी है, उनको सजा देने में शासन की ओर से कोई कसर न रखी जाए, लेकिन ....(घोर व्यवधान) ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप उनके प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैंने सब बता तो दिया है, आगे जो ...व्यवधान...

श्री बेचन राम–

खन्ना जी का सीधा प्रश्न है कि क्या उसके हत्यारे अपराधी पकड़े गए और काला बच्चा के परिवारवालों को क्या मुआवजा दिया गया । आप घुमाफिराकर उत्तर दे रहे हैं ....

(घोर व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अपराधी चरित्र के व्यक्तियों, जिन पर तमाम गम्भीर आरोप लगे हों, उनकी हत्या चाहे आपसी रंजिश का परिणाम हो या किसी विद्वेश का परिणाम हो, उनके घर वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की आपके शासन की नीति है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो अभी अशोक कुमार सिंह ने प्रश्न किया है, यह नीति नहीं है । समय समय पर आप सबकी तरफ से, विधायकों की तरफ से और सामाजिक जीवन में काम करने वाले लोगों की तरफ से मानवता के आधार पर मदद करने को सरकार से कहा जाता है और हमारी दृष्टि में आता है तो हम दे देते हैं, लेकिन इस प्रकार की नीति नहीं है ।

पिकप द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर हटाये जाने की मांग

*2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड (पिकप) ऋणों पर ब्याज दर में कटौती करेगी ? यदि हां, तो किस दर से ब्याज में कटौती होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां, प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन उत्तर प्रदेश (पिकप) लिमिटेड द्वारा ब्याज की दरें ग्राहकों की साख के आधार पर सामान्य दर से 2 (दो) प्रतिशत तक कम दर पर निर्धारित की गईं हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी निरन्तर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश का औद्योगिक विकास हो और इसके लिए वह प्रदेश के बाहर के निवेशकों को भी आमंत्रित और आकर्षित कर रहे हैं, तो मैं उस सम्बन्ध में यह जानना चाहता था क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिकप जो लोन देता है, उसके ब्याज की दर में कोई कटौती करेंगे ? उत्तर में उन्होंने कहा कि ग्राहक की साख के आधार पर । मान्यवर, एक तो इन्होंने इसमें भिन्नता कर दी है । ग्राहक की साख क्या है ? यह बतायें कि किस तरीके से ग्राहक की साख का पैमाना निर्धारित करेंगे ? जिस समय कटौती निर्धारित करेंगे इन्होंने कहा दो प्रतिशत ब्याज कम कर दिया है । मान्यवर, जिस तरह से रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने ब्याज दर में कटौती की है उसको देखते हुए अपनी ब्याज दरों में और कटौती करने का प्रस्ताव करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ब्याज दर तो पहले से ही कम कर दी है । पहले 16.5 प्रतिशत, 17 प्रतिशत थी इसे कम कर दिया गया है जहां तक साख निर्धारित करने का मामला है इसमें 5 मानक हैं कम्पनी के प्रबन्ध का स्तर, कम्पनी के उद्योग की स्थिति, उद्योगों में कम्पनी स्थिति, ऋणों की अदायगी की स्थिति और वित्तीय कार्यकलाप ।

श्री अध्यक्ष–

अब तो आप सन्तुष्ट होंगे । हां नरेश अग्रवाल जी आपका अंतिम प्रश्न होगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने साख में पांच मानक बताये हैं लेकिन यदि इन पांच मानकों में से एक पूरा नहीं होता है तो पिकप लोन देता है कि नहीं । जिसको लोन देता है, उसका साख का सन्दर्भ क्या है ? अलग अलग पिकप से लोन मिलता है और उसकी ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अगर इसमें कोई भी मानक कम होता है तो यह सहूलियत नहीं दी जाती ।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का भी उत्तर आ जायेगा । माननीय ऊदल जी को प्रश्न करने दें । एक साथ उत्तर आ जायेगा ।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि हमारे प्रदेश में पिकप के द्वारा और दूसरी एजेन्सियों के द्वारा कुछ पिछड़े हुये जिलों को भी लिया गया है जिनकी ब्याज दर बहुत कम है और दूसरे क्षेत्रों में भी इस ब्याज दर को कम किया गया है इसलिये कि प्रदेश का औद्योगीकरण बड़े पैमाने पर हो जाय । क्या अब तक जितना रुपया दिया गया है सरकार उसकी जांच करवायेगी कि जिन लोगों ने ऋण लिया है, कम ब्याज पर उन्होंने कुछ कारखाने खड़े किए परन्तु बाद में वह कारखाने बन्द हो गये उनसे ऋण की अदायगी किस प्रकार कर रही है । यह जौनपुर की बात बता रहा हूं । सरकार पुनः इसके सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय नरेश अग्रवाल जी के प्रश्न का उत्तर पहले ही आ चुका है । श्री ऊदल जी ने जो प्रश्न किया है नीतिगत मामला पूरे प्रदेश का है और दूसरे निगमों से भी संबंधित है । जहां तक पिकप का मामला है मान्यवर, यह एक अकेली संस्था है जो घाटे में नहीं है, फायदे में है । जैसा मामला ऊदल जी ने बताया इस तरह के और मामले होंगे उन्हें देख लेंगे । जो दिक्कतें होंगी उन्हें उनके निराकरण की कोशिश की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य सड़क परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने की मांग

*3–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ०प्र० के सूचना विभाग से मान्यता प्राप्त मुख्यालय स्तरीय/जिला स्तरीय सभी पत्रकारों को उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने पर सूचना विभाग विचार कर रहा है ? राज्य सूचना विभाग का इस मद पर कितना खर्च अन्तर्ग्रस्त (अनुमानित) होने की सम्भावना है ? सरकार के समक्ष यह सुविधा देने में कठिनाइयां क्या हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मुख्यालय स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रति वर्ष 5000 कि०मी० तक निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा इस शर्त के अधीन अनुमन्य है कि यात्री तथा अन्य कर उनके द्वारा देय होंगे ।

जहां तक जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों का सम्बन्ध है, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में जिले के भीतर किसी सीमा तक उन्हें पूर्णरूप से निःशुल्क यात्रा अनुमन्य है तथा जिले के बाहर उन्हें प्रतिवर्ष 500 कि०मी० तक निःशुल्क यात्रा इस शर्त पर अनुमन्य है कि यात्री तथा अन्य कर उनके द्वारा देय होंगे । उन्हें अधिक निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है ।

विगत वर्षों में मौजूदा निःशुल्क यात्रा सुविधा पर प्रतिवर्ष औसतन रु० 2,20,000/- व्यय हुआ था । और अधिक सुविधा पर व्यय का आंकलन किया जा रहा है ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया श्रीमन् अभी सूचना विभाग का बजट इस सदन में पेश हुआ था उसमें और इस उत्तर में कदाचित् कुछ भिन्नता है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं इन्हें पता है श्रीमन् पत्रकारों से हम लोग, इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य, समाज के लोग, उम्मीद करते हैं कि तथ्यपरक खबरें दें । कुछ बहुत बड़े अखबारों को छोड़कर हजारों पत्रकारों के पास न वेतन है, न सुविधा है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं इन्होंने उत्तर दिया है । अब तक जो सुविधायें दी गईं उनमें मात्र 2 लाख 30 हजार का खर्चा आया । श्रीमन् सब पत्रकारों को, परिचय पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सुविधा देने पर शीघ्र विचार करेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन् पत्रकारों का सम्मान देश और प्रदेश के लोकतंत्र का सम्मान है इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उनको समय-समय पर तमाम सुविधा उपलब्ध कराई, जैसे सचिवालय में प्रवेश का मामला है । पत्रकार कहीं जाते हैं तो उन्हें कूपन लेने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि मान्यता कार्ड दिखाकर वह यात्रा कर सकते हैं । दूसरी चिन्ता जो व्यक्त की गई इस संबंध में कहना चाहूंगा हमने पहले भी कहा कि जिला स्तरीय पत्रकार जो हैं उनको पांच हजार किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा करना अनुमन्य था अब सरकार ने निर्णय लिया है जिला स्तरीय पत्रकारों को दो हजार की सुविधा और कर दी जाए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो तहसील स्तरीय पत्रकारों को सुविधा देने की, बात कही गई है उन पर भी सरकार विचार करे ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, पाल जी ने जो बात कही है, मुझे खुशी हो रही है यह बताते हुए कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी सरकार ने तहसील स्तर के पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए और उनको सुविधा देने के लिए बैठक की है और इस महीने में नैनीताल में एक बैठक होने जा रही है। इसमें अन्तिम रूप से उनको सुविधा देने पर विचार किया जाएगा।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है, और कल परिवहन विभाग का बजट था, हमने परिवहन मंत्री जी से बहुत साफ तौर पर यह पूछा था कि हमारे पत्रकारों को क्या सुविधा दे रहे हैं उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की चर्चा नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि परिवहन निगम की बसों में परिचय पत्र के आधार पर, हमने पूछा था विधायक सांसद जिस प्रकार जाते हैं, उन्होंने कहा था कि उसी प्रकार सुविधा पत्रकारों को दी जाएगी। हमने यह पूछा था कि सूचना विभाग के द्वारा आपकी वार्ता हो गई तो उन्होंने कहा था कि सूचना विभाग से वार्ता करने के बाद सब कुछ तय होने की बात कह रहा हूं। उसके बाद जो पत्रकार प्रदेश में हैं जिले के हैं यह प्रश्न कहां से आ गया। कल जो परिवहन मंत्री जी ने उत्तर दिया था उसमें और इनकी बात में विरोधाभास है। इसको स्पष्ट करा दें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं विकल जी का आभारी हूं इन्होंने पत्रकारों के हितों की चिन्ता की। 6 दिसम्बर को, उत्तर प्रदेश में, दुर्भाग्य से मेरे जनपद में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ही नहीं दुनिया में पत्रकारों का जो अपमान हुआ है वह दुनिया के इतिहास में नहीं होगा।

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने उत्तर देते समय बी० जे० पी० के ऊपर आरोप लगाया।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाइये। आप अव्यवस्था मत पैदा करिये। मैंने दीक्षित जी को बुला लिया है।

(श्री रमेश पोखरियाल निशंक के पुनः बोलने पर)

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में प्रश्न करने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

किसी को अनुमति नहीं दी जायेगी । अव्यवस्था फैलाने वाले किसी सदस्य को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि । मंत्री जी ने अभी उत्तर में कहा कि तहसील स्तर के पत्रकारों की मान्यता पर विचार करने के लिये कोई बैठक होने जा रही है नैनीताल में । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने तहसील स्तर के पत्रकारों को मान्यता की सुविधा देने के संबंध मे जो घोषणा की है उसके लिये जो बैठक मंत्री जी ने बतायी है नैनीताल में होने जा रही है । उस बैठक में कौन-कौन से पत्रकार और अधिकारी और सरकार के लोग सम्मिलित हैं । दूसरे हमारा मूल प्रश्न जो है उसका उत्तर नहीं आया है । मंत्री जी ने तीन प्रकार के पत्रकार बताए । पहला मुख्यालय स्तर का । दूसरा जिला स्तर का और तीसरा तहसील स्तर का । सभी पत्रकारों को जिनको राज्य सरकार मान्यता देने जा रही है या दे चुकी है । उन सब को मान्यता प्राप्त सरकारी परिचय पत्र के आधार पर राजकीय परिवहन विभाग की बसों में..... (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, भाषण करने की अनुमति आपकी पीठ से नहीं मिलनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

पूरा उत्तर आ गया है, अब कुछ शेष नहीं रहा है । इस प्रश्न के संबंध में ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने जो प्रश्न किया उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि पत्रकारों की एक समिति है उसमें वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो बैठक होगी उसमें हमारे सूचना विभाग के अधिकारी, शासन के अधिकारी और निदेशालय के अधिकारी रहेंगे और चूंकि दीक्षित जी भी पत्रकार हैं अगर वह चाहेंगे तो वह भी इसमें जा सकते हैं । जहां तक पत्रकारों का संबंध है.....

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करूंगा अपने मंत्रियों से भी और माननीय सदस्यों से भी, कि वह भाषण न दें । यह परम्परा रही है कि न उधर से भाषण होगा और न मंत्री जी भाषण देंगे । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब दीक्षित जी को भाषण देने से रोका गया है तो आप भी, भाषण नहीं, उत्तर दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं यह बताना चाहता हूं कि जो बैठक होने जा रही है उस बैठक के समक्ष पत्रकारों को कौन-कौन सी सुविधायें देने पर विचार होने जा रहा है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

पत्रकारों से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं के बारे में विचार किया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पत्रकारों को जो मान्यता दी जाती है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जिला स्तर के जो पत्रकार हैं उनको मान्यता देने के बारे में नियम अलग हैं और मुख्यालय के जो पत्रकार हैं उनको मान्यता देने के अलग नियम हैं । जब तक पी० एफ० नहीं कटता है तब तक पत्रकारों को मान्यता नहीं मिलती है । मुख्यालय के जो पत्रकार हैं, पत्रों के मालिक उनका शोषण करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जो शर्तें जिला स्तरीय पत्रकारों को मान्यता देने के संबंध में हैं वही शर्तें मुख्यालय के पत्रकारों को मान्यता देने के संबंध में लागू करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इस संबंध में एक कमेटी बनी है और सारी बातचीत वहां चल रही है । इन सारे पहलुओं पर बातचीत करके जल्दी ही निर्णय ले लिया जायगा ।

[मंगलवार दिनांक 12 अप्रैल, 1994 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वर्ष 1992 के अपराध समीक्षा रिपोर्ट में अपराध वृद्धि के कारणों की जानकारी

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस की वर्ष 1992 की अपराध समीक्षा रिपोर्ट में अपराध वृद्धि और गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिये न्याय में विलम्ब को प्रमुख कारण बताया गया है ? यदि हां, तो किस प्रकार ? क्या स्थिति में परिवर्तन लाने हेतु सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं, वरन् वर्ष 1992 की अपराध समीक्षा रिपोर्ट में अपराध वृद्धि और गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिये विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई हेतु विचाराधीन मुकदमों के कम संख्या में निस्तारण को प्रमुख कारण बताया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में शासन स्तर से पूर्ण प्रयास किया जाता है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि दो पक्ष होते हैं एक पीड़ित और दूसरा अपराधी । जब पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, देर होती है तो अपराधी को भी सजा मिलने में देर होती है । यदि अपराधी को सजा मिलने में देर होती है तो वह अपराध करेगा, इसीलिये मैंने यह प्रश्न किया था । लेकिन उत्तर आया है कि प्रश्न नहीं उठता । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने यह उत्तर दिया है कि कम संख्या में निस्तारण, तो यह कम संख्या में निस्तारण के कारण क्या हैं और उसको दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह न्यायालय से संबंधित प्रश्न है, इसलिए कदाचित माननीय गुप्त जी, जो नेता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वह भी उत्तर देने के लिए नहीं कहेंगे । इसलिए मान्यवर, इसका उत्तर देना उचित नहीं होगा । शासन शीघ्र निस्तारण की दिशा में जो भी हमारे कर्तव्य हैं या विधिक शक्तियां हैं, उसके अनुसार पूरा पालन करेगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, माननीय मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया है, मैंने उसी उत्तर के संबंध में प्रश्न किया है । मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि अपराध समीक्षा रिपोर्ट में अपराध वृद्धि और गिरती कानून व्यवस्था की स्थिति, तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कम संख्या में निस्तारण हो रहा है, उसके कारण क्या हैं और उन कारणों को दूर करने के लिए और मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए शासन द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? इसमें न कोई न्यायालय का मैटर है और न ही मामला सब्जूडिस है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् हमने पहले ही कहा कि इसकी पूरी समीक्षा करके सरकार स्तर से जो भी कार्यवाही सम्भव होगी, वह सरकार करेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर प्रश्न है । मान्यवर, यह कहावत है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, देर से मिला हुआ न्याय, न्याय नहीं देता है । मान्यवर, न्यायालय के संबंध में, न्यायालय

के गठन के संबंध में पूरी चर्चा हो सकती है। विभिन्न आयोग, विभिन्न समयों पर गठित हुए हैं उसका कारण यह है कि वाद ज्यादा हैं और न्यायालय कम हैं। निस्तारीकरण के संबंध में मुख्य रोल उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि शीघ्र निर्णय दिलाने के लिए जो स्थान हाई कोर्ट में रिक्त हैं, उसको शीघ्र भरने के लिए केन्द्र सरकार से बात करके पूरा करेंगे ? इसके अतिरिक्त तहसील स्तर पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करके शीघ्र न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे ? अगला प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कुछ साम्प्रदायिक अपराधी हैं, इनको शीघ्र न्याय देने के लिए क्या आप विशेष रूप से ऐसी अदालतों का गठन करेंगे, जो इनका काम जल्दी समाप्त कर दें और जल्दी निर्णय दे दें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन् तिवारी जी के आखिरी प्रश्न का उत्तर मैं पहले देना चाहता हूं। साम्प्रदायिक अपराधियों को जनता ने निर्णय दे दिया और श्रीमन् न्यायालय के विकेन्द्रीकरण के बारे में माननीय तिवारी जी ने कहा मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से की जा रही है, तहसील मुख्यालयों में और जहां तक हाई कोर्ट का प्रश्न है, हमारा अनुरोध करना ही है। जो लम्बित मामले हैं, सरकार स्तर पर इनकी समीक्षा की जायेगी और उनको निस्तारित करने का पूरी तरह से प्रयास किया जायेगा।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, बहुत से लोग दुनिया से चले जाते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता है। यह नीतिगत विषय है और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। इस प्रश्न की मंशा को ध्यान में रखते हुये कि न्याय जल्दी मिले, न्यायालय कम हैं, इसको देखते हुये क्या सरकार हाई कोर्ट की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिससे वहां के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह प्रकरण अलग से विचाराधीन है।

श्री किरन पाल सिंह–

यह नीतिगत प्रश्न है और माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं।

*2–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 1-3-94 को अता०प्र० सं० 131 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में नयी औद्योगिक नीति तथा सरकारी क्षेत्र में उद्योग लगाने की मांग

*3–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना हेतु कौन सी प्रभावी एवं स्थायी योजना शासन प्रदान कर रहा है ? बन्द उद्योगों को चालू कराने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या सरकार अपने स्वामित्व में नये उद्योग लगाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

शासन द्वारा उद्योगों के स्थापनार्थ विभिन्न सुविधायें यथा पिछड़े जनपदों में राज्य पूंजी उपादान, पायनियर प्रेस्टीज इकाइयों को उपादान, शत प्रतिशत निर्यात मूलक इकाइयों को उपादान, अवस्थापना, बिक्रीकर छूट/आस्थगन आदि की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

मध्यम एवं वृहत्त औद्योगिक इकाइयां, जो रुग्ण हो जाती हैं अथवा रुग्ण हो जाने के कारण बन्द हो जाती हैं, के पुनर्वासन के लिये बोर्ड आफ इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकन्स्ट्रक्शन (बी० आई० एफ० आर०) द्वारा पुनर्वासन योजना के वायबुल पाये जाने पर, उनके निर्देशानुसार आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

बन्द किन्तु रुग्ण लघु एवं लघु औद्योगिक इकाइयां, जो वायबुल हैं, उनको पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मार्जिन मनी ऋण प्रदान किया जाता है।

शासन द्वारा न्यून संसाधनों के कारण अपने स्वामित्व में कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है, वरन् उद्योग स्थापित करने के लिये उद्यमियों को आवश्यक सहायता व सुविधायें देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं, उनमें से कितने जनपद पिछड़े हुए हैं और कितनी बीमार इकाईयां हैं और उनको चलाने के लिये यह सरकार क्या कदम उठा रही है और जो इन्डस्ट्रियल इस्टेट है, उनमें सुविधायें नहीं हैं। तो ऐसे जो तमाम कार्य हैं, इनके विषय में इस सरकार की क्या देन है ? कलकत्ता में जाकर उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, इसके बारे में माननीय मंत्री जी उत्तर दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मूल रूप से यह प्रश्न बन्द इकाइयों को चलाने के संबंध में है उसका जवाब भी इसमें है कि बी० आई० एफ० आर० से सिफारिश की जा सकती है और उसके अपने मानक हैं उन मानकों पर वह पूरा उतरता है, प्रदेश सरकार का कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप, हाथ नहीं होता है केन्द्र सरकार से संबंधित मामला है लेकिन एक आपने सवाल इसमें यह भी किया है, जो प्रश्न नहीं है। मसलन आपने यह पूछा है कि प्रदेश के कौन से जनपद ऐसे हैं जो पिछड़े हैं जिनमें इकाइयां लगायी जा सकती हैं यह क्राइटेरिया भी केन्द्र सरकार का होता है, इसे केन्द्र सरकार तय करती है। "ए" श्रेणी में वह जिले आते

हैं जिसमें इकाइयां बिल्कुल नहीं है ''बी'' श्रेणी में वह जिले आते हैं जिनमें एक से अधिक इकाइयां हैं वह जिलों की लिस्ट मेरे पास है आप कह दें तो पढ़कर सुना दें।

(व्यवधान)

*4–श्री अजय कुमार पोइया–

[सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

रुहेलखण्ड में इंसपेक्टर इंचार्जों को एक ही थाने में प्रभारी निरीक्षक के रूप में दुबारा तैनाती की जानकारी

*5–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि रुहेलखण्ड डिवीजन में कितने थाने ऐसे हैं, जहां के इन्सपेक्टर इंचार्जों को एक ही थाने में प्रभारी निरीक्षक के रूप में दुबारा तैनात किया गया है ? क्या उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक समय का हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

रुहेलखण्ड डिवीजन में 3 थानों पर इन्सपेक्टर इंचार्जों को दुबारा तैनात किया गया है।

एक निरीक्षक श्री जंगबहादुर सिंह जो थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहांपुर में नियुक्त हैं, का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हुआ है।

श्री जंग बहादुर सिंह, निरीक्षक, जनपद शाहजहांपुर को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

*6–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*7–श्री ऊदल–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

*8–श्री बची सिंह रावत–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आरक्षित पदों को आरक्षित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने तक खाली रखे जाने की मांग

*9–श्री प्रीतम सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये रिक्त पदों के विरुद्ध इसी जाति के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो क्या इन रिक्त पदों को उन्हीं के लिये योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक रिक्त रखने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–नत्थी 'ग'-के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आरक्षित रिक्ति उसी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने के उद्देश्य से दिनांक 23 मार्च, 1994 को पारित उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 द्वारा इस प्रकार का प्राविधान कर दिया गया है कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में आरक्षित वर्ग की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, 3 से अनधिक उतनी बार की जायेगी, जितनी बार आवश्यक हो।

प्रश्न नहीं उठता।

*10–श्री मित्रसेन यादव–

[दि० 8-3-94 को ता० प्र० सं०-13 द्वारा उत्तरित]

*11–श्री छोटे लाल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*12–श्री श्रीराम सिंह–

[दि० 23-2-94 को अल्प सू० ता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम दौनापुर, थाना धूरपुर की शिवपती नामक अनुसूचित युवती को मारने पीटने तथा सार्वजनिक रूप से अपमानित किये जाने की जानकारी

*13–श्री राकेश सचान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 21 जनवरी, 1994 को जनपद इलाहाबाद के थाना धूरपुर के अन्तर्गत दौनापुर गांव में शिवपती नामक अनु० जाति युवती को अपमानित करके लाठियों से पीटने तथा गांव में निर्वस्त्र घुमाये जाने के संबंध में कोई अपराध उक्त थाने में पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो घटना संबंधी अपराधियों के नाम, पते क्या हैं और उन पर कौन-कौन सी दफायें पुलिस द्वारा आरोपित की गयी हैं ? क्या अपराधियों को बन्दी बनाकर, भुक्तभोगी महिला एवं उसके परिवार को कोई आर्थिक सहायता एवं मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत घटना से संबंधित अभियुक्तों के नाम निम्नवत् हैं :––

1–राज नाथ पुत्र राम गोपाल
2–अजायब लाल पुत्र लुरखुर पटेल
3–राम गोपाल पुत्र राम स्वरूप
4–सालिक पुत्र दीना नाथ
5–खड्ग पुत्र राम गोपाल
6–दीनानाथ पुत्र ननकऊ

7–कन्ठा पुत्र दीनानाथ
8–लुरखुर पुत्र ननक्रऊ
9–शिव बहादुर पुत्र राम मनोहर
10–राम चन्द्र पुत्र भगीरथी
11–शंकर लाल पुत्र राम प्रताप
12–मूल चन्द्र पुत्र राम सजीवन
13–गंगादीन पुत्र कालू
14–राजकरन पुत्र सियाराम
15–फूलचन्द्र पुत्र राम देव
16–लालजी पुत्र सीताराम
17–कल्लू पुत्र राम प्रताप
18–राम देव पुत्र सुख देव
19–शिव कुमार पुत्र राज नारायण
20–सन्त लाल पुत्र मोती लाल
21–राम अभिलाष पुत्र महादेव
22–अमर नाथ पुत्र महादेव

उक्त सभी अभियुक्तगण ग्राम दौनापुर, थाना धूरपूर, जनपद इलाहबाद के निवासी हैं, जिनके विरुद्ध धारा 147/148/149/354/504.506/34/120 बी भा० द० वि० व 3(1) (तृतीय) (ग्यारह) अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न निवारण ऐक्ट का अपराध प्रमाणित हुआ है तथा आरोप पत्र दिनांक 7-2-94 को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है ।

सभी 22 अपराधियों को बन्दी बनाकर जेल भेजा जा चुका है । पीड़ित परिवार को एक लाख 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे दी गयी है ।

जनपद प्रतापगढ़ में उद्योग लगाने हेतु नव उद्यमियों को प्रोत्साहित किये जाने की मांग

*14–श्री राम लखन यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रतापगढ़ जनपद को उद्योग शून्य घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या उद्योग शून्य जिलों को मिलने वाली सारी सुविधायें प्रतापगढ़ को उपलब्ध हैं ? क्या सरकार अवगत है कि जनपद में स्थापित एक मात्र कारखाना भी बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद की उद्योग शून्य स्थिति को देखते हुए वहां पर नव उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु सुविधायें देने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रतापगढ़ जनपद उद्योग शून्य नहीं है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद में स्थापित आटो ट्रैक्टर्स लि० का कारखाना बन्द नहीं हुआ है और यह संयुक्त क्षेत्र में अभी भी चल रहा है ।

प्रतापगढ़ जनपद को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है और जनपद में उद्योग स्थापित करने वाले पात्र उद्यमियों को पूंजी उपादान, बिक्रीकर छूट आदि की सुविधायें दी जा रही है ।

*15–श्री राम कुमार शुक्ल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राज्य सरकार की निर्यात नीति की रूपरेखा की जानकारी

*16–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्यात नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है तथा उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

निर्यात नीति पर अभी विचार चल रहा है ।

दिसम्बर, 1993 से 31 जनवरी, 1994 के मध्य उत्तर प्रदेश में घटित आपराधिक घटनाओं का विवरण

*17–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 दिसम्बर, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार एवं हरिजन उत्पीड़न की कितनी-कितनी आपराधिक घटनाएं घटीं ? क्या 15 दिसम्बर के बाद अपराधों की घटनाएं अधिक बढ़ीं ? मेरठ मण्डल में अपहरण, हत्या, डकैती व बसों को रोक कर लूटने की कितनी-कितनी घटनाएं इस अवधि में घटी ? सरकार नें बढ़ते अपराध को रोकने के लिये क्या विशेष प्रभावी कदम उठाया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रदेश में प्रश्नगत अवधि में हत्या की 1312, डकैती की 273, लूट की 1083, अपहरण की 705, बलात्कार की 180 व हरिजन उत्पीड़न की 2530 घटनाएं घटित हुई ।

जहां कुछ अपराधों में कमी आयी है, अन्य अपराधों में वृद्धि भी परिलक्षित हुई है ।

दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 से 31-1-94 तक मेरठ मण्डल में अपहरण की 103, हत्या की 221, डकैती की 32 तथा बसों को रोक कर लूटने की 9 घटनाएं घटित हुई ।

बढ़ते अपराधों को रोकने के लिये निम्न कदम उठाये गये :–

(1) कुख्यात सूचीबद्ध अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित किये गये हैं ।

(2) पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने हेतु आउट आफ टर्न प्रोन्नति की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है ।

(3) रात्रि बसों की सघन चेकिंग, तलाशी तथा मुख्य मार्गों एवं संवेदनशील स्थानों पर चेकपोस्टों की स्थापना कर बैरियर लगाये गये हैं तथा पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त पुलिस कर्मियों, वाहनों तथा मोबाइल वायरलेस सेटों की व्यवस्था की गयी है ।

राजकीय मुद्रणालय श्रमिक संघ, इलाहाबाद द्वारा दी गयी 11 सूत्रीय मांग पत्र की जानकारी

*18–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय मुद्रणालय श्रमिक संघ, इलाहाबाद ने अपनी प्रमुख न्यायोचित मांग वेतन विसंगति को दूर करने के लिये 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर 3 फरवरी, 1994 से आन्दोलन करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या उनकी वेतन विसंगति शासन द्वारा दूर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त वेतन विसंगतियों के निराकरण का प्रकरण वित्त विभाग के विचाराधीन है जिसमें शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है । श्रमिक संघ द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन 3 अप्रैल, 1994 तक स्थगित कर दिया गया था । अब संघ से अपना आन्दोलन एक माह और स्थगित करने का अनुरोध किया गया है ।

प्रदेश के गलीचा बुनकरों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की जानकारी

*19–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऊनी दरी, हैण्ड टफ्टेड गलीचा और तिब्बती दुनकरों के लिये कोई न्यूनतम मजदूरी शासन की ओर से तय की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? न्यूनतम मजदूरी कब तक घोषित की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कालीन उद्योग के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने हेतु कार्यवाही की गयी है । कालीन उद्योग में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 15 मार्च, 1994 को सुझाव एवं आपत्ति हेतु अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है ।

*20–श्री विजय सिंह–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

1–श्री मित्रसेन यादव–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

2–श्री अफजाल अंसारी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद फतेहपुर के थाना असोथर अन्तर्गत ग्राम बौडर में पिछड़ी जाति के व्यक्ति के यहां दिनांक 16/17 फरवरी, 1994 के रात्रि में घटित डकैती एवं बलात्कार की घटना

3–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि 16/17 फरवरी, 94 की रात्रि को ग्राम बौड़र, थाना असोथर, जिला फतेहपुर में एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति के यहां डकैती पड़ी थी तथा गृह स्वामिनी के साथ बलात्कार हुआ था ? क्या गृह स्वामिनी का चिकित्सीय परीक्षण महिला अस्पताल, फतेहपुर में 17 फरवरी, 94 को हुआ था ? क्या महिला चिकित्सक ने उसके कुछ अंगों का एक्सरे कराने की सलाह दी थी, पर पुलिस द्वारा उसका एक्सरे नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पुलिस द्वारा बलात्कार कांड को दबाने हेतु सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पुलिस द्वारा दिनांक 21-2-94 को चिकित्सक के परामर्श के अनुसार पीड़ित महिला श्रीमती उर्मिला देवी के कुछ अंगों का एक्सरे कराया गया । डाक्टरी परीक्षण से बलात्कार होने की पुष्टि नहीं हो सकी ।

किसी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा बलात्कार के प्रकरण को दबाने का प्रयास नहीं किया गया है। अतः पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति की जानकारी

4–श्री शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री ऊदल, श्री विजय सिंह, श्री फौजदार प्रसाद, श्री राजबली यादव तथा श्री बी० आर० वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में निरन्तर पांच वर्षों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की शाखावार कुल संख्या क्या है ? क्या मुख्य मंत्री जी की जानकारी में यह है कि उन्होंने अपने पूर्व मुख्य मंत्रित्व काल में ऐसे सभी कर्मचारियों जिनको एक ही शाखा में 5 वर्ष से अधिक कार्य करते हो गया था, का एक सामान्य स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत लोक निर्माण सचिव शाखा से कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया था और उसके विरुद्ध वास्तविक रूप से कितने कर्मचारी/अधिकारी स्थानान्तरित हो गये ? क्या मुख्य मंत्री जी उन सहायकों को जिनका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो चुका है, को शाखा से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कुल संख्या 1847 है ।

शाखावार विवरण संलग्न है।

जी हां।

उस स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत वर्ष 1990 में 20 प्रवर वर्ग सहायकों का लोक निर्माण सचिव शाखा से स्थानान्तरण किया गया था, जिनमें से 10 प्रवर वर्ग सहायक कार्यमुक्त किये गये तथा शेष 10 प्रवर वर्ग सहायक कार्यहित में शाखा में रोक लिये गये। रोके गये इन 10 प्रवर वर्ग सहायकों में से अब 2 प्रवर वर्ग सहायक सेवा-निवृत्त तथा 5 प्रवर वर्ग सहायक स्थानान्तरित हो चुके हैं। शेष 3 प्रवर वर्ग सहायक अभी भी शाखा में तैनात हैं।

वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कर्मियों को एक ही शाखा में अधिकतम 7 वर्ष तक रखा जा सकता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 149-150 पर)

5–श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

[दि० 16-3-94 को नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

एस० डी० एम० दक्षिणी वाराणसी का स्थानान्तरण न किये जाने के कारणों की जानकारी

6–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम० दक्षिणी वाराणसी अर्सा 5/6 वर्षों से वाराणसी में तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में तीन चार बार इनका ट्रांसफर हुआ है और रोका गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री को दिनांक 20-2-94 को पत्र दिया है ? यदि हां, तो इनको अब तक वाराणसी से हटाये न जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

एस० डी० एम० दक्षिणी वाराणसी श्री सुधीर कुमार दिनांक 27-5-89 से वाराणसी में कार्यरत हैं। इनका स्थानान्तरण वाराणसी से पिछले दो वर्षों में मात्र दो बार किया गया और उसे निरस्त/स्थगित कर दिया गया। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 202-94 प्राप्त हुआ है। वार्षिक स्थानान्तरण से पूर्व अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण की जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरिजा शंकर प्रवक्ता बी० एड० डा० राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय डिंडुई द्वारा थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट

7–श्री तेजभान सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना पट्टी, प्रतापगढ़ में श्री गिरजा शंकर, प्रवक्ता, बी० एड०, डा० राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय, डिबई द्वारा दिनांक 14-5-92 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्राथमिकी की जांच किसी अधिकारी ने की ? यदि हां, तो क्या जांच के दौरान गवाहों के बयान तथा चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया ? यदि हां, तो अभियुक्तगणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार श्री गिरजा शंकर गुप्ता, प्रवक्ता, डा० राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय, ढिढुई, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 14-5-92 को थाना पट्टी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसके आधार पर मु० अ० सं० 127/92 धारा 323/504/506 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ। इस मुकदमें की विवेचना उप निरीक्षक श्री राम अवध यादव द्वारा की गयी।

उक्त अभियोग की विवेचना के मध्य विवेचक द्वारा गवाहों के बयान दर्ज किये गये हैं तथा वादी मुकदमा श्री गिरजा शंकर गुप्ता का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया है।

विवेचनोपरान्त अभियुक्त अम्बिका प्रसाद तिवारी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो विचाराधीन न्यायालय है।

श्रीमती नीलम सिंह, विधवा स्व० श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, निवासिनी कप्तानगंज, जनपद देवरिया का लाइसेन्सी रिवाल्वर उन्हें वापस करने की मांग

8–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती नीलम सिंह, विधवा स्व० श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह निवासिनी कप्तानगंज, जनपद देवरिया का लाइसेंसी रिवाल्वर, अब तक जिला प्रशासन, देवरिया द्वारा प्रदान न किये जाने के संबंध में, जिला अधिवक्ता संघ, देवरिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 16-12-93 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त विधवा को रिवाल्वर की वापसी होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 216/93 अन्तर्गत धारा–406 अंकित कराया गया। विवेचना के फलस्वरूप मुकदमा, अन्तर्गत धारा 406/419/420/467/468/379 भा० द० वि० में परिवर्तित कर दिया गया है। अभियुक्त की चल सम्पत्ति की कुर्की दिनांक 31-12-93 को की जा चुकी है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला मेरठ में अधूरे पड़े कोतवाली भवन हापुड़ के निर्माण को पूरा करने की मांग

9–श्री गजराज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि हापुड़ कोतवाली का भवन अधूरा बना हुआ है ? क्या उसके निर्माण की स्वाकृति शासन से प्राप्त हो चुकी थी ? उसे कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां ।

सम्पूर्ण थाना भवन बनाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा रु० 48.70 लाख का पुनरीक्षित आगणन तैयार किया गया है इस आगणन में कतिपय कमियां पायी गयीं जिसे सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद को लिखा गया है । कमियों को दूर करके पुनरीक्षित आगणन प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव पुलिस के कदाचार विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संबंध में जांच की जानकारी की मांग

10–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुलिस के कदाचरण विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 22-2-94 को उन्हें प्रेषित दो पत्रों की जांच किस अधिकारी ने की ? जांच में दोषी अधिकारियों पर मुकदमें को न्यून करने/अनुसूचित जाति की महिला प्रेमादेवी की एफ० आई० आर० लिखने में टालमटोल करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि थाना मौरावां के भवानीनगर–अकोहरी निवासिनी श्रीमती प्रेमादेवी के साथ घटित हादसा किस तिथि को हुआ ? एफ० आई० आर० पुलिस ने किस धारा में लिखी ? सी० ओ० की जांच के बाद मुकदमा किस धारा में संशोधित हुआ ? क्या सरकार प्रश्नगत थाना मौरावां में माह जनवरी, फरवरी, 94 में अद्यावधि घटित अपराधों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता ने पत्र दिनांक 22-2-94 की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ, परिक्षेत्र लखनऊ के माध्यम से कराई जा रही है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

दिनांक 10-2-94 को ।

प्रारम्भ में एफ० आई० आर० धारा 506 भा० द० वि० एवं 3(1)(12) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी थी । जांच से घटना बलात्कार की पायी जाने पर धारा 376 भा० दं० वि० की वृद्धि की गयी है ।

सी० ओ० की जांच के उपरान्त मुकदमा धारा 376 भा० दं० वि० में तरमीम हुआ ।

थाना मौरावां का माह जनवरी, फरवरी, 94 में घटित अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	अपराध शीर्षक	अभियोगों की संख्या
1	2	3
1	हत्या	1
2	301 भा० दं० वि०	1
3	बल्वा	1
4	307 भा० दं० वि०	1

1	2	3
5	324/325 भा० दं० वि०	14
6	बलात्कार	1
7	लूट	1
8	अपहरण	1
9	एस सी/एस टी ऐक्ट के अन्तर्गत	14
10	गृह भेदन	8
11	चोरी	7
12	शस्त्र अधिनियम	3
13	आवकारी अधिनियम	4
14	मोटर वाहन अधिनियम	5
15	4/10 वन अधिनियम	7
16	अन्य	21

श्री राम समुझ पुत्र स्व० श्री राम भरोसे अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्राम/पोस्ट घटौली (कबीरपुर) थाना खण्डासा, जनपद फैजाबाद की दिनदहाड़े की गयी हत्या के संबंध में सभी उच्च अधिकारियों को भेजे गये शिकायती पत्र

11–श्री चेतराम–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 9 जुलाई, 1993 को श्री रामसमुझ पुत्र स्व० राम भरोसे अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्राम घटौली (कबीरपुर), पोस्ट–घटौली, थाना–खण्डासा, जनपद–फैजाबाद की दिन दहाड़े की गयी हत्या के संबंध में माह जुलाई/अगस्त, 1993 तक श्री दुखीराम निवासी उपरोक्त के कितने प्रार्थना-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद फैजाबाद, पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद, पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेन्ज, लखनऊ एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक, उत्तर प्रदेश तथा गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं ? उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में श्री दुखीराम द्वारा चार प्रार्थना-पत्र विभिन्न अधिकारियों को प्रेषित किये थे जो एक ही विषयवस्तु से संबंधित थे ।

इस संबंध में वादी मुकदमा श्री राम औतार पुत्र राम भरोसे सा० घटौली पुरे कबीर, थाना खण्डासा, जिला फैजाबाद द्वारा दिनांक 9-7-93 को अभियुक्त राम नाथ पुत्र मतई, राम लाल, बृज लाल पुत्रगण राम नाथ के विरुद्ध मु० अ० सं० 94/93 धारा 304 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया है । विवेचना में

नामजद अभियुक्त रामनाथ व राम लाल को दिनांक 17-3-93 को तथा श्री बृजलाल को दिनांक 16-3-93 को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया गया है । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय में है ।

श्री राम चरन पुत्र मिठी लाल निवासी नगला खारी फोडर थाना मगोरी, जनपद मथुरा के द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में अब तक की गयी कार्यवाही की जानकारी की मांग

12–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम चरन पुत्र मिहीलाल नगला खारी फोंडर थाना मगोरी, जनपद मथुरा ने थाना मगोरी में मु० अ० सं० 107/93, धारा 420, 409, 467, 468, 471, आई० पी० सी० का मुकदमा थाना हाजा में दिनांक 27-10-93 को कायम कराया है ? यदि हां, तो तत्काल रिकार्ड सील क्यों नहीं किये गये तथा मुल्जिमानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस अभियोग में गबन की गयी धनराशि एक लाख से अधिक होने के कारण अभियोग के विवेचक उपनिरीक्षक श्री करमवीर सिंह द्वारा इसकी विवेचना कोआपरेटिव सेल द्वारा कराने की रिपोर्ट देकर विवेचना स्थगित कर दी । उसने न तो सम्बन्धित रिकार्ड सील किये और न अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये कोई प्रयास किया । विवेचक की इस लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के सबंध में जांच की जा रही है। उपरोक्त मु० अ० सं०–107/93 की विवेचना जारी रखने के निर्देश भी विवेचक को दे दिये गये हैं । विवेचना जारी है ।

मथुरा जनपद के थाना वृन्दावन में दर्ज मु० अपराध संख्या 11/94 धारा 498-ए, 307 के वांछित अपराधियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के थाना वृन्दावन में अ० सं० 11/94, धारा 498-ए, 307 भा० दं० सं० के अन्तर्गत कायम पर मुल्जिमानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि श्रीमती अंजू द्वारा 20-1-94 को एक जीप नं०–यू० पी०-85/3600 तथा मारुति वैन नं०–डी० एन० सी०–0053 मुल्जमान पक्ष एवं अपराधी अप्रिय घटना करने के लिये घूमे जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, मथुरा को दी गयी पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह भी सत्य है कि अंजू के पिता द्वारा 17-1-94, 27-1-94 एवं 1-2-94 को प्रार्थना-पत्र दिये उन पर क्या कार्यवाही हुई ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मथुरा जनपद के थाना वृन्दावन में अप० सं० 11/94 धारा 498 ए/307 भा० दं० वि० की गहनता से जांच प्रचलित है । जांच से प्रकाश में आने वाले तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

दिनांक 20-1-94 को जीप नं०–यू० पी०-85/3600 एवं मारुति वैन नं०–डी० एन० सी०–0053 पर मुल्जमान पक्ष एवं अपराधी तत्व के अप्रिय घटना घटित करने हेतु घूमने के संबंध में श्रीमती अंजू द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से दी गयी सूचना की जांच कराई गई । जांचोपरान्त आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

दिनांक 27-1-94 एवं 1-2-94 के प्रार्थना पत्र श्रीमती अंजू के पिता द्वारा तथा दिनांक 17-1-94 का प्रार्थना पत्र श्रीमती अंजू द्वारा दिया गया था । इनमें से प्रार्थना पत्र दिनांक 17-1-94 तथा 27-1-94 में अंकित आरोप जांच में प्रमाणित नहीं हुए । प्रार्थना पत्र दिनांक 1-2-94 में प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध उपरोक्त मुकदमे के अतिरिक्त लगाये गये अन्य आरोपों की पुष्टि जांचोपरान्त नहीं हुई ।

राम अचल निवासी ग्राम सुरिस, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु

14–श्री मोहम्मद अरशद खान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम अचल (चमार) निवासी ग्राम सुरिस, थाना शाहगंज, जिला जौनपुर जिसकी 7-5-93 को निवर्तमान कोतवाल शाहगंज श्री राम समुझ राय द्वारा हत्या कर दी गयी थी, उसकी सी० आई० डी०/सी० बी० आई० जांच हो रही है ? यदि हां, तो कब तक जांच पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा मृतक परिवार को दो लाख रुपये सहायता राशि स्वीकार की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार राम अचल उर्फ अचल उर्फ दाढ़ी पुत्र सुखई, ग्राम सुरिस, थाना शाहगंज, जौनपुर कुख्यात डकैत था जिसकी मृत्यु दिनांक 7-5-93 को पुलिस मुठभेड़ में हुई थी । इस घटना की जांच सी० आई० डी० अथवा सी० बी० आई० द्वारा नहीं हो रही है ।

चूंकि मृतक एक शातिर किस्म का कुख्यात डकैत था इसलिये उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने का कोई औचित्य नहीं है ।

जिला अधिकारी, महराजगंज द्वारा विगत चार वर्षों में आग्नेयास्त्रों के दिये गये कुल लाइसेन्सों का विवरण तथा जांच पड़ताल किये जाने की कार्यवाही

15–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा वर्ष 1991-92 से लेकर 31-12-93 तक अग्निशस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कुल कितने रिवाल्वर, पिस्टल तथा रायफलों के लाइसेंस जारी किये गये हैं ? क्या जिलाधिकारी द्वारा लाइसेन्स जारी करते समय अग्निशस्त्र अधिनियम में दिये गये मानक का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त जारी लाइसेन्सों में कितने रिवाल्वर व पिस्टल के लाइसेंस कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मचारियों को जारी किये गये हैं ? उन कर्मचारियों को लाइसेन्स जारी करने का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार 1 जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1993 तक 66 व्यक्तियों को रिवाल्वर का, 5 व्यक्तियों को पिस्टल का तथा 30 व्यक्तियों को राइफल का लाइसेंस स्वीकृत किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिर्फ एक कर्मचारी को रिवाल्वर का लाइसेंस स्वीकृत हुआ है ।

आत्मरक्षार्थ ।

प्रीमियर कार सेल्स के पंजीयन तथा उसके सर्विसिंग सेन्टर में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित मामला

16–श्री तेजभान सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहनजफ रोड, लखनऊ स्थित प्रीमियर कार सेल्स का पंजीयन श्रम कानून के अन्तर्गत किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रीमियर कार सेल्स में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनका मासिक वेतन कितना है ? क्या उक्त प्रीमियर कार सेल्स से संबंधित कोई सर्विसिंग सेन्टर भी है ? यदि हां, तो उसमें कार्य करने वाले कितने आदमी हैं और उनका वेतन क्या है ? क्या संबंधित श्रमिकों की संख्या जितनी बतायी गयी है, उससे ज्यादा भी काम करते हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रीमियर कार सेल्स में कुल 14 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका श्रेणीवार मासिक वेतन निम्नवत् है :—

पदनाम	प्रतिमाह वेतन
1–सीनियर एकाउंटेंट	2023.00
सेल्समैन	1584.00 व
	1596.00
2–सहायक स्टोरकीपर	1384.00
	1793.00
3–सहायक एकाउंटेंट	1659.00
4–सहायक रिकार्ड कीपर	1319.00
चपरासी	1135.00 व
	1147.00
5–चौकीदार	1226.00

अस्थायी कर्मचारी (स्कूटर डिवीजन)

1–सेल्समैन	1500.00
2–हेल्पर	800.00
3–चपरासी	500.00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । पंजीयन में दर्शायी गयी अधिकतम सीमा से कम श्रमिक नियोजित हैं ।

जनपद सोनभद्र में खनिज सम्पदा की प्रचुरता को देखते हुए अन्वेषण कार्य कराये जाने की मांग

17–श्री तीरथ राज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र की तहसील दुद्धी का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं राबर्ट्सगंज तहसील के सोन नदी के दक्षिण का भाग खनिज सम्पदा जैसे कोयला, अबरख, सोना, हीरा, बाक्साइट, यूरेनियम आदि से पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या वहां पर केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्त सरकार के द्वारा कोई अन्वेषण कार्य जारी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद सोनभद्र में लाइम स्टोन, डोलोमाइट एवं कोयले के भण्डार उपलब्ध हैं, जिनका दोहन किया जा रहा है ।

जी हां । उक्त के अतिरिक्त प्रदेश शासन एवं भारत सरकार द्वारा इस जनपद में क्ले, अबरक, सोना एवं यूरेनियम के भण्डार पता लगाये जाने के लिये अन्वेषण का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थानाध्यक्ष, सराय इनायत, जनपद इलाहाबाद द्वारा रिपोर्ट दर्जकर्ताओं को मारने पीटने की शिकायत

18–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सराय इनायत, जनपद इलाहाबाद में दर्ज अपराध संख्या 564 सन् 1992 के शिकायतकर्ताओं तथा उसके दादा के लड़कों को दिनांक 11-2-1994 को अभियुक्तों ने अलग-अलग घटनाओं में मारा पीटा ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही न करके थानाध्यक्ष द्वारा शिकायतकर्ता को ही झूठे मामले में फंसाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की सी० आई० डी० से जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद इलाहाबाद के थाना सराय इनायत पर पंजीकृत मु० अ० सं० 564/92 के अभियुक्त पक्ष एवं वादी श्री गायत्री प्रसाद मिश्र व उनके पक्ष के लोगों के मध्य दिनांक 11-2-94 को

घटित अलग-अलग घटनाओं के संबंध में थाना सराय इनायत पर अलग-अलग अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

वादी श्री विनोद कुमार मिश्र द्वारा पंजीकृत कराये गये अपराध सं० 57/94 धारा 323/504/506 भा० दं० वि० तथा वादी श्री अशोक कुमार मिश्र द्वारा पंजीकृत कराये गये अपराध सं० 60/94 धारा 147/323/504/506 भा० दं० वि० में विवेचना प्रचलित है। वादी श्री गायत्री प्रसाद मिश्र द्वारा पंजीकृत कराये गये अभियोग अपराध संख्या 58/94 धारा 395/397 भा० दं० वि० में पुलिस विवेचना से अपराध होना नहीं पाया गया जिसके कारण मामले में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी तथा अभियुक्त पक्ष के ही श्री प्रेम चन्द्र द्वारा शिकायतकर्ता गायत्री प्रसाद मिश्र के विरुद्ध पंजीकृत मु० अ० सं० 58ए/94 धारा 279/337/506 भा० दं० वि० व 3-1(x) एस० सी०/एस० टी० एक्ट की विवेचना प्रचलित है।

वर्तमान में उक्त मुकदमों की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है।

थाना सराय इनायत, जनपद इलाहाबाद में दर्ज अपराध संख्या 564 सन् 1992 में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने की जानकारी

19–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सराय इनायत, जनपद इलाहाबाद में दर्ज अपराध संख्या 564 सन् 1992 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुनः जांच कराने के आदेश के बाद भी पत्रावली उपलब्ध क्यों नहीं करायी जा रही है ? क्या नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में पूरे मामले की सी० आई डी० से जांच कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अभियोग की पुनर्विवेचना हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा एस० आई० एस० को दिनांक 26-7-93 को आदेश दिया गया था। विवेचक द्वारा मामले से संबंधित अभिलेख साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है जिसके पूर्व नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी सम्भव नहीं है।

शासन द्वारा संदर्भित अभियोग की विवेचना अपराधा शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शमशेर सिंह, भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर लखीमपुर के पेंशन आदि में हो रहे विलम्ब की शिकायत तथा भुगतान की मांग

20–श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शमशेर सिंह, डिप्टी कलेक्टर जिन्होंने लखीमपुर खीरी से अवकाश प्राप्त किया है, को अभी तक पेंशन तथा कम्यूटेड वैल्यू का भुगतान नहीं किया गया है ?

यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त भुगतान शीघ्र ही किया जायगा ? क्या भुगतान में देर के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन्हें अनन्तिम पेंशन मिल रही है । अन्तिम पेंशन व कम्युटेशन के आदेश परिषदादेश सं०–7766/पें० से०/रा-20991/93-94 दिनांक 17-3-94 द्वारा जारी किया जा चुका है ।

विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण अन्तिम पेंशन स्वीकृत करने में बाधा थी । विभागीय कार्यवाही के अन्तिम आदेश दिनांक 9-2-94 को पारित होने के पश्चात अन्तिम पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

दिनांक 17-3-94 को पेंशन व कम्युटेशन की धनराशि का भुगतानादेश जारी किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि भुगतान में विलम्ब विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण हुआ ।

पूर्व नेता विरोधी दल श्री रेवती रमण सिंह द्वारा श्री चन्द्रपाल यादव पुत्र श्री कन्हई निवासी ग्राम शिवपुर मजरे बदली खेड़ा, जनपद उन्नाव के प्रमुख सचिव, गृह विभाग को भेजे गये पत्र के बारे में जानकारी

21–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम शिवपुर मजरे बदली खेड़ा के निवासी श्री चन्द्रपाल यादव पुत्र श्री कंधई के प्रार्थना-पत्र को पूर्व नेता विरोधी दल, श्री रेवती रमण सिंह ने अपने पत्रांक 124/ज०द०/93, को प्रमुख सचिव, गृह को भेजा था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्र की बिन्दुवार जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच की गयी । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वादी श्री चन्द्रपाल यादव एवं प्रतिवादी श्री बल्देव के बीच बाग की लकड़ी को लेकर विवाद हुआ था ? जांच से लकड़ी श्री बल्देव की होना पायी गयी जिसे परगनाधिकारी, उन्नाव के आदेश से प्रतिवादी श्री बल्देव को दे दी गयी है ।

थाना रौनाही, जिला फैजाबाद में कतिपय मुकदमा अपराध के संबंध में विस्तृत विवरण की जानकारी

22–श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 110 सन् 92 धारा 166, 167, 188, 465, 217, 506 भा० दं० वि० का थाना रौनाही में कायम हुआ है जिसमें बड़े आदमी व उच्च अधिकारी भी हैं ? क्या इनके विरुद्ध प्रशासन कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? क्या चन्द्रशेखर की चाराकट मशीन की पत्रावली सूचना आवेदन-पत्र पर उत्तर प्राप्त करने की लम्बित पत्रावली को निस्तारित कराकर कब्जे में लेकर सील किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त पत्रावलियां सील न करने, अपराध अभिकरण करने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन-कौन से

अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्त चन्द्र शेखर के विरुद्ध कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गवाह राम प्रगट का शपथ-पत्र व बयान विवेचना में प्रयोग किया जायेगा ? क्या आई० आर० डी० (पी०) निदेशक महोदय, भारत सरकार के 25 मार्च, सन् 1991 के पैरा-4 के शासनादेश का पालन होगा । यदि हां, तो कब तक शासनादेश के पैरा के अनुसार 420, 409 भा० दं० वि० की कार्यवाही निस्तारित की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विवेचना में आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

मामले में अन्तिम रिपोर्ट लग चुकी है अतः अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

रु० 106 अनुदान की वसूली की कार्यवाही की गयी है ।

अनुदान की वसूली के लिये आदेश जारी किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मामले की विवेचना समाप्त हो चुकी है । श्री राम प्रगट का बयान लिया गया था ।

जी हां ।

जांच से 420/409 भा० दं० वि० के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

जनपद फैजाबाद के थाना रौनाही के कतिपय दर्ज मुकदमा अपराध संख्या के अन्तर्गत शेष वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने की शिकायत

23–श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद स्थित थाना रौनाही के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–306 सा० 90 धारा–420, 467, 468 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अंकित हुआ था, जिसमें कुछ अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करा ली है ? यदि हां, तो शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इतना समय बीत जाने के बाद भी इतने संगीन अभियोग में अभी तक गिरफ्तारी न होने का क्या कारण हैं ? उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है व इसमें कितने अभियुक्त हैं ? क्या इसमें आई० आर० डी० (पी०) निदेशक, भारत सरकार के 25 मार्च, सन् 1991 के पैरा–4 के शासनादेश का पालन होगा ? क्या ए० पी० ओ० की विधिक राय दिनांक 17-9-91 के धारा–5 के अनुसार कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या वसूली आदेश का इस्तेमाल विवेचना में विवेचक ने किया है, यदि हां, तो कार्यवाही समाप्त न करने के क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना में किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट आई० आर० डी० में ऋण लेने में नियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में है तथा इसमें 5 अभियुक्त हैं ।

इसका पालन किया गया है ।

पुलिस विवेचना में बैंक मैनेजर, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनवरी/फरवरी, 1994 में ग्राम प्रधान लबेदा, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ की हत्या के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी की मांग

24--श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि माह जनवरी/फरवरी, 1994 में ग्राम लबेदा, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में वर्तमान ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में थाना पट्टी में कोई एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

8/9 फरवरी, 1994 की रात ग्राम लबेदा, थाना पट्टी के वर्तमान ग्राम प्रधान श्री रामजी शर्मा की हत्या कर दी गयी थी, जिसके संबंध में थाना पट्टी पर भा० दं० वि० की धारा 147/148/149/307/324/506/302 के अन्तर्गत मुकदमा अपराध सं० 36/94 पंजीकृत किया गया है । संदर्भित अभियोग की विवेचना से अभियुक्तगण लाल बहादुर यादव, सनोगी उर्फ तेन्दू, गयादीन केवट तथा धनई यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ? शेष 5 अभियुक्त न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिये । अभियोग विवेचनाधीन है ।

ग्राम गारापुर, थाना फतनपुर, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में पड़ी भीषण डकैती का मामला

25–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़, तहसील पट्टी, थाना फतनपुर, ग्राम गारापुर में दिनांक 7/8 फरवरी, 1994 को भीषण डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में थाना फतनपुर में एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

संदर्भित घटना के संबंध में भारतीय दण्ड विधान की धारा 395/397 के अन्तर्गत थाना फतनपुर में मु० अ० सं० 31/94 पंजीकृत किया गया है । विवेचना से 6 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनमे से अभियुक्तगण राकेश सिंह अरविन्द कुमार उर्फ पप्पू, क्षत्रपति तिवारी तथा सत्यवान सिंह जेल भेजे जा चुके हैं । शेष फरार अभियुक्त राम शिरोमणि व संजय सिंह को गिरफ्तार करके विवेचना पूर्ण किये जाने का प्रयास जारी है ।

जनपद गाजियाबाद नगर के कैला भट्टा बाल्मीकि बस्ती में नया थाना खोले जाने की मांग

26–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद नगर के कैला भट्टा बाल्मीकि बस्ती में नया थाना खोले जाने का कोई प्रस्ताव जिला प्रशासन से प्राप्त हुआ था ? क्या उक्त नये थाने के खोले जाने का कारण उक्त क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव बताया गया था ? यदि हां, तो कब तक नये थाने की वहां पर स्थापना की सम्भावना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ के देयों के भुगतान में विलम्ब की शिकायत

27–श्री सतीश भाटिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लखनऊ (प्रबन्धक विपणन) जोकि 1985 में रिटायर हो गये थे, उनका फण्ड, पेंशन तथा टी० ए० बिल अब तक क्यों नहीं दिया गया ? क्या इस विलम्ब से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो श्री शर्मा को कब तक पेमेन्ट कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री शर्मा को उनके फण्ड का 90 प्रतिशत रु० 21,300 दिनांक 20-11-85 तथा शेष 10 प्रतिशत रु० 6507.35 पैसा दिनांक 1-5-1986 को भुगतान किया जा चुका है । श्री शर्मा को उनके फण्ड के खाता संख्या 2178 पर प्रोत्साहन बोनस देय है जो महालेखाकार के स्तर पर लम्बित है । पेंशन का मामला लम्बित नहीं है । श्री शर्मा ने सेवा निवृत्त के 6 माह के अन्दर यात्रा नहीं की इसलिये टी० ए० बिल नियमानुसार देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

28-29-श्री अजय कुमार पोइया-

[6ठे बुध में अता० प्र० सं० 146-147 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा क्षेत्र चायल, जिला इलाहाबाद में गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने हेतु उद्योग लगाये जाने की मांग

30-श्री शिवदानी-

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र चायल में स्वतंत्रता के 46 वर्षों के बाद भी आज तक एक भी उद्योग धन्धे न होने के कारण वहां भुखमरी की समस्या बढ़ रही है तथा शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य अंधकारमय है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के विकास के लिये व बेरोजगारी दूर करने के लिये क्या वर्तमान सरकार चायल क्षेत्र में एक चीनी मिल या कोई अन्य उद्योग लगवाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र चायल मे 151 लघु एवं लघुत्तर उद्योग स्थापित हैं।

इलाहाबाद जनपद के प्रतापपुर हण्डिया में 2500 टी० सी० डी० क्षमता की एक नई चीनी मिल की स्थापना की संस्तुति भारत सरकार से की गयी है। जनपद में गन्ना की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए चायल क्षेत्र में चीनी मिल लगाना वर्तमान में सम्भव नहीं है। शासन द्वारा स्वयं कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है वरन् उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

मोहम्मद असलम की नाजायज गिरफ्तारी के विरुद्ध मो० खालिद खां, ग्राम व थाना बदोसराय, बाराबंकी द्वारा जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक अधिकारियों को दिये गये शिकायती पत्र एवं जांच की मांग

31-श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मो० खालिद खां, निवासी ग्राम व थाना बदोसराय, जनपद बाराबंकी ने दिनांक 1 फरवरी, 94 को पंजीकृत डाक द्वारा मुख्य मंत्री उ० प्र०, पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी, पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० के पास पुलिस थाना सफदरगंज, जनपद बाराबंकी पर मो०-असलम नामक व्यक्ति की नाजायज गिरफ्तारी व बेजा हिरासत में रखकर उत्पीड़न के रूप में चालान संबंधी आरोपों का उल्लेख करते हुए शिकायती प्रार्थना-पत्र भेजकर जांच की मांग की गयी थी ? क्या इस संबंध मे 21 जनवरी, 94 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी/जिलाधिकारी, बाराबंकी को तार द्वारा सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या संदर्भित मामले में जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत मामले की जांच क्षेत्राधिकारी नगर, बाराबंकी द्वारा कराई जा रही है । सम्प्रति विवेचना प्रचलित है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी द्वारा श्री राजित राम अनुसूचित जाति की मोटर साइकिल थाने में रखवाने की शिकायत

32–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम धुसड़िया, थाना बदोसराय, जनपद बाराबंकी निवासी राजित राम, अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना-पत्र, पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 94 को प्रेषित किया था, जिसमें पुलिस थाना सफदरगंज (बाराबंकी) पर धोखे से बुलाकर थाने ले जाकर उसकी यू० एम० पी० 381 राजदूत मोटर साइकिल गैर कानूनी रूप से रखवा लेने तथा जामा तलाशी में निकले 1250 रुपये ले लेने के सबंध में गम्भीर आरोप लगाया है और जांच की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त संदर्भित मामले में अब तक जांच की गयी ? क्या उक्त मोटर साइकिल असलम नामक व्यक्ति के चालन दिनांक 22 जनवरी, 94 में दर्शायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच से ज्ञात हुआ कि मो० असलम के पास गाड़ी का कोई कागजात नहीं था । उक्त मोटर साइकिल उसके द्वारा थाना सफदरगंज में मु० अ० सं० 5/94 धारा 392 भा० दं० वि० में लूट के समय प्रयोग करने तथा अवैध हथियार रखने के कारण चालान किया गया ।

मथुरा में मूर्ति चोरी की बढ़ती घटनाओं के रोकथाम की मांग

33–श्री प्रणत पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि मथुरा में मूर्ति चोरी एवं उसकी तस्करी की घटनायें तेजी से पनप रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

यह कहना गलत है ।

पुलिस द्वारा मूर्ति चोरी एवं तस्करी में लिप्त अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है । प्राचीन मन्दिरों की सुरक्षा के लिये उचित पुलिस प्रबन्ध भी किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद से लापता एवं जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिम में गोपाल कपूर की बरामद लाश के संबंध में जानकारी

34–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद से लापता गोपाल कपूर की लाश 15-10-93 को बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में मिली ? क्या इस हत्या के अभियुक्तों का पता है ? यदि हां, तो वे कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई यदि अभी तक अभियुक्तों के संबंध में पता नहीं चला तो क्या सरकार इस रहस्यमय अपराध का खुलासा करने के लिये मुकदमें की तफ्तीश सी० बी० सी० आई० डी० को सौंपेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । प्रश्नगत प्रकरण में थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 289/93 धारा 302/201 भा० दं० वि० पंजीकृत करके स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी । अभी तक की विवेचना से कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है विवेचना जारी है ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच/विवेचना सी० आई० डी० को सौंपी नहीं गयी है परन्तु जनपद पुलिस को निर्देश दिये गये हैं कि विवेचना शीघ्रतापूर्वक पूरा करें ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण को एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में बदलने तथा उसकी शाखा लखनऊ के अतिरिक्त इलाहाबाद, मेरठ व आगरा में खोले जाने की मांग

35–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण को एडमिनिस्ट्रेटिव के सेट-अप में बदल दिये जाने एवं उसकी शाखा लखनऊ के अतिरिक्त इलाहाबाद, मेरठ व आगरा में भी खोले जाने का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्ण सहाय व अन्य बनाम स्टेट आफ यू० पी० व अन्य (1990 एस० सी० सी०) एल० एण्ड एस० (375) तथा राजेन्द्र सिंह यादव व अन्य बनाम स्टेट आफ यू० पी० व अन्य (1990 एस० सी० सी०) एल० एण्ड एस० (412) में दिया है ? क्या उक्त निर्णय के अनुपालन में लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्णीत मुकदमें के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किये जाने का प्राविधान सरकार करेगी जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के संबंध में व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त मामलों के निर्णय पूर्ण रूप से लागू किये जाने की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कर्वी जिला बनाओ आन्दोलन में दायर सुप्त आन्दोलनकारियों के लम्बित मुकदमों को शीघ्र निपटाने की मांग

36–श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्वी जिला बनाओ आन्दोलन के दौरान रेलवे रोको आन्दोलन एवं अन्य आन्दोलनों के दौरान आज तक जो भी मुकदमें आन्दोलनकारियों पर दायर किये गये थे, उन्हें वापस ले लिया गया है ? यदि हां, तो उन आन्दोलनकारियों पर बांदा में रेलवे एवं कर्वी में न्यायिक अदालतों पर मुकदमें अभी तक क्यों लम्बित हैं ? सरकार ने कई वर्षों बाद भी इन राजनैतिक मुकदमों को क्यों नहीं वापस लिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शासन के न्याय विभाग के आदेश दिनांक 28-11-90 के अनुसार उक्त मुकदमा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्वी, बांदा के यहां से दिनांक 29-3-94 को वापस ले लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में वैयक्तिक सहायक के पदों के चयन में आरक्षित कोटा पूरा किये जाने की जानकारी

37–श्री चैन सुख बारती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में वैयक्तिक सहायक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें कितने भरे हुए पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कोटा के अन्तर्गत कितने वैयक्तिक सहायक कार्यरत हैं ? आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में क्या विशेष प्रयास किये गये और उसका क्या परिणाम रहा ? कोटा पूरा करने के संबंध में क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की 6 दिसम्बर, 1992 में आयोजित की गयी परीक्षा का परिणाम घोषित करके कोटा पूरा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में वैयक्तिक सहायक के कुल 527 पद स्वीकृत हैं ।

उक्त 527 वैयक्तिक सहायक के पदों में 384 पद भरे हैं तथा भरे हुए पदों पर (आरक्षण कोटे के अन्तर्गत) अनुसूचित जाति/जनजाति के 25 वैयक्तिक सहायक कार्यरत हैं ।

आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में विशेष चयन के माध्यम से वैयक्तिक सहायक की 66 रिक्तियों के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को अधियाचन भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप जुलाई, 1993 में लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और परिणाम प्रतीक्षित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6 दिसम्बर, 1992 को आयोजित की गयी विशेष परीक्षा सचिवालय सहित विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के आशुलिपिकों को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अधिकतम एक वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित वैयक्तिक सहायक उपलब्ध होने, जो भी पहले हो, तक के लिये पूर्णतः अस्थाई रूप से तैनात किये जाने से संबंधित थी । अतः उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित करके उत्तर प्रदेश सचिवालय में कतिपय वैयक्तिक सहायकों को पूर्णतः अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान किया जाना समस्या का वास्तविक निदान नहीं है क्योंकि इससे आरक्षण के कोटे में कमी सचिवालय के स्थान पर अभ्यर्थियों के पैतृक विभाग में हो जायेगी, जो उपयुक्त नहीं है ।

श्री चरन सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष जी० आर० पी० बरेली जंक्शन के विरुद्ध व्यापारियों की शिकायत की जांच

38–श्री रामपाल सिंह सैनी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 92 के पहले मंगल के तारांकित प्रश्न संख्या–2 (नत्थी ख) के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत थानाध्यक्ष को मात्र चेतावनी देकर किस आधार पर छोड़ दिया गया तथा कांस्टेबिल श्री शाहिन अख्तर के विरुद्ध भ्रष्टाचार का अपराध दर्ज किया गया ? क्या सरकार थानाध्यक्ष को भी दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? श्री चरन सिंह के विरुद्ध निन्दा प्रविष्टि किस वर्ष में अंकित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

क्षेत्राधिकारी रेलवे मुरादाबाद की जांच के आधार पर कार्यवाही की गयी ।

जी नहीं । क्योंकि जांच के आधार पर कार्यवाही की गयी है ।

जांच अधिकारी द्वारा वर्ष 1991 की सत्यनिष्ठा रोकने की संस्तुति की गयी । जिस पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रेलवे, मुरादाबाद द्वारा विचार करने तथा सत्यनिष्ठा रोके जाने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध न होने के कारण श्री चरन सिंह को चेतावनी दी गयी ।

थाना बरेली जंक्शन पर चोरी के मामले में थानाध्यक्ष द्वारा मुल्जिमों के नाम सुरेन्द्र व बब्बू बताये जाने के बावजूद गिरफ्तार न किये जाने के कारण सी० आई० डी० की जांच की मांग

39–श्री रामपाल सिंह सैनी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के 1ले मंगलवार के अता०प्र० सं०–35 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में सी० आई० डी० जांच के आदेश शासन द्वारा दिनांक 26-6-92 को दिये गये थे, किन्तु अभी तक श्री चरन सिंह सब-इंस्पेक्टर को निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त घटना में जिम्मेदार सब-इन्स्पेक्टर (थानाध्यक्ष) के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शासन द्वारा सी० आई० डी० जांच के दिये गये आदेश दिनांक 26-6-92 के अनुपालन में इस अभियोग की विवेचना दिनांक 22-7-92 से अपराध अनुसंधान शाखा, बरेली द्वारा की जा रही है ।

अपराध अनुसंधान शाखा बरेली द्वारा जांच के बाद घटना के लिये जिम्मेदार सब-इन्स्पेक्टर व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पुत्तू सिंह, निवासी ग्राम अटवा असिगांव, ब्लाक हरियांवा, थाना कोतवाली देहात, हरदोई में अनुसूचित जाति का उत्पीड़न का दर्ज मामला

40–श्री रामपाल सिंह सैनी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पुत्तू सिंह, ग्राम अटवा, असिगांव, ब्लाक हरियांवा, थाना कोतवाली देहात, हरदोई पर अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मुकदमा श्री वेद प्रकाश ने दिसम्बर, 1993 के अन्तिम सप्ताह में दर्ज कराया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि 30 जनवरी, 1994 को पुनः एक अन्य मामले में अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मामला पुनः दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो श्री पुत्तू सिंह द्वारा बार-बार अनुसूचित जाति का उत्पीड़न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच से अभियुक्तगण पुत्तू सिंह, अनिल सिंह एवं शिव प्रसाद के विरुद्ध आरोप सही पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

41–श्री रवीन्द्र पुण्डीर–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ के पुलिस थानों में कार्यरत कर्मचारियों के आरक्षण कोटे की जानकारी

42–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कितने थाने हैं ? इनमें किन-किन थानों में अनुसूचित जाति कोटे के अन्तर्गत कितने थानाध्यक्ष वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1992-93 में नियुक्त किये गये थे ? क्या उचित प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद लखनऊ में 33 थाने हैं ।

वर्ष 1990-91 में 10 थानों में थाना–तालकटोरा, काकोरी, मोहनलालगंज, नगराम, मड़ियांव, गुडम्बा, माल, गोमतीनगर, कृष्णानगर एवं महानगर ।

वर्ष 1991-92 में 9 थानों में थाना–कृष्णानगर, गोमतीनगर, महानगर, माल, मड़ियांव, मोहनलालगंज, नगराम, काकोरी एवं इटौंजा ।

वर्ष 1992-93 में 6 थानों में थाना–नगराम, इटौंजा, माल मड़ियांव, तालकटोरा एवं मलिहाबाद ।

जी हां ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

ग्राम सभा हरिपालपुर थाना मछरेहटा जिला सीतापुर के निवासियों के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता विधायक के पत्र के संबंध में कृत कार्यवाही की मांग जानकारी

43–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1994 जिसके साथ ग्राम सभा–हरिपालपुर, थाना–मछरेहटा, जिला–सीतापुर के अनुसूचित जाति एवं सवर्णों द्वारा हस्ताक्षरित उक्त ग्राम में हुई घटना दिनांक 22-11-93 की निष्पक्ष जांच हेतु संलग्न था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित प्रकरण में स्थानीय थाने की पुलिस के अतिरिक्त किसी अन्य उच्चधिकारी से जांच करायी गयी ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित कितने व्यक्तियों के बयान लिए गये तथा उसका परिणाम क्या रहा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र की जांच श्री वेद प्रकाश, क्षेत्राधिकारी, मिश्रिख द्वारा की गयी । जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित 24 व्यक्तियों के बयान जांच के मध्य लिये गये । घटना की सूचना दिनांक 22-11-93 के आधार पर मु०अ०सं० 170/93 धारा 295/323/504/506/427 भा०दं०वि० व 3 (1) 10 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना से अभियुक्त करूणाशंकर, जयशंकर व उमा शंकर पर जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 10-12-93 को तीनों अभियुक्तों का चालान किया गया ।

थाना औराई जिला वाराणसी के तितराही ग्राम में 4 फरवरी, 1994 को मालती नामक महिला (धोबिन) के साथ हुए बलात्कार की घटना की शिकायत

44–श्री रंग नाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औराई थाना अन्तर्गत वाराणसी जनपद के तितरही ग्राम में 4 फरवरी, 94 को मालती धोबिन नामक महिला के साथ दो लोगों ने बलात्कार किया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त पीड़ित महिला को कोई सहायता राशि दी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अपराधियों के साथ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित बलात्कार की घटना दिनांक 4 फरवरी, 1994 को नहीं बल्कि 2/3 फरवरी, 1994 की रात्रि में घटित हुयी थी, जिसकी रिपोर्ट 4-2-94 को थाना औराई में लिखाई गयी ।

प्राप्त सूचना के अनुसार पांच हजार रुपये कीआर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी है ।

घटना से संबंधित मु०अ०सं० 30/94 धारा 376/392 भा०दं०वि० 3(1) (10) एस०सी०/एस०टी० एक्ट 1989 में नामित दोनों अभियुक्त नखड़ व लोढ़े की गिरफ्तारी की गयी तथा विवेचना उपरान्त उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना मुसाफिरखाना में मृतक पिता के नाम से फर्जी लोन लेने के संबंध में दर्ज मुकदमा

45–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के थाना मुसाफिरखाना में दिनांक 11-3-93 को श्री बैजनाथ, प्रभू, गयादीन (अनुसूचित जाति) ग्राम–मल्हरपासी का पुरवा मजरे उमाभिक्षुपुर थाना–कोतवाली मु० खाना में शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक मु० खाना व अन्य के विरुद्ध अपने मृतक पिता के नाम फर्जी लोन निकाल लेने की शिकायत दर्ज करायी है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है ? क्या जांचोपरान्त कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां,तो क्या ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सर्व प्रथम पंजीकृत मुकदमें की विवेचना उपनिरीक्षक श्री पल्टन यादव द्वारा प्रारम्भ की गयी उनके स्थानान्तरण के पश्चात उक्त मुकदमें की विवेचना श्री अशोक कुमार मिश्रा द्वारा की गई । वर्तमान में पुनः यह मुकदमा श्री पल्टन यादव उप निरीक्षक द्वारा विवेचनाधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी की तहसील निघासन के विकास खण्ड पलिया में ग्राम मुजहा में हवाई पट्टी के निर्माण का मामला

46–श्री निरवेन्द्र कुमार "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-खीरी की तहसील निघासन के विकास खण्ड पलिया अन्तर्गत ग्राम मुजहा में हवाई पट्टी का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति शासन को अंधेरे में रखकर करायी गई है ? यदि हां, तो इसकी आवश्यकता किन कारणोंवश महसूस हुई और इसमें कुल कितनी धनराशि व्यय की जानी है ? क्या यह सही है कि हवाई पट्टी हेतु चयन किये गये स्थान पर कई नाले होने से सदैव जल भरा रहता है ? क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान को हवाई पट्टी निर्माण हेतु उपयुक्त न समझने व उक्त क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित होने के कारण पूर्व में शासन द्वारा इसे अस्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो पुनः उक्त स्थान के चयन का औचित्य क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन को किसी प्रकार अंधेरे में नहीं रखा गया है । जनपद खीरी में हवाई पट्टी के निर्माण की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 1993-94 में शासन द्वारा दी गई है ।

हवाई पट्टी के निर्माण की आवश्यकता प्रशासकीय कारणोंवश महसूस की गई । निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 156.57 लाख रुपये हैं ।

जी हां, चयनित स्थल के समीप नालों में वर्षा ऋतु में जलभराव होता है परन्तु प्रस्तावित निर्माण कार्य इसको दृष्टिगत रखकर ही किया जायेगा ।

पलिया में हवाई पट्टी के निर्माण कार्य को मुख्यतः संसाधनों की कमी के कारण मूर्तरूप नहीं दिया जा सका था। वैसे प्रस्तावित योजना का सूत्रपात करने से पूर्व आतंकवाद की समस्या के बारे में विचार किया जा चुका है।

प्रशासकीय आवश्यकताओं एवं हवाई पट्टी हेतु प्रश्नगत भूमि की उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थान का चयन किया गया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह तत्कालीन वरिष्ठ उपनिरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई के विरुद्ध जांच आख्या की जानकारी

47–श्री सफदर रजा खां–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–50 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सिंह की बाराबंकी में तैनाती की अवधि में एस० पी० बाराबंकी द्वारा उनके विरुद्ध कोई शिकायत अपने उच्चाधिकारियों को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी ? और उसके आधार पर इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? नहीं, तो क्यों ? उक्त के संबंध में क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि श्री सिंह की बाराबंकी में तैनाती अवधि में तीन किन-किन व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गयी थी और उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? क्या गृहमंत्री सभी शिकायतों तथा जांच रिपोर्ट आदि का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार श्री ओम प्रकाश सिंह, तत्कालीन वरिष्ठ उप निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई की जनपद बाराबंकी में तैनाती की अवधि में इनके एवं उप निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, श्री राम चन्द्र गौतम के मध्य कुछ कारणों को लेकर आपस में गुट बन्दी चल रही थी तथा ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध प्रायः आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते थे, जिससे पुलिस कार्य प्रणाली प्रभावित होती थी इसलिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी द्वारा गोपनीय ढंग से पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, उ० प्र० लखनऊ को अवगत कराया गया था। विभागीय हित में प्रशासनिक आधार पर दोनों ही उप निरीक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम एवं द्वितीय पत्र गुमनामी थे तथा तृतीय श्री राम कुमार पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, लोक दल द्वारा की गयी थी।

मण्डलाधिकारी, अभिसूचना विभाग, लखनऊ, मण्डलाधिकारी, फैजाबाद एवं पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी द्वारा करायी गयी।

चूंकि अभिसूचना विभाग की कार्यवाहियां गोपनीय प्रकृति की होती हैं। अतःजनहित में मामले से संबंधित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखना उचित नहीं होगा।

ग्राम मदारपुर जिला बाराबंकी निवासी श्री फूल चन्द्र वर्मा के प्रार्थना-पत्र के साथ पूर्व विधायक श्री अशरफी लाल यादव के पत्र पर हुयी कार्यवाही की जानकारी

48–श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के पूर्व विधायक एवं जनता दल अध्यक्ष अशर्फीलाल यादव ने 27 नवम्बर, 93 को ग्राम मदारपुर निवासी फूलचन्द्र वर्मा का एक शिकायती प्रार्थना-पत्र अपने पत्र के साथ संलग्न करके पंजीकृत डाक द्वारा पुलिसअधीक्षक, बाराबंकी/पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० के पास प्रेषित किया था जिसमें जिले के थाना बदोसरांय के थाना अध्यक्ष पर नजायज उत्पीड़न करके 10 हजार रुपये की घूसखोरी का गम्भीर आरोप था ? क्या उस शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच के दौरान ही 20/21 जनवरी,94 की रात में शिकायतकर्ता फूलचन्द्र वर्मा की हत्या कर दी गयी, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस के प्रति थाना क्षेत्र में जनआक्रोश पैदा हो गया है ? क्या 16 फरवरी,94 को मुख्य मंत्री,उ० प्र० को सम्बोधित एक मांग पत्र भेज कर सम्पूर्ण प्रकरण की जांच गुप्तचर शाखा द्वारा कराये जाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मामले में गुप्तचर शाखा द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये ? यदि हां,तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां । श्री अशर्फीलाल यादव पूर्व विधायक का दि० 24 फरवरी, 1994 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था, न कि 16 फरवरी, 1994 का ।

जी हां ।

दिनांक 02 अप्रैल, 1994 को । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद में एन० टी० पी० सी० विद्युत नगर गेट पर धरने पर बैठे किसानों पर जिला पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना

49–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद गाजियाबाद में एन० टी० पी० सी०, विद्युतनगर के गेट पर 2 फरवरी, 94 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लगभग 10 गांवों के किसानों पर 8 फरवरी की मध्याह्न एक दरोगा द्वारा लाठी चार्ज व अंधाधुंध गोली चलाई गई है ? यदि हां, तो लाठी चार्ज हेतु उसको आदेश किसने दिये हैं ? क्या पुलिस को इस प्रकार लाठीचार्ज व गोली चलाने का अधिकार प्राप्त है ? यदि हां, तो पुलिस नियमावली के किस अनुच्छेद में है ? यदि नहीं, तो क्या संबंधित दोषी दरोगा, श्री वीरेन्द्र सिंह के ऊपर मुकदमा कायम करके सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, 2 फरवरी,1994 को एन० टी० पी० सी० के गेट पर 10 गांवों के किसानों द्वारा कोई धरना नहीं दिया जा रहा था वरन् दिनांक 8 फरवरी, 94 को एक अन्य घटना, जिसमें दो ग्रामों के ग्रामवासियों द्वारा सड़क निर्माण के कार्य में व्यवधान डालने की सूचना पर थाना एन० टी० पी० सी० पुलिस घटनास्थल पर पहुंची । पुलिस पार्टी को देखकर उत्तेजित भीड़ द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया

जिसके फलस्वरूप अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने हेतु पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। घायल पुलिसकर्मियों एवं जनता के व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट से किसी भी व्यक्ति के फायर आर्म्स से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। उक्त प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

50–श्री विश्वनाथ–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

श्री पी० समवेल, सचिव भारतीय ईसाई समाज उरई जिला जालौन द्वारा उनके धार्मिक स्थल चर्च की दीवार तोड़कर विदेशियों द्वारा कब्जा किये जाने में एस० एस० पी० एवं उच्च अधिकारियों को भेजे गये शिकायती-पत्र

51–श्री विश्वनाथ–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० समवेल, सचिव, भारतीय ईसाई समाज, उरई, जिला जालौन ने दिनांक 5-1-94 को कोई शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उरई जालौन एवं उच्च अधिकारियों को इस आशय का दिया है कि उन लोगों के धार्मिक स्थल, एक मात्र चर्च का स्वरूप बिगाड़ कर व दीवार तोड़कर विदेशियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार पत्र के साथ कृत कार्यवाही का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। परन्तु दि० 5-1-94 के बजाय दि० 6-1-94 को प्रार्थना-पत्र दिया गया था।

प्रश्नगत प्रकरण दीवानी प्रकृति का है। इस सम्बन्ध में वाद मा० न्यायालय में विचाराधीन है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं। चूंकि मामला मा० न्यायालय में विचाराधीन है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जनपद में स्थित थानों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने की जानकारी

52–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में स्थित थानों में अनुसूचित जाति की आरक्षण स्थिति क्या है ? यदि आरक्षण पूर्ण नहीं है, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद मथुरा के थानों में अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में पुडकुल गांव स्थित प्रदेश कार्बाइड एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड उद्योग में विद्युत विच्छेदन के कारण बन्दी की शिकायत

53–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि देहरादून जनपद में पुडकुल गांव स्थित प्रदेश कार्बाइड एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड उद्योग 30 मार्च, 1992 से विद्युत विच्छेदन के कारण बन्द पड़ा है ? क्या उक्त उद्योग की सरकार की चलाने की योजना है ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो उक्त उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को कहां समायोजित किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । लगातार हानि के कारण यह इकाई रुग्ण हो गई है । अतः इसे बी० आई० एफ० आर० में संदर्भित किया गया । बी०आई० एफ० आर० के समक्ष समस्त सम्बन्धित पक्षों यथा वित्तीय संस्थायें बैंक, राज्य सरकार तथा श्रमिकों को सुना गया है । समस्त पक्षों के सुनने के उपरान्त बी० आई० एफ० आर० द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस इकाई को चलाया जाना लाभकारी नहीं है । अतः दिनांक 24-3-94 को बी०आई० एफ० आर० द्वारा इकाई को बन्द करने का निर्णय लिया गया है । ऐसी दशा में इसमें कार्यरत समस्त श्रमिकों का भुगतान नियमानुसार कर दिया जायेगा । अतएव समायोजन का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद सीतापुर महमूदाबाद में अनुसूचित वर्ग के लोगों द्वारा भारत सोनासार, निवासी बहलीन नगर, थाना रामपुर, मथुरा के निवासी द्वारा दर्ज मुकदमा

54–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर महमूदाबाद के अन्तर्गत दिनांक 3-2-94 को अनुसूचित वर्ग के लोगों द्वारा भारत सोनासार, निवासी बहलीन नगर, थाना रामपुर मथुरा, के द्वारा कोतवाली महमूदाबाद में कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

विवेचना से अपराध का होना नहीं पाया गया । अतः दिनांक 21-2-94 जुर्म खारिज करते हुये विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की गई ।

जनपद सीतापुर के रामपुर मथुरा के अन्तर्गत गोबरे निवासी बजेहरा के यहां डकैती डालने का प्रयास करने वाले नामित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

55–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के रामपुर-मथुरा के अन्तर्गत दिनांक 14/15 फरवरी, 94 की रात में गोबरे निवासी बजेहरा के यहां डकैती का प्रयास किया गया था ? क्या उक्त घटना में नामित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उक्त तिथि को श्री गोबरे निवासी बजेहरा के वहां डकैती हुयी थी ।

घटना से संबंधित नामित अभियुक्त सन्तोष पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम जैरामपुर थाना रामपुर-मथुरा एवं फारूक पुत्र अमीरे निवासी माधौगंज थाना रामपुर-मथुरा जनपद सीतापुर दिनांक 17-2-94 को मय लूटे गये माल के बन्दी बनाये गये और जेल भेजा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बेलवाडाड़ी थाना सहजनवा जिला गोरखपुर के अन्तर्गत शिव कुमार एवं श्री विजय बहादुर की हत्या की जानकारी एवं उनके परिवार के जान-माल की सुरक्षा की मांग

56–श्री रमापति–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-बेलवाडाड़ी, थाना-सहजनवां, जिला-गोरखपुर में दिनांक 30/31 जनवरी, 1994 की रात को श्री शिव कुमार एवं श्री विजय बहादुर की हत्या के सम्बन्ध में दर्ज एफ० आई० आर० के अनुसार मुख्य-मुख्य अभियुक्त कौन-कौन हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त हत्या भूमि संबंधी विवाद के कारण हुई है ? क्या यह भी सही है कि जिनकी हत्या की गई है, उन्होंने जानमाल की सुरक्षा संबंधी कोई आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री विजय बहादुर एवं श्री शिव कुमार की हत्या के संबंध में श्री मक्खन की लिखित सूचना पर अपराध संख्या 22/94 धारा 302 भा०दं० वि० विरुद्ध अभियुक्तगण सर्वश्री जोखन यादव, रवीन्द्र यादव, हरी यादव, भगवान दास को थाना सहजनवां में पंजीकृत कराया गया है ।

जी हां ।

दिनांक 28-01-94 को मृतक शिव कुमार ने एक आवेदन पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के माध्यम से दिया था, जिसमें यह अंकित था कि उनकी कुटी में विपक्षी द्वारा ताला बन्द कर दिया गया और प्रार्थीगण कब्जा दखल में अवरोध उत्पन्न करते हैं, प्रार्थी को उक्त कुटी पर कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है । उक्त प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष सहजनवां को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिया गया । उपनिरीक्षक प्रभारी चौकी श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 29-01-1994 को सायंकाल ग्राम बेलवाडाड़ी जाकर उभयपक्षों को शान्ति बनाये रखने हेतु कहा गया ।

श्री रमापति–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30/31-1-94 की रात को ग्राम-बेलवाडाड़ी, थाना सहजनवां, जिला-गोरखपुर में भूमि विवाद के संबंध में श्री विजय बहादुर एवं श्री शिव कुमार की हत्या की घटना को लूट/डकैती के मुकदमें के रूप में दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस हत्याकाण्ड को डकैती दर्ज किये जाने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के तहसील हसनपुर के ग्रामों में किसानों की आग से हुई हानि की सूचना एवं फायर बिग्रेड की स्थापना की मांग

58–श्री तुलाराम सैनी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुरादाबाद से 66 कि०मी० की दूरी पर स्थित तहसील हसनपुर के ग्रामों में मई और जून के महीनों में खेत खलिहान और घरों में आग लगने से लाखों रुपये

की जान व माल की हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जान व माल की सुरक्षा हेतु हसनपुर में फायर बिग्रेड की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन को जानकारी है कि तहसील हसनपुर जनपद मुरादाबाद ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में कोई अग्निकाण्ड की घटना घट जाती है तो उससे जान व माल की क्षति होती है एवं हुई है जिससे बचने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों, कतिपय महत्वपूर्ण स्थानों एवं तहसीलों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिससे अग्निशमन कार्य किया जाता है । जहां तक हसनपुर जनपद मुरादाबाद में फायर बिग्रेड की स्थापना किये जाने का प्रश्न है, प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों, निकटतम फायर स्टेशन की दूरी, प्रदेश के अन्य भागों की तुलनात्मक आवश्यकताओं एवं अन्य बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थान पर फायर स्टेशन स्थापित करने का औचित्य नहीं पाया गया है । अतः उक्त स्थान पर फायर स्टेशन खोला जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन के बंगला नं० 19 के कार्यालय हेतु आवंटन को निरस्त किये जाने की मांग

59–श्री अवनीश कुमार सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंगला नं०–19, हेस्टिंग रोड, इलाहाबाद पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन के कार्यालय हेतु रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन करते हुये आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवंटन को निरस्त करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त बंगले पर पुलिस विभाग का कितना धन नव निर्माण व सजावट पर खर्च हुआ है ? क्या रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत उक्त नव निर्माण हो सकता था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां,तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत भवन में कोई नवनिर्माण और सजावट का कार्य नहीं हुआ । मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व कार्यालय की सुरक्षा आदि के लिए अस्थायी गार्डरूम जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन, अस्थायी मूत्रालय एवं शौचालय, साइकिल स्टैण्ड तथा गेट का निर्माण कराया गया है जिस पर 3,17,755 रु० का व्यय हुआ और विद्युतीकरण में रु० 64928 रु० व्यय हुआ ।इस प्रकार कुल 3,82,683/- पुलिस विभाग द्वारा व्यय किया गया । चूंकि प्रश्नगत निर्माण अस्थायी है तथा उससे न तो मूल भवन का अवमूल्यन हुआ और न ही इसकी उपयुक्तता कम हुयी तथा न ही इसका स्वरूप ही विकृत हुआ । अतः इस संबंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है तथा न ही उसके विरुद्ध किसी कार्यवाही की ही आवश्यकता है ।

उ० प्र०शासन के सम्पूर्ण गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा न होने की शिकायत

60–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० शासन के सम्पूर्ण गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति/जनजाति की आरक्षण स्थिति वर्तमान समय में क्या है ? यदि विभिन्न श्रेणियों में कम आरक्षण है तो आरक्षण की पूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भारतीय पुलिस सेवा के 356 अधिकारियों को छोड़ते हुये, वर्तमान समय में अनुसूचित जाति/जनजाति की चारों श्रेणियों में आरक्षण की स्थिति संलग्न है ।

जहां तक विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण की कमी को पूर्ण करने का प्रश्न है, प्रदेश पुलिस सेवा एवं अधीनस्थ सेवाओं में प्रदेश सरकार विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण को पूर्ण करने के लिये प्रयत्नशील है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ–151 पर)

थाना व बाजार छावनी जिला बस्ती में जनप्रतिनिधियों एवं जिला अधिकारी द्वारा शहीद स्मारक बनाये जाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की मांग

61–श्री बाबू राम वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छावनी बाजार थाना छावनी जनपद बस्ती में जनप्रतिनिधियों तथा जिलाधिकारी द्वारा शहीद स्मारक बनाने का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन उनके विभाग को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक शहीद स्मारक का निर्माण हो जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां ।

परीक्षणोपरान्त उचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद पीलीभीत में और ओसवाल फैट एण्ड आयल द्वारा दो औद्योगिक इकाइयों की भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग

62–श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत में "ओसवाल फैट एण्ड आयल" द्वारा दो औद्योगिक इकाइयां कागज एवं घी निर्माण हेतु स्थापित होने जा रही है ? क्या उनकी स्थापना में स्थानीय राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा भूमि की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित न करने के कारण विलम्ब हो रहा है ? यदि हां,तो क्या उनकी स्थापना में अपेक्षित कार्यवाहियां शीघ्र की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

अपेक्षित कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम आसरे वर्मा जी प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, बतायें व्यवस्था क्या है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह प्रथम सत्र के ही चौथे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 55 में मेरा प्रश्न था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रग एण्ड कास्मेटिक ऐक्ट 1940 एण्ड रूल्स 1945 के नियम 49 ए के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी औषधि अनुज्ञापन अधिकारी की अर्हता नहीं रखते फिर भी इसका अधिकार उन्हें दिये जाने का क्या औचित्य है ? मान्यवर, इसके आगे यह भी प्रश्न था कि क्या यह सही है कि वरिष्ठ औषधि निरीक्षक एवं औषधि निरीक्षक इसके लिए अर्ह होते हुये भी इस अधिकार से वंचित रखे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और इसका जवाब आया कि मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है । मान्यवर, इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की नीति संबंधी यह प्रकरण है और ऐक्ट में भी प्राविधान है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में अर्हता नहीं रखते बल्कि औषधि निरीक्षक या वरिष्ठ औषधि निरीक्षक इसके लिए अर्हता रखते हैं लेकिन पूरे प्रदेश में अनुज्ञापन अधिकारी का काम मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं । माननीय न्यायालय में अगर कोई प्रकरण है तो हो सकता है कि जिन लोगों को उनका अधिकार न मिल रहा हो वह लोग गये होंगे । मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अर्हता से संबंधित मामला था इसलिए उसको यह कहकर टाल दिया गया ।

मान्यवर, मामला माननीय न्यायलय में विचाराधीन है मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि शासन द्वारा नीतिगत प्रश्नों को भी जिनका प्राविधान ऐक्ट में है, जिनका प्राविधान रूल्स में है उस पर भी पर्दा डालने के लिए न्यायालय का सहारा ले लिया जाता है, इससे हमारे अधिकारों का हनन होता है । इसपर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि तमाम प्रदेश भर में दवाइयों की दुकाने खुलती हैं उसको लाइसेंस देने का अधिकार वरिष्ठ औषधि निरीक्षक को है और उसको अंजाम देता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो अर्ह नहीं है जिनकी योग्यता नहीं मानी गयी है अदालत ने भी कहा है, मुख्य चिकित्साधिकारी ने भी कहा है कि ये इसके लिए अर्ह नहीं है लेकिन सदन के सामने इस नीतिगत प्रश्न को टालने के लिए न्यायालय का सहारा लिया गया है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूंऔर स्पष्ट शब्दों में आपका निर्देश भी चाहता हूं जिन बातों का उल्लेख स्पष्ट रूप से ऐक्ट में है, रूल्स में है उसका अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आप स्पष्ट निर्देश भी दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय वर्मा जी की व्यवस्था को सुना । मैं पहले माननीय वर्मा जी से यह अपेक्षा करता था कि शायद यह 9 तारीख का प्रश्न है यह उस दिन प्रश्न प्रहर के बाद उठाया जाता तो ज्यादा प्रभावी होता या औचित्य के प्रश्न के रूप में भी उठाया जा सकता था व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता था । लेकिन, फिर भी प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह कहूंगा कि इसमें वे प्रभावी कार्यवाही करें जिससे इस तरह की कोई आशंका न रहे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कल माननीय परिवहन मंत्री जी ने सारे पत्रकारों को, जिस प्रकार माननीय सांसदों, विधायकों को समय आइडेन्टी कार्ड के आधार पर बसों में भ्रमण का अधिकार है, वही उनको होने की बात कही । दूसरी ओर एक प्रश्न में यह कहा गया है कि विचार करेंगे । मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि एक ही शासन के दो मंत्री एक ही विषय पर विरोधाभास उत्तर क्यों दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप तो समझदार सदस्य हैं, क्या यह व्यवस्था है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर,लोकतंत्र के चौथे खम्भे के बारे में यह महत्वपूर्ण बात उठ रही है, कल सदन को गुमराह किया गया, आज भी कर रहे हैं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह माननीय डंग जी घड़ी देखकर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बातों को हल्के ढंग से न लें । मैं भी उनके बाद में बजा सकता हूं जब चाहूंगा बजा सकता हूं । लेकिन, इन विरोधाभास से जनता के बीच क्या इम्प्रेशन जायेगा ? मैंने जो प्रश्न उठाया उस पर आपने क्या व्यवस्था दी ?

(व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था को निरस्त कर दिया है ।

आज दिनांक 12 अप्रैल, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई है ।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है । वे सदन में उपस्थित है ।

विषय है सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में फीडरों पर फिक्युन्सी रिलें को हटवाने तथा नियमित विद्युत सप्लाई के संबंध में ।

दूसरी सूचना श्री चैनसुख भारती की हैं । वे सदन में उपस्थित नहीं है ।

तीसरी सूचना श्री सुरेश संगल की है । वे सदन में उपस्थित है ।

विषय है मुजफ्फरनगर के ग्राम जौली में 400 के० वी० ए० क्षमता का विद्युत सब स्टेशन अपूर्ण रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

चौथी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है । वे सदन में उपस्थित हैं ।

विषय है तेलियरगंज, इलाहाबाद स्थित बड़ी बगिया में बिजली के खम्भे, तार इत्यादि तथा तीन फेज की लाइन लगवाने के संबंध में ।

पांचवीं सूचना डा० राम बाबू हरित की है । वे सदन में उपस्थित हैं ।

विषय है आगरा पश्चिम के मुसाफा क्वार्टर से जल भराव की निकासी के संबंध में ।

छठी सूचना श्री धनराज यादव की है । वे सदन में उपस्थित है ।

विषय है सिद्धार्थनगर के नोगढ़ तहसील में बढ़पुर नम्बर–1 से बढ़पुर नम्बर–14 तक के बड़े राजस्व ग्रामों की विभाजन प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिये जाने के संबंध में ।

सातवीं सूचना श्री सतीश भाटिया की है । वे सदन में उपस्थित हैं ।

विषय है लखनऊ के आशुतोषनगर में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में ।

चूंकि श्री चैनसुख भारती सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिये उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची की सूचना देता हूं । पहली सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की है। वे सदन में उपस्थित हैं ।

विषय है वाराणसी के महमूरगंज स्थित मण्डलीय पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग की मरम्मत कराने एवं अवैध कब्जों को रोकने के संबंध में ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई है उनके नाम निम्न प्रकार है :–

1–श्री पारस नाथ यादव, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री नरेन्द्र अग्रवाल, श्री बची सिंह रावत, श्री बदन सिंह, श्री राम सरन वर्मा, श्री बनवारी सिंह यादव, श्री हृदय नारायण, श्री तुलाराम सैनी, श्री अजय कुमार पोइया, श्री जगवीर सिंह, श्री गया चरन दिनकर, श्री मातवर सिंह कण्डारी ।

सर्वसम्मति से सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।

(सदन की सहमति पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत फीडरों पर फ्रिक्युन्सी रिले को हटवाने तथा नियमित विद्युत आपूर्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

। महोदय, इस समय उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड के पावर सिस्टम के ग्रिड में प्रति मिनट साइकिल्स 48.4 के नीचे चल रही है और सीतापुर के ग्रामीण अंचलों के फीडरों के लिए एक आदेश जारी कर फ्रिक्युन्सी रिले 48.4 साइकिल्स प्रति सेकेन्ड पर निर्धारित कर दी गई है । अर्थात् जब ग्रिड का सिस्टम 48.4 से कम है तो 48.4 वाले फीडरों पर बिजली एक क्षण भी नहीं जायेगी । जबकि शहरी क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर फ्रिक्युन्सी रिले समिति है ही नहीं और यदि है तो वह 48 साइकिल्स प्रति सेकेण्ड पर है वहां रोस्टरिंग को छोड़कर बिजली जा रही हैं ।

इस समय कटाई के बाद ग्रामों में फसल की मड़ाई का कार्य होता है । फ्रिक्युन्सी रिलें जहां 48.4 होने के कारण गांवों में बिजली बिल्कुल नहीं पहुंच पाती । फलतः थ्रेशर आदि नहीं चल पाते । किसान एक-एक घंटे के लिए बिजली पाने हेतु तरस रहा है । सीतापुर में यह विशेष समस्या है । जब तक सीतापुर के ग्रामीण फीडरों पर फ्रिक्युन्सी रिलें नहीं हटती तब तक गांव में बिजली 16 घंटे पहुंच पाना मात्र नारा रहेगा ।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार हेतु आपके माध्यम से शासन का ध्यान, आकृष्ट करता हूं । ।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जौली में 400 के० वी० ए० क्षमता का विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण अपूर्ण रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश संगल–

। महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जौली में 400 के० वी० ए० क्षमता का सब स्टेशन बनाने का निर्णय यू० पी० ई० बी० द्वारा 6 वर्ष पहले लिया गया और इसे मार्च, 1989 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था । इस हेतु जमीन खरीदने चहारदीवारी व भवन बनाने तथा अन्य सामान खरीदने का क्रम भी चालू हो गया था और इसमें 2 करोड़ के लगभग व्यय भी कर दिया था । मगर प्रगति के सन्तोषजनक न होने के कारण इसकी निर्धारित तिथि पहले मार्च, 91 तक तथा फिर मार्च, 93 तक बढ़ा दी गई थी । इस बीच न केवल प्रगति शून्य रही बल्कि राजनैतिक दबाव में वहां खरीदा गया कुछ सामान अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया । इससे इस योजना में अब तक लगा धन बेकार फंसा पड़ा है तथा सबस्टेशन के न बन पाने से आस-पास के ग्रामीण उपभोक्ताओं व उद्योगों आदि को बिजली आपूर्ति आवश्यकतानुसार नहीं हो पाती है ।

निवेदन है कि जनपद के लाखों नागरिकों को प्रमाणित करने वाले इस लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा कराई जाये । ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इलाहाबाद स्थित बड़ी बगिया में बिजली के खम्भे तार इत्यादि तथा तीन फेज की लाइन लगवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[महोदय, बड़ी बगिया (जो कि मलिन बस्ती के अन्तर्गत आता है), तेलियरगंज, इलाहाबाद काफी अरसे से बसा हुआ है । यहां के निवासी विद्युत के अभाव में अपार कष्ट झेल रहे हैं । यहां पर बिजली के अधिकांश खम्भे लगे हुये हैं, कुछ में तार है, कुछ में तार नहीं है जिसके कारण बिजली के कनेक्शनों का संबंध विच्छेद रहता है तथा बिजली प्राप्त नहीं होती है ।

बड़ी बगिया (मलिन बस्ती) विकास समिति, इलाहाबाद के पदाधिकारी 25-8-93 को अधीक्षण अभियन्ता से, 22-1-94 को जिलाधिकारी से 28-1-94 को पुनः अधीक्षण अभियन्ता से तथा 22-2-94 को मण्डलायुक्त से मिले । 5-3-94 को माननीय मुख्यमंत्री को विद्युत समस्या के समाधान के संबंध में ज्ञापन दिया गया । पुनः 7-3-94 को मण्डला आयुक्त एवं 22-3-94 को अपर जिलाधिकारी (नगर), इलाहाबाद को समस्या से अवगत कराते हुए विद्युत आपूर्ति हेतु अनुरोध किया । आश्वासनों के अतिरिक्त अभी समस्या का समाधान नहीं हो सका है ।

ज्ञातव्य हो कि कुछ निवासियों ने कई वर्षों से स्थाई कनेक्शन ले रखे हैं, परन्तु उनको बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है । काफी लोग कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र भी दिये है, परन्तु उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । बिजली के अभाव में इस क्षेत्रके निवासियों का जीना दूभर है तथा उन्हें अनेकों कठिनाइयां हो रही है जो कि गंभीर चिन्ता का विषय है ।

इस समस्या के समाधान हेतु इस क्षेत्र में 6-7 बिजली के खम्भें, तार इत्यादि सामग्री तथा तीन फेज की लाइन लगवाने हेतु सरकार से अपेक्षा है ।

अतः लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं ।]

जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र मुस्तफा क्वार्टर्स में जलभराव को दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० रामबाबू 'हरित'–

[महोदय, जनपद आगरा के पश्चिमी क्षेत्र में मुस्तफा क्वार्टर में जल भराव तलैया में बना रहता है जो क्षेत्रीय नागरिकों के घरों में भरता है जिससे वहां के लोग तमाम बिमारियों से ग्रसित रहते हैं ।

नगर महापालिका के अधिकारी दुर्भावना से ग्रसित होकर अनुसूचितों, पिछड़ों अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों की उपेक्षा करते रहते है यहां कभी भी भयंकर महामारी फैल सकती है । मस्तजाब क्वार्टर से ग्वालियर रोड तक नाला निर्माण न होने से जुम्मन खां की झोपड़ी, कीर्ति नगर, न्यू चावली व हस्तिनापुरी आदि बस्तियों में पानी का निकास नहीं है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कीर्तिनगर न्यू चावली के लिये कोई सार्वजनिक मार्ग महापालिका ने नहीं बनाया है जिससे क्षेत्र के निवासियों को मिलिट्री क्षेत्र से गुजरने के कारण काफी असुविधा व कभी-कभी जवानों द्वारा बेइज्जत होना पड़ता है।

अतः आप के माध्यम से सरकार से मांग है कि इस जल भराव व सार्वजनिक मार्ग की समस्या को दूर कराने का कष्ट करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील बढ़पुर नम्बर 1 से 14 तक को राजस्व गांवों के विभाजन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव–

[महोदय, सिद्धार्थनगर जनपद के नौगढ़ तहसील में बढ़पुर नम्बर–1 से लगायत बढ़पुर नम्बर 14 तक के बड़े-बड़े राजस्व ग्रामों को (इनमें प्रत्येक ग्राम की जनसंख्या 10-15 हजार तक है) हैं। यह गांव अंग्रजों के आने के पूर्व छोटे-छोटे सैकड़ों गांवों में विभाजित हुए थे तत्कालीन अंग्रेज जमीदार ने सबको मिलाकर अपने वंश के नाम पर पूरे इलाके को विभाजित करके डिवीजन एक-चौदह तक की नम्बरिंग की थी, इससे विभाजित करके छोट-छोटे गांवों में करने का प्रस्ताव जिला-परिषद् परामर्शदात्री समिति बस्ती में 1978 में किया गया। विभाजन की यह प्रक्रिया मन्द गति से चल रही है। और 14 वर्ष के रसा-कसी के बाद अन्तिम स्टेज पर है।

चूंकि ग्राम पंचायतों का चुनाव नये विधेयक द्वारा होने जा रहा है। जिसमें एक हजार जनसंख्या पर गांव पंचायत का चुनाव करने का प्राविधान है। इस कार्य में विलम्ब होने से कम से कम बड़े गांवों के गत 14 वर्षों से चल रहे विभाजन की प्रक्रिया के लाभ से आम जनता कम से कम पांच वर्ष वंचित रह जायेगी। राजस्व प्रशासन द्वारा विभाजन स्वीकार कर लिये जाने के बावजूद 14 वर्ष में विभाजन अन्तिम रूप न ले सका। यह एक बड़े गौरव की बात नहीं है।

चूंकि प्रश्न गत 14 बड़े गांवों को विभाजित करके, 78 राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया अन्तिम दौर में है और पंचायत के चुनाव हेतु क्षेत्रों का परसीमन शीघ्र होने वाला है। इसलिए यह तत्कालिक लोक महत्व का सुनिश्चित प्रश्न सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र प्रश्न गत गांवों के विभाजन प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिलाने की कृपा करें।]

लखनऊ नगर के आशुतोष नगर (कृष्णानगर) में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश भाटिया–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आशुतोषनगर (कृष्णानगर) कानपुर रोड लखनऊ में पानी के संकट की ओर आकर्षित करता हूं। विगत दो तीन सालों से यहां के निवासियों को भीषण पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गत वर्ष जब पानी की अत्यन्त कठिनाई हो गयी थी तो

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस कालोनी की महिलाओं ने स्थानीय जल संस्थान के कार्यालय का घेराव भी किया था । उस समय किसी प्रकार टंकी की क्षमता बढ़ा कर या किसी प्रकार पानी सप्लाई किया था जो अस्थाई था । उक्त कालोनी में सहसापीर मंदिर के पास सड़क पर बनी टंकी की क्षमता बहुत कम है । अतः वहां पर मंदिर (सहसापीर) के पास ही एक टंकी का निर्माण कर उक्त समस्या का समाधान किया जा सकता है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि आशुतोषनगर और उसके आस-पास के निवासियों की पानी की समस्या का समाधान करने हेतु अविलम्ब कदम उठाये जायं ताकि आने वाली गर्मी में जनअसंतोष न बढ़े और लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सके ।]

वाराणसी के महमूरगंज स्थित मण्डलीय पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग की मरम्मत कराने एवं अवैध कब्जों को रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

[मान्यवर, वाराणसी का मंडलीय पशु चिकित्सालय जो महमूरगंज, वाराणसी में है, एक अति प्राचीन पशु चिकित्सालय है । इस चिकित्सालय के दस किलोमीटर के अन्दर दूसरा कोई पशु चिकित्सालय नही है । दूर-दूर से गाय, भैंस तथा कुत्ते इस चिकित्सालय में चिकित्सा हेतु प्रतिदिन लाये जाते हैं उल्लेखनीय है कि इस अस्पताल के चारो ओर इसकी उपयोगिता को देखते हुये जहां बिल्डिंग के मरम्मत व सफाई की जरूरत है, वहां पर पिछले 25 साल से इसमें कभी मरम्मत नहीं हुई, गन्दगी का साम्राज्य छाया हुआ है। दीवाल और कमरे की छतें टूटकर गिर रही है । जनता में यह चर्चा बड़े जोरों से है कि प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल को यहां से हटाना चाहते हैं । उसकी भूमि पर लोगों का कब्जा जानबूझकर करा रहे है । आज इस प्रश्न पर जनता में भारी रोष है वह आन्दोलन के तेवर में हैं । अस्पताल के हटने से क्षेत्रीय जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा । अतः शासन से यह मांग की जाती है कि

(1) इस बिल्डिंग की तत्काल मरम्मत करे और मरम्मत के रास्ते में जो भी समस्यायें है उन्हें तत्काल दूर करें ।

(2) इस अस्पताल की भूमि पर बाहरी कब्जा को रोके ।

(3) इस अस्पताल को बन्द न किया जाय ।

सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में इस बात की घोषणा की जाए कि यह अस्पताल हटाया नहीं जायगा ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी थी ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसे 56 में परिवर्तित कर दिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमने भी नियम–311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी वह सूचना प्रदेश में आलू किसानों के सम्बन्ध में है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम–311 की सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है । आज नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं आयी हैं वह नियमों के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिए उसको सुनने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी । विधान सभा का सत्र चल रहा है और माननीय मंत्री जी सदन के बाहर घोषणायें कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–300 की जो सूचनाएं हैं वह नियमों के अन्तर्गत नहीं आती हैं । माननीय चौधरी साहब आप अपनी याचिका प्रस्तुत करें ।

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम कछबन्ध के लोक निर्माण विभाग के निमार्णाधीन अधूरी सड़क को पूर्ण न होने के संबंध में डा० शिवफेर सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री श्याम देव राय चौधरी 'दादा'–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निर्माणाधीन लोक निर्माण विभाग की अधूरी सड़क खुज्झी मोड से महुधा मार्ग जो ग्राम कछबन्ध (पूर्व) पो० कछबन्ध (बगैचा) तहसील केराकत जनपद जौनपुर की है, के 10 वर्षों से पूर्ण न होने के संबंध में डा० शिवफेर सिंह तथा श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह, निवासीगण-ग्राम कछबन्ध, जिला-जौनपुर, आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

सहकारिता मंत्री द्वारा जनपद कानपुर में हिन्दू मुस्लिम व सिक्ख जवानों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले एक मुठभेड़ संबंधी नीतिगत घोषणा सदन से बाहर किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया पहले हमारी बात सुनलें । आज दिनांक 12 अप्रैल, 1994 को नियम–311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं । इनमें से पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा और शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

---

† छपी नहीं गयी ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया अपनी सीट पर जांय ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने नियम-300 की सूचनाओं के बारे में जो कहा है, मेरी थोड़ी बहुत नियमों की जानकारी है और पूर्व दृष्टान्त भी हैं आपने स्वयं व्यवस्था दी है कि जब सत्र चल रहा है तो बाहर कोई घोषणा नहीं होगी । आगरा के माननीय सदस्य इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, माननीय विकल जी इस समस्या की ओर ध्यान आर्कषित करना चाहते हैं । नीति संबंधी घोषणा सरकार के मंत्री सदन के बाहर करते हैं कि पुलिस में एक बल बनाया जायेगा, जिसमें मुसलमान, सिख और हिन्दू समान रूप से भर्ती किये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर स्वयं ध्यान आकर्षित करने वाला हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर दो मिनट सुन लीजिये ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्,आप सुन लें, उसके बाद मैं उत्तर दे दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

सदन से बाहर तो नेता सदन भी घोषणा कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने स्वयं कहा है कि मैं सूचना का रिफरेन्स लेकर सरकार को निर्देशित कर दूंगा ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

हम उस पर अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद आप निर्णय दे दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय विकल जी को इस पर संक्षेप में सुनूंगा और जो सूचना हैं, उन पर सुनूंगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री फिर अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद निर्णय दूंगा ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री नरेश अग्रवाल एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे व्यवधान हो गया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री अग्रवाल साहब, जो ऐसे प्रसंग आते हैं, सदन जिनसे विनयमित होता है उस समय सदन के संज्ञान में भी हो, सदन के सामने हो, उसका तो 300 में उठाने का औचित्य है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह जो निर्णय आज हुआ है, यह भविष्य में भी लागू रहेगा ।

श्री अध्यक्ष–

यह ऐसे ही चलेगा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां साहब ने कल 11 अप्रैल, 1994 को कानपुर में, जबकि विधान सभा का सत्र चल रहा है, एक नीति सम्बन्धी घोषणा की । उन्होंने वहां यह घोषणा की, कि प्रदेश में एक ऐसे सुरक्षा बल का गठन किया जायेगा, जिसमें हिन्दू, मुसलमान व सिख जवानों का समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा । मान्यवर, विधान सभा का जिस समय सत्र चल रहा है, इस तरह के कोई भी सुरक्षा बल का गठन या तो विधान सभा में विधेयक लाकर हो सकता है या इसके लिये पहले से आर्डीनेन्स हुआ होता । लेकिन विधान सभा में न तो कोई विधेयक ही लाया गया है और न कोई पूर्व में आर्डीनेन्स हुआ है । अब जबकि सत्र चल रहा है तो इस प्रकार की नीतिगत घोषणा सदन के बाहर किया जाना औचित्य का प्रश्न बनाता है और सदन की अवमानना भी है, साथ ही हमारे सदन के माननीय विधायकों के अधिकारों का भी हनन है, इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो व्यवस्था अध्यक्ष पीठ से दी जाती रही है, उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है । अगर सदन में कोई घोषणा होगी तो हम उस पर स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे,अपना मत व्यक्त करेंगे, लेकिन जब घोषणा सदन से बाहर कर दी जायेगी, तो सदन उसका कग्नीजेंस नहीं ले पायेगा .....

आज जो घोषणा माननीय सहकारिता मंत्री जी ने की है, यदि आप उसे देखें तो वह अव्यवहारिक है । उसकी वजह से पूरे प्रदेश में आज वर्गों के बंटने की स्थिति पैदा हो गयी है और यह इनके तुष्टिकरण का परिचायक है । पुलिस बल में जब भर्ती होती है तो यह देखा जाता है कि वह हृष्टपुष्ट है, उसके सीने की चौड़ाई क्या है, उसकी लम्बाई क्या है, वह शस्त्र चलाने का पात्र है या नहीं है ? अगर केवल उपासना पद्धति के आधार पर वह पात्रता दी जायेगी और पुलिस बल में भर्ती किया जायेगा तो पुलिस का मनोबल गिरेगा और इसकी प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश में होगी ।.....

श्री अध्यक्ष–

यह आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के रूप में उठा रहा हूं ।आप सरकार को निर्देश दें, कि शासन की नीति से सम्बन्धित मामला सदन में वक्तव्य के रूप में आये, जिससे हम स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें । सदन के बाहर अगर आप इस तरह की घोषणा करेंगे तो यह अनुचित होगा ।

(श्री रमेश कान्त लवानियां और श्री बदन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले श्री विकल जी और राजेन्द्र गुप्त जी के औचित्य प्रश्न का उत्तर आ जाने दीजिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय गुप्त जी और विकल जी जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है । मैं यह तो नहीं कहूंगा कि गुप्त जी अल्पज्ञ हैं या सदन को गुमराह कर रहे हैं बल्कि जो इनके पार्टी की मंशा है उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं । श्रीमन्, यह सबको मालूम है कि पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने शान्ति सुरक्षा बल का गठन करने का आदेश कर दिया था और उस बल का गठन हो रहा था लेकिन बीच में आपकी सरकार आ गयी और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से वह आदेश निरस्त हो गया था । श्रीमन्,आज प्रश्न उपस्थित किया गया है कि हमारे सहयोगी मंत्री कानपुर में इस प्रकार की घोषणा करते हैं । अगर हम नीति सम्बन्धी घोषणा बाहर करते हैं तो यह सही है कि औचित्य का प्रश्न बनता है लेकिन श्री गुप्त जी और विकल जी ने श्री राज्यपाल का अभिभाषण नहीं पढ़ा है, जो सरकार का वक्तव्य होता है । उसके पृष्ठ संख्या–6 पर स्पष्ट रूप से दिया है कि–प्रदेश में दंगों को रोकने के लिये एक विशेष पुलिस फोर्स गठित करने का प्रस्ताव है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट भाषण दिया था उसमें स्पष्ट रूप से दिया है कि–प्रदेश मे विभिन्न सामाजिक जातीय एवं साम्प्रदायिक विवादों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने, महत्वपूर्ण संस्थाओं की सुरक्षा एवं आतंकवादियों की गतिविधियों से सफलतापूर्वक निपटने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1991-92 में हमारी सरकार ने "शक्ति सुरक्षा बल" की 7 वाहिनियों का गठन करने का निर्णय लिया था और इस हेतु वर्ष 1991-92 के बजट में आवश्यक धन की व्यवस्था भी की गयी थी, किन्तु कालान्तर में इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ । अब हम पुनः शीघ्र ही "शान्ति सुरक्षा बल" का गठन करने जा रहे हैं । इस काम में सभी वर्गों की नुमाइन्दगी होगी । इसका प्रशिक्षण उच्च कोटि का होगा ।इस बल के गठित हो जाने पर केन्द्रीय बलों पर हमारी निर्भरता कम हो जायेगी और आपदा राहत कार्यों में भी इसकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा ।

श्रीमन्, साम्प्रदायिक शक्तियां पहले से ही डरी हुई हैं शान्ति सुरक्षा बल के गठन से, इसलिये कहीं न कहीं तिकड़म करके इस बल के गठन में अड़चन पैदा कर रही हैं लेकिन हम इस बल का गठन करेंगे और जो माननीय आजम खां ने कानपुर में घोषणा की है, वह किसी प्रकार से अनौचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि हमने राज्यपाल के अभिभाषण व बजट भाषण, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उनमें इसका समावेश है । इसलिये जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया हैन उसमें कोईऔचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिये इसको तत्काल खारिज कर दें ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो पढ़ करके सुनाया, उसमें वर्गों की बात कही है। वर्गों में पिछड़े, अनुसूचित जाति और भी वर्ग हैं, लेकिन वर्ग को उपासना पद्धति के साथ परिभाषित करना, उसका अनुपात तय करना यह न तो बजट भाषण में है और न ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है। सरकार की नई नीति प्रकाशित हो रही है कि हिन्दू मुस्लिम और सिक्खों की समानुपात में भर्ती करेंगे। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि यदि उपासना पद्धति के आधार पर भर्ती की जायेगी तो यह उचित नहीं होगा, इससे पुलिस बल का मनोबल गिरेगा। मान्यवर, इसी सदन में माननीय बदन सिंह जी का एक सवाल आया था उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या उपासना पद्धति के आधार पर कोई बल गठित किया जा रहा है ? उसमें सरकार का उत्तर आया था कि जी नहीं। इस पर ही मुझे आपत्ति है, नीति संबंधी मामला है, वर्गों की उपासना पद्धति के अनुसार ही नयी घोषणा हो। इस पर मेरा औचित्य का प्रश्न का बनता है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमशः)

श्री अध्यक्ष–

औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसे निरस्त किया जाता है।

बैठक के संबंध श्री अजय कुमार पोईया, राम बाबू हरितं ने सूचना दी है, सदन में सूचना दी है, श्री लवानियां जी, श्री बदन सिंह जी की घोषणा के संबंध में दो-दो मिनट मैं दे दूंगा, घोषणा के बारे में..(व्यवधान),

(एक साथ कई माननीय सदस्यों के बोलने पर शोर/व्यवधान)

सब क्या इकट्ठे बोलेंगे ?

श्री रमाकान्त लवानिया–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के संबंध में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अलग-अलग या एक साथ जैसा तय हो गया, माननीय संहसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ गया, मीटिंग वाला प्रश्न, मीटिंग जो हो रही है। मैं कई दफा सरकार को निर्देशित कर चुका हूं कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो, मीटिंग न बुलाई जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप पहले भी निर्देशित कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, यह अनियमित है, इसे सुना नहीं जायगा,आपका उत्तर आ गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 अप्रैल, 1994 को नियम-311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

पहली सूचना जिन माननीय सदस्यों ने दी है उनके नाम इस प्रकार हैं, सर्वश्री राम प्रकाश त्रिपाठी, रमेश कान्त लवानिया, उदयभान सिंह, डा० सरजीत सिंह डंग, बदन सिंह, रतन लाल पवार, त्रिपाल सिंह धामा और हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) । इन माननीय सदस्यों ने जो सूचनायें दी हैं उनका विषय एक ही हैं, विषय इस प्रकार है–"सम्पूर्ण प्रदेश में जलस्तर के गिरने तथा जल संस्थानों द्वारा अधिकाधिक जलादोहन से गहराते पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको मैंने अपने विवेक से चुना है, इस पर मैं दो-दो मिनट सुनूंगा ।

(श्री किरन पाल सिंह, श्री राम आसरे वर्मा तथा अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सब सूचनायें बताये देता हूं, इसके बाद....(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, नियम-311 के अन्तर्गत माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने नकल के बारे में सूचना दी है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

निर्णय किया जायगा । मैं पहले पढ़ रहा हूं, सुन लिजिये, मैं नहीं सुनूंगा, आप जिद मत करिये , मैंने आपको ...(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आप निर्णय देने से पहले सुन तो लीजिये ।

(श्री किरन पाल सिंह व श्री राम आसरे वर्मा जी के खड़े रहने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायें । आप जो यह अनर्गल बात कह रहे हैं, वह नहीं लिखी जायेगी । आप किसी भी मामले पर मुझे सुनना नहीं चाहते हैं । पहले मेरी बात पूरी होने दीजिये ।मैंने पहली सूचना को अपने विवेक से चयनित किया है और माननीय सदस्यों के नाम भी मैं बता चुका हूं । आप लोग कृपा करके बैठ जाइये । मैं पुनः पढ़ देता हूं ।

पहली सूचना का जो विषय है, वह इस प्रकार है–"सम्पूर्ण प्रदेश में जलस्तर के गिरने तथा जल संस्थानों द्वारा अधिकाधिक जलादोहन से गहराते पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। विभिन्न माननीय सदस्यों ने विभिन्न रूप में सूचनायें दी हैं, उन सबको इक्ट्ठा करके मैंने सुनने के लिए व्यवस्था दे दी थी, इससे ज्यादा माननीय सदस्यों को कभी नहीं सुना जा सकता है। मैं उनके नाम पुनः कह देता हूं। श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री रमेश कान्त लवानिया, श्री उदय भान सिंह, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री बदन सिंह, श्री रतन लाल पवार, श्री त्रिपाल सिंह धामा, श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)। इतने माननीय सदस्यों को मैं सुन रहा हूं।

(श्री किरन पाल सिंह के पुनः खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

मैंने व श्री राम आसरे वर्मा जी ने भी नियम 311 के अन्तर्गत इसी विषय पर सूचना दी थी। हमारा नाम कैसे छूट गया, इसको आप दिखवा लें ?

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं। आप मनमाने तरीके से चाहते हैं कि मैं इसे भी विवेक से लूं। ऐसा नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

वह सूचना जो गंभीर विषय पर नहीं है उसको कहते हैं ले लें (व्यवधान) ऐसा नहीं है आप बैठें।

दूसरी सूचना श्री कल्याण सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्यप्रकाश विकल की माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में खुले आम हो रही सामुहिक नकल से शैक्षिक वातावरण को नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी वाराणसी जनपद के जनता थानान्तर्गत शिवपुरवा ग्राम में अनुसूचित जाति की 28 वर्षीय महिला के साथ चार पुलिस कर्मियों द्वारा उसके घर पर बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री उदयभान सिंह की जनपद आगरा में आये भीषण तूफान तथा ओलावृष्टि से ग्रामीण अंचल की जायद की फसल नष्ट होने तथा ईंट भट्ठों को हुई क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

पांचवी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल की प्रदेश के शीतग्रह मालिकों द्वारा किसानों से घोषित दरों से दुगनी दरों पर शीतग्रहों में आलू का भण्डारण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इन पांचों पर मैं सुनूंगा।

छठी सूचना श्री रतनलाल अहिरवार श्री तीर्थराज की जनपद झांसी के सेंट ज्यूड हाईस्कूल परीक्षा केन्द्र पर अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा छात्रों तथा अध्यापकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में है। इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

सातवीं सूचना श्री किरनपाल सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल, श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) की जनपद हमीरपुर में पुलिस विभाग के कतिपय कर्मचारियों में व्याप्त भयंकर गुप्त रोगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

आठवीं सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की जनपद बाराबंकी के थाना लोनी कटरा अन्तर्गत ग्राम नरदही पूरे देवीलाल पुरवा में प्राप्त एक महिला की लाश की घटना को लेकर पुलिस द्वारा कतिपय व्यक्तियों को अवैध रूप से पकड़ कर धन उगाही करने तथा नागरिकों को आतंकित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

नवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब, साहिबाबाद, गाजियाबाद के प्रबंधकों द्वारा इकाई को बीमार घोषित कराकर निजी क्षेत्र में बेचे जाने की साजिश किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक बात सुन लें मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं। पानी के संकट के विषय में ही हमारी सूचना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं, पेयजल संकट के बारे में नियम 311 में दिया है वह क्यों नहीं आया यह जानना चाहता हूं? (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

पेयजल संकट के बारे में सूचना दी है, पता नहीं आपके दफ्तर में कहां गुम हो गया, हमने दस्तखत किये हैं, इसको भी कार्यवाही में जोड़ दें।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने स्वयं कहा था। (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

पेयजल संकट के संबंध में ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल स्तर नीचे चला गया है आप दिखवा लें सबसे पहले लिखकर भिजवाया है। वर्मा जी के भी दस्तखत हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपको भी सुनूंगा, यह सारी गलती कार्यालय में हुई है। सचिव देखें। (व्यवधान) में सुनूंगा। (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, जरा सुनें। (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने कुल संपूर्ण प्रदेश में पेयजल समस्या के संबंध में सूचना दिया है, इसलिये मुझे आप सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पेयजल समस्या के संबंध में आज आपने सूचना नहीं दिया है इसलिये आपको नहीं सूनूंगा। आप बैठ जायं।

(घोर व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

(व्यवधान के मध्य) पुलिस कर्मचारियों में भयंकर गुप्त रोग फैल रहा है। (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री चन्देल जी आपकी सूचना को मैंने नियम 51 में परिवर्तित कर दिया है और शासन का ध्यान आपकी सूचना पर आकृष्ट कर दिया है इसलिये आप बैठ जायं। (व्यवधान) मैं अब आपको नहीं सुनूंगा। (व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

(व्यवधान के मध्य) वहां के एस० पी० को [x x x] जिससे वे परेशान हैं और पुलिस बल में एड्स की बीमारी फैल रही है। वहां स्थिति बड़ी खराब है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

आपने क्या मुझे इजाजत दिया है ?

नोटः–[x x x] यह अंशश्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा। सभी लोग बोल लें।

(व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मेरी सूचना पर सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री पोखरियाल जी आप सबसे ज्यादा अव्यवस्था फैलाते हैं। जब आपकी सूचना अस्वीकार हो गयी है तो क्यों खड़े हैं ? आप बैठ जायं। मैं अब किसी को नहीं सुनूंगा, जबरदस्ती नहीं सुनूंगा। श्री प्रमोद तिवारी जी जब तक घंटे-दो घंटे दूसरे माननीय सदस्य खड़े हैं तब तक आप प्रतीक्षा कर लें।

(व्यवधान)

* श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, विनम्रता पूर्वक मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठायाथा और आपसे अनुरोध किया था कि कल मेरे दल के सदस्यों ने इस प्रदेश में पेयजल के संकट के संदर्भ में प्रश्न उठाया था, इसमें मेरा एक अनुरोध है...

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मैंने कल लिखकर दिया था, आप चाहे उनको सुन लें, लेकिन मुझे भी सूचना चाहिए और पहले ही...

डा० सरजीत सिंह डंग–

कुछ लोगों में क्या कोई सुर्खाब के पर लगे हैं कि वह लोग जब चाहे तब जिस विषय–मामले पर बोलना चाहें बोलने लगते हैं और आपकी अनुमति हो जाती है। जब भी वह खड़े हों उनको सुना जाय, क्या यह जरूरी है ? वह चाहे जिसकी तरफ से बोलें या स्वयं बोलें, उनको पूरी आजादी है। मान्यवर, दूसरों का भी सुना जाए जो पहले और समय पर दे देते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपको भी मौका मिलेगा पहले अब त्रिपाठी जी को कहने दीजिए।

* श्री रामप्रकाश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने आपका ध्यान अपने जनपद फर्रुखाबाद के तहसील छिबरामऊ में व्याप्त घोर पेयजल संकट की ओर आकर्षित किया है। वहां पर आजकल पानी का घोर अकाल पड़ गया है, जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अचानक वहां जल स्तर इतना नीचे चल गया है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर नदी पर ग्रामवासियों को जनता को पानी लेने और अपने पशुओं को पानी मिलाने जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तहसील कन्नोज डिवीजन जल निगम के अन्तर्गत आता है और वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की लापरवाही के कारण पानी की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। वह यदि सचेष्ट होते इस दिशा में तो आज इतनी बुरी हालत न होने पाती। अभी वहां पर हमारे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री, सुरेन्द्रपाल जी वहां गये थे और उन्होंने वहां सांसदों, समस्त विधायकों और जिले से संबंधित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक बैठक की थी, किन्तु उस बैठक में भी यह संबंधित अधिशासी अभियन्ता उपस्थित नही हुए थे । मंत्री जी क्षुब्ध होकर जिला प्रशासन से इस पर कह भी आए थे कि वह इस बात को देखे, कि वह किन परिस्थिति में इस बैठक में नहीं आए हैं और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए । लेकिन इसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ है । यह जो पुस्तिका है उसमें लिखा है कि सेचुरेट यह कुएं पूरे हो गये हैं । लेकिन वहां केवल एक गांव पलिया में एक हजार की आबादी वाले गांव पर केवल एक हैण्डपम्प है, जिसके कारण से उस पर प्रातः स्त्री पुरूषों की लम्बी-लम्बी लाईन लगी रहती है । पानी की समस्या को लेकर जब यह भीड़ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के वहां घर पर गई, तो उसे वहां इस चीज को देखकर बहुत दुख और आश्चर्य हुआ कि उनके विलायती कुत्तों को पानी से खूब नहलाया जा रहा है । वैसे तो यह सारे प्रदेश की व्यापक समस्या है, सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र को लेकर इसको प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं अपनी बात नहीं समाप्त करते हुए युद्ध स्तर पर समस्या का समाधान करने के लिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गंभीर प्रश्न बन गया है । फर्रुखाबाद ही नहीं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की यह बात है ।

पानी का जलस्तर मान्यवर, एक सर्वेक्षण के मुताबिक 12 से 18 फीट नीचे चला गया है जिसके कारण बहुत कुएं सूख गये हैं । जिसके कारण बहुत कुएं सूख गये हैं । जो हैण्ड पम्प लगे हुए थे उनसे भी पानी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है । तालाब पूरी तरह से सूख गये हैं । जानवरों को पीने के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है । बड़ी विषम स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । पूरे प्रदेश के ऊपर पीने के पानी का संकट हो गया है और सरकार इसे गंभीरता से नहीं देख रही है । मान्यवर, अभी अप्रैल माह का प्रथम पखवारा है कि पानी 12 से 18 फीट नीचे चला गया है, हैण्ड पम्प सूख गये हैं, कुएं तालाब सूख गये हैं । मान्यवर, यह हालत अप्रैल के प्रथम पखवारे में हो गई है तो मई-जून की स्थिति क्या होगी । जून में मानसून यदि थोड़ी देर से आया तो इतनी भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी कि इस शताब्दी में पानी का संकट पहले इतना नहीं हुआ होगा । पेयजल के संकट की स्थिति मई के प्रथम या दूसरे सप्ताह में परिलक्षित होती थी वह आज एक माह पूर्व अप्रैल के प्रथम पखवारे में उत्पन्न हो गयी है । जल का जो भण्डार जमीन के नीचे है, उसका बिना सोचे समझे दोहन किया जा रहा है । कहां पर और कितनी क्षमता के अनुसार हैण्ड पम्प लगाये जाने चाहिए बिना क्षमता के आकें लगाये जा रहे हैं जिसके कारण जलस्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है । मान्यवर, यह बड़ी विकट समस्या है । सारे कामों को रोककर युद्धस्तर पर इंडिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने चाहिए । यदि हैण्ड पम्प लगवाये गये तो आज जल स्तर नीचे होने के कारण जो पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है उससे सैकड़ों नहीं हजारों गांव ग्रसित हो जायेंगे, पीने के लिये पानी नहीं रह जायेगा । तालाब कुएं सूख गये हैं पशुओं को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है । मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा दो बातें कहूंगा । सरकार को तत्काल राहत के लिये दोहरे कदम उठाने पड़ेंगे । इंडिया-मार्क-2 हैण्ड पम्प शीघ्र लगवाये जायं और जो पम्प पहले से लगे हैं उनको 16-17 फीट और नीचे करना पड़ेगा । लंबी दूरी के बारे में सोचते हुए इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा कि पानी का जो भण्डारण है जमीन के नीचे, उसके दोहन के लिये प्रदेश व्यापी नीति बनानी पड़ेगी कि पानी कहां से निकाला जाय और कहां से नहीं निकाला जाय । पानी की एक-एक बूंद को संजो कर रखना पड़ेगा । आज प्रदेश में जल संकट की स्थिति से लोग मरने की स्थिति में पहुंच जायेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नही किया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि पेजयल संकट के संबंध में जब वह अपनी समस्यायें रखते हैं तो उसके साथ-साथ कुछ सुझाव भी आते रहें तो अच्छा होगा जिससे संकट का हल निकाला जा सकेगा ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आज पूरा प्रदेश पेयजल की समस्या से परेशान है । लोग पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं । जल स्तर पूरे प्रदेश में 10-12 फीट नीचे चला गया है और कहीं पर इससे भी ज्यादा फीट नीचे चला गया है । कुएं जवाब दे चुके हैं, जो हैण्ड पाइप लगे हैं वह जवाब दे चुके हैं । सारे प्रदेश में पेयजल का भीषण संकट व्याप्त हो गया है । देहाती क्षेत्रों में लोग प्रदूषित जल पी-पीकर जिन्दा हैं । इस भयंकर संकट के प्रति जितनी चिन्ता होनी चाहिए वह दिखाई नहीं दे रही है । सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर इस समस्या के निदान के उपाय नहीं किये गये तो गंभीर स्थिति पैदा हो जायेगी । अभी दो महीने पड़े हैं इन दो महीनों में कितनी भयंकर यह समस्या हो जायेगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है ? आज जरूरत है कि शासन इसको गंभीरता से ले और हैण्ड पम्प लगवाये जायं । सब कामों को छोड़कर सभी विभाग युद्ध स्तर पर जो भी साधन जुटा सकते हैं जुटाकर गांवों में हैण्ड पम्पों की संख्या में बढ़ोत्तरी करें । हैण्ड पम्प बढ़ाये जाने की जिम्मेदारी शासन की आ गई है ।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहूंगा, जानवरों के सामने पेयजल संकट आया है । पहले जब पेयजल का संकट आता था तो नहरों से पानी तालाबों में भरवाया जाता था लेकिन अब नहरों से पानी तालाबों में भरवाने का कोई उल्लेख नहीं है । नहरों से तालाबों में पानी भरवाया जाए । जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं है, पेयजल की समस्या है इसके लिए इंडिया मार्ग-2 ज्यादा से ज्यादा जगह लगाए जाएं । तालाबों को ड्रेनों को नहरों से पानी भरकर जानवरों के पानी की व्यवस्था की जाए ।

श्री रमेश कान्त लवानिया–

मान्यवर, लखनऊ में सरकार बैठी है दूषित पेयजल की समस्या इसके सामने बड़ी चुनौती है । श्रीमन्,मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ ने जल संस्थान द्वारा आपूर्ति किये जा रहे जल का ओ० टी० टेस्ट किया व पाया कि मार्च, 1993 से अब तक जो 790 नमूने लिये गए उनमें 102 में क्लोरीन गायब मिली । स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में इन्दिरा नगर कालोनी में 14 अलग-अलग स्थानों से नूमने लेकर ओ० टी० टेस्ट किया और सब नमूने क्लोरीन रहित मिले । शहर के दो प्रमुख अस्पतालों, सिविल व बलरामपुर में औसतन 15-20 पीलिया पीड़ित रोगी आ रहे हैं । अन्य अस्पतालों में भी जा रहे हैं । चिकित्सकों का मत है कि दूषित पेयजल के सेवन से ही पीलिया फैल रहा है । गोमती में प्रदूषण एवं घुलनशील घातक कीटनाशकों का स्तर जन स्वास्थ्य के लिए घोषित सुरक्षित सीमा को पार करके खतरे के स्तर तक पहुंच चुका है । वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्यों और जानवरों पर इसके दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ेंगें । गऊघाट पम्पिंग स्टेशन के नजदीक पानी में डी० डी० टी० के आंकड़े मानक से 3.5 गुना अधिक मिले हैं । इसी स्थल पर डी० डी० टी० से 2.5 गुना अधिक विषाक्त और प्रतिबन्धित कीटनाशकों के दायरे में आने वाला गेमक्शीन (बी० एच० सी०) भी 0.01 मायक्रोग्राम प्रति लीटर की सहनशीलता की

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

सीमा से बहुत ज्यादा ६.१७३ मायक्रोग्राम प्रति लीटर पाया गया है । अन्य अनुश्रवण स्थलों पर भी बी० एच० सी० सुरक्षित स्तर को लाघ कर भारी मात्रा में मिला है । यह चौंकाने वाला तथ्य औद्योगिक विष विज्ञान केन्द्र द्वारा गंगा एक्शन प्लान । (द्वितीय चरण) के तहत गोमती नदी के पानी के पीने की गुणवत्ता का पता लगाने के लिये आरम्भ की गयी दो वर्षीय परियोजना की पहली अध्ययन रिपोर्ट से उजागर हुई है इन विषैले कीटनाशकों का घातक प्रभाव मनुष्यों एवं जानवरों पर पड़ रहा है । मान्यवर, जन-स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है आम जनता को छोड़ दीजिए इसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा यह लखनऊ का मामला है । लखनऊ की यह हालत है मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी चुनौती शासन को है । शासन को गम्भीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए । यह प्रयास किया जाना चाहिए कि वह किस प्रकार से राहत देंगे जल संस्थान लखनऊ, आगरा आदि की भी हालत यह है कि धन नहीं है क्लोरीन के लिये, तो इसके लिये धन उपलब्ध कराया जाये । ताकि जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाएं । मैं सबको सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जाएं । मैंने कह दिया है सुनूंगा, ऐसे नहीं होगा ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है । आप इसकी महत्ता स्वयं समझते हैं । पूरे प्रदेश में पेयजल का संकट अप्रैल माह में ही प्रारम्भ हो गया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं उसमें आप स्वयं स्वविवेक से माननीय सदस्यों की चिन्ता को देखकर उसकी महत्ता को देखें । मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो पेयजल का संकट है वह ग्रामीण अंचलों में है । ग्रामीण अंचलो में इण्डिया मार्क–2 हैंडपम्प हैं उनके कारण पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । तालाबों के सूखने से पानी की उपलब्धता नहीं हो रही है । प्रदेश के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है । जलकल विभाग या जल निगम के जो नलकूप लगे हैं वह खराब पड़े हैं । मान्यवर, स्वयं अपने जनपद अपने शहर के बारे में मंत्री जी को लिखा है । जिन विभागों की जिम्मेदारी पेयजल उपलब्ध कराने की है वह असफल हो रहे हैं । नागरिक बंद-बूंद पानी के लिये तरस रहे हैं । कुओं के जलस्तर में इतनी गिरावट आ गयी है कि सुबह तो पानी होता है, लेकिन दोपहर में बाल्टी नहीं डूबती है । पानी मटमैला निकलता है । हैण्ड पम्पों से गन्दा पानी निकल रहा है । इसलिये इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सरकार को निर्देशित करें कि युद्धस्तर पर कार्य प्रारम्भ करे । इण्डिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगाये जाएं । जो तालाब सूख गये हैं, उनको ट्यूबवेल से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भरवाएं । मान्यवर, रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड आदि क्षेत्रों में जहां ज्यादा समस्या है, वहां पानी उपलब्ध कराया जाए ।

श्री किरन पाल सिंह–

अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में पीने के पानी की स्थिति बहुत गम्भीर बन गयी है । मानव जाति गन्दा सड़ा पानी पीने के लिये मजबूर हो रही है । उससे विशेष प्रकार का रोग फैल रहा है । पशुओं को पीने के लिये पानी की समस्या है । अगर पानी नहीं रहा तो फसल पैदा नहीं होगा तथा अन्न पैदा नहीं होगा । इसलिये यह महत्वपूर्ण समस्या है । विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह संकट इतना गहरा हो गया है कि जल स्तर 100 फीट और 125 फीट नीचे पहुंच गया है ।

श्री अध्यक्ष–

बुन्देलखण्ड में भी तो पानी की समस्या है ।

श्री किरन पाल सिंह–

बुन्देलखण्ड में 12 करोड़ रुपये दिये गये हैं, वह अपर्याप्त है । मेरा कहना है कि सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा कर रही है । संसदीय कार्य मंत्री जी भूगर्भ जल सर्वेक्षण की रिपोर्ट है कि पहिचमी उत्तर प्रदेश में अगर जल स्तर इसी तरह से गिरता चला गया तो यह क्षेत्र कुछ सालों में रेगिस्तान बन जायेगा । इसका अनुभव आप नहीं कर रहे हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल स्तर बढ़ाने की कोई योजना आपके पास नहीं है । दूसरी बात बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तो हालत और भी खराब हो गयी है । यह हमने खुद देखा है । जो सरकारी विभाग पीने के पानी के लिये नल लगा रहे हैं वह अपर स्टेटा पर लगा रहे हैं । जबकि लोवर स्टेटा पर लगाने का नियम है । क्योंकि इससे पाइप आदि की काफी बचत होती है और वह ठेकेदार, इंजीनियर की जेब में पैसा चला जाता है । अपर स्टेटा पर पानी पहुंचा कर वह अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं । इसकी जांच करवाएं । अभी तो गर्मी शुरू हुई है । गर्मी और जून के महीने में भयानक स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । और हम लोग त्राहि-त्राहि करने लगेंगे । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस गम्भीर चुनौती को समय रहते हुए आप ध्यान दें और पानी की कमी दूर करने के लिये, लोगों को पानी देने के लिये, पशुओं के पानी के लिये युद्ध स्तर पर काम करें तभी समस्या का समाधान हो सकता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

अध्यक्ष महोदय, पेयजल का घोर संकट है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । मगर इसके पीछे कारण भी हैं । अभी दो वर्ष पहले ही केन्द्रीय भूगर्भ जल आयोग की रिपोर्ट आयी थी । उसमें प्रदेश के 25 जिले डार्क घोषित हुए हैं । 83 ब्लाक डार्क घोषित हुए हैं । विज्ञान के सिद्धान्तों की अवहेलना यदि हम करेंगे तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा । यह सबसे बड़े खेद की बात है कि आपने डार्क जिलों की घोषणा होने के बाद 10 हजार नये ट्यूबवेल लगाने के आदेश दे दिया जिसमें 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे । मैं बताना चाहता हूं कि यह जो मैदानी क्षेत्र हैं इसमें गंगा और यमुना मुख्य नदियां हैं । यमुना का पानी दिल्ली को देने के लिये लिफ्ट कर लिया जाता है जिससे यमुना का बहाव कम हो गया है । इसी तरह से हरिद्वार में गंगा पर बांध बनाने से गंगा का बहाव कम हो गया है । जिससे भूगर्भ जलस्तर कम हुआ है ।

पेयजल की समस्या का तत्काल निदान करने के लिये हैण्ड पम्प लगाये जा सकते हैं। आगे आने वाले वर्षों के लिये विचार करना पड़ेगा कि जहां पर डार्क जिले घोषित हुए हैं वहां पर भूगर्भ जल का शोषण न हो। भूगर्भ जल का दोहन तो करें लेकिन शोषण न करें नहीं तो आने वाले वर्षों में भयंकर संकट आयेगा। सन् 2030 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश रेगिस्तान बन जायेगा।

आज पश्चिम में सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद जिलों की स्थिति खराब है और पूर्व में गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी की स्थिति खराब है। इन सारी चीजों पर विचार करके सरकार को एक दूरगामी नीति बनानी पड़ेगी। भूगर्भ वैज्ञानिकों से वार्ता करके एक ऐसी योजना बनायी जाय जिससे भविष्य में किसी प्रकार जल संकट की आशंका न हो। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। मैदानी क्षेत्रों में गंगा और यमुना का प्रवाह ठीक रहे इसके लिये तीन चीजों की आवश्यकता है—नहरों में पानी दिया जाय, जो पानी बरसता है उसका संचय किया जाय तथा संचित पानी पर अपव्यय न किया जाय ताकि भूगर्भ जल स्तर ठीक रहे। मैं मान्यवर, इस पर चाहता हूं कि सरकार की ओर से मेरी बातों का संतोषजनक उत्तर दिया जाय।

* श्री बदन सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का वह क्षेत्र जो राजस्थान के रेगिस्तान से लगा हुआ है उसमें पानी का घोर संकट पैदा हो गया है। वहां के सम्पूर्ण तालाब और पोखर सूख गये हैं। यदि थोड़ा बहुत पानी शेष रह गया है तो वह भी कीचड़ युक्त पानी है जिसको पीकर जानवरों का मरना शुरू हो गया है। वहां दर्जनों पशु गंदा पानी पीने से मर गये हैं। मंडी मिर्जा खां, रसूलपुर, सामरा न्याय पंचायत के अन्तर्गत 60–70 गांव हैं जहां पर पाइप लाइन योजना लगी हुई है। लेकिन पानी नीचे चला गया है और पानी खारा हो गया है। वहां पर जो पुराने कुएं बने हुए हैं वहां महिलायें 3-4 घंटे कुओं पर बैठी रहती हैं और जब कुओं के तल में पानी का संचय हो जाता है तो वह पानी लेकर लौटती हैं।

इस क्षेत्र में पानी का संकट अप्रैल के महीन से अभी पूरी गर्मी बाकी है, मई जून में यह समस्या और भयंकर होगी। 40 हजार की आबादी फतेहपुर सीकरी की है। किरावली, अछनेरा, अकोला में पानी का घोर संकट पैदा हो गया है। मैं इस समस्या का निदान क्या है यह आपको बताना चाहता हूं। मान्यवर, यह 20वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को तोड़ी थी, लेकिन अब 20वीं शताब्दी में भी वहां का नागरिक पलायन करने की स्थिति में है। फतेहपुर सीकरी के पहाड़ी क्षेत्र में ऐसी पत्थर तोड़ मशीन से इस प्रकार के बोरिंग सफल हो गये हैं कि जिनमें पर्याप्त और मधुर पानी निकला है, जिससे खेती की सिंचाई हो रही है। एक तो यह निदान है कि पतेहपुर सीकरी के इस पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर तोड़ मशीनों से बोरिंग कर दी जाय, क्योंकि यह बोरिंग केवल 24 घंटे में पहाड़ तोड़ कर सफल हो जाती है और पर्याप्त पानी मिल जायगा। दूसरा विकल्प यह है कि वहां पर जितने हैण्ड पम्प लगाये जायं, वे ऊपर स्ट्रेटा पर ही भ्रष्ट जल निगम अभियन्ताओं ने छोड़ दिये हैं, जो सबके सब खराब पड़े हैं। इन सब हैण्ड पम्पों को रिग मशीन से लगाया जाय और 300 फीट से नीचे का उपलब्ध जल लिया जाय। तीसरा विकल्प यह है कि पहाड़ों पर लगे हुए निजी नलकूपों से किसानों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को पैसा देकर टैंकरों में पानी भरा जाय और अभावग्रस्त क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर करने के लिये भेजा जाय । यह सब पेयजल संकट प्रशासनिक उदासीनता के कारण हो रहा है । आगे गर्मी के मौसम में 50 हजार की आबादी का फतेहपुर सीकरी नगर केरावली टाउन एरिया और अछनेरा नगर पालिका तथा तहसील किरावली के अछनेरा और अकोला ब्लाक के सभी ग्राम पेयजल संकट में फंस जायेंगे । मान्यवर, पत्थर तोड़ मशीन से बोरिंग कर पानी उपलब्ध करने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय, जिससे पूरी तहसील किरावली ही नहीं, बल्कि बगल में लगी हुई तहसीलों का भी पेयजल संकट दूर हो जायेगा । मेरी मांग है कि मेरे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय ।

* श्री तेजपाल सिंह–

मान्यवर, इस समय पेय जल का जो संकट है, वह पूरे प्रदेश में है, लेकिन मथुरा का हमारा विधान सभा क्षेत्र छाता, जो राजस्थान सीमा से लगा हुआ है, वहां पर रेगिस्तान का प्रभाव बढ़ने के कारण यह संकट और अधिक गहराया हुआ है । वहां यह समस्या दोहरी है, एक तो जल स्तर बहुत नीचे है और दूसरे पानी खारी है और पूरी सीमा पर कामर से लगा कर दौलतपुर तक सभी राजस्थान सीमा के गांवों पर सिंचाई की नहरें अस्त-व्यस्त हो गयी हैं, जिसके कारण जल स्तर नीचे चला गया है और पर्याप्त वर्षा नहीं होती है । इसके लिये हमने सरकार से मांग की है कि जिन गांवों में मीठा पानी है, 4-5 किलो मीटर तक और जहां पर टंकियां नहीं हैं, वहां पर बोरिंग करा कर सीधे ऐसे पीड़ित गांवों को पानी की सप्लाई दें, जहां 5-5 किलो मीटर दूर तक महिलायें सिर पर घड़े रख कर पानी ढोती हैं, या टैंकरों के माध्यम से कोई व्यवस्था सुनिश्चित करके पानी भेजवायें, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, आगे अधिक पेयजल का संकट आ जायेगा । इसमें दूसरी व्यवस्था यह हो सकती है कि सरकारी बोरों का परीक्षण करा कर युद्ध स्तर पर पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाय । जो पैसा जल निगम के रख-रखाव के लिये सरकार से जाता है, वहां के अधिकारियों का कहना है कि उससे वहां के कर्मचारियों का वेतन बांट दिया जाता है ।

रख-रखाव के नाम पर जितने ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं, उनको तुरन्त ठीक कराया जाय । रख-रखाव के पैसे की कटौती न की जाय और वह पैसा रख-रखाव के काम में ही खर्च किया जाय । राजस्थान सीमा वाला जो इलाका है, वहां पर सरकार पेयजल की विशेष योजना बनाये, जिससे लोगों को पीने का पानी मुहैय्या कराया जा सके । राजस्थान बार्डर के सभी गांवों के तालाब सूखे पड़े हैं, मवेशियों को पीने तक को पानी नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार नहरों से डीग के महलों के तालाबों में भरने के लिये पानी दे रही है । यह समझौता माननीय कल्याण सिंह और माननीय भैरों सिंह के बीच जो हुआ था, उसी के तहत यह पानी दिया जा रहा है, जबकि अपने प्रदेश के गांवों के मवेशी पानी के लिये तड़प रहे हैं । हमने सरकार से इसलिये अनुरोध किया है कि राजस्थान को दिये जाने वाले पानी को तुरन्त बन्द कराकर अपने तालाबों को वरीयता पर भरवायें, ताकि मवेशियों को पानी उपलब्ध कराया जा सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और तब दूसरे प्रान्तों को पानी दिया जाये । जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह समस्या नहीं सुलझ सकती है । मान्यवर, गरमी आने वाली है और लोग पानी से त्राहि-त्राहि करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें । इस पर मैं अपनी व्यवस्था दूंगा ।

* श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, एक दोहा है कि–

रहिमन पानी राखिये, बिना पानी सब सून ।

पानी गये न ऊबरें, मोती मानुस चून ।

मान्यवर, प्रदेश में पानी की बड़ी आवश्यकता है और पानी के बिना सारा जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है । हमारे प्रदेश में पेय जल का संकट है । मान्यवर, इस समय हमारे जनपद में पेय जल की बड़ी समस्या है । सारे नल खराब हो गये हैं, जो इंडिया मार्क–2 के पाइप थे, उन्होंने काम करना बन्द कर दिया है और जब सूचना दी जाती है, तो जल निगम के अधिकारी उनको ठीक नहीं करते हैं ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो कुयें हैं वह सूख गये हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि उनकी सफाई कराई जाय और उनको खुदवाया जाय । कोई ऐसी योजना चलायी जाय, जिससे जो कुयें सूख रहे हैं, वह सूखने न पायें । मान्यवर, सरकार इस समस्या की ओर कतई चिंतित नहीं है और गरमी आने वाली है, लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि तालाबों को पट्टे कर देने की बात कही जाती है, इससे गांव के जानवरों को पानी पीने के लिये कठिन हो जाता है, वह तालाबों में जानवरों को जाने नही देते हैं । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो नदियां हैं, वह प्रदूषित हो रही हैं, उनको प्रदूषित होने से बचाया जाये जिससे उनको पानी पीने के लिये उपलब्ध कराया जा सके । जिससे जानवर बीमार न पड़ें ।

*श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने संकेत अप में इस भयावह स्थिति का वर्णन किया है । मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहती हूं । मान्यवर, सुझाव के रूप में पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जितनी भी परियोजनाएं पेय जल की चल रही है और जो अधूरी परियोजनयें हैं, और वित्तीय साधनों की कमी के कारण अधूरी पड़ी हैं, उनको पहले प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाये, तब नये कार्यों को लिया जाये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि मोहल्लों में बहुत सा पानी खराब होता रहता है और रात्रि में बहता रहता है, इसको बचाया जाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे यह खराब न हो, इसके लिये क्षेत्रीय समितियां बनाकर उनके सुपुर्द किया जाना चाहिये, इससे पानी के खराब होने से बचाया जा सकता है । इससे भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुछ लाभ होगा । इसके साथ ही पानी का जो जलस्तर नीचे जा रहा है उसके लिये तुरन्त हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन अतिशीघ्र हमें कुछ करना चाहिए । मान्यवर, मैं कानपुर से आती हूं वहां बैराज का कुछ कार्य प्रारम्भ हुआ है लेकिन सबसे बड़े प्रदेश के नगर को देखते हुए और वहां की तीस लाख की आबादी को देखते हुए मैं कहना चाहती हूं केवल सुझाव के रूप में शिकायत के रूप में नहीं कहना चाहती हूं । एक योजना जो 30 लाख लोगों को पानी पिलाने का काम करेगी वह योजना है बिठूर में गंगा का जल उपलब्ध है और वह शहर से मात्र 10 कि०मी० की दूरी पर है । वहां से पानी को लिफ्ट करके पेयजल की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सकता है ।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है ।

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, मेरा भी नाम था,-मुझे भी मौका दे दें ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मुझे भी मौका दे दें, मेरी बात को सुन लें आप मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं ?

(व्यवधान)

* श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मान्यवर, यह पेयजल का संकट आने वाले दिनों में और भी भयावह होने वाला है क्योंकि जलस्तर बहुत ही नीचे पहुंच गया है और ऐसे समय में शहरों और गांवों में सरकार की दोहरी नीति का होना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है । शहरों में पानी की टंकी से पाइप लाइन बिछी हुई है । मोहल्लों और कालोनियों मेंसब जगह पाइप लाइन बिछी होने के बावजूद भी शहरों में हैण्डपम्प की व्यवस्था की जाती है लेकिन वहीं गांवों में ग्रामसमूह पेयजल योजना के अन्तर्गत टंकी से पाइप लाइन के माध्यम से गांव जोड़े जाते हैं और जहां पाइप लाइन बिछी हुई है वहां बिजली न आने के कारण पानी नहीं मिल पाता है और उसके निदान के लिये जब हम हैण्डपम्प की मांग करते हैं और अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनका जवाब मिलता है कि उस गांव में ग्रामसमूह योजना के अन्तर्गत पानी की व्यवस्था है पानी की पाइप लाइन बिछी हुई है इसलिये हैण्डपम्प नहीं दिया जा सकता है । तो मेरा निवेदन है कि दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए । शहरों की भांति गांवों में भी हैण्ड पम्प दिये जाने चाहिए । मान्यवर, मेरे चुनाव क्षेत्र में भी 2 ग्रामसमूह पेयजल योजना है संधन और ढिलावल उनसे 18 गांव सम्बद्ध किये गये हैं । वहां पर लोग पानी के लिये परेशान रहते हैं लेकिन अधिकारियों से बात करने पर उनका वही जवाब मिलता है । मैं बताना चाहती हूं कि आगे आने वाले दिनों में पेयजल का संकट और गम्भीर होने वाला है और अगर उसका समाधान नहीं सोचा गया तो पूरे जनमानस में जो संकट आये उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जायेगा इसलिये प्रदेश के विकास और जनमानस को राहत पहुंचाने के लिये ज्यादा से हैण्डपम्प की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवस्था की जाय और जो अधूरे ट्यूबवेल पड़े हुए हैं, 8-8, 9-9 साल से अधूरे पड़े हैं और सरकार का पैसा भी उन पर व्यय किया गया है, ऐसे ट्यूबवेलों को तुरन्त पूरा कराया जाय ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है वहां पानी की विकराल समस्या है । 20 से 20 कि०मी० दूर तक से महिलाएं नदियों और तालाबों से पानी लाती हैं। हर वर्ष तमाम लोग पानी न मिलने की स्थिति में मर जाते हैं । ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी कारगर योजना नहीं चलायी गयी है, चाहे बुन्देलखण्ड का हमीरपुर क्षेत्र हो या बांदा का पाठा क्षेत्र हो । मेरा अनुरोध है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र को पेयजल समस्या से मुक्त कराने के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें लागू की जायें ताकि पूरा बुन्देलखण्ड क्षेत्र पेयजल समस्या से मुक्त हो सके । मान्यवर, हमीरपुर जनपद का मुख्यालय और महोबा जैसा नगर जो पूरे देश एवं प्रदेश में महत्वपूर्ण हैं, विख्यात है, और वहां भी संस्कृति के लिये जाना जाता है वहां पेयजल का गम्भीर संकट व्याप्त है । वहां एक ट्यूबवेल है वह पूरे हमीरपुर कस्बे को, महोबा को पानी देता है । ऐसी स्थिति में पेयजल की समस्या गम्भीर रूप लेती जा रही है । वहां के लोगों को 20-20 कि०मी० दूर तक पानी लेने के लिये जाना पड़ता है । इस भीषण समस्या का समाधान कराया जाय । जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों से जब वार्ता होती है तो यह कहा जाता है कि हैण्ड पाइप, नये ट्यूबवेल आदि के निर्माण के लिये बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कोई प्राविधान नहीं किया गया है और न पैसा दिया गया है। उस संबंध में अनुरोध करूंगा कि बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या के निवारण और विरासत के लिये बड़ी-बड़ी योजनाएं लागू करने का प्रयास करें ।

(व्यवधान)

सदस्य, विधान सभा को आज की कार्यवाही से निष्कासित किये जाने का प्रस्ताव

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

(श्री हरेन्द्र सिंह व कई अन्य सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिस कारण सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि .....

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, इसमें मेरी भी सूचना है, आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । एक साथ मैं सबको नहीं सुन सकता हूं । भारतीय जनता पार्टी के 174 सदस्य हैं सदन में, मैं उनकी उपेक्षा कर दूं ? एक ही दल के लोग नहीं बोलेंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

आप क्या कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इंगित करता हूं हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) को । माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप प्रस्ताव रखिये, तब तक कार्यवाही नहीं चलेगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, नाराज न होइये ।

श्री अध्यक्ष–

जबरदस्ती करना चाहते हैं तो मैं कतई नहीं सुनूंगा । मैं इंगित करता हूं, आप प्रस्ताव रखिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, नाराज न होइये ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप अध्यक्ष सीट पर बैठे हैं.....

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, सुन लीजिये !

श्री अध्यक्ष–

जो जोर जबरदस्ती करने वाले लोग हैं, जो भी करेंगे, उनको इंगित कर दूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पुनर्विचार कर लें, पीठ से नाराजगी ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कितनी बार रोका, यह जबरदस्ती नहीं चलेगी ।

(जनता दल के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) को आज की सदन की कार्यवाही से निष्कासित किया जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर), सदस्य, विधान सभा का आज की कार्यवाही से निष्कासन का प्रस्ताव वापस लिये जाने की मांग

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, हम इसमें मतदान कराना चाहते हैं ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, हम इसमें मतदान चाहते है आप इसमें मतदान करायें । या तो आप यह प्रस्ताव वापस लें या विपक्ष के सभी सदस्यों को, भारतीय जनता पार्टी सहित निष्कासित कर दें आज की कार्यवाही से ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है इस प्रस्ताव का आप वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव पास हो चुका है ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, आप इस प्रस्ताव को वापस लें, नहीं तो सदन की कार्यवाही नहीं चल पायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं । सदन की कार्यवाही चलेगी ।

1 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिये स्थगित कर दी । 2 बजकर 22 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया, कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन अपराह्न 3 बजे तक लिये बढ़ा दिया है । 3 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया । श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन सवा तीन बजे तक बढ़ा दिया है । 3 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया, कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन अब 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है । डिप्टी मार्शल पुनः सदन को सूचित किया कि अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजे तक लिये और बढ़ा दिया है ।

4 बजे सदन की बैठक पुनः श्री अध्यक्ष के सभापत्वि में आरम्भ हुई ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) सदस्य विधान सभा के सदन से निष्कासन को वापस लिये जाने का प्रस्ताव

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस वक्त आपको सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी उससे पहले आपको यह लगा कि कुछ ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से सदन को स्थगित कर देना चाहिये । हमारे

दल के, हमारे बराबर के साथी श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) बोलना चाहते थे जो विषय यहां चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में पीने के पानी की भारी समस्या है और जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। तो उस पर उन्होंने भी लिख कर दिया था ; वह यह कहने जा रहे थे कि मैंने दस्तखत करके नोटिस 311 में दिया है और जिन्होंने दस्तखत नहीं किये हैं उनको भी सुना जा रहा है ! वह पूछना चाह रहे थे कि क्या आपने इसमें चर्चा शुरू करवा दी है, इसे स्वीकार कर लिया है। इतनी छोटी सी बात थी, पता नहीं किन परिस्थितियों में आप उनको सुनने के लिये तैयार नहीं हुए, आपकी पीठ से और इधर सदन से भी बहुत शोर हो रहा था, ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें उत्तेजना थी। मैं मान सकता हूं कि माननीय सदस्य कोई उत्तेजित हो जाय, लेकिन आपका पद आपका स्थान उच्च है।

इस सदन में उस समय बराबर उत्तेजना थी और वह पीठ की तरफ भी देखी गयी। मुझे इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं है, फक्र है कि हमारे जो भी दल के साथी हैं हमेशा अनुशासन में रहते हैं, पीठ का आदर करते हैं, जो आपके आदेश होते हैं उनका पालन करते हैं। लेकिन आपने इन्हें इंगित कर दिया और शायद संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे है इंगित करने जैसी अवस्था नहीं थोड़ी देर तक रुके रहे लेकिन उन्हें फिर प्रस्ताव करना पड़ा और आपने पास करा दिया। आपने जाते जाते भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपका पूरा सम्मान करते हुये कि आपने जाते, जाते, लौट कर भी कुछ ऐसे शब्द कहे–मैं देख लूंगा, मैं भुगत लूंगा, मुझे सब तरीके आते हैं। जो मैं समझता हूं हम कुछ कह दें, हम तो सदस्य हैं लेकिन आपकी पीठ से वह शब्द कहना सदन में माननीय सदस्यों के लिये दुर्भाग्यपूर्ण है, वह गरिमा की बात नहीं है, पीठ से गरिमाशाली शब्द आते हैं, पहले से आते रहे हैं जैसा आपकी तरफ से आये।

श्री अध्यक्ष–

यह तो पूरी तरह से आप आरोपित कर रहे हैं। यहां माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, अब तो आप आरोपित कर रहे हैं पूरी तरह से। (व्यवधान) आप मिथ्या आरोपित कर रहे हैं (व्यवधान) आप कहते रहिये।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आप इसे आरोप न मानें, मैंने जो बात सुनी वह कह रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन चलाना है, जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें यह हुआ, बहुत सारे विभागों का बजट पास होना है, अच्छे वातावरण में सदन को चलाना है। तो एक प्रस्ताव भी पास हो गया और मलिक जी को इंगित कर दिया तो इस पर मेरा निवेदन है कि आप पुनर्विचार कर लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० अध्यक्ष महोदय, सदन में ऐसे क्षण न आयें तो ठीक होता चूंकि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा लगी है और महत्वपूर्ण विषय है पानी की समस्या। पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है जो चिन्ता का विषय था, इसलिये श्री हरेन्द्र सिंह मलिक ने नियम 311 में सूचना दिया था और कदाचित वह चाहते थे कि उनकी भावनायें सुनी जायं। मान्यवर, मैं उनको 1980 से जानता हूं और वह लगातार हमारे साथ रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि वह नम्र और अनुभवी सदस्य हैं। उनका कभी इरादा नहीं रहता है कि वह किसी को ऐसी वैसी बात कहें। वह केवल यह जानना चाहते है कि सम्भवतः चर्चा होगी और

उनको बोलने का मौका मिलेगा । आप भी चाहते हैं कि चर्चा हो । लेकिन बोलने में वरीयता किसे मिले जिस पर ऐसी स्थिति पैदा हो गयी । मान्यवर, वह इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिये आपसे आग्रह है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें चूंकि आप तो हम सभी सदस्यों से ऊपर हैं और इसलिये हम लोगों से तो गल्ती स्वाभाविक है लेकिन आप तो सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं, आप से तो कोई भूल या गल्ती नहीं हो सकती है, आप हमेशा सही होते हैं और आपसे गल्ती नहीं हो सकती है, इसलिये जब आप सही हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । इसलिये आप अध्यक्ष महोदय हम सभी के अधिकारों के संरक्षक है और संरक्षक जो होता है उसे बहुत विनम्र होना पड़ता है । सबसे पहले तो आप सबसे ज्यादा विनम्र हैं ही ।

इसलिये प्रश्न है कि आप विनम्र हैं और श्री हरेन्द्र मलिक भी विनम्र हैं, इस प्रकार दोनों ही लोग विनम्र हैं अतः आप से मेरा आग्रह है, आप मुस्करा रहे हैं, आप इसी तरह मुस्कराते रहें, इसलिये मेरा आग्रह है जब उस ऊंचे आसन पर विराजमान हैं वहां से जो कहते हैं उसको सब सुन लेते हैं लेकिन जब उस कुर्सी से जाते हुए कुछ कहते हैं तो उसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिये, शायद आपने नहीं यह कहा होगा लेकिन वहां से और यहां तक कुछ भ्रम पैदा हो जाता है, अगर नहीं कहा है तो कोई बात नहीं है । इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि नहीं कहा है तो आप कह दें कि नहीं कहा है और श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) को बुला लें चूंकि उनका आसन खाली है जो अच्छा नहीं लगता है । आपसे पुनः मेरा आग्रह है चूंकि पंचायतराज विधेयक पर चर्चा होना है, इसलिये श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) को आप बुला लें ।

* श्री ऊदल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस समय इस सदन में मौजूद नहीं था लेकिन आपने मुझे इस मसले पर विचार करने के लिये अपने कक्ष में बुलाया और यहां भी माननीय सदस्यों की बातों को सुना तथा श्री हरेन्द्र सिंह मलिक से मैंने बात किया है तो उनको जो सबसे बड़ी तकलीफ हुई कि आपने उनसे कह दिया कि हम देख लेंगे आपका । मैं समझता हूं ऐसा आपने नहीं कहा होगा । लेकिन यदि माननीय सदस्यों के अन्दर इस तरह की भावना पैदा हो जायेगी तो मैं समझता हूं इससे उस अध्यक्ष पीठ की गरिमा भी नहीं बढ़ेगी और इस विधान सभा का भी सम्मान नहीं बढ़ेगा । मान्यवर, ऐसे क्षण बहुत आते रहें हैं और मैं 1957 से इस विधान सभा का सदस्य रहा हूं, इसलिये कहता हूं कि ऐसे क्षण बहुत आये और ऐसे भी क्षण आये कि लोग इंगित भी हुए हैं और वह सदन से बाहर भी गये और लाबी तथा बरामदे में रहे और उसके ऊपर । मान्यवर, उस पर निवेदन किया गया तो पुनर्विचार भी हुआ है और उस प्रस्ताव को भी वापस लिया गया है, और आपकी पीठ से क्षमा भी किया गया है । इसलिये आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मलिक जी कोई भी मंशा उस पीठ का किसी प्रकार का अनादर करने की नहीं थी । अतः जो शब्द आपने नहीं कहे, उनके लिये कह दिया जाये कि नहीं कहा है । उसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे आपकी पीठ की गरिमा बढ़ेगी कि हमने ऐसा नहीं कहा है । उस प्रस्ताव को वापस लेने के लिये संसदीय कार्य मंत्री जी से कहेंगे तथा हरेन्द्र मलिक जी को सदन में बुलाने की इजाजत दे देंगे ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कुछ समय पूर्व इस सदन में कुछ घटना घटी । उस समय तो संयोग से मैं सदन में नहीं था, लेकिन उसकी परिणति जिस प्रकार हुई वह बहुत ही अशोभनीय और दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा । इस विषय पर विभिन्न नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को जोड़ता हूं और इधर जो सदस्य बैठते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को और जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने की उनमें आतुरता रहती है, और आपका कर्तव्य भी कठोर है कि सबके भाव व्यक्त हो गये । इस जिम्मेदारी में कभी कभी हमारी ओर से ऐसा कुछ होता है, जिससे सदन को संचालन करने में आपके सामने कठिनाई होती है । वही कठिनाई इस समय आपके सामने पैदा हुई । हरेन्द्र सिंह जी (मुजफ्फरनगर) को मैं बहुत दिनों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और सदन में उनके योगदान को भी अच्छी तरह जानता हूं । कोई बात उनके मुंह से निकली होगी, ऐसा मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । आपने सदन को संतुलित करने के लिये कुछ कहा, स्थिति गम्भीर हो गई और मजबूरन आपको इंगित करना पड़ा और उस पर संसदीय कार्य मंत्री का अपनी ओर से कर्तव्य ही था कि वह प्रस्ताव इसका करते, जिसे उन्होंने किया । लेकिन हर परिस्थिति को शान्त करना होता है आप फारगेट और फारगिव की स्थिति अब प्रारम्भ करें और जैसा माननीय तिवारी जी और ऊदल जी ने कहा है, सदन में पीठ पर आप विराजमान हैं, सदन का विधिवत गठन देखें, सदन का गठन तभी तक है, जब आप उस पर हैं । आप उठकर चले गये, उसके बाद कुछ कहना, आपस की बात जानना, कोई अच्छी बात नहीं है । अर्थ वह है जो दूसरे समझे । आपने क्या कहा, और कुछ ही लोगों ने उसका अर्थ समझा । जब व्यवस्था आप अपनी देंगे तो उसको स्पष्ट कर देंगे । मैं चाहता हूं कि यह सदन शान्तपूर्वक चले । इसलिये निलम्बन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिये मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि अब वह नये सिरे से एक नया अध्याय शुरू करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, यह सदन हमेशा उस पीठ के निर्देशों और नियंत्रण में चले, ऐसी हम लोगों की मंशा है और यही लोकतंत्र की मंशा भी है और उसी को चलाने में कभी-कभी आपको कठोरता भी दिखानी पड़ती है, उसको हमें गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये । जो भी उस पीठ पर रहेगा, उसको अपना कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा । हास-परिहास और नोंक-झोंक के प्रकरण भी आते हैं और कभी०कभी छोटे-छोटे मसले गम्भीर रूप भी धारण कर लेते हैं । जो प्रकरण इस समय विचाराधीन है, उसके संबंध में यही निवेदन है कि जो माननीय नेताओं ने हरेन्द्र जी मुजफ्फरनगर के बारे में विचार रखा है उनके निलम्बन को वापस लेने के संबंध में, उसके क्रम में आप निलम्बन वापस करें । और उनको सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये वहां से निर्देश दें । इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गुप्त जी और किसी को भी भ्रम हो गया है कि आपने कहा है देख लेने के बारे में । तो मान्यवर, इस बारे में आप बता ही देंगे कि ऐसा आपने कुछ नहीं कहा है, इनको भ्रम हो गया है । मान्यवर, इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि निलमबन वापस ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय नेता जनता दल, नेता कांग्रेस, नेता कम्युनिस्ट पार्टी, नेता भारतीय जनता पार्टी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । सबसे पहले मैं उस संदर्भ की ओर ले जाना चाहता हूं जिसकी वजह से यह परिस्थिति पैदा हुई क्योंकि जिक्र किया गया है । अभी माननीय किरन पाल सिंह जी ने कहा कि माननीय सदस्य केवल यह पूछ रहे थे कि क्या चर्चा प्रारम्भ हो गई है ?

माननीय किरनपाल जी मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि पता नहीं उन्होंने चर्चा शब्द का प्रयोग क्यों किया मैं तो ग्राह्यता पर सुन रहा था, काफी सदस्यों को सुना भी और माननीय हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) भी ग्राह्यता पर ही बोलना चाहते थे । मैंने पहले जनता दल के वर्मा जी, किरन पाल जी और दो अन्य सदस्यों को सुना और उसके बाद चंदेल साहब को सुनने के लिये कहा । मलिक जी से मैंने कहा भी और इशारा भी किया कि पहले इनको सुन लूं उसके बाद आपको सुन लूंगा । इसमें चर्चा की तो बात ही नहीं था । इसके साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को कैसे उपेक्षित कर दूं ? चन्देल साहब को मैंने सुन लिया था उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य को सुनता कि हरेन्द्र जी जिद कर गये कि आपको मुझे सुनना पड़ेगा । मैंने कहा कि सुन लूंगा लेकिन वह जिद करते रहे और इसलिये मजबूरी में मैंने कहा कि आप सदन छोड़ दीजिये और फिर इंगित किया और संसदीय कार्य मंत्री से प्रस्ताव करने के लिये केवल इस दृष्टिकोण से कहा कि सदन ठीक से चले और सदन का कीमती समय व्यर्थ में बरबाद न हो । और जब मैंने देखा कि शोर हो रहा है तो मैंने सदन आधे घन्टे के लिये स्थगित कर दिया । इसके बाद कुछ सदस्यों ने कहना शुरू किया कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जाने दीजिये, आप उठ गये, उसके बाद क्या हुआ, इसको क्या कहना है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने केवल यह कहा कि देखें सदन कैसे नहीं चलेगा ? इसके अलावा मैंने कुछ भी कहा हो तो कहें मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा । अब चूंकि प्रस्ताव यह आया है कि सदन शान्तिपूर्वक चलना चाहिये और निलम्बन वापस ले लिया जाय । मेरी कोई मंशा ही नहीं है उस तरीके की ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) के निलम्बन का प्रस्ताव वापस लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) के निलम्बन के संबंध में रखा है, को वापस लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री रतन लाल सिंह पवार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद मेरठ के लोकश्यामली, कांगलाबुझान और मेरठ के बिनौली क्षेत्रों में जलस्तर सवा सौ से डेढ़ सौ फीट नीचे चला गया है । जिसका कारण यह है कि वहां पर कृष्णा नदी और हिंडन नदी भू-गर्भ जल स्तर पर बह रही है । उस क्षेत्र का जल-स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है । जल स्तर गिरने का प्रमुख कारण यह है कि वहां गर्मी के दिनों में नलकूप और हैण्ड पाइप और पानी की टंकियां बन्द पड़ी हैं । परिणामस्वरूप पेयजल और सिंचाई का संकट उत्पन्न हो जाता है । हमारे क्षेत्र में सरकारी नलकूप बन्द पड़े हैं । उस क्षेत्र में इन्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प बहुत कम संख्या में लगाये गये हैं । मान्यवर, इस समस्या के समाधान के लिये मैं एक बहुत उपयोगी सुझाव देना चाहता हूं । कृष्णा नदी, हिंडन नदी में अवरोध लगाकर इनको जगह-जगह बनायें तो जो जल स्तर गिरता है वह रुक जायेगा, और ऊपर उठेगा । दूसरा प्रस्ताव है मैं चाहूंगा कि पेयजल के संकट को हल करने के लिये जल निगम की टंकियां बनाई जायें । गांव में जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय तथा इंडिया मार्क–2 हण्ड पम्प लगाये जायें । वरना ऐसे उपजाऊ क्षेत्र को यदि समय रहते पर्याप्त धन नहीं दिया गया तो यह उपजाऊ क्षेत्र मरुस्थल हो जाएगा । रेगिस्तान हो जाएगा । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में यथा शीघ्र इंडिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये जायें । गांव में जल निगम की टंकियां बनाकर, यहां पर गर्मी के दिनों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, आपने कृपा करके मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, पेयजल का गम्भीर संकट पूरे प्रदेश में है । इस प्रदेश का खेतिहर क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र है । वहां पर भयावह स्थिति है । आपके द्वारा पीठ से कहा जाता है कि सुझाव दें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आज 10-12 फिट पानी नीचे चला गया है । ऐसा कहा जा रहा है लेकिन मान्यवर, मेरे गांव में पानी 80 फिट नीचे चला गया है । जो वाटर लेविल है वह 80 फिट नीचे है । पशुओं के लिये पानी नहीं है । सिंचाई के कोई साधन नहीं हो पा रहे हैं । नहरों में पानी नहीं आ पा रहा है । नहरों में पानी की व्यवस्था न होने के कारण हम लोगों की फसलें बरबाद हो रही हैं । जो भूगर्भ जल सर्वेक्षण की रिपोर्ट आयी है, उसमें साफ दर्शाया गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र रेगिस्तान बनते जा रहे हैं । इसको रोकने के लिये कोई कारगर कार्यवाही नहीं हुई है । मैं आपको तीन चार सुझाव देना चाहता हूं । सबसे पहला सुझाव यह है कि सरकार सभी तालाबों को भरवाने की व्यवस्था करे । दूसरा सुझाव यह है कि हिन्डन नदी से बांध बनवाकर दूसरी जगह पानी लाया जाए, जिससे पानी का स्तर ऊपर आ सके । तीसरे हमारे क्षेत्र में जो दूषित नदियां हैं उस संबंध में जो परियोजना बनी थी उसको 1989-90 की सरकार ने निरस्त कर दिया । उसके बाद एक हजार हैण्ड पाइप अभी भी शासन में विचाराधीन हैं । मुख्य मंत्री जी आदेश कर देते हैं । मण्डी परिषद् उस आदेश को नहीं मानती है । नगर विकास मंत्री जी आदेश कर देते हैं लेकिन नगर विकास वाले उस आदेश को नहीं मानते हैं ।

आज आदमी वहां पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं । चाहे आदमियों के पानी पीने का मामला हो, चाहे जानवरों को पानी पिलाने का मामला हो । पानी की कमी से हाहाकार मची हुई है । अभी तो अप्रैल ही चल रहा है, मई जून आते स्थिति अत्यन्त भयावह हो जायेगी । मैं सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं और आपसे भी मांग करता हूं कि आप सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा लें ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों ने प्रदेश में पानी की गम्भीर स्थिति पर चर्चा की । मैं समझता हूं सरकार इसको गम्भीरता से कतई नहीं ले रही है । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी रटा रटाया उत्तर दे देंगे कि सरकार इस पर बहुत गम्भीर है । प्रदेश में पीने के पानी की कमी नहीं होने दी जायेगी । इस समस्या की गम्भीरता का पता इसी बात से लग सकता है कि पिछले 3 साल से लगातार चेतावनी दी जा रही है । प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बुन्देलखण्ड, पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है । खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र डार्क क्षेत्र घोषित हो चुके हैं, लेकिन इस पर आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है । इस समस्या पर काफी चर्चा हो जाती अगर सरकार नगर विकास के बजट को शोरगुल के मध्य न पास करा लेती । संसदीय कार्य मंत्री इस समस्या के प्रति कतई गम्भीर नहीं हैं । लखनऊ के पार्क रोड पत्रकार पुरम् में पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये आप कितना धन उपलब्ध करा रहे हैं । कितने धन की जरूरत है । जब तक इस चीज को आप स्पष्ट न करें तब तक मैं नहीं मान सकता कि आप इस समस्या के प्रति गम्भीर हैं । आप नगर विकास के अतिरिक्त कितना धन पानी के लिये उपलब्ध करा रहे हैं इसकी घोषणा आज ही सदन में करिये । शहरी एरिया, ग्रामीण अंचल, दोनों जगह के लिये जब तक यह घोषणा नहीं की जायेगी, तब तक मेरा निश्चित मत है कि यह सरकार इस समस्या के प्रति चिन्तित नहीं है । दूसरे मान्यवर, इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्पों को सबसे ज्यादा सफलता मिली है लेकिन यह हैण्ड पम्प खराब होने के बाद जल निगम उन हैण्ड पम्पों को ठीक नहीं करता है । यह मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि आज प्रदेश में 40 प्रतिशत इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं । जिसके कारण पीने के पानी की समस्या बनी हुई है । मेरा निवेदन है कि आप यहां पर घोषणा करें कि पीने के पानी की समस्या आप दूर करेंगे ।

* श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

अध्यक्ष जी, पीने के पानी की समस्या अत्यन्त गम्भीर है । यह सारे प्रदेश में व्याप्त है । प्रदूषण युक्त पानी जो मिल रहा है । यह सबसे गम्भीर विषय है । मान्यवर, यह सारी बातें लगभग आ चुकी हैं । मैं अपने क्षेत्र के विषय में कुछ कहना चाहती हूं । चुनाव के पश्चात् व्यापक दौरे के बाद मैंने पाया कि 11 सिंचाई के नलकूप खराब पड़े हुए हैं । मैंने लिखकर भी दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । गांवों में जो इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प हैं वह ज्यादातर खराब हैं । इसका कारण यह है कि निर्धारित स्ट्रेटा से वह ऊपर लगे हुए हैं । इस पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । एक-एक गांव में मैंने देखा कि जो तालाबों का पानी है, जो जानवरों को पिलाने के काम आता है उसको सरकार द्वारा पट्टे पर दिये जाने के कारण उसमें से लोग जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं । यह गम्भीर विषय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । इस पर सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए । इसके साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के नलकूप ठीक कराये जायें ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, केन्द्रीय भूगर्भ विभाग ने कहा है कि प्रदेश में पानी की जो सतह है वह नीचे जा रही है, यह काफी गम्भीर विषय है । इस विषय में अनेक लोगों ने अपने सुझाव भी दिये हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि अनेक ट्यूबवेल जो पिछले 4-5 साल में गाड़ दिये गये हैं उनको पूरा नहीं किया गया है । काशी विद्यापीठ के फुलवरिया गांव में 4 साल पहले ट्यूबवेल लगाया गया लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया है । उसके बाद कई ट्यूबवेल लगाये गये जो पूरे हो गये हैं । दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि बहुत से ऐसे ट्यूबवेल हैं जो ज्यादा मात्र में पानी पैदा कर रहे हैं लेकिन उस पानी को पाइप के द्वारा अगल-बगल के इलाके में नहीं दिया जाता है । वाराणसी में इंदिरा नगर कालोनी में जो ट्यूबवेल है वह अतिरिक्त पानी पैदा करता है लेकिन बगल के इलाकों को वह पानी नहीं दिया जाता है ।

इसी तरह से गंगा प्रदूषण योजना में जो ट्यूबवेल लगाये गये हैं वह भी अधिक पानी पैदा करते हैं लेकिन वह गंगा प्रदूषण योजना में होने के कारण जल संस्थान और जल निगम को वह पानी नहीं मिल पाती है । ऐसे ही वाराणसी में भगवानपुर में गंगा प्रदूषण योजना में ट्यूबवेल लगा है, ज्यादा पानी वह पैदा करता है लेकिन उस पानी को दूसरी जगह पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है । दूसरी बात यह है कि यह जो जल स्तर नीचे जा रहा है उससे एक दिन ऐसा आयेगा जब तात्कालिक उपाय जो किये जा रहे हैं उनसे काम नहीं चलेगा । प्रश्न यह है कि जल का स्तर नीचे क्यों जा रहा है । इसका मुख्य कारण है कि वर्षा कम हो रही है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि वर्षा कम क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण है कि हिमालय के पहाड़ी इलाके में, देहरादून, मसूरी, अल्मोड़ा क्षेत्रों में भारी पैमाने पर पेड़ों का कटाव हुआ है । पेड़ों के कटाव के कारण कई क्षेत्र ऐसे हैं जो सपाट मैदान हो गये हैं जिसके कारण हिमालय की जलवायु में परिवर्तन हो गया है जिसके कारण गंगा जी के चीन में चले जाने का डर वैज्ञानिकों ने प्रकट किया है इसलिये दीर्घ कालीन योजना की जरूरत है । सरकार विधायकों का तथा वैज्ञानिकों की एक कमेटी बनाये जाने हिमालय के स्थलों का निरीक्षण करके एक दीर्घ कालीन योजना बनाये जिससे भूगर्भ उपलब्ध जल स्तर नीचे के बजाय ऊपर आये । और यही कारण है कि पानी कम बरस रहा है । वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि जल्दी ही गंगा नदी हिन्दुस्तान से हट जायेगी । (शोर) इसलिये वैज्ञानिकों द्वारा यह जो घोषणा की गयी है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और भूगर्भ वैज्ञानिकों को पहाड़ी इलाके का दौरा कराना चाहिए ताकि वहां की परिस्थितियों का अध्ययन करके रिपोर्ट दें और इस समस्या का निदान हो सके और भूगर्भ जल का जो स्तर है उसमें बढ़ोत्तरी हो सके ।

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बड़ी वेदना से कहना चाहता हूं कि पेय जल के संकट के संबंध में आज इस सदन में चर्चा हो रही है। प्रदेश के कोने-कोने से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सदन में मौजूद हैं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि हम विधायक गण अपने-अपने क्षेत्रों में पानी की सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, यह सरकार पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकती है तो धिक्कार है हमारी विधायकी पर और धिक्कार है सरकार पर जो हम पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते। हमारे क्षेत्र में बिंदकी, देवमयी, खजुहा ब्लाक में सैकड़ों गांव हैं जहां पर पानी लेने की समस्या से आम आदमी जुटा रहता है। जो लोग सकलांग हैं वह कम से कम पानी की व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन ऐसे भी परिवार हैं जहां पर पति पत्नी दोनों विकलांग हैं और वह अपने तथा अपने परिवार तथा जानवरों के लिये पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में तमाम विकलांग परिवार हैं जो पानी की व्यवस्था के लिये दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह जो विकलांग सरकार है कम से कम विकलांगों के लिये पानी की व्यवस्था करे।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि पानी की समस्या को दूर करने के लिये इंडिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगाये जायं और तालाबों को पानी से भरवाया जाय। लेकिन वह सारी व्यवस्था कहां से होगी, जब तक हमारे प्रदेश की सरकार धन का समुचित आवंटन नहीं करेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के जल संकट को दूर करने के लिये जगह-जगह पर क्षेत्रीय विधायकों की राय से हैण्ड पम्प आवंटित किये जाने चाहिए। वहां के विधायकों के द्वारा बताये गये स्थानों पर हैण्ड पम्प लगवाये जाने चाहिए। मान्यवर, जल की व्यवस्था के लिये विकलांगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

*श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, पेय जल संकट उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है। मैं सदन का ध्यान पुनः 5 और 6 अप्रैल की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, 5 और 6 अप्रैल को आगारा में भारी ओलावृष्टि और वर्षा हुई, किसान त्राहि-त्राहि कर रहे थे, अधिकांश किसान ऐसे हैं, जिनके पास उनके घर में एक दाना भी नहीं बचा है। इन्हीं किसानों के बीच में एक उद्यागेधंधा भट्ठे का चलता है.....

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पानी पर थी। वह तो दूसरी सूचना है।

*श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अलावा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां पर पानी की बहुत बड़ी कमी है। पानी का स्तर लगातार नीचे चला जा रहा है, यहां पर न झील है, न नदी है, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अब मई और जून के महीने में यदि इसका कोई समाधान नहीं हुआ, तो बड़ी भारी विकराल समस्या पैदा हो जायेगी। मान्यवर, हमारा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी से जुड़ा हुआ है, यदि उस पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया, तो बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो जायगी। मान्यवर, जो हैण्ड पम्प लगाये गये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, उनमें से अधिकांश हैण्ड पम्प खराब हैं । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन हैण्ड पम्पों को तुरन्त ठीक कराया जाय और जो कुएं पुराने हैं, उनकी सफाई करायी जाय । मान्यवर, एक निवेदन मेरा और है, हैण्ड पम्पों की सूची देते समय विधायकों की राय अवश्य ले ली जाय ।

* श्री त्रिपाल सिंह धामा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मेरठ जनपद के विधान सभा क्षेत्र चौगामा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, वहां पर करीब 30 गांवों में हैण्ड पम्पों और ट्यूबवेलों से पानी आना बन्द हो चुका है, क्योंकि भू-गर्भ जल स्तर 130 फीट नीचे पहुंच चुका है । अगर समय रहते उस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह क्षेत्र रेगिस्तान हो जायगा । मान्यवर, इस समस्या के हल के लिये कृष्णा और हिंडन नदियों में जगह-जगह पर बांध बनाकर जल के प्रवाह को रोक कर भू-गर्भ जल स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है । वहां पर 300 ऐसे हैण्ड पम्प हैं, जिनमें पानी आना बन्द हो गया है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इनका सर्वे कराया जाये और यह पता लगाया जाये कि कितने हैण्ड पम्प बन्द हो गये हैं और उसका कारण क्या है ? मैं कहना चाहता हूं कि हिंडन और कृष्णा नदियां जो हैं, उनमें बांध लगा दिये जायं और जो हैण्ड पम्प सूख गये हैं, उनकी मरम्मत करायी जाये, तो पेयजल की समस्या हल हो सकती है । आप सरकार को निर्देशित करें कि वहां पर बांध बनाये जायें और हैण्ड पम्प ठीक कराये जायें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पेय जल का संकट है और यह दिनों दिन बढ़ता ही चला रहा है । जिस प्रकार से आज बरसात हो रही है, उसके कारण मौसम बदलता चला जा रहा है । मान्यवर, गांवों में जो कुएं हैं, वह सुख गये हैं, उनका जल स्तर नीचे चला गया है और यह सरकार के लिये चुनौती है । मान्यवर, जब मैं अपने क्षेत्र घाटमपुर के किसी गांव में जाता हूं तो यह पाता हूं कि अगर उस गांव में 10 कुयें हैं तो 8 सूख गये हैं और केवल दो से ही पानी मिल रहा है । इस प्रकार से गांवों में पेय जल की बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है । मान्यवर, तालाब सूख गये हैं जिससे वहां के जानवरों को पीने के पानी के लिये बड़ी दिक्कत होती है । यह सारी चुनौतियां सरकार के सामने हैं । मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि पेय जल और पानी की समस्या को दूर करने के लिये कुओं को सुधरवाया जाये और उसके लिये पैसा आवंटित किया जाये । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प लगवाने में करीब 20 हजार रुपया लगता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वह खराब हो जाते हैं, तो उनकी मरम्मत के लिये कोई पैसा उपलब्ध नहीं रहता है और जब अधिकारियों से कहा जाता है कि उनको ठीक कराया जाये, तो वह यही कहते हैं कि दुबारा सुधरवाने के लिये कोई पैसा नहीं है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पेय जल के लिये पैसा आवंटित करने के लिये सरकार को निर्देश दें, ताकि लोगों की पेयजल की समस्या दूर हो सके ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, अब मुझे भी मौका दें, इतना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है.....

श्री अध्यक्ष–

21 लोग बोल चुके हैं । अब नहीं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, पेय जल की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पर्याप्त सदस्यों के विचार आ गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवधान न डालें । आपका लिखा नहीं जायेगा । आप लोग शांत रहें ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

कुछ लिखा नहीं जायेगा, 21 लोगों को मैंने बुलवा दिया है । अब आप लोग बैठ जाइये । पहले संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिये उसके बाद मेरे निर्देश को सुन लीजिए ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, कोई यहां पर प्रश्न उपस्थिति हो और उसका सरकार की तरफ से उत्तर न आये तो वह कोई उचित बात नहीं है । मैं तो चाहता हूं कोई मसला हो, गम्भीर मसला हो तो उस पर लोगों की राय आ जाय और सरकार की बात आ जाय, स्पष्टीकरण हो जाय, तो ज्यादा उचित होगा । इसीलिये हम लम्बा सत्र चलाने का प्रयास कर रहे हैं अगर हंगामे में चलाने का प्रयास होता तो मैं भी उसी तरह की बात करता । लेकिन जो गम्भीर समस्या है उस पर सरकार का रुख भी आ जाय, लोगों की राय आ जाय, उसमें कोई कमी हो, तो उसको सुधारा जाय । श्रीमन्, इतने लोगों के सुझाव आये उसके बाद भी लोग बोलने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें गुप्त जी भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने अपने सदस्यों को कह दिया और वह बैठ गये । एक बात मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पेयजल के संकट का मामला हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसलिये लोग व्यग्र हैं इसलिये आप उचित समझें तो निर्देशित कर दें कि इस मामले में जो भी माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो उनको वहीं महत्व दिया जायेगा जैसे कि उन्होंने यहां कहा है । मान्यवर, उनके लिखित सुझावों को वहीं महत्व दिया जायेगा जैसे लोगों ने इस आदरणीय सदन में अपने विचार व्यक्त किये हैं । मान्यवर, इससे लोगों का समाधान हो जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह तो माननीय सदस्यों का अधिकार है। जो माननीय सदस्य अपनी राय देंगे उनको गम्भीरतापूर्वक तो लेंगे ही वह तो माननीय सदस्यों का अधिकार ही है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसको देखें ठीक से और उदारता से क्योंकि वह कोई पार्टी की समस्या नहीं है हम सब की समस्या है।

श्रीमन्, नगर विकास विभाग का बजट जिस दिन पेश हुआ था, जैसा अग्रवाल जी कह रहे थे कि अगर सदन व्यवस्थित होता तो पूरे समस्या पर लोगों के विचार आ जाते और सरकार का पक्ष भी आ जाता और आज इस पर इतनी लम्बी बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कोई अलग से नहीं कहने जा रहे हैं। यह उस दिन सदन व्यवस्थित न होने के कारण लोगों को जानकारी नहीं हो सकी। श्रीमन् पेयजल के बारे में विशेष रूप से इस सरकार का ध्यान और इस सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से एलान किया हुआ है कि 3 वर्षों में हम प्रदेश में पेयजल का संकट पूरी तरह से समाप्त कर देंगे।

(कुछ सदस्यों द्वारा टोकाटोकी करने पर व्यवधान)

श्रीमन्, इनको देखिये इतनी गम्भीर समस्या पर इनकी यह गम्भीरता है। मान्यवर, अग्रवाल जी ने ठीक कहा कि घोषणा कर दी जाय और उसके लिये धन न उपलब्ध हो तो बेकार है।

श्रीमन्, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पेयजल पर 33 फीसदी रुपया अधिक खर्च किया जायेगा और उसके लिये अतिरिक्त रखा गया है 83 करोड़ रुपये, इसके अतिरिक्त राहत आपदा निधि से जो अति संवेदनशील जनपद हैं उनके लिये अलग से प्राविधान किया गया है उनके लिये पैसा दे दिया गया है कि अप्रैल में कार्य पूरा करें। मैं विस्तार से बताना चाहता हूं कि प्रदेश के 12 जनपद संवेदनशील हैं जिनमें प्रतिवर्ष गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है। यह जनपद इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौन, आगरा, फिरोजाबाद व मथुरा हैं। इन जनपदों के अलावा अन्य जनपद भी सूखे के समय गम्भीर पेयजल संकट से प्रभावित होते हैं। यह सही है कि भूजल स्तर के अंधाधुंध दोहन से प्रतिवर्ष जल स्तर नीचा होता जा रहा है। उपर्युक्त 12 संवेदनशील जनपदों में 1360 नये इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों की स्थापना के लिये 283.27 लाख रु० की धनराशि तथा 1140 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्पों की रि-बोरिंग के लिये रु० 140.95 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है इसके अतिरिक्त जनपद एटा, इटावा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, मैनपुरी व रायबरेली हेतु 30-30 हैण्डपम्प प्रत्येक जनपद में अधिष्ठापित करने के लिये 26.19 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसी प्रकार 275 लाख की धनराशि नागर क्षेत्रों में सूखान्तर्गत पेयजल संकट के निवारणार्थ स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि से सभी कार्य 30 अप्रैल, 1993 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

2–इसके अतिरिक्त जनपद उन्नाव में मिनीमिशन के अन्तर्गत फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र की जलापूर्ति के लिये भारत सरकार द्वारा 1585.30 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसी प्रकार 20 हजार से कम आबादी के कस्बों की जलापूर्ति के लिये प्रथम बार भारत सरकार द्वारा रु० 293.06 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। शासन द्वारा सूखान्तर्गत पेयजल संकट से निपटने के लिये युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

गत वर्ष पेयजल योजना हेतु 83.00 करोड़ रु० का प्राविधान था । इस वर्ष प्राविधान 97 करोड़ रु० का है जो कि गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 33 प्रतिशत अधिक है ।

मान्यवर, यह प्रदेश के संवेदनशील जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 1360 नये हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने हेतु आपदा राहत निधि से से जो धनराशि स्वीकृत की गयी है उसके बारे में बता दूं कि इलाहाबाद मे 150 नये हैण्डपम्प होंगे यह केवल यमुनापार क्षेत्र हेतु हैं । मिर्जापुर में 100, सोनभद्र 150, वाराणसी, नौगढ़ क्षेत्र हेतु 120, झांसी 100, ललितपुर 100, हमीरपुर 100, बांदा में 100, जालोन 100, आगरा 150, फिरोजाबाद 100, मथुरा 90 । इसी तरह से 12 संवेदनशील जनपदों में निष्क्रिय पड़े 1140 हैण्डपम्पों को रि-बोर कर पुनर्स्थापित करने के लिये रु० 1.4095 करोड़ की धनराशि आपदा राहत निधि से स्वीकृत की गयी है । यह बजट के अलावा है । श्रीमन्, अन्य 6 संवेदनशील जनपद एटा, इटावा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, मैनपुरी व रायबरेली हेतु 180 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने हेतु रु० 26.19 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है । समस्त धनराशि से किये जाने वाले कार्य दिनांक 30 अप्रैल, 1994 तक पूर्ण करने के निर्देश जल निगम को दिये गये हैं ।

श्रीमन्, यह पेयजल संकट प्रदेश में है, पूरी तरह से प्रदेश सरकार गम्भीर है, चरणबद्ध तरीके से पेयजल संकट को समाप्त करने की हमारी योजना है । इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 33 फीसदी का अलग से प्राविधान किया है । इसके अतिरिक्त आपदा राहत कोष से सहायता दी गयी है । सब कार्य 30-4-94 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में इस संबंध में पूरी तरह से सजग रहें जो उनको शिकायत मिले, जो उनके विचार हैं अलग से लिखकर भेज देंगे यथासम्भव यथासमय गम्भीरता से विचार कर लेंगे ।

* श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विशेष बल इस बात पर दिया है कि उन्होंने 33 प्रतिशत बजट इसमें बढ़ा दिया है । मैं उनसे केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि एक सर्वेक्षण के अनुसार अगर आप बढ़ायेंगे तो मैं आपको अवगत करा दूं, कि जो इण्डिया मार्क–2 अभी तक लगते थे उनकी कीमत बढ़ जाने के कारण 18.4 प्रतिशत लागत बढ़ गयी है। तो 18.4 प्रतिशत बढ़ायेंगे तो भी संख्या बढ़ने वाली नहीं है । दूसरा यह है कि जो सदस्यों ने चिन्ता यहां पर व्यक्त की है कि हर जगह जलस्तर नीचे गिर गया है तो अब तक की जो व्यवस्था है उसके अनुसार पाइप ऊपर लगे हुए हैं उसके लिये पाइप आपको और नीचे डलवाने पड़ेंगे । तो इसमें मरम्मत के लिये आपको अलग से प्राविधान करना पड़ेगा । तो मैं यह समझता हूं कि जो 33 प्रतिशत आपने बढ़ाया है यह सिर्फ आंकड़ों का जाल है । एक बात और कहूंगा कि आपके यहां आपदा का अलग से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोष है । मैं समझता हूं कि जब पानी की इतनी किल्लत है और आप यह कह सकते हैं कि एक तरह से दैवी आपदा है तो आप आपदा कोष से और धन उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं भी एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैंने पहले भी नाम लिया था । इससे पहले भी मैंने कई बार कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जलस्तर लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है और यह करीब 100 फुट पर आ गया है अगर यही स्थिति रही तो एक दिन रेगिस्तान हो जायेगा यह टिप्पणी भूगर्भ जल सर्वेक्षण द्वारा की गयी है । हर वर्ष दो ब्लाक इसमें आ रहे हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अनदेखा किया जा रहा है और आपने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी यह सरकार ध्यान देने जा रही है या नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जो ट्यूबवेल खराब पड़े हैं नगरीय क्षेत्रों के उनका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है । क्या शासन अगर उन्हें पेयजल उत्पन्न कराना चाहती है, तो इस पर कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

शयद आप सुन नहीं पाये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इतना बड़ा वक्तव्य दे दिया और आप सुन नहीं पाये । मैंने पेयजल जैसी गम्भीर समस्या पर विभिन्न दलों के नेताओं और 21 माननीय सदस्यों को ग्राह्यता पर सुना । समस्या गम्भीर है और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने सरकार की ओर से उसके समाधान के लिये व्यापक रूप से एक योजना आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी ।

श्री हरबंश कपूर–

मान्यवर, पर्वतीय जनपदों का उसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य सरकार के पक्ष से संतुष्ट होंगे और उसके साथ ही साथ इस नोटिस को मैं अग्राह्य करता हूं । लेकिन केवल सरकार से इतना कहूंगा कि वह समय-समय पर इसका जायजा लेते रहें और पानी की किल्लत न आने दें । इसके साथ ही यह नोटिस समाप्त होती है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर विषय है । जब यह समय नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो ड़ तीन साल में क्या करायेंगे ?

(इस समय 5 बजे अधिष्ठाता श्री नरेश अग्रवाल पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है और सुबह से चर्चा चलते हुये शाम का 5 बज गया है, इसी से इस बात का पता चलता है कि यह कितना गम्भीर विषय है, लेकिन मान्यवर, यह सरकार इसे गम्भीरता से नहीं ले रही है । यह हमको बता रहे हैं कि 3 साल में कोई समस्या नहीं रह जायेगी । प्रश्न तो यह है कि आज की स्थिति में पेयजल संकट से निपटने में यह सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है । आज जो गम्भीर पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है, इसके लिये क्या त्वरित उपाय सरकार करने जा रही है, इस पर कोई बात नहीं कही गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब तो दे दिया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मुझे अपनी चिन्ता नहीं है । एक यहां माननीय सदस्य, हरदोई बैठते हैं, वह कह रहे थे कि हरदोई में पानी बिल्कुल सूख गया है, मुझे उनकी भी चिन्ता है .....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अपनी चिन्ता कर लेंगे, आप अपनी चिन्ता बतलायें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इन सदस्य की परेशानी यह है कि इनका कुर्सी परिवर्तन हो गया है और कुर्सी परिवर्तन के साथ ही दिमाग का परिवर्तन हो जाता है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त गम्भीर विषय है और सरकार इसे गम्भीरता से नहीं ले रही है, न ही कोई व्यवस्था करने जा रही है, यह भी नहीं बताया गया कि ये क्या फौरी कार्यवाही करेंगे, इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सभी सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, वह दीर्घकालीन योजना बताई है । आवश्यकता आज फौरी कार्यवाही की है । इस दीर्घकालीन योजना से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर उत्तर तो आ गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, स्पष्टीकरण का तात्पर्य यह होता है कि उसके बारे में बताना चाहिये । पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी, इसलिये स्थिति को गम्भीर समझते हुये, चूंकि सरकार गम्भीर नहीं है, इसलिये मैं और मेरा दल दो मिनट के लिये सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सभी सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, पेयजल संकट के संबंध में सरकार कोई त्वरित कार्यवाही नहीं कर रही है और न ही फौरी कार्यवाही का जिक्र किया गया है, इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री किरन पाल सिंह अपने दल के सभी सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में खुलेआम सामूहिक नकल होने से शैक्षिक वातावरण के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में खुलेआम हो रही नकल को रोक पाने में वर्तमान सरकार पूरी तरह से अक्षम साबित हुई है। जो नकल रोकने की घोषणायें मंत्री जी ने की थीं, उन सभी घोषणाओं की धज्जियां उड़ गयी हैं। अभी परीक्षा प्रारम्भ हुये हैं और सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अनुमानतः दो हजार परीक्षार्थी प्रतिदिन नकल करते हुये पकड़े जा रहे हैं। आश्चर्य यह है कि तीन-तीन जगह तलाशी होने के बाद भी परीक्षार्थी नकल की सहायक सामग्री लेकर कैसे पहुंच जाते हैं ? मान्यवर, डा० अवस्थी समिति की रिपोर्ट लागू की गयी लेकिन जो कर्तव्य-परायण अध्यापक हैं उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी मुजफ्फरनगर जिले के एक अध्यापक को एक परीक्षार्थी ने गोली मार दी, अध्यापकों की कोई सुरक्षा नहीं है। मान्यवर, परीक्षा से दो घण्टे पहले और 12 घन्टे पहले के नाम से बाजारों में गाइड्स बिक रही हैं। यह सुनियोजित तरीके से नकल कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अभी आपने दौरा किया था, राकेश लाल गौतम इण्टर कालेज, शादाबाद, मथुरा का, वहां आपने स्वयं देखा था कि नकल की सहायक सामग्री अन्दर भेजी जा रही हैं, नकल की सामग्री से कमरे के कमरे भरे पड़े हैं। इसके बाद आप राज लक्ष्मी इण्टर कालेज, मवाना गये वहां भी यही स्थिति थी।

नकल का अध्यादेश वापस लेने से हो सकता है कि 5 से 7 प्रतिशत परीक्षार्थी सन्तुष्ट हों लेकिन इससे पूरे प्रदेश में जो वातावरण बना है, उससे प्रतिभाशाली छात्रों के सामने एक खतरा पैदा हो गया है। अवस्थी समिति की जो रिपोर्ट सामने आये उसमें कोई महत्वपूर्ण सुझाव नहीं थे, लेकिन फिर भी यदि ईमानदारी के साथ उन सुझावों पर अमल किया गया होता तो नकल रोकी जा सकती थी। मान्यवर, बाराबंकी जिले में नेपाली मूल के लोगों का फर्जी पता दिखाकर परीक्षा हो रही है। जनपद बस्ती में भी इसी तरह की धांधलियां हैं। इस सामूहिक नकल को रोके जाने के बारे में सरकार द्वारा निष्प्रभावी रहने के लिये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अतः आप कार्यस्थगन का प्रस्ताव स्वीकार कर इस पर चर्चा कराने की व्यवस्था करें। नियमों में व्यवस्था है कि अविलम्बनीय होना चाहिए, वह है अभी हाल की घटी हुई घटना है और पूरे प्रदेश की समस्या है। पूरे प्रदेश की परीक्षाओं में अराजकता व्याप्त हो गयी है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर चर्चा करायें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, 5 अप्रैल से प्रदेश में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षायें शुरू हो गयी हैं। परीक्षायें शुरू होने से पहले सरकार के द्वारा इस माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस बात की साधिकार घोषणा की गयी कि परीक्षाओं में किसी प्रकार की नकल नहीं होने दी जायेगी, और उसके लिये सभी प्रकार की व्यवस्था की जायेगी। लेकिन पहले ही दिन जिस प्रकार से इन सारी घोषणाओं की धज्जियां उड़ीं और जिस प्रकार से बेधड़क होकर प्रदेश के हर जिले में और जिले के कालेज-कालेज में नकल होना शुरू हुआ उसने मान्यवर, अब तक प्रदेश की परीक्षाओं के इतिहास में नकल के सारे रिकार्ड तोड़ दिये। आज सातवां दिन है, आपको हंसी आ रही है, हंसी तो आयेगी ही।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय विकल जी आप ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, आज हालत यह है कि प्रदेश के अनेक जिले ऐसे हैं, जैसा कि माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उल्लेख किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बरेली, मेरठ, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा जिलों पर और जहां-जहां पर भी शिक्षा मंत्री गये वहां और नकल होती रही, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोनों पर आज परीक्षायें हो रही हैं। और नकल होती रही। माननीय शिक्षा मंत्री जी के बारे में जैसा माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि पन्द्रह जिलों का दौरा किया है, लेकिन हालत यह हो रही है कि जहां-जहां पर ये परीक्षा केन्द्रों पर गये जैसे फूलों की बौछार से स्वागत होता है, उसी तरह चाहे शिक्षा मंत्री जायें, जिलाधिकारी जाय या चेकिंग स्टाफ जाय तो स्वागत गाइड बुकों से, पुस्तकों से और हल किये हुये प्रश्नों के उत्तरों की बौछार सी होती है। इस प्रकार आज सारे प्रदेश की शिक्षा प्रणाली दूषित हो गयी है। मान्यवर, दुःख की बात यह है कि प्रदेश की सरकार ने नकल विरोधी कानून को समाप्त करके परीक्षार्थियों के लिये यह संदेश दिया है, उन्हें संतुष्ट किया है कि वह नकल के समर्थक हैं और ऊपर से कहते हैं कि नकल नहीं करने देंगे और न कराने देंगे। लेकिन आज हजारों की संख्या में छात्र नकल कर रहे हैं और नकल हो रही है। इस नकल विरोधी कानून को समाप्त करने से आज वहां का वातावरण दूषित हो गया है, नकल रोक पाने में यह सरकार विफल हो गयी है। मान्यवर, अवस्थी समिति की जो रिपोर्ट है वह लागू नहीं हो रही है। खास तौर से जो बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सामने भी हैं और उनके साथ जो बैठे हैं, नकल के संबंध में इस बात पर जोर दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया ग्राह्यता पर ही बोलिये।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि पन्द्रह हजार से ज्यादा छात्र-छात्रायें हैं, उसमें हमारी बेटियां, बहनें और छात्रायें भी शामिल हैं. वह नकल करते हुये पकड़ी जा रही हैं। मान्यवर, नकल रोकने के लिये अकल चाहिए और इनके पास अकल है नहीं। इससे मान्यवर, शिक्षा का वातावरण बिगड़ता जा रहा है

और दूषित हो रहा है। मान्यवर, जैसा कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इस अविलम्बनीय विषय पर चर्चा कराये जाने की बात कही है, इस पर अवश्य चर्चा करायी जाय ताकि स्थिति सामने आये। इस संबंध में इसके विरुद्ध सरकार क्या प्रभावी कदम उठायेगी। इसे नियम–56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन सूचना के रूप में स्वीकार करें और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, इस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपके इसमें हस्ताक्षर नहीं हैं।

* माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है, जो कहती है वही करती है और उतना ही कहती है जितना कर सकती है। माननीय गुप्ता जी ने कुछ बातें कहीं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कि माननीय सदस्यों को हमारी सरकार की सराहना करनी चाहिए कि आजादी के बाद से इस बार ईमानदारी और अच्छी तरीके से परीक्षा हो रही है, ऐसा मान्यवर, कभी नहीं हुआ और जो इससे बड़ा सबूत नहीं मिल सकता है। मान्यवर, सुनिये।

श्री अधिष्ठाता–

सुन लें, माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिये।

डा० मसूद अहमद–

जो बातें यहां पर कही गयी हैं, जहां भी मुझको सूचना मिली है, स्वयं जाकर निरीक्षण किया है जो गलती करती हैं उसको मैंने सजा देने का काम किया है। अगर आपको ऐसी कोई सूचना है मान्यवर, आप लोग अवगत करायें, मैं देखूंगा और उस पर कार्यवाही करूंगा। जहां तक माननीय गुप्त जी ने आरोप लगाया है नेपाली लड़कों के बारे में। मैं मान्यवर, यह बता देना चाहता हूं कि नेपाली लड़के इस साल इम्तहान दे रहे थे, प्रथम बार ऐसा नहीं हुआ बल्कि ऐसा होता रहा है आप लोगों को इस सरकार की सराहना करनी चाहिए। मान्यवर, इन लड़कों को क्या पकड़ने का आपने कानून बनाया था आपने जो कानून बनाया था उससे 23-24 हजार परीक्षार्थियों को हथकड़ी लगाकर जेल भेजने का काम किया था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आपने भेजा था कि उसमें भी राजनीति की कहीं न कहीं कोई बू आती है। जैसा कि इस बार दो प्रधानाचार्यों को निलम्बित किया गया है गलती करते हुए मिले, आपके जमाने में मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अगर उनके पास कोई सूचना है तो वह मुझे दे दें, मैं उसे दिखवाऊंगा। माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विकल जी ने कहा कि फूलों की तरह स्वागत हो रहा है। आप जहां गये, वहां पर आपका इस तरह से स्वागत हुआ। हमारा तो ऐसा स्वागत हुआ नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय शिक्षा मंत्री जी, जब आप राज लक्ष्मी इण्टर कालेज, मवाना गये थे, तो वहां पर हिन्दी के फर्स्ट पेपर में सामूहिक नकल के कारण परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था और लड़कों ने गाइड्स व पर्चियां खिड़की से बाहर फेंकनी शुरू कर दी थीं। हमारे समय में तो कुछ परीक्षार्थी पकड़े गये थे परन्तु आपके जमाने में तो धड़ल्ले से व निर्भय होकर नकल हो रही है, पकड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जहां-जहां भी वह चेकिंग करने गये थे, वहां पर सामूहिक नकल करते हुए उन्होंने पकड़ा, कि नहीं। जब आप सुल्तानपुर के बल्दी राय परीक्षा केन्द्र पर गये तो क्या वहां पर सभी कापियों में एक ही जैसा उत्तर था। इमला की तरह वहां पर धड़ल्ले से नकल करवाई जा रही है। इसकी रोकथाम के लिये आपने क्या व्यवस्था की है?

डा० मसूद अहमद–

अलीगढ़ में एक गभाना इण्टर कालेज में पहले ही दिन जब यह शिकायत मिली, तो वहां के एक्जामिनेशन को कैन्सिल कर दिया गया था। दूसरे दिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने प्रधानाध्यापक को निलम्बित कर दिया और उस सेन्टर के इम्तिहान को जीरो घोषित कर दिया। यह हमारी नैतिकता है। हम सही तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। जिन कालेजों के बारे में हमें सूचना मिली, हमने ऐक्शन लिया। हमारे पास उसके बाद कोई सूचना नहीं है ऐसी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री सत्य प्रकाश विकल जी ने नियम–56 में जो सूचना दी थी, उस पर मैंने उसको सुना और माननीय शिक्षा मंत्री जी के जवाब को भी सुना। यह नियम 56 में नहीं आता है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं। लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुए सरकार को निर्देश देता हूं कि वह इस संबंध में पूरे प्रदेश से जानकारी प्राप्त करके इस सदन में एक वक्तव्य दें।

(श्री श्याम देव राय चौधरी का नाम पुकारने पर)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अगला प्रस्ताव ले लिया है। इस पर वक्तव्य के निर्देश दे दिये हैं। (व्यवधान)

श्री उदय भान सिंह–

मेरे पास तथ्य हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सरकार को निदेश दे दिया है, वक्तव्य आ जाने दीजिये।

श्री उदय भान सिह–

चार बोरे नकल की सामग्री पकड़ी गयी (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गुप्त जी, उनको निर्देश दीजिये, उनको बैठाइये ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

आगरा के बारे में पेपर में छपा है, शिक्षा मंत्री जी ने देखा होगा (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा" जी नहीं बोल रहे हैं, मैं अगली सूचना आगरा में भीषण तूफान और ओलावृष्टि के संबंध में है उसे ले रहा हूं । (व्यवधान) माननीय चौधरी आप बोलना नहीं चाहते हैं । (व्यवधान) जब आप अपने दल के सदस्यों को अनुशासित नहीं कर सकते हैं तो आप हमको क्या कह सकते हैं ?

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, मैं इसे सदन का ध्यान 9 अप्रैल की रात को घटी एक दुखद घटना की ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, बनारस के जनता थाने के अन्तर्गत एक शिवपुरवा गांव है जहां अनुसूचित जाति के एक समई राम रहते हैं । उस दिन रात को 5-6 पुलिस कर्मी उनके घर गये और उनसे कहा कि तुमको थाने चलना है जहां तुम्हारी आवश्यकता है समई ने पूछा कि बतायें मैंने क्या अपराध किया है ? तो जैसा पुलिस का रुआब होता है उनको लेकर थाने चले गये । लेकिन उसके बाद पुनः 4 पुलिस कर्मी उनके घर आये उस समय घर में अकेली उनकी पत्नी 22 वर्ष की हीरामणि थी । पुलिस कर्मियों ने उनके घर के अन्दर घुस कर उस अबला महिला के साथ शीलहरण किया और धमकी देते हुए चले गये । (व्यवधान) मुझे अफसोस है सदन के उधर वाले हंस रहे हैं पता नहीं उनके घरों में मां बहनें हैं कि नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

लेकिन उस अनुसूचित जाति, दलित और गरीब पत्नी के साथ जो दर्दनाक घटना हुई उसका वर्णन करने पर हंसना कटे पर नमक छिड़कना जैसा काम कर रहे हैं । मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं । तो उसकी पत्नी का शीलहरण करने के बाद जाते-जाते धमकी दे गये यदि कहीं जिक्र किया तो तुम्हारा पूरा परिवार बरबाद कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो आइ विटनैस हैं नहीं आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

इस तरह का जघन्य कार्य करने के बाद रही जिक्र करने पर धमकी दे गये तुम्हारा परिवार बरबाद कर देंगे। अन्त में सी० आई० डी० द्वारा मामले की जांच कराये जाने के बाद बात छूट गयी है। कृपया जोड़ दें। मान्यवर, दूसरे दिन दस अप्रैल की सुबह हीरामनी जो बलात्कार की शिकार हुई थी अपने गांव के श्री श्याम सुन्दर सिंह के वहां गयी और उनको आप बीती के संबंध में बताया तो वह हीरामनी को लेकर श्री शिव प्रसाद गुप्त, राजकीय अस्पताल में गये और उसकी मेडिकल जांच करवाया, उसके बाद से पुलिस वाले उस पर बराबर यह दबाव डाले हुए हैं कि यदि तुमने जो बयान डाक्टर और पुलिस को दिया है उसे नहीं बदलाया तो तुम्हारे परिवार को बरबाद कर दिया जायेगा और उस प्रकार उस महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है। मान्यवर, जो रक्षक हैं यदि वह अपनी शक्ल भक्षक के रूप में बदल देंगे तो दलितों, गरीबों और असहाय लोगों की रक्षा कौन करेगा ? मान्यवर, आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस कर्मचारियों पर है लेकिन वह सुरक्षा देने के बजाय उस अबला का शीलहरण किया, इसलिए मैं मांग करता हूं कि उन पुलिस कर्मियों को कठोर से कठोर दण्ड दिया जाये और उसकी चर्चा करायी जाये।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्यों का यह कर्तव्य है कि कम से कम इस प्रकार के मसले जब सदन में उठायें तो उनकी सच्चाई के बारे में जानकारी कर लिया करें और फिर समाचर-पत्रों में कोई बात प्रकाशित हो जाये उसको लेकर यहां पर एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जाये जिसमें महिला की इज्जत का सवाल हो तो उनको तथ्यों की जानकारी जब तक पूरी न हो तब तक उसे यहां न उठायें। मान्यवर, यह सही है कि 11 तारीख को स्थानीय समाचार-पत्रों में थाना जन्सा, जनपद वाराणसी के पुलिस कर्मियों द्वारा सामूहिक दुराचार का आरोप लगाते हुए समाचार प्रकाशित हुआ है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण द्वारा घटना की विस्तृत जांच की गयी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि समाचार-पत्र में अंकित आरोप नितान्त मनगढ़न्त एवं निराधार हैं।

जांच से पता चला कि थाना जन्सा के ग्राम तक्खू की निवासी समई मुसहर को दिनांक 10-4-94 को एक नकबजनी के मामले में थानाध्यक्ष जन्सा द्वारा पूछतांछ के लिए दिन में थाने लाया गया। समई के पीछे-पीछे उसकी पत्नी भी थाने पर आयी, जो थाने पर अपने पति से मिलकर वापस चली गयी। समई उपरोक्त की पत्नी श्रीमती हीरामनियां इस बीच अपने पड़ोसी श्री वीरेन्द्र प्रताप त्रिपाठी व अवधेश सिंह से मिली और उन्हें अपने पति के बारे में बताया। अवधेश सिंह व वीरेन्द्र प्रताप त्रिपाठी कुछ स्थानीय मामले को लेकर थानाध्यक्ष से असन्तुष्ट थे। अतः वे श्रीमती हीरामनियां को उसके पति को छुड़ाने का लालच देकर वाराणसी लाये। श्री वीरेन्द्र प्रताप त्रिपाठी पत्रकारिता से संबंधित हैं उन्होंने ही समाचार-पत्रों में उक्त आशय की भ्रामक सूचना दी है।

प्रारम्भिक पूछतांछ के पश्चात् समई मुसहर को दिनांक 10-4-94 को थाने से छोड़ दिया गया था। दिनांक 10-4-94 को जब श्रीमती हीरामनियां वाराणसी से अपने गांव पहुंची तो उसे अपने पति से वापस आने की बात ज्ञात हुई। गांव में आपसी पार्टी बन्दी है। श्रीमती हीरामनियां के संबंध में अवधेश सिंह व वीरेन्द्र प्रताप त्रिपाठी द्वारा लगाये गये आरोपों की जानकारी अवधेश सिंह के विपक्षीगण को मिली तो

वे श्रीमती हीरामनियां को लेकर दिनांक 11-4-94 को वाराणसी ले आये । श्रीमती हीरामनियां ने अब यह आरोप लगाया है कि उसके पति को छुड़ाने का बहाना करके अवधेश सिंह व वीरेन्द्र प्रताप त्रिपाठी उसे वाराणसी ले आये और उसको दुष्कर्म करने के लिए कहा एवं उसके द्वारा इन्कार करने पर उसके साथ मारपीट की और गाली दी । यह आरोप भी गांव की पार्टी बन्दी से प्रेरित पाया गया । इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि वीरेन्द्र प्रताप त्रिपाठी व अवधेश सिंह ने स्थानीय पुलिस से आपसी रंजिश के कारण श्रीमती हीरामनियां देवी से स्थानीय पुलिस के विरुद्ध यह आरोप लगाये तथा अवधेश सिंह के विपक्षी गण अवधेश सिंह व वीरेन्द्र प्रताप त्रिपाठी के विरुद्ध बयान दिलवाये हैं । इस तरह यह जो दोनों आरोप हैं, दोनों ही जांच में गलत और बेबुनियाद पाये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय नियम में नहीं आता, इसलिए अग्राह्य किया जाता है । अगली सूचना उदयभान सिंह जी की है, वह बोलें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप लोग उदयभान सिंह जी को बोलने देंगे या नहीं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप वाराणसी के हैं, आप उससे जाकर मिल आइये, तब बताइयेगा कि वास्तविकता क्या है ? मैं आपकी बात मानूंगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

चूंकि जांच पुलिस द्वारा की गयी है अतः मैं इस तरह नहीं आप अच्छी तरह जांच करायें । गम्भीरता के प्रकरण की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराये जाने की मांग करता हूं ।

जनपद आगरा में आये तूफान व ओलावृष्टि से फसल नष्ट होने तथा ईंट भट्ठों को हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उदय भान सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान 5 और 6 अप्रैल की ओर ले जाना चाहता हूं । इसमें आगरा में ओलावृष्टि हुई, भयंकर तूफान आया और काफी बरसा हुई, जिससे वहां पर जन-धन-की भारी तबाही हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ भट्ठा उद्योग है, उसमें ग्रामीण कृषक, मजदूर और दलित लोग काम करते हैं । वहां जिस समय आंधी आयी, बड़े जोर का तूफान आया, जिससे सारे भट्ठों की चिमनियां टूट-टूट कर दूर जा गिरीं, झुग्गियां उड़ गयीं और ईंटें बुरी तरह गिर गयीं । जो मजदूर खेतों में काम कर रहे थे भट्ठे वाले वे बुरी तरह घायल हो गये । भट्ठों पर जो स्लैब कोयला पचासों टन पड़ा हुआ था, वह हवा में उड़ गया । भट्ठों की स्थिति तबाह हो गयी है और भट्ठा स्वामी एक-एक रोटी के लिए मोहताज हो गये हैं और इस उद्योग की कमर टूट कर रह गयी है । एक ग्रामीण उद्योग पूरी तरह चौपट होने जा रहा है, उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए । अतः जो मार्च तक

का कर है उसको माफ करने के लिए सरकार विचार करे, मजदूरों की झोपड़ियां बनवायी जायं तथा भट्ठा स्वामियों को अनुदान दिया जाय और जो घायल हो गये हैं, उनको कुछ न कुछ पैसा राहत के रूप में दिया जाय । यह मेरी मांग है । यह लोक महत्व का सवाल है । मैं चाहता हूं कि इसमें गम्भीरता से विचार हो । आप इस ग्रामीण उद्योग को बर्बाद होने से बचा सकें तो बड़ा अच्छा होगा ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

आगरा में जो तूफान आया और जो जन-धन की क्षति हुई, उस पर विस्तृत चर्चा यहां हो चुकी है और उसमें वक्तव्य देने के भी आपके निर्देश हो गये हैं । सरकार द्वारा वहां पीड़ितों को सारी मदद उपलब्ध करायी गयी और नियमों से हटकर भी सहायता देने के निर्देश दे दिये गये हैं । इसके बाद भी इस पर सरकार की ओर से पूरी सही जानकारी समेत वक्तव्य आना है । जब यह आयेगा, उस समय आप स्पष्टीकरण मांग लें, उनका भी उत्तर आ जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अब इसमें एक नया मुद्दा उठा दिया गया है, भट्ठा चिमनियों का और उसके मजदूरों और स्वामियों का, उसको भी मंत्री जी उसमें जोड़ लें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है । फिर भी क्या आप भट्ठा चिमनियों के इस विषय को इसमें शामिल कर सकते हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अगर जोड़ेंगे तो इसमें देर हो सकती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपने नियम 311 और 56 में जितने विषय सुने हैं, कदाचित मेरे इस विषय की ग्राह्यता स्वीकार करके अवश्य इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे, जिस विषय को मैं इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं । यह विषय एक इलाके, एक क्षेत्र या किसी एक वर्ग से संबंधित नहीं है । आज पूरे प्रदेश के सामने जो आलू कृषक हैं, उनके सामने गम्भीर संकट पैदा हो गया है । हमारे प्रदेश में पूरे देश का 40 प्रतिशत आलू उत्पादन होता है । और इस बार उससे भी अधिक उत्पादन हुआ है और इसलिये हुआ है कि आलू में रोग लग जाता था झुलसा आदि वह नहीं लगा । आलू की जो नई वैराइटी आई है उससे भी रिकार्ड उत्पादन हुआ है लेकिन आज उसके विपणन की व्यवस्था और उसके समर्थन मूल्य की व्यवस्था नहीं की गई जिससे कृषकों को उत्पादन का लाभप्रद मूल्य मिल सके । यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के किसी भी जनपद के कोल्ड स्टोरेज में जायं तो वहां कोल्ड स्टोरेज के बाहर किसान बैलगाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रालियों में आलू लेकर खड़ा मिलेगा । कोल्ड स्टोरेज के मालिक आलू जमा नहीं कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि हमारे पास आलू रखने के लिये जगह नहीं है । ऐसा नहीं है कि उनके पास आलू रखने के लिये सुरक्षित जगह नहीं है वह सस्ते दाम पर किसान से आलू खरीद कर उसका भण्डारण करना चाहते हैं ।

किसान को विवश होकर आलू सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है और मायूस होकर वह कोल्ड स्टोरेज से वापस जा रहे हैं। अधिक उत्पादन हुआ है तो उसके लिये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसकी व्यवस्था कराये। पहले भी हुआ है केन्द्र सरकार से रेलवे से वैगन मंगाकर आलू का अन्य राज्यों जैसे कलकत्ता आदि में आलू के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। यह पहली बार हो रहा है कि रिकार्ड उत्पादन के बावजूद लाभपद्र मूल्य नहीं मिल पा रहा है। दुर्दशा हो रही है, किसान अपना आलू रखने के लिये विवश है सरकारी तौर पर किसानों के लिये 35 रुपये पचास पैसे प्रति क्विंटल तय किया गया है जिसमें इन्श्योरेंस भी शामिल है। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं है। कोल्ड स्टोरेज वाले कहते हैं कि इसके दुगने दाम पर किसान रखने के लिये तैयार हो तो रखेंगे। वह किसान से सस्ते दाम पर आलू खरीद कर उसका भण्डारण करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में आलू का अधिक उत्पादन होने पर आलू आधारित उद्योग की घोषणा की जानी चाहिए थी। मान्यवर, फर्रुखाबाद में 125 कोल्ड स्टोरेज हैं। बाराबंकी और बस्ती की क्या स्थिति है। बैलगाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रालियों की एक-एक दो-दो किलोमीटर लम्बी लाइन लगी है। मैं समझता हूं कि सरकार के सामने यह बड़ी समस्या है। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये, किसानों को उत्पादन का लाभपद्र मूल्य दिलाने के लिये आवश्यक है कि सरकार कोई नीति घोषित करे। मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर चर्चा करा लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के किसानों के पास उत्पादन दो ही हैं गन्ना या आलू। यदि आलू का सही दाम समय से नहीं मिलेगा तो सही भण्डारण नहीं होगा, सही मार्केटिंग नहीं होगी तो किसानों का ही नुकसान नहीं होगा, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा। गन्ने और आलू का ही उपयोग नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिये समस्या उत्पन्न हो जायेगी। आज मान्यवर, जब संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देने के लिये खड़े होगें। इनका आलू तो रख लिया गया होगा, काफी चीजें होती हैं, उसका सही उपयोग हो जाता है। चिन्ता तो वहां है जहां किसान कोई फसल बोता है तो अपने इस्तेमाल के लिये रख लेता है। आलू इसलिये बोता है कि उससे जो कैश प्राप्त होगा उससे घर का काम चले, लड़के लड़कियों की शादी हो, पढ़ाई का खर्च निकले, घर का निर्माण हो। आज मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को चुनौती देता हूं कि वह अभी मेरे साथ चलें किसी कोल्ड स्टोरेज का नाम बता दें जहां 1–2 किलोमीटर से लम्बी लाइन न लगी हो, ट्रैक्टर ट्रालियां और बैलगाड़ियां आलू से लदी खड़ी हैं। उनसे पूछिये वह कहते हैं कि एक दो दिन खड़े रहते हैं। मान्यवर, इस सच्चाई से आप इन्कार नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी खराब स्थिति यह जो समर्थन मूल्य सरकार ने तय किए हैं कन्ट्रोल रेट तय किया है वह व्यावहारिक नहीं है। जिसका पहले आ जाएगा उसके पहले रखा जाएगा यह कहा गया है, श्रीमन् जो रेट दुगुना देते हैं उसका रख लिया जाता है जो नहीं देता है उसका नहीं रखा जाता है। यह प्रश्न आलू उत्पादन का नहीं है पूरे प्रदेश का है। आलू ठीक से नहीं रखा गया तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ग्राह्यता पर मैं सबसे बड़ा बिन्दु रख रहा हूं इसके महत्व को आप समझेंगे। इसको महत्वपूर्ण समझते हुए सबसे पहले पाल जी ने फिर प्रमोद तिवारी ने और तीसरे जो माननीय सदस्य बहुत ही सम्मानित सदन के सदस्य हैं उनको बहुत ज्यादा अनुभव है जो आलू से बहुत प्रभावित रहे हैं उनका नाम नरेश अग्रवाल जी है उन्होंने भी इस ग्राह्यता की सूचना पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता इससे बड़ी चीज ग्राह्यता की और क्या होगी ? मान्यवर,

आपकी बात को अपनी वाणी से कह रहा हूं इस पर चर्चा करायें । अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपकी कथनी और करनी में अन्तर बतायेंगे । मान्यवर, आपको फिर लौटकर यहीं आना है । आप संसदीय कार्य मंत्री जी को देखे बगैर इसमें चर्चा करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद तिवारी जी भय किसी का नहीं है इस बात को आप जानते ही हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, किसान भुखमरी के कगार पर है । नियम–56 पर नोटिस दिया गया है । पेयजल का गम्भीर संकट है । मैं पश्चिमी क्षेत्र का जिक्र करना चाहूंगा । मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में कोल्ड-स्टोरेज निजी मालिकों के और कोआपरेटिव के हैं । वह आलू नहीं रख रहे हैं । प्राइवेट कोल्डस्टोरेज में गुड़ रखा जाता है । जबकि गुड़ के लिए नहीं आलू उत्पादन के लिए कोल्ड-स्टोरेज होते हैं तो माननीय कृषि मंत्री जी इसको दिखवा लें और जिन कोल्ड स्टोरेज में गुड़ रखा जा रहा है उसको निकलवाकर आलू रखवा दें । मान्यवर, मथुरा में कोल्ड-स्टोरेज हैं वह चालू नहीं हुए हैं । मान्यवर, किसान बरबाद हो रहे हैं बिचौलियों के जरिये किसान अपना आलू कम दाम पर बेचने को तैयार हैं । किसानों से बिचौलिये आलू कम कीमत पर खरीदते हैं और कोल्ड-स्टोरेज में रखते हैं । इस पर ध्यान देने की जरूरत है यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विषय माननीय सदस्य जगदम्बिका पाल जी ने, माननीय प्रमोद जी ने रखा है वस्तुतः आज पूरे प्रदेश के आलू उत्पादक कठिनाई में हैं । मेरा जनपद फर्रुखाबाद विशेष रूप से आलू के लिए जाना जाता है । यहां 117 कोल्ड-स्टोरेज हैं । 117 कोल्ड-स्टोरेज होते हुए जिसमें एक-एक लाख कुन्टल आलू आता है, के होते हुए भी इस वर्ष आलू का उत्पादन हुआ है उसके लिए कोई भी ऐसा शीतगृह नहीं है जहां लम्बी लाइन में तपती दोपहरी में न खड़ा होना पड़े । किसानों को तपती दोपहरी में लम्बी लाइन में खड़ा होना पड़ता है इससे उनके कई-कई दिन बरबाद होते हैं । दूसरे मान्यवर, गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है किसानों को जल्दी है उनका आलू शीतगृह में पहुंचे किसानों का आलू दो दिन तपती धूप में रहने के कारण खराब होगा और यदि वह आलू खराब हो जायगा तो जो अच्छा आलू कोल्ड-स्टोरेज में रखा हुआ है वह भी खराब होगा इससे एक और समस्या उत्पन्न हो जाएगी । इसका शीतगृह मालिक भरपूर लाभ उठा रहे हैं । परिणाम यह निकला है जो आलू प्रारम्भ में 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति कुन्टल था । इस समय उसको 50-60 रुपए प्रति कुन्टल कोई पूछने वाला नहीं है । इससे ज्यादा इस पर लागत आई है । कास्तकारों ने पांच-पांच, छः-छः पानी लगाए हैं । यह तत्काल समस्या उत्पन्न हुई है । यह पूरे प्रदेश की समस्या है । सभी कास्तकारों की समस्या है । इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । ऐसी स्थिति में जब कि सरकार की तरफ से शीतगृह बन्द हो चुके हैं । प्राइवेट शीतग्रह किसानों का शोषण कर रहे हैं । प्रदेश के किसानों को लूटा जा रहा है । आलू के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए । इसलिए इस विषय को ग्राह्य करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है । सरकार की लापरवाही से किसानों का आलू सस्ता बिक रहा है मुझे अफशोस इस बात का है कि जो सरकार किसानों की हितैषी बनती है उसी के काल में, यह स्थिति है । आज प्रदेश भर में यह सरकार किसानों की जगह व्यापारियों का हित कर

रही है । जब इस बात की रिपोर्ट आ गई थी कि इस साल प्रदेश में इतना बड़ा आलू उत्पादन होने वाला है । कृषि विभाग के पास रिपोर्ट थी उस समय प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के दबाव में आकर कोआपरेटिव के कोल्ड स्टोरेज को बन्द कर दिया गया । इतनी बड़ी तादाद में उत्पादन के बावजूद क्वापरेटिव का एक भी कोल्ड स्टोरेज आलू जमा नहीं कर रहा है । यह मुझे बड़े अफशोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आलू कोल्ड स्टोरेज के सामने दो-दो तीन-तीन दिन तक जमा रहता है और कोल्ड स्टोरेज वाले उसको रखते नहीं हैं । ज्यादा आलू पैदा होने की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से किसानों को सस्ते दामों में लूटा जा रहा है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या निजी शीतग्रहों के मालिकों के दबाव में आकर सरकार ने कोआपरेटिव के कोल्ड स्टोरेज को बन्द किया है ? आपने आलू का 35 रुपया प्रति कुन्टल तय कर दिया यह तो ठीक है । लेकिन आप इस बात की व्यवस्था कर दें कि प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज किसानों के आलू के भण्डारण की व्यवस्था सही समय पर कर दें । आज आलू खेतों में सूख रहा है और सड़ रहा है । शीतग्रहों के मालिक खुद आलू खरीदकर कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं । मैंने बुलन्दशहर के मामले के सम्बन्ध में जांच कराने की मांग की थी लेकिन उसकी जांच नहीं हुई । वहां किसानों को मजबूर कर देते हैं कि आप आलू लेकर आएं । वहां दो-दो तीन-तीन दिन तक कास्तकार आलू लिए बाहर खड़े रहते हैं । उनका आलू नहीं रखा जाता है और फर्जी नामों से आलू रख लेते हैं । निजी शीतगृह गुड़, घी रखने का काम कर रहे हैं । आप इसकी जांच कराएं । यह बहुत गम्भीर विषय है । अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है । इस पर गम्भीरता से जांच कराई जाए और आप सरकार को निर्देश दें कि जो आलू किसानों को लूटा जा रहा है उसको लूटने से आप बचाएं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, यह सही है कि कुदरत ने इस बार किसानों का साथ दिया । इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आलू का उत्पादन अच्छा रहा । इसके साथ ही साथ उसके भण्डारण की समस्या है, उसके विक्रय की समस्या है ।

श्रीमन्, अभी इस सदन में तमाम विधायी और बजट का कार्य बाकी है इसलिये लम्बा उत्तर मैं दूं और आप फिर उस पर स्पष्टीकरण चाहेंगे तो काफी समय लग जायगा । यह एक महत्वपूर्ण मसला है इसलिये हम खुद ही अनुरोध करेंगे, इस प्रकरण पर अधिकारियों से विचार विमर्श करके, किसानों के हित में हम क्या कर सकते हैं, हम इस संबंध में वक्तव्य दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य की जाती है । सूचना संख्या 6, 7, 8 पर शासन का ध्यान आकृर्षित किया जाता है शेष सूचनायें स्वीकार की गयी हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पीठ से निर्देश दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

सरकार ने इस मामले की गम्भीरता को समझा है और वक्तव्य देने के लिए कह दिया है । इस पर वक्तव्य आयेगा ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 के प्रस्तुतीकरण के समय सेन्ट्रल ऐक्ट की प्रतियां वितरित न किये जाने एवं विधेयक पर विचार स्थगित करके अन्य उपवेशन में विचार कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से दो बातों को रखना चाहता हूं। आप कृपया नियम 125 को देखने की कृपा करें। इसमें है "विधेयक से संबद्ध पत्र मांगने की शक्ति–विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हों सदन के पटल पर रख दी जायं।" मान्यवर, इस समय हमारे सामने जो यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 है उसके उद्देश्य और कारण को देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है कि "संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 देश में पंचायतों के संबंध में नयी व्यवस्था कराने के लिये अधिनियमित किया गया था। इसलिए इस नयी व्यवस्था को उक्त अधिनियम में समाविष्ट उद्देश्यों और दिशा निर्देशों के अनुसार इस राज्य में प्रवृत्त करना अपेक्षित हो गया है।" मान्यवर, इसकी कापी हमको मिलनी अत्यन्त आवश्यक थी जिससे कि हम इस विधेयक के बारे में जानकारी कर पाते। मान्यवर, 6 बज रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां दावत है। दावत का उतना महत्व नहीं है जितना कि राज्यपाल महोदय ने आमंत्रित किया है इसलिए उनके सम्मान में जाना है। यह जो संशोधन विधेयक है यह बहुत महत्वपूर्ण है और जो केन्द्र ने संविधान में संशोधन किया था और जो सरकार को दिशा निर्देश दिये हैं उसका पालन सरकार ने नहीं किया है। विधायकों को जो अधिकार था उसको आघात पहुंचाया गया है।

यह घोषणा की गयी थी कि जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के लोग हैं उनको कोई निलम्बित नहीं कर सकेगा लेकिन इसमें सब व्यवस्था कर दी गयी है। माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, हम सबको इस विधेयक को सर्व सम्मति से पास करना है, राजस्थान में मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रतिपक्ष को बुलाकर वार्ता की और सर्वसम्मति से इसको पारित किया। लेकिन यहां पर हम नेताओं से कोई परामर्श नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि सर्व सम्मति से यह पास हो इसलिये नेताओं से परामर्श लेने की भी आवश्यकता है। आज सिंचाई विभाग का बजट भी पास करना बाकी है। समय 2 घन्टे का है। अगर पंचायत विधि संशोधन विधेयक पर ठीक से चर्चा न की जाय तो उचित नहीं होगा। चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों, सभी इस पर बोलना चाहेंगे।

इस विधेयक पर दिन भर का समय भी कम है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें न्यायालय में जाने के अधिकार को बन्द कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि आज केवल इस पर चर्चा शुरू करा दें किसी दूसरे दिन इस पर पूरे दिन चर्चा हो और इस पर गुणदोषों के आधार पर विचार हो ताकि एक अच्छा पंचायती राज विधेयक लाया जा सके।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह एक विवादास्पद विधेयक है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके संबंध में माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने सदन में आश्वासन भी दिया था कि इससे पूरे प्रदेश में कार्य-

पद्धति का एक नया प्रचलन होगा । इस विधेयक में कोई कन्ट्रोवर्सी न होने पाये, इसलिये जो माननीय सदस्य इस क्षेत्र में ज्ञान रखते हों, बुला कर इस पर विस्तार से और गहराई से विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से विधेयक को तैयार किया जाय । मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है, समय भी बहुत हो गया है, इसके बाद सिंचाई विभाग के बजट पर भी चर्चा होनी है । मान्यवर, इस सदन की यह परम्परा भी रही है और पहले हुआ भी है, इसलिए मेरी आपसे आग्रह है कि आज इस विधेयक को स्थगित कर दें और 17 अप्रैल के बाद 20-22 अप्रैल को इसे पुनः रख दें, ताकि इस पर पूरे एक दिन बहस हो सके । मान्यवर, माननीय सदस्यों की यही जिज्ञासा है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आपको स्मरण होगा, माननीय पंचायत राज मंत्री जी एक दिन स्पष्टीकरण दे रहे थे, एक प्रश्न उठा था, उस समय मैंने अपने दल की ओर से यह इच्छा व्यक्त की थी कि यह जो पंचायत राज का नया प्राविधान आ रहा है, यह भारत सरकार का 73वां 74वां संशोधन के रूप में पेश किया गया था, यह स्वर्गीय राजीव गांधी जी का स्वप्न है, जिसको यह देखना चाहते थे । माननीय नरसिंह राव की सरकार ने सबसे राय-मशविरा ले करके, विशेष रूप से सत्र आहूत किया था और वह आज भारत के संविधान का अंग बन गया है । उसमें कुछ ऐसे नियम हैं, यह मैंने संशय रखते हुए माननीय पंचायत राज मंत्री जी से आग्रह किया था कि यह जो अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो रहा है, उसके बारे में हम लोगों से सुझाव लें और यह कोई किसी दल का कार्य-क्रम नहीं है, यह तरह से बन जायगा, आने वाले भविष्य के लिए खुलेगा और वह वर्षों तक हम पूरा नहीं कर पायेंगे । माननीय वर्मा जी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं, उन्होंने पूरा गौर किया होगा और बनाया होगा, लेकिन आपके बनाने में यदि सभी दलों का अनुभव जुड़ जायगा, तो अच्छा होगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पंचायत राज की जड़ें मजबूत हों, यह हमारी मंशा है । उस समय हमने माननीय मंत्री जी से कहा था । माननीय मंत्री जी ने मुझे आस्वस्थ किया था कि हम इस विधेयक को लाने से पूर्व आपसे चर्चा करायेंगे, उस समय माननीय किरनपाल सिंह खड़े हुए थे ।

भारतीय जनता पार्टी के राजेन्द्र गुप्त जी से इन्होंने कहा था और माननीय मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन को आश्वासन दिया था कि विचार विमर्श के बाद ही इसको इस सदन में लाया जायेगा । हम सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । हम लोग सुझावों को लिये बैठे हैं । हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि यह विधेयक पूरे उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व करे और हम इसके लिये तैयार हैं । हम आपकी मजबूरी जान रहे हैं, आपको इसे 23 तारीख के पहले पास कराना है । आप नियमों को देख लें । जब ऐसी दशायें आ जाती हैं तो विधान परिषद् में रखकर पारित करा लिया जाता है । मान्यवर, विधान परिषद् में हमारा सबसे बड़ा दल है । हम आपको इस कार्य में पूर्ण सहयोग देंगे । यह कोई अनहोनी बात नहीं है । आप अलग दिन इसके लिये बैठ जायें और हम तैयार हैं । आप देखें कि 6 बज गये हैं और सिंचाई विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण बजट है इस पर माननीय मंत्री जी बोलेंगे और वह 45 मिनट या एक घंटा लेंगे और उस पर कटौती प्रस्तुत की जायेगी और वह भी आधा या 45 मिनट लेंगे, तो कम से कम 2 घंटा तो इसी में लग जायेगा ।

अगर आपका इरादा तुरन्त पास कराने का नहीं है । 8 बजे महामहिम राज्यपाल जी के यहां सम्पूर्ण सदस्यों को जाना है और अगर नहीं जायेंगे तो उनका अपमान नहीं होगा, बल्कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान होगा, तो मान्यवर, यह व्यवहारिक कठिनाई है । आप सिंचाई विभाग के बजट को पास करा लें और इसको आज स्थगित कर दें और हम लोग खुले मन से चर्चा कर लें । पारित कराने की जिममेदारी हम लेते हैं । अगर जबरदस्ती कराने की कोशिश की तो यह अच्छी परम्परा नहीं होगी । इस विधेयक के महत्व को देखते हुये माननीय मंत्री जी ने सदन में चर्चा की थी, तो मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं कि उन्होंने जानबूझ कर सदस्यों को गुमराह करने के लिये वादा किया था । वह खड़े होकर कह देंगे कि उन्होंने नहीं कहा था, तो कोई बात नहीं है, तो मैं समझूंगा कि वह वादा करके नहीं निभा रहे हैं । मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी झूठ अक्सर नहीं बोलते हैं, आप खड़े हों और इसको स्थगित करें ।

पंचायती राज मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

श्रीमन् मुझे तो आज बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि जो विधेयक हम पेश करने जा रहे हैं, उसमें विधायकों के सुझाव आयेंगे, लेकिन हमारे माननीय गुप्त जी ने, प्रमोद तिवारी जी ने और जनता दल के नेता ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि हमने विचार लेने के लिये कहा था । मान्यवर, यह प्रकरण विधान सभा में उठा था और लोगों ने इच्छा जाहिर की थी । इसकी जो समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी थे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जब हम लोगों ने तैयार किया तो यह हुआ कि यह समिति कैबिनेट स्तर की समिति है उसमें और लोग नहीं रखे जा सकते हैं तो मैंने लिखित अनुरोध सारे सम्मानित सभी दल के नेताओं से किया कि कृपया अपने सुझाव भेज दें । मेरी तरफ से लिखित अनुरोध गया हुआ है और अभी तक मुझे एक भी उत्तर नहीं आया न ही प्राप्त हो पाया है । मैं आश्वस्त हूं कि मेरी तरफ से लिखकर गया है । मैं चाहता हूं कि यह बहुत ही जरूरी विषय है, बाध्यता है 23 अप्रैल तक इसको पास हो जाना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपने किसको भेजा है ?

श्री राम लखन वर्मा–

सारे दल के नेताओं को भेजा गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अगर मान्यवर, किसी एक दल के नेता को न मिलता तो अलग बात है अगर किसी नेता को नहीं मिला है तो यह गम्भीर बात है और यह जानबूझकर गुमराह कर रहें हैं और गलत बयानी कर रहें हैं । अगर वह रिसीव के हस्ताक्षर दिखा दें अन्यथा यह समझूंगा कि यह सदन को गुमराह कर रहें हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप सदन को स्थगित कर दें और कार्यवाही मंगाकर देख लें, मंत्री जी ने कहा था कि बात करेंगे । जहां तक लिखित भेजे जाने का प्रश्न है तो न तो वह भारतीय जनता पार्टी को मिला है, न जनता दल को मिला है और न ही कांग्रेस को मिला है । ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को पत्र लिखा है और आपस में ही तय कर लिया किसी विरोधी दल को न पत्र लिखा है और न ही मिला है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जो समिति बनी है उसका सदस्य बनने के लिए मैंने नहीं कहा जो आपने कहा कि माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी उसके अध्यक्ष थे और कोई इसका सदस्य नहीं बन सकता था तो मेरी कोई सदस्य बनने की इच्छा नहीं है लेकिन सदन के अन्दर यह बात हुई थी और जैसा तिवारी जी ने कहा, माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने कहा था कि सभी दल के नेताओं से, सभी दल के सदस्यों को बुलाकर सुझाव लिये जायेंगे । मैं चाहूंगा कि कार्यवाही मंगाकर इसको देख लें, आप याद कर लें तो आपको याद आ जायेगा । मुझे कहना नहीं चाहिए अब से 2-3 घंटा पहले मंत्री जी कह रहे थे कि हमको कोई एतराज नहीं है स्थगित हो जाने दें लेकिन अब माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कुछ कह दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री खड़े हैं उनकी बात को सुन लीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह जो राम लखन वर्मा जी का पंचायती राज विधेयक आ रहा है इस पर प्रमोद तिवारी जी ने जिज्ञासा जाहिर की थी.....

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इसको सुन लिया है, आप बैठे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यही कहना चाहता था, माननीय नेता कांग्रेस दल ने यह कह दिया कि अगर प्रोसिडिंग में वह तथ्य नहीं हैं तो वह विशेषाधिकार की सूचना देने को तैयार थे । मान्यवर, दल के नेताओं को कोई पत्र नहीं गया और यहां पर गलत बयानी कर दी गयी कि पत्र लिख दिया गया है या तो रिसीव के हस्ताक्षर दिखायें नहीं तो इस बात को आरोपित करते हुए कि सदन को जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश की गयी है मैं उस पर विशेषाधिकार की सूचना देता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, या तो नेताओं का दिखा दें या कार्यालय का रिसीव दिखा दें नहीं तो दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहें हैं, आपको ईमानदार समझ रहा था ।

एक दो दिन बाद में अगर यह आ जायेगा तो क्या विधान सभा की छत गिर जायेगी कि सदन नहीं रहेगा, कौन सी बात हो जायेगी ? एक दिन बढ़ने से उस विधेयक का वजन बढ़ेगा उस विधेयक की भावना बदलेगी पूरे सदन को भावना जुड़ेगी । उसे सम्मान के साथ देखा जायेगा । अगर उसे बहुमत के आधार पर पारित कराने की कोशिश करेंगे तो वह विधेयक सरकारी विधेयक बनकर रह जायेगा वह जनता का विधेयक नहीं बन पायेगा । अगर आप उस विधेयक को पढ़कर सुना दें तो 3/4 आपके सदस्य इस पर आपको समर्थन नहीं देंगे हम उस विधेयक को ऐसा बना देना चाहते हैं कि उनका समर्थन तो मिले ही सबका भी समर्थन मिले । उसमें आपने ऐसे ऐसे क्लाज डाले हैं । वह तो यहां मंत्री जी फंसे रहते है, वहां से बनकर आ गया हस्ताक्षर कर दिये । अगर उसे माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी पढ़ लेंगे तो खुद ही वापस कर लेंगे । इसलिये चाहता हूं कि इसे 1-2 दिन का मौका दे दें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने संविधान की प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा मैं उन्हें सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य मानता हूं । लेकिन कभी कभी वे गुमराह हो जाते हैं या तो हमारी परीक्षा लेते हैं । संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप यह पंचायतीराज विधेयक यहां पेश किया जा रहा है संविधान के अनुरूप इसको पेश किया जा रहा है, इसमें संविधान की प्रतियां उपलब्ध कराने की न अपेक्षा रही है न कभी परम्परा रही है तो वह व्यवस्था के प्रश्न का औचित्य नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने संविधान नहीं कहा जो सेन्ट्रल ऐक्ट है उसकी बाबत कहा था ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

संविधान के अनुरूप ही यह विधेयक पेश किया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है । माननीय प्रमोद जी ने और माननीय नेता जनता दल ने कुछ आशंकायें व्यक्त की हैं इस पर सरकार की आलोचना करते कि इस विधेयक को लाने में सरकार ने विलम्ब किया है शायद सरकार स्वीकार भी कर लेती कि इसको पहले आना चाहिये था । आज हमारे सामने तो संवैधानिक बाध्यता है 23 अप्रैल के पहले हमको इस विधेयक को पारित करवा लेना है । कल के बाद विधान सभा का सत्र चार दिन के लिये नहीं होगा, इसी तरह से विधान परिषद् का अलग कार्यक्रम है, वहां पर हमने लगवा दिया है हमारी यह कतई मंशा नहीं है कि यह शोर में हंगामें में यह पास हो । हमारे जो विद्वान सदस्य हैं, सभी सदस्यों के इसमें विचार आ जायें, अगर हम उनकी बात का समाधान नहीं कर पायेंगे तो हम उनकी बात से सहमत हो जायेंगे । हम बिल्कुल इस राय के हैं कि यह गांव गांव से जुड़ा हुआ विधेयक पास होने जा रहा है । लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये कि ऊंगली उठ सके । इसमें पूरी तरह से विचार हो । इस पर विचार शुरू करा दें आज विचार शुरू कराकर कल जरूर इसको पारित करा दिया जाये । विरोध पक्ष को हमारी इतनी बात मान लेनी चाहिये, इसको पारित कर दिया जाय । पूरी तरह से विचार आ जायं हमारा उत्तर आ जाय उसने संतुष्ट होकर विधेयक पारित हो यह हमारी मंशा है । माननीय पंचायती राज मंत्री को इस पर विचार रख लेने दें ।

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 को किसी अन्य उपवेशन में प्रस्तुत करने का सुझाव

श्री प्रमोद तिवारी–

हमने मान लिया । कल जो बजट रखा है कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुला ली जाय कल का बजट 28 तारीख को रख लिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय नेता कांग्रेस दल ने जो सुझाव दिया है उससे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक तत्काल हो जाय कल के बजट को अग्रेतर किसी दिन रख दिया जाय हम शनिवार भी देने को तैयार हैं लेकिन यह चाहते हैं कि पूरे दिन कल इस पर चर्चा हो जाय सभी सदस्य सुझाव दे दें । उसके पहले दलों के नेताओं की बैठक भी आवश्यक है ताकि उसमें कुछ विचार विमर्श कर सर्वसम्माति बना लें इसलिये इसको कल ही रखें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

उसके लिए अपेक्षित स्थान सदन है । आपके विचार आयेंगे और उत्तर आयेंगे । कल भी विचार होगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, उसको आज पारित न करायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप तो कार्य-मंत्रणा समिति में मौजूद थे । आपको तो यह कहने का अधिकार नहीं है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आज विशेष परिस्थिति पैदा हो गयी है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह विधेयक सदन के पटल पर 7 अप्रैल को रखा गया था और आज 12 अप्रैल हो गयी है । अगर माननीय गुप्त जी की रुचि होती तो इतने दिन पढ़ने के लिए पर्याप्त थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

लेकिन अब तो इतना समय हो गया है । छः बज चुके हैं । वैसे भी संशोधन तो मैंने दिये हुए हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश में भी यह आ गया है । इसलिए आज विचार शुरू कर दीजिये पारित कल कर दीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय किरनपाल जी, श्री गुप्त जी एवं माननीय प्रमोद तिवारी जी के विचार सुनें । माननीय गुप्त जी आपके जो संशोधन हैं वह संशोधन कल जब सदन शुरू होगा तब आपके विचार आ जायेंगे और अभी बहुत से माननीय सदस्यों को इसका ज्ञान भी नहीं होगा तो उनको भी इसका ज्ञान हो जायेगा । जब माननीय पंचायती राज मंत्री जी के इसमें विचार आ जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सही है कि माननीय सदस्यों को इसका ज्ञान नहीं है । माननीय सदस्यों ने इसको पढ़ लिया है और इसको बड़ी गम्भीरता से लिया है । इसमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए । इसे आज आप पेश करने की फारमेलिटी कर रहे हैं उसमें केवल 15–20 मिनट का समय ही बचेगा । पास तो वैसे भी कल ही होना है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जब माननीय पंचायती राज्य मंत्री जी ने कहा था कि इस विधेयक को लाने से पहले नेताओं की बैठक कर ली जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आपके दल के लोगों के इसमें विचार आ गये हैं उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है यह विषय अलग हो गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय तिवारी जी ने कल इस विधेयक को प्रस्तुत करने को कहा है और हम यह कह रहे हैं कि इस संबंध में एक अनौपचारिक बैठक माननीय नेताओं की कर ली जाये । लेकिन क्या इस विधेयक के संबंध में प्रजातन्त्र में नेताओं की बातों का समावेश नहीं किया जा सकता है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जब कार्य-मंत्रणा समिति ने एक तिथि निर्धारित कर दी है तो कल इसको पारित कर दीजिये । इस पर लम्बी चर्चा पर विचार आ जायेंगे और इस पर तकनीकी बहस करना उचित नहीं है । इनका काम तो केवल विरोध करना ही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें कार्य-मंत्रणा समिति की बाध्यता नहीं है ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 पर विचार हेतु कल तक स्थगित किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर विचार किया जाये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अब तो यह आ गया है अब इसे कल के लिए स्थगित कर दीजिये ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इस पर आज माननीय मंत्री जी को बोल लेने दें आपका कल का समय बच जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस समय माननीय मंत्री जी जो विचार रखेंगे वह इस विधेयक के अनुरूप रखेंगे । कल जो विचार रखेंगे वह हम सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रखेंगे । माननीय मंत्री जी ने इसको रख दिया है और आपकी बात भी पूरी हो गयी है इस पर विचार कल हो जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कल फिर यही आयेगा, एक संवैधानिक आवश्यकता है । श्रीमन्, हमारा अनुरोध है । हम तो यही चाहते थे कि इसे आज ही पारित करा लिया जाय, लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए ही इसे कल पारित कराने की बात कही है । आज माननीय मंत्री जी के विचार आ जायें नहीं तो कोई तकनीकी व्यवधान पैदा हो जायेगा, इसलिए आज मंत्री जी के विचार आने आवश्यक हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कल हम चर्चा भी करेंगे, कल इसे पारित भी करेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, हमारा निवेदन है कि हमारे विचार आज आ जायें और कल इस पर चर्चा करा ली जाये ।

(भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस दल के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप तो सरकार को संकट में डालना चाहते हो । हमने तो बीच का रास्ता निकाल दिया है ।

श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन्, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज डाक्टर लोहिया का सपना साकार हो रहा है । श्रीमन्, आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि यह सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है...

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं, विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं, मुझे विवश न करें ।

(भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दल, जनता दल के कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप सदन की इच्छा जान लीजिये ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इस पर कोई नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा, कल बोलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मंत्री जी अपने विचार आज रख दें, चर्चा कल होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अब तो पेश हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल जी की मैं व्यवस्था सुनूंगा, आप बताइये ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय पंचायती राज मंत्री जी जो विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस विधेयक के संबंध में माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और मंत्री जी उस आश्वासन का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

माननीय मंत्री जी द्वारा दोहरी बात कैसे कही जा रही है ?

श्री अधिष्ठाता–

पहले पाल जी अपनी बात कर लें, फिर आपको सुन लूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस सदन में जो भी मंत्री जी वक्तव्य देते हैं वह सरकार का वक्तव्य होता है, पिछले दिनों इस विधेयक के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दिया, वह सरकार का वक्तव्य था । आज वही माननीय मंत्री जी इस विधेयक को ला रहे हैं । इस सदन के समक्ष जो उनका पूर्व का कथन था वह उसका पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब आप व्यवस्था क्या चाहते हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

व्यवस्था यह चाहते हैं कि जब विधेयक रखने की बात हो गयी है तो विधेयक रखने की ऐसी कौन सी अपरिहार्य परिस्थितियां आ गयी हैं कि आज ही रखना आवश्यक है, जब कल पूरे दिन की बात हो गयी है । माननीय मंत्री जी के विधेयक प्रस्तुत करने के बाद कल तमाम माननीय सदस्यों के विचार आ जायेंगे । मान्यवर, मंत्री जी ने गलत बयानी की है कि वह विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व विभिन्न दलों के माननीय नेताओं से विचार करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

हमारे पंचायती राज मंत्री को लोकतान्त्रिक ढंग से वह करना पड़ेगा, जो वह नहीं करना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी पहले कह चुके हैं कि उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं से इस पर विचार विमर्श करने का आश्वासन दिया था चूंकि कैबिनेट मंत्रियों की बैठक थी इसलिए नहीं बुला पाये । आपको तो सारे अधिकार हैं और आप उन अधिकारियों का प्रयोग कर सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी बात भी सुन लें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, सम्भवतः आपको भ्रम हो रहा है, मैंने तो आपसे यह अनुरोध किया था कि आज माननीय मंत्री जी का वर्जन आ जाये । हम सबकी कैबिनेट मीटिंग में जाने की कतई इच्छा नहीं थी बल्कि यह चाहते थे कि श्री राम लखन वर्मा जी हम सभी से अपने चैम्बर में विचार विमर्श कर लेते । लोकतन्त्र में यह कोई नई बात नहीं है, यह लोकतन्त्र में होता रहा है कि जब कोई विधेयक पेश होता है उसके पूर्व उस विधेयक के बारे में विपक्ष के मानीय सदस्यों की राय ले ली जाती है और जब विपक्ष की राय आ जाती है तब उसे कैबिनेट में रखा जाता है । इसमें कहीं भ्रम नहीं है, हो सकता है कि हम लोगों की याददाश्त कमजोर हो लेकिन मंत्री जी ने कभी नहीं कहा था कि वह हम लोगों को कैबिनेट में बुलायेंगे, उन्होंने यह गलती नहीं की । मानते हैं कि मंत्री जी बुरे हो सकते हैं लेकिन इतने बुरे नहीं हैं कि वह हमको कैबिनेट में बुलाते । मान्यवर, यह बहुत साधारण बात है पता नहीं क्यों आपके समझ में नहीं आ रही है ? जब माननीय मंत्री जी ने दावत दी होगी तो हमको अपने चैम्बर में ही बुलाया होगा । अगर आपको भ्रम है तो सदन की कार्यवाही मंगा लें, उसमें साफ लिखा है । मान्यवर, यह तो विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कोई तकनीकी बात नहीं करूंगा । आदरणीय सदन के संचालन में प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है । आप इस मामले में देख रहे होंगे कि चाहें वह सहयोगी दल हों या

अन्य दल हों, सभी प्रतिपक्ष के लोगों की एक राय है, उनमें कोई मतभेद नहीं है। इस मामले में आपको निर्णय देने के पहले विचार करना चाहिए। इस विधेयक पर चर्चा कल प्रारम्भ होगी। माननीय मंत्री जी ने प्रतिपक्ष के नेताओं से बात करने का आश्वासन दिया था लेकिन वह अब इससे मुकर रहे हैं। चर्चा तो कल होनी है और इसमें 23 अप्रैल, 1994 तक का समय है कल 13 तारीख ही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरा प्रतिपक्ष इस मामले में एक मत है।

मान्यवर, एक समय था कि यदि प्रतिपक्ष ने वाकआउट कर दिया तो पीठ से सदन की कार्यवाही रोक दी और यह कहा कि सदन एकांकी है। परिस्थिति आज भी है, सभी लोग बैठे हैं। प्रतिपक्ष की भावना का आदर करते हुए इसे आगे बढ़ायेंगे। अगला आइटम लें, 6.30 बजे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

सुनिये, निर्णय होने दीजिये, आपकी कोई पुष्टि आ रही है। श्री शुक्ल जी उनको बोलने दें। आपके दल के नेता बोल चुके हैं। श्री किरन पाल जी बोलिये।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि पंचायती राज मंत्री जी के....(शोर/व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री शुक्ल जी, कृपया करके आप बैठ जायं।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह माननीय मंत्री जी ने रखा भी है, जो उसके बाद मान्यवर, सदन की भावना है। माननीय गुप्ता जी ने कहा कि प्रतिपक्ष की राय है। प्रतिपक्ष का मतलब मेजोरिटी आफ दि हाऊस है। यहां पर हम भी हैं, कांग्रेस दल के लोग हैं, हमारे निर्दलीय सदस्य हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, वोट की बात नहीं कर रहे हैं कि किस आधार पर हो, दुर्भाग्य यह है कि चर्चा नहीं की, ज्यादा दिन नहीं की। यह दो-चार दिन बाद लेंगे। आज रखवा दिया है। माननीय सदस्यों का सम्मान जुड़ गया है, यह पास हो जायगा, हम हैं, तिवारी जी हैं, पास कराना है, हम सबका समर्थन है, इसमें कहां से प्रतिष्ठा की बात आती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ कहा। इस सदन का बहुमत है, मेजारिटी है, इसको छोड़कर कर लिया जाय और उसका प्रस्ताव भी ऐसा है यह अव्यवहारिक भी नहीं है। मैं समझता हूं कि सदन का बहुमत है अपनी ओर से निर्देशित कर दें, यह स्थगित होता है और अगला आइटम ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

उप नेता भाजपा, नेता जनता दल, नेता कांग्रेस दल ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार की राय जानना चाहता हूं।

श्री राम लखन वर्मा–

श्रीमन्, आपसे अनुरोध किया था, मेरा विचार है जो जायज है । मैं दल के नेताओं को सरकार सम्मान देती है, हम सब मिल जुल कर इसे चलाना चाहते हैं, इस पर मान्यवर, कोई हर्ज नहीं था, मैंने निवेदन किया था पीठ से कि इसे आज रख लूं और सरकार की तरफ से अपना मत भी प्रकट कर दूं । इसमें सम्मानित सदस्यों और नेताओं के आज विचार आ जायं और कल से चर्चा करा लेंगे । लेकिन जैसा आपका आदेश होगा, वह मुझे मान्य होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने उप नेता, भाजपा, नेता जनता दल, नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल, माननीय पंचायती राज मंत्री जी और माननीय सदस्यों के भी विचार सुनें और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज बहुमत ऐसा विचार दे रहा है कि जो विधेयक आज प्रस्तुत किया गया है, इस पर कल पूरे दिन चर्चा हो जाय । मैं समझता हूं कि यह मांग कोई गलत नहीं है और मैं सदन के बहुमत की राय को शिरोधार्य करते हुए मद संख्या 9 प्रस्तुत हो चुका है, आगे मद संख्या–10 को स्थगित करता हूं और अब मैं मद संख्या और यह भी संशोधन छापा जा चुका है, संशोधन अब आगे नहीं लिए जायेंगे । इस बीच पंचायत (विधि) संशोधन विधेयक, 1994 पर कोई नये संशोधन नहीं लिए जायेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,64,85,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,12,51,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, वर्ष 1994-95 के सिंचाई विभाग के आय-व्ययक को प्रस्तुत करते समय गौरव का अनुभव कर रहा हूं । यह आदरणीय सदन अवगत है कि हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि गांव के अन्तिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो । जिसकी मुख्य जीविका खेती है । खेती के लिए पानी की उसी तरह आवश्यकता है, जिस तरह शरीर में प्राण की आवश्यकता होती है । यह प्रदेश कई राष्ट्रों से बड़ा प्रदेश है । अपने सिंचाई की योजनाओं को सही ढंग से लागू करके इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाने की व्यवस्था करनी है और साथ ही उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना है । यह सौभाग्य की बात है कि हमारे हिमालय से निकलने वाली गंगा-जमुना, जो वर्षों से हमें अनवरत पानी दे रही हैं, हमारे खेतों को सींचने के लिए अनवरत रूप से पानी देती आ रही है और साथ ही जल

विद्युत परियोजनाओं के लिए भी अनवरत रूप से पानी देते आ रहे हैं। कई बार मानसून के पानी से जलप्लावन की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके कुप्रभाव हमारे जन जीवन व खेती पर पड़ता है। 294 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, 203 लाख हेक्टेयर शुद्ध बोया क्षेत्रफल है, 173 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल है। समस्त स्रोतों से 122.21 लाख हेक्टेयर को सींचा जाता है। सम्पूर्ण सिंचाई का क्षेत्रफल जो बोने लायक भूमि है उसका अब तक 61.2 प्रतिशत ही सिंचित हो पाती है। अभी भी बहुत बड़ा भू-भाग असिंचित है जिसके लिए हमने 1994-95 के आय-व्ययक में जो प्रमुख योजनायें हैं जिनके ऊपर धन खर्च करके प्रदेश की सिंचन क्षमता बढ़ाने की नीति बनायी है उसको मैं सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा। सिंचन क्षमता विशेष रूप से बढ़ाने के लिए इस वर्ष क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम 3 वर्ष के अन्तर्गत ही जो हमारी कृषि योग्य भूमि है जिसमें खेती की जा सकती है उसमें प्रत्येक खेत को पानी दे देंगे। इसके लिए हम सिंचाई विभाग के अलावा अन्य विभागों का भी योगदान लेकर 3 वर्षों में लक्ष्य पूर्ति का प्रयास करेंगे। वैसे यह विशाल प्रदेश है जिसकी भौगोलिक स्थिति से इसे पांच भागों में बांटा हुआ है। एक तरफ जहां हमारा उत्तरी भाग पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर छोटी-छोटी नहरें बनाकर सिंचाई का प्रयास करेंगे और पहाड़ी क्षेत्र का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें राजकीय ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई का कार्य करते हैं। उसके बाद पश्चिम और मध्य इलाका है जहां पर बहुत पुराने समय की 180 वर्ष पूर्व की हमारी नहरें बनी हुई हैं उसकी स्थिति सुधार कर हम सिंचाई की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। उनकी गुणवत्ता को सुधारने का काम हम कर रहे हैं।

जो सबसे कठिन इलाका सिंचाई के लिए है वह बुन्देलखण्ड का इलाका है वहां नदियों का पानी का अभाव होने के कारण छोटी-छोटी बंधियां बना कर जहां मानसून में पानी मिलता है उसको इकट्ठा करके सिंचाई करने का प्रयास किया है जिसमें काफी सफलता मिली है।

पूर्वी क्षेत्र में डाल योजनाओं से नदियों के जल का उपयोग कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में घाघरा गण्डक और सरयू नदियों से नहरें निकाल कर प्रदेश के पूर्वी और पिछड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की है।

इसके अलावा प्रदेश के भूगर्भ जल को राजकीय नलकूपों द्वारा पानी निकाल कर उत्तरी, पूर्वी और बुन्देलखण्ड में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ष हमने जो जमीन के नीचे दबा हुआ पानी है उसको निकाल कर सिंचाई के लिए पानी देने का लक्ष्य जो है उसे पूरा करने का प्रयास किया है। इस सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ योजनायें बनायी हैं जिसको मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं। वर्तमान में 33 निर्माणाधीन बृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3 अरब, 45 करोड़, 76 लाख का प्राविधान किया है। इस वर्ष तीन परियोजनाओं को पूर्ण कर लगभग 54 हजार हेक्टेयर जमीन में अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित का लक्ष्य है। इसमें नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता में वृद्धि करना है इसके पूर्ण होने पर 1640 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा इससे वाराणसी एवं मिर्जापुर एवं सोनभद्र का कुछ हिस्सा लाभान्वित होगा और काफी मात्रा में सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी इसी तरह से लक्ष्य वेवर फीडर योजना में निर्धारित किया गया है उसकी पूर्ति इस वर्ष होगी और योजना की पूर्ति के कारण 9800 हेक्टअर सिंचन क्षेत्र की वृद्धि होगी इससे एटा तथा मैनपुरी का क्षेत्र लाभान्वित होगा। मान्यवर, दूसरी योजना गन्डक नहर परियोजना है और इसके अन्तर्गत नहर का कार्य लगभग पूरा हो गया है लेकिन जो शेष कार्य रह गया है उसे इस वर्ष पूरा कर लिया

जायेगा । इसमें किसानों को प्रतिकर के भुगतान में कुछ अवशेष हैं जिसे इस वर्ष पूरा कर देंगे । इस योजना से देवरिया, महराजगंज और गोरखपुर जनपद के क्षेत्र लाभान्वित होंगे ।

मान्यवर, इसी क्रम में सरयू नहर परियोजना है जिससे बहराइच, गोण्डा, बस्ती गोरखपुर का क्षेत्र लाभान्वित होगा । इस योजना हेतु 30 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है और इसकी पूर्ति से इस वर्ष 9200 किलो मीटर की लम्बी नहरें निर्मित करके इस वर्ष 14.4 लाख क्षेत्रफल की अतिरिक्त सिंचाई की जा सकेगी ।

मान्यवर, इसी तरह से शारदा सहायक परियोजना का जो कार्य अधूरा है उसके लिए 40 करोड़ रुपये का प्राविधान करके 10 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है । मान्यवर, इसी तरह से सीपेज की समस्या थी जिससे फसलें नहीं बोई जा सकती थीं इसलिए 10426 किलो मीटर लम्बी नहरों का निर्माण तथा 5790 किलो मीटर लम्बी नहरों के नवीनीकरण करने का प्रस्ताव है । इसी क्रम में पूर्वी गंगा नहर परियोजना जो हरिद्वार में गंगा नदी पर भीम-गौणा से निकलती है उसके लिए भी वर्ष 94-95 में 25 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है जिससे 7 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी और इससे मुरादाबाद तथा बिजनौर जिलों में सिंचाई हो सकेगी ।

मान्यवर, इसी तरह से बहुत सी सिंचाई परियोजनायें बाह्य और विश्व बैंक द्वारा पोषित हैं जिनको समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है और इस वर्ष इस मद में प्रदेश सरकार ने इस बजट में प्राविधान किया है और धन की प्रति-पूर्ति भारत सरकार से करायी जायेगी । इसी क्रम में ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण की योजना है । यह नहर जो प्रदेश की पुरानी नहर है जो 1854 की निर्मित नहर है जिसका प्रदेश के पश्चिमी प्रदेश में बड़ा सहयोग रहा है और इसमें सुधार के कार्यक्रम में 518 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है । इस तरह वर्ष 94-95 में 80 करोड़ रुपये का परिव्यय देकर इसके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा । इसकी सिंचन क्षमता में सुधार करने का बराबर प्रयास किया जा रहा है । इसमें विश्व बैंक से पोषित मध्य-गंगा नहर योजना है, जो ऊपरी गंगा नहर से पानी की बचत होती है, उसके लिए बिजनौर में बैराज बनाकर जो पानी उपलब्ध होगा उसका यहां सिंचन क्षमता बढ़ाने में पूरा उपयोग किया जाएगा । इस परियोजना में काफी हद तक निर्माण कार्य कराने का प्रयास करेंगे और जो इस वर्ष के लिए निर्धारित किया है, वह इसी वर्ष पूरा हो, यह हमारा प्रयास होगा, क्योंकि वर्ष 96-97 तक इसको पूरा करना है । राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत भी गंगा नहर प्रणाली और शारदा नहर प्रणाली की सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए उसका आधुनिकीकरण करेंगे । इस वर्ष 94-95 में शारदा नहर प्रणाली को 5 करोड़ रुपया और निचली गंगा प्रणाली का 2 करोड़ रुपया उसके आधुनिकीकरण के लिए दिया गया है ।

इनसे इस वर्ष इस प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी और आवश्यकतानुसार नये-नये क्षेत्र को पानी मिलेगा । इसके अतिरिक्त हमारे पास सिंचाई की लघु सिंचाई योजनाएं भी हैं, जिन पर हमारी सरकार द्वारा काफी ध्यान दिया जा रहा है । इनके लिए 28 करोड़ 75 लाख रुपया मैदानी क्षेत्र में और 10 करोड़ रुपये का पर्वतीय क्षेत्रों में परिव्यय दिया गया है और इस वर्ष के अन्त तक इतना पैसा खर्च कर देने से हमारी सिंचन क्षमता में काफी वृद्धि होगी । इसी तरह जो भूतल के नीचे का पानी है, उसके

उपयोग के लिए राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्य भी होगा । हमारे सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जिला योजनाओं में इनके लिए विचार और इनके अनुश्रवण का कार्य होता है । इस वर्ष जिला योजनाओं के माध्यम से राजकीय नलकूपों के निर्माण में 19 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । इस तरह से सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए आपकी अपनी मजबूत योजना को इस वर्ष इस प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है । हमारा लक्ष्य तीन वर्ष में प्रत्येक खेत को पानी देना है । हमारी जो यह योजना है आपका अपना नलकूप यह निजी क्षेत्र की योजना है । नलकूप निगम के द्वारा इसके सम्बन्ध में इसका परीक्षण और स्थापित करने में सहयोग किया जाएगा । इसमें हमारा सहयोग 16 हजार लाख पूंजी के रूप में खर्च करने का होगा । इसमें मैदानी क्षेत्र में 30 हजार रुपया लाभार्थी को अनुदान के रूप में और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 50 हजार रुपया अनुदान के रूप में दिया जाएगा । शेष धन भूमि विकास बैंक, दूसरे बैंकों व अन्य माध्यमों से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाएगा । आपका अपना नलकूप लगाने की योजना को व्यापक रूप से चलाया जाएगा इसकी यह विशेषता है कि जो नलकूप लगेंगे, उनकी क्षमता 10 हजार गैलन पानी प्रति घंटा की स्पीड से देने की होगी, और 12 हजार हेक्टर प्रति नलकूप की सिंचन क्षमता होगी ।

(इस समय 6 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

इसी तरह से बाढ़ नियंत्रण का कार्य भी सिंचाई विभाग अन्य कार्यों के साथ-साथ कर रहा है । मानसून की अनिश्चिता के कारण कहीं-कहीं बरसात की ऋतु में बाढ़ के कारण बहुत बड़ी क्षति प्रत्येक वर्ष होती है । अभी तक बहुत कम क्षेत्र को हम बाढ़ से सुरक्षित कर पाते थे । मुझे यहां कहना पड़ रहा है कि बाढ़ से सुरक्षा करने के लिए भी इस वर्ष 8 करोड़ रुपये परिव्यय निर्धारित किया गया है । बाढ़ रोकने के लिए प्रदेश में संसाधन बहुत कम हैं । इतने कम संसाधन होने के बावजूद भी बाढ़ सुरक्षा के उपाय के लिये परिव्यय 8 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया है इसके द्वारा बहुत से भूभाग को बारिश के विनाश से बचाने की रणनीति बनायी जायेगी । इसी तरह से हमने सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं और सिंचाई से संबंधित समस्याएं हैं, इनके निराकरण के लिए सिंचाई बन्धु थे । उन सिंचाई बन्धुओं के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ मिल बैठकर क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते थे । पिछले दिनों में इसमें जिला अधिकारी सिंचाई बन्धु की अध्यक्षता करते थे परन्तु अब हमने निर्णय लिया है कि इसकी अध्यक्षता हमारे उस जिले में जो संबंधित सांसद हैं, विधायकगण हैं वह लोग उस बैठक में उपस्थित होंगे और वर्णमाला के आधार पर जिस माननीय सदस्य का नाम आयेगा, वह उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे । क्षेत्रीय और जिला स्तर पर भी सिंचाई की जो समस्याएं हैं, तात्कालिकता होगी उसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक माह में सिंचाई बन्धु की बैठक होगी । सभी सदस्य अधिकारियों के साथ मिल कर बैठकर चर्चा करेंगे । जहां तक 1994-95 की यह समीचनात्मक सूचना है, मैं थोड़े ही समय में देने का प्रयास कर रहा हूं । हमने जो वायदा किया था, मुलायम सिंह जी यादव की सरकार का जो वायदा था कि तीन वर्ष के अन्दर प्रत्येक खेत को पानी देंगे, उसको बिना किसी परिव्यय के केवल नीयत ठीक करके पूरा किया जा रहा है । जिस

दिन माननीय मुलायम सिंह जी ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली थी उन्होंने एक ही आह्वान किया था किसानों से कि हम नहरों की टेल तक पानी पहुंचायेंगे, 16 घन्टे बिजली देंगे और सिंचाई क्षमता में वृद्धि करेंगे । बिना किसी अतिरिक्त परिव्यय के मान्यवर, पिछले वित्तीय वर्ष के 4 महीनों के अन्दर हमने सिंचाई का रिकार्ड दिया है । इतनी ज्यादा सिंचाई किसी भी रबी की फसल को, जिसकी कटाई आज हमारे किसान कर रहे हैं, नहीं दी गई है । हमको कहते हुए गर्व हो रहा है कि यह साल का रिकार्ड पैदावार हमारे सरकार की नीतियों और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम प्रयोग, सही निरीक्षण और सर्वेक्षण से ही प्राप्त हो सका है । हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो हमारी नहरें थीं, उपलब्ध नहरें हैं उनकी टेल तक 98 प्रतिशत पानी पहुंचाया है । इन नहरों में वर्षों-वर्षों तक पानी नहीं गया था पानी पहुंचाने का काम रबी की फसल में किया गया है । ट्यूब वेल की जितनी क्षमता थी और उसको जितने समय बिजली दी जानी चाहिए थी उसके लिये घन्टों में वृद्धि की है । मान्यवर, बहुत सूक्ष्म समय दिया गया है मुझे । हमने सिंचाई में वृद्धि करके काफी क्षेत्रफल सिंचाई का बढ़ाया है । हम यह कहना चाहते हैं कि हम किसी के तुलनात्मक अध्ययन में नहीं जाते किसी वर्ष में कहीं हमारा रिकार्ड रहा है, 1991-92 में था । सिंचन क्षमता में वृद्धि हुई थी ।

(मेजें थपथपाई गईं)

1992-93 में समस्त स्रोतों से हमारी जो रबी के क्षेत्र की सिंचाई रही है वह 34.34 हेक्टेयर की रही है । इस वर्ष 36.19 लगभग है दो लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है । यह जो गत वर्ष में रबी की फसल थी उससे ज्यादा 20 परसेन्ट ज्यादा, गत वर्षों की अपेक्षा सींचा है । सिंचाई का परिणाम यह हुआ है, कृषि का जो उत्पादन है, रबी का जो उत्पादन है, उसमें गत वर्षों की अपेक्षा वृद्धि हुई है और यह सिंचाई के कारण ही रबी की फसल में वृद्धि हुई है । इन्हीं शब्दों के साथ हमने आपके माध्यम से वर्ष 1994-95 के बजट को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है ।

मुझे पूरी उम्मीद है सदन के सम्मानित सदस्य इसमें अच्छे सुझाव देंगे । हमारा संकल्प है इस सरकार का संकल्प है पांच वर्ष के लिये इन्हीं दस वर्ष के लिये नहीं यह आय-व्ययक प्रस्तुत हुआ है हम विभिन्न विभागों से मण्डी परिषद् से पैसा लेंगे हम रणनीति बना रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न विभागों से संसाधन लेकर हमारा संकल्प है प्रदेश में तीन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में पानी देने का, उसकी आपूर्ति के लिये कृत संकल्प हैं क्योंकि हम जानते हैं, इस प्रदेश में हमको जनादेश मिला है गरीबों का, किसानों का, जिनका कोई सहारा नहीं है जो गरीबी की रेखा पर हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं वह अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकेंगे वह अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकेंगे । इन्हीं बब्दों के साथ मैं अपने आय-व्ययक के बजट को प्रस्तुत करता हूं ।

* श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे सिंचाई विभाग के अनुदान संख्या–93 और अनुदान संख्या–94 पर कटौती का प्रस्ताव रखने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का, कटौती रखने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अभी हमारे सिंचाई मंत्री जी और तो कोई मंत्री हैं नहीं, हमारे मुख्य मंत्री जी 67 विभाग अकेले ढो रहे हैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर जैसा मुख्य मंत्री जी ने भाषण दिया गरीबों के होठों पर मुस्कान लाने के लिये कार्य करेंगे। यदि वह गरीबों से हमदर्दी करते हैं तो उन्हें सदन में मौजूद रहना चाहिए। वह सुबह तो मौजूद थे। माननीय मंत्री जी ने घोषणायें कर रखी हैं वह निराशाजनक हैं इनके बजट को देखते हुए इनकी घोषणाओं को सुनकर जो गरीब आदमी है अगर मंत्री जी का वक्तव्य वह पढ़ेगा। तो उसको दिल का दौरा पड़ जायगा। वह कहेगा कि गरीबों की सरकार से, यह जो गठबन्धन की सरकार है, उससे यह उम्मीद नहीं थी। इस सरकार से उन गरीबों की उम्मीद उसी दिन टूट गयी थी, जिस दिन इन्होंने जयन्त मल्होत्रा और संजय डालमिया जैसे पूंजीपतियों को राज्य सभा में भेजा था। उसी दिन जनता समझ गयी थी कि इस सरकार से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश आज हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां के 75 प्रतिशत किसान आज खेती पर निर्भर हैं। खाद अगर खेत में नहीं पड़ेगी तो शायद काम चल भी जायेगा, लेकिन अगर सिंचाई की सुविधा नहीं मिलेगी तो खेतों में कुछ नहीं होगा। पैदावार बन्द हो जायेगी लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच जायेंगे। सिंचाई विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग से आज बहुत अपेक्षा थी लेकिन वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई। हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद चौथे नम्बर पर आता है।

पिछली 1991-92 की जनगणना के अनुसार जो खेती का ब्यौरा दिया गया है, उसके हिसाब से कुल कृषि भूमि 200 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य था 172 लाख हेक्टेयर कृषि के लिये उपयोग में भूमि लायी गयी। कुल बोने योग्य जमीन हमारे यहां 253.45 लाख हेक्टेयर है। 317 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिये जल उपलब्ध है। उससे इतनी सिंचाई की जा सकती है। मैं मुख्य मंत्री जी और इस सरकार से जानना चाहता हूं कि जब आपने बजट पेश किया था तो नई बात नहीं कही थी जो पहले से चला आ रहा था इसी को कहा था। आने वाले दिनों के लिये सरकार ने घोषणा की है कि जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुपयोगी जमीनें हैं उनके उपयोग में लाने के लिये इस सरकार ने भूमि सेना का गठन किया है। और यह भी कहा है कि ई० ई० सी० की सहायता से वर्ष 1994-95 में जनपद आगरा, इटावा एवं फिरोजाबाद जिलों में चम्बल तथा यमुना नदी जल समेट क्षेत्र में बीहड़ सुधार की योजना क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें बीहड़ सुधार हेतु 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के कार्यान्वियन पर वर्ष 1994-95 में एक करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है। उन्होंने पायलेट योजना चलायी है जिसके द्वारा 1075 हेक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया जायेगा। इस योजना पर प्रस्तुत बजट में 2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। मान्यवर, यह सारे रिकार्ड जो हैं यह वर्तमान सरकार ने अपने बजट में पेश किया है। मान्यवर, यह जो इन्होंने अपना बजट अनुमान पेश किया है, उसमें उन सारी घोषणाओं का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

सिंचाई विभाग में जो बजट प्रस्तुत किया गया है। जिस योजना पर जो धन आवंटित किया गया है, उसी के आधार पर यह धन खर्च करेंगे और लोगों को लाभ पहुंचायेंगे। लेकिन उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इन्होंने ऊसर की समस्या के संबंध में कहा है कि प्रदेश में ऊसर की जटिल समस्या को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। वर्ष 1994-95 में 1,57,250 हेक्टेयर भूमि को उपचारित करने का लक्ष्य रखा है तथा 313 करोड़ रुपये की लागत से विश्व बैंक की मदद से प्रदेश के 10 जनपदों में ऊसर सुधार का कार्यक्रम चलाने का उल्लेख किया है। बजट भाषण में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के 12 ऊसर बाहुल्य जनपदों के लिये समन्वित भूमि सेना योजना को अन्तिम रूप दिये जाने की बात कही है और यह भी कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत 12 हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि को उपचारित किया जायेगा। योजना के पूर्ण होने पर 45 हजार टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होगा। 45 लाख श्रमिक दिवस रोजगार सृजित होगा। मान्यवर, आपने बजट में तमाम आंकड़े दिये हैं कि जो भूमि ऊसर है उसका सुधार किया जायगा, तो यह जो हजारों हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनायी जा रही है इसमें सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप इसके लिये कोई सर्वे करायेंगे कि इस भूमि की सिंचाई के लिये इतने साधनों की जरूरत पड़ेगी। यह जो कृषि योग्य भूमि बनेगी इसकी सिंचाई के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

आपने पश्चिमी गंडक नहर के बारे में चर्चा की है। माननीय मंत्री जी आजमगढ़ के रहने वाले हैं और वह पूर्वांचल की जो समस्यायें हैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। पश्चिमी गंडक नहर नेपाल के भैंसालोटन से शुरू होती है और यह नहर बिहार राज्य में जाती है और महराजगंज, बस्ती, सिवान, पडरौना, गोरखपुर से भी यह नहर जाती है और यह क्षेत्र इसका लाभ उठाते हैं। इस नहर की क्षमता 14410 क्यूसेक है। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने वहां पर 3 क्यूसेक क्षमता के 226 संवर्धन नलकूप लगाने के लिये प्राविधान किया था। इस नहर के किनारे किसानों की जो उपजाऊ भूमि थी उसमें क्षारीय प्रभाव फसलों पर न पड़े इसलिये यह ट्यूबवेल लगाये गये थे। लेकिन आज यह सारे ट्यूबवेल अनुत्पादक हो गये हैं। इनके ट्रांसफार्मर, तार, खम्भे और मोटर गायब हो गये हैं और सरकार को रत्ती भर चिन्ता नहीं है। मैंने इस संबंध में एक प्रश्न किया था जिसके जवाब में विद्युत परिषद् ने कहा कि यह सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है। इन ट्यूबवेलों के संबंध में आप क्या कर रहे हैं यह आप अपने उत्तर में बतायें।

इस नहर की योजना 1960 में शुरू हुई थी और उस समय इसकी लागत लगभग 3500 करोड़ थी। पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार इसकी लागत 15438 करोड़ हो गयी है और अभी तक यह योजना पूरी नहीं हुई है। जून, 1992 में इस योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के संबंध में जो कार्य अधूरे थे उनको पूरा नहीं किया जाय। नहरों को चौड़ा करना, ब्रिज को चौड़ा करना, नहर का सुदृढ़ीकरण आदि जो कार्य थे वह अधूरे पड़े हैं और उनको पूरा नहीं किया गया है।

इस बजट में इन कार्यों के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है। देवरिया में 6 तहसीलें हैं जिसमें से दो तहसीलों सलेमपुर तथा रुद्रपुर में नहरों का कोई प्राविधान नहीं है। वहां पर आज यह आवश्यकता है कि नहर निकाली जाय लेकिन उसके लिये धन की व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे नयी नहरों का निर्माण नहीं हो सकेगा। नयी नहरों के निर्माण के लिये आप क्या करने जा रहे हैं। जो नहरों का रख-रखाव है और जो अवशेष कार्य हैं उनके लिये धन का आवंटन नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में टेल तक पानी पहुंचाने की बात कही है मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये कितना धन आवंटित किया गया है। इसके लिए आपने कहीं पर कोई धन आवंटित नहीं किया है। मंत्री जी को जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। यह जो सिंचाई विभाग का एजेंडा है और जो कार्य पुस्तिका है, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि यह समय पर नहीं मिलती है, कल भी साढ़े 9 बजे रात को मिली है जिससे इसका अध्ययन करने में कठिनाई होती है।

यह जो पुस्तिका है इसमें एक विभाग के आंकड़े एक जगह पर नहीं हैं। इसमें कहीं पर नहीं दिया गया है कि कितनी नहरें ऐसी हैं जहां पर टेल गूल पर पानी नहीं पहुंचता है। मंत्री जी ने कहा है कि हम टेल तक पानी देंगे, मंत्री जी सदन में भ्रामक उत्तर दे रहे हैं। आप रिकार्ड निकलवा लें और ईमानदारी से बतायें कि कितनी नहरें ऐसी हैं जहां टेल गूल और माइनर में पानी नहीं पहुंचता है। टेल पर पानी न पहुंचने से किसानों की फसलें तबाह होती हैं। ऐसी तमाम गूलें जहां पर टेलों पर पानी नहीं पहुंचता है, वहां तक पानी पहुंचाने की कृपा करें। मान्यवर, जो गूलें, नहरें हैं उनकी कोई योजना नहीं बनायी गयी है। मान्यवर, नहर के किनारे जो हमारे खेत हैं, जब नहरें टूट जाती हैं और उससे हमारी फसलों की क्षति होती है, तो उसका कोई मुआवजा नहर विभाग नहीं देता है, ऐसे किसानों को मुआवजा दिलाने की कृपा करें। मान्यवर, नहर विभाग को जब मुआवजा नहीं देना होता है, तो वे नहर काटने का आरोप लगाकर मुआवजा नहीं देते हैं। मान्यवर, गेहूं, धान, गन्ना मान लीजिये किसान ने बोया हो, तब तो किसान के काटने की बात आती है और नहर टूटने से कास्तकारों को खेत डूब जाता है, तो मान्यवर, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। मान्यवर, पम्प कैनालों की स्थिति बहुत खराब है। जो पम्प कैनाल है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। उनके पर्याप्त रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, पम्प कैनालों के लिये कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। मान्यवर, दोहरी घाट पम्प कैनाल, जमानियां पम्प कैनाल है, शारदा नहर 1928 से प्रारम्भ की गयी, इसकी बहुत खराब स्थिति है, कार्य अधूरे हैं, उसके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, सरजू नहर योजना 1256 करोड़ की लागत वाली डाइवर्जन योजना यह थी, लेकिन आज बढ़ते-बढ़ते 347.04 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं, लेकिन सिंचाई नहीं हो रही है, धन की निश्चित रूप से कमी है, नहरों को ठीक ढंग से चलाये जाने के लिये जितना धन चाहिए, उतना धन आवंटित नहीं किया गया है। मान्यवर, इस योजना को पूरा करा कर किसानों को लाभ पहुंचाया जाय। मान्यवर, ट्यूबवेलों की बात बड़े जोर-शोर से कही गयी।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 1992 में 28,109, 1993 में 28,446 और 1994 में 28,546 है । मान्यवर, आप देखें कि कितनी रफ्तार से ट्यूबवेल लगाने का काम चल रहा है, कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है । जो ट्यूबवेल हमारे प्रदेश में हैं, वे घाटे में चल रहे हैं । ट्यूबवेल कितने घंटे चले, कितने घंटे आपका कार्य हुआ, यह 1992-93 का रिकार्ड है । मान्यवर, वर्ष 1992-93 में 24.78 प्रतिशत सिंचाई हुई है । मान्यवर, यह कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है कि ये ट्यूबवेल घाटे पर जा रहे हैं । मान्यवर, गूल का जो निर्माण है, आज जो गूले हैं, उनके निर्माण के लिये पर्याप्त धन नहीं है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं कहा है । इनके विभाग में करोड़ों-करोड़ों रुपये के घोटाले चल रहे हैं, यह अजीब बिडम्बना है,- तमाम शिकायतें की गयी हैं, उसमें जे० ई०, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर निलम्बित हैं और सहायक अभियन्ता को इस सरकार ने बहाल कर दिया है, यह अजीब बात है । मान्यवर, चीफ इंजीनियर निलम्बित है और जब से यह सरकार आयी है, उसने सहायक अभियन्ता को बहाल कर दिया और वह लाखों लाख रुपया कमा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपको अभी फिर समय मिलेगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बता दें कि 1990-91 से लेकर 1994-95 तक सिंचाई योग्य कितनी भूमि कवर किया है । जो पुस्तिका सिंचाई विभाग की ओर से दी गयी है, उसमें इसका कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है । माननीय मंत्री जी जब उत्तर दें, तो इसको भी बता दें । मान्यवर, मैं बाढ़ की बात कहना चाहता हूं । पूर्वांचल बाढ़ से डूब जाता है और इस मद के लिये 9.5 करोड़ रुपया रखा गया है और इसमें से डेढ़ करोड़ रुपया पर्वतीय अंचल के लिये निकल जायेगा और केवल 8 करोड़ रुपया बचेगा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है । बाढ़ से नदियों के किनारे बने स्कूल, अस्पताल मन्दिर बह जाते हैं । गांवों को तो दूर हटाना सम्भव नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये और अधिक पैसा रखा जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपको दुबारा अवसर तो मिलेगा ही ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । वैसे तो इस बात के लिये तैयार हूं कि जो बाते मैं कहना चाहता हूं, उनको अगर माननीय मंत्री जी मान लें तो मैं उसे वापस लेने के लिये भी तैयार हूं और बजट को पारित कराने में मुझे कोई संकोच नहीं है । मान्यवर, जब इस सरकार का गठन हुआ था तो इस सरकार ने प्राथमिकतायें निर्धारित की थीं और सिंचाई विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा था और इसका मूल कारण यह था कि यह अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते थे । तो मान्यवर, इसके लिये इनको सिंचन क्षमता को बढ़ाना होगा । सरकार ने यह कहा कि प्रदेश में जो नलकूप बन्द पड़े हैं, उनको एक समय सीमा के अन्दर ठीक कराया जाये और उसके लिये अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराये जाने की बात कही गयी थी । अगर 15 दिन में नलकूप

ठीक नहीं होगा तो जूनियर इन्जीनियर को उत्तरदायी ठहराया जायेगा और इसी प्रकार से सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता की भी जिम्मेदारी रखी गयी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितने नलकूप ठीक हुए हैं, हम लोगों के यहां तो एक भी नलकूप ठीक नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि नहरों का पानी टेल एन्ड तक पहुंचाया जायेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितनी नहरे हैं जिनके टेल एन्ड तक पानी पहुंचाया गया है। आज भी तमाम नहरों में पानी नहीं पहुंचा है।

मान्यवर, तीसरी बात यह घोषणा हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नहरों के टेल एन्ड में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो सिंचाई कैसे हो सकती है। तो इतने एरिया की सिंचन क्षमता है। जो इनकी परियोजना है जो नहरें या ट्यूबवेल हैं, मान्यवर, सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिये ट्यूबवेल की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल ट्यूबवेलों के लिये 19 करोड़ रुपये का उल्लेख किया गया है। अगर माननीय मंत्री जी यही घोषणा कर दें कि 425 सदस्य जो आये हैं उनके क्षेत्र में केवल एक-एक ट्यूबवेल लगवा देंगे, मैं कटौती के प्रस्ताव पर दिये गये बल को वापस लेकर बजट पास करवाऊंगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें मैं एक बात अपने क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं। मान्यवर, सरयू परियोजना के लिये 30 करोड़ की व्यवस्था की है। यह पैसा केवल अभियन्ताओं और ठेकेदारों की जेब में चला जायेगा और कोई फायदा इससे नहीं होगा, वह सरयू परियोजना को पूरा नहीं कर सके और वर्षों-वर्षों बाद भी आज भी एक हेक्टेयर भी सिंचाई नहीं बढ़ा पा रहा है तो यह 30 करोड़ रुपया देकर ठेकेदारों और अभियन्ताओं की जेब में डाला गया है। इससे अगर ट्यूबवेल लगाये जायं तो माननीय सदस्यों के क्षेत्र में उससे कुछ फायदा पहुंचेगा। इसलिये अच्छा है कि इसे बन्द कर दें मान्यवर, फ्लड कन्ट्रोल के लिये आपने 8 करोड़ रुपये रखे हैं। जब पूरे प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका थी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ के लिये शंकर राव चव्हाण को मैं लाया था और उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ से स्थाई हल के लिये कहा था कि 400-500 करोड़ रुपये की जो भी परियोजना बनायें, स्थाई बनायें। माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो यह तो सही है लेकिन बांध किस जमाने के बने हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज नदियों की सिल्टिंग हो रही है जिससे उसका पानी ऊपर आ रहा है, रिवर बेड ऊपर आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, राम तेज जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम तेज–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, सिंचाई के संबंध में जो ब्योरेवार स्थिति माननीय मंत्री जी ने दी है भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उसे मन से पसन्द कर रहे हैं लेकिन ऊपरी तौर से, रश्मी तरीके से और अनमने मन से नहीं करते हैं । अभी मान्यवर, सदन में पानी की समस्या पर बहस हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरफ से परेशान हो रहे थे और अब दूसरी तरफ सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है तो उसको सुनने को तैयार नहीं हैं क्योंकि भाजपा का पानी स्वयं उतर चुका है । मल्ल साहब ने जो आंकड़े और रिकार्ड दिये हैं वह सच्चे नहीं हैं माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है केवल वही सही हैं । मान्यवर, सिंचाई और जल क्षमता को बढ़ाने के लिये सरकार ने व्यवस्था की है क्योंकि अगर सिंचाई अच्छी नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी ।

मान्यवर, अपने ट्यूबवेल की जो व्यवस्था की गयी है वह भी अपने में अच्छी योजना है इसमें 16 हजार रुपया किसानों से लिया जायेगा, यह बहुत अधिक धनराशि है इसमें सूक्ष्म धनराशि लेकर हजार पांच सौ किसानों को अपना ट्यूबवेल उपलब्ध कराया जाय । मान्यवर, आदमपुर सेवली बांध घाघरा नदी के कटान में आ चुका है । पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें काफी पैसा बांध सुरक्षा के लिये दिया गया था । लेकिन खर्च कुछ भी नहीं हुआ । घाघरा नदी से कई जगह पर बांध डैमेज हो चुका है । बांध को बचाने के लिये जो योजनाएं आयी हुई हैं अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो खुर्रमपुर, सिन्धरा, फतेहपुर, नासिरगंज, उपधी, जरवल टाउन के पचासों हजार आदमी बह जायेंगे और डूब जायेंगे और गोण्डा के करीब 2 लाख आदमी इस बांध से प्रभावित होंगे जिनका कहीं अता पता नहीं होगा । इसलिये इस बांध को बचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, सिंचाई के लिये ट्यूबवेल इन्डोडच स्कीम से लगाये जाते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में ट्यूबवेल लगाने बन्द कर दिये गये थे तो भाजपा कहां से किसान और गांवों की हितैषी हो सकती है । इसलिये उन ट्यूबवेलों को पुनः लगाया जाय और सिंचन क्षमता को बढ़ाया जाय । हमारे क्षेत्र में घाघरा सरयू आदि तमाम नदियां हैं इन नदियों से नहरें निकाल कर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है । सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो इसके संबंध में जो है बांध जरूर बचाये नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी । पानी की व्यवस्था की जा रही है इस सरकार के समय में काफी फसल अच्छी हो । यह कहा गया कि 8 करोड़ रु० बांध को बचाने के लिये सिंचाई विभाग की योजना है इसको बढ़ाया जाय । अपना ट्यूबवेल की जो बात है उसमें 16 हजार रु० किसानों से लेने की बात है इस धन को कम किया जाय । बजट का समर्थन करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का समय देने की मांग करने के कारण घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अमरजीत सिंह "जनसेवक"–

मान्यवर, मुझे बोलने का दिया इसके लिये आभारी हूं । यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैय्या कराने के लिये, अधिक अन्न उपजाओं के नारे को सार्थक सिद्ध करने के लिये जो कटिबद्धता प्रकट की है उससे प्रदेश के पूरे किसानों को अधिक

अन्न उपजाने में पूरा लाभ मिलेगा । लेकिन मैं पूरे प्रदेश और जिले की बात न कहकर बिन्दकी की बात कहता हूं जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है । यह घोषणा की गयी कि टेल तक पानी पहुंचेगा ट्यूबवेल 15 दिन में ठीक हो जायेंगे । चाहे किसी एजेन्सी से जांच करा लें हमारे जिले के यहां सपा के विधायक हैं । बी० जे० पी० के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, जनता दल के विधायक हैं, 90 फीसदी ट्यूबवेल बीमार पड़े हैं सुझाव यह है कि हमारे क्षेत्र में जो भी हमारी नहरें हैं पम्प हैं ट्यूबवेल हैं 15 दिन के बजाय इतने दिन हो गये उनको ठीक कराने के लिये और टेल तक पानी पहुंचाने के लिये समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है । अगर अधिकारी जो इसमें दोषी हैं तो उनको दंडित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं । मैंने श्री ओम प्रकाश जी को बुला लिया है ।

* श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैं आभारी हूं कि जो मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस बजट में दो महत्वपूर्ण फैसले दर्शाये गये हैं एक तो अपना नलकूप योजना दूसरे जो 69 हजार हे० असिंचित भूमि है उसको सिंचाई योग्य बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है यह क्रांतिकारी कदम है इस सरकार के आने के बाद समाज का जो अंतिम व्यक्ति होता है लघु एवं सीमान्त कृषक उसके खेतों तक पानी पहुंचाने का इस सरकार का संकल्प है जितने खेत हैं उनको पानी देने की बचनबद्धता है उनके अनुरूप आज यह बजट पेश हुआ है यह उससे साफ झलकता है । समाज के अंतिम व्यक्ति के खेत तक पानी देने का कार्य होगा उसमें वह लक्ष्य दिख रहा है । रामराज के मानस पुत्र लोग बैठे हुए हैं एक विधवा प्रलाप होता है दूसरे विधुर प्रलाप होता है । रामराज के मानस पुत्र यहां विधुर प्रलाप करते हैं । एक पंछी होता है उसकी रोशनी का तेज होता है । उन्हें वह नहीं दिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री कह देंगे तो उनके खेतों तक पानी पहुंच जायेगा उनके विचार उनके ही मंत्री पेश कर रहें हैं लेकिन वह विचार दिखाई उनको नहीं पड़ रहा है यह मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के मंत्री हैं कल्याण सिंह जी के मंत्री नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायें । मैंने श्री जगबीर सिंह जो बुला लिया है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, विधुर विलाप करने वाले लोग चले गये हैं । माननीय मल्ल साहब को जबरदस्ती कटौती का प्रस्ताव पेश करवा दिया । दीक्षित जी को अब कहा गया था तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बोल सकते हैं और बदन सिंह जी की मजबूरी थी । वह मन और विचार से तो इधर हैं लेकिन बदन से उधर के हैं, वह भीष्म है ; मान्यवर, गाजीपुर में एक जमनिया पम्प हाउस है उसकी मोटर जली हुई हैं । उसी के बगल में एक देवकली पम्प हाउस है । पूर्व सरकार ने चीप पोपुलेरिटी गेन करने के लिये जमानिया के 150 सी० सी० के पांच पम्प देवकली में लगा दिये । जमानिया के लोग आज निराश बैठे हुए हैं ।

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सात छोटी-छोटी लिफ्ट योजनायें हैं जो आप अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। वह अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही हैं। मेरा निवेदन है कि इसे पूरी क्षमता से चलवाया जाये। पूर्व सरकार ने जमानिया की सारी योजनायें देवकली को दे दीं थी जिससे वहां का प्रोजेक्ट बन्द होने की स्थिति में आ गया है तो इसे चालू करवाया जाये।

श्री जगवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने टेल एण्ड तक पानी देने और 16 घण्टे बिजली देने की बात कही थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह नहीं दी जा रही है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र अलीगढ़–खैर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। हमारे टप्पल ब्लाक में जेवर रजबहा, बाजौता रजबहा और बड़ैदा रजबहा में पिछले 15 सालों से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया है। टेल तक तो छोड़िये उसके मध्य तक पानी नहीं पहुंच पाया है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाये। मान्यवर, केवल यहां पर कागजों की खेती होती है, कोई उस पर अमल नहीं करता है। मान्यवर, माचड़ और कलाखुरी के बीच में नहर मांट ब्रांच पर झाल है वहां से एक रजबहा बनावाया जायं जिससे वहां के लोगों को पानी मिल सके। मान्यवर, वहां पर ट्यूबवेल भी खराब पड़े हैं उनको ठीक कराया जाये। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर 30, 40 ट्यूबवेल लगाये जायें, जहां पर नहरों का पानी नहीं है। पतवाहे नाले का 30 लाख रुपया आया था मगर उसमें से एक लाख भी खर्च नहीं हुआ है। सब अधिकारी खा गये हैं। तो इसको भी दिखवाया जाये।

* श्री अक्षयवर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपका ध्यान बहराइच जनपद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, कैलाशपुरी बहराइच से गोरखपुर तक की लगभग 20 वर्ष पूर्व, 12 अरब रुपये की परियोजना चालू की गयी थी और इसमें दसियों हजार एकड़ जमीन किसानों की ले ली गयी लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मान्यवर, वहां पर 10 डिपो बने हुए हैं और करोड़ों रुपयों की मशीन खराब पड़ी हुई है लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है। मान्यवर, बहराइच में बस्ती शाखा है वह दस वर्षों से नहीं चल रही है उसको चालू किया जाये। कटघरा ग्राम सभा और कल्याणपुर के पास पुल का निर्माण कराया जाये। जो नयी शाखा खोदी जा रही है वह मानक के अनुसार नहीं खोदी जा रही है। वहां पर भारी कमीशन लिया जा रहा है और किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें मुआवजा दिया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, विकास खण्ड–इकौना–पापागपुर में ट्यूबवेल बन्द पड़े हुए हैं उन्हें चालू किया जाये ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा रखा गया बजट, जो किसानों के हितों का बजट है, उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं । मान्यवर, धरतीपुत्र मुख्यमंत्री, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने सरकार में आने के बाद सिंचन के लिये, जो सिंचाई योग्य भूमि है, उसको सिंचित कर देने की 3 वर्ष के लिये घोषणा की । अन्य सिंचाई के जो साधन ट्यूबवेल और नहरें हैं, उनके संबंध में दो सुझाव देना चाहता हूं । प्रथम सुझाव यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो ट्यूबवेल लगे थे, उसमें आधे से अधिक खराब हैं, उनको बनवाने की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, जो ट्यूबवेल चालू हालत में हैं, उनकी नालियां इतनी खराब हैं कि ट्यूबवेल से पानी निकलने के बाद 100 मीटर तक भी पानी नहीं पहुंच पाता है, इनकी मरम्मत के लिये अधिक धन खर्च किया जाय । मान्यवर, मेरी जानकारी में आया है कि एक ट्यूबवेल की साल भर की मरम्मत कराने के लिये केवल 5 हजार रुपये दिये जाते हैं, यह 5 हजार रुपये साल भर के लिये प्रति ट्यूबवेल बहुत कम है, इसलिये इस धन को और बढ़ाया जाय ।

मान्यवर, दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि जो हमारी नहर व्यवस्था है उसमें शुरू में जो नहर बनाई जाती है, वह प्रतिकर न देने के कारण नहर की खुदाई में विलम्ब होता है और जहां से नहर प्रस्तावित होती है, उसको स्थान बदलकर दूसरे रास्ते से पानी देने से सही जगह पानी नहीं पहुंच पाता है । इसके अलावा जो नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने की घोषणा की गयी थी, उसके अनुरूप बहुत सी ऐसी नहरें हैं, जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नहरें छूटी हुयी हैं, जिनमें पानी नहीं पहुंचा है, उस पर अधिक धन देकर उसको बनवाया जाय जिससे सिंचन क्षमता में वृद्धि हो सके । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई व्यवस्था चल रही है, उसके संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में असिंचित जमीन को सिंचित बनाने के संबंध में कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की है, यह बहुत गम्भीर सवाल है । आज पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर 40 फीसदी ऐसी जमीन पड़ी है, जो असिंचित है, उसको सिंचित बनाने के लिये किसी कार्य योजना का भाषण में जिक्र नहीं है । मेरा दूसरा सुझाव यह है कि सिंचाई विभाग पर इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगता है और अक्सर अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता तक उस सारे पैसे का 50 फीसदी रुपया उनके कमीशन के रूप में चला जाता है, उस पर रोक लगनी चाहिये । मेरा तीसरा सुझाव यह है कि इस बजट में कोई नहर या ट्यूबवेल खुदने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गयी है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अपने क्षेत्र के संबंध में समस्या रखना चाहता हूं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र शारदा सहायक परियोजना खण्ड 28 है । मान्यवर, इस बजट में नई नहरों, ड्रेनों तथा पुल बनाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है । शारदा सहायक परियोजना खण्ड–28 हैदरगढ़ और शारदा सहायक परियोजना खण्ड 40 जो दिसम्बर,

1993 तक नहरों के निर्माण कार्यों संबंधी मास्टररोल के अभिलेखों को तत्काल सील करवाकर सारे प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन से करायी जाये। हमारे क्षेत्र में शताब्दी ड्रेन, जो नहर विभाग में प्रस्तावित है और जिस पर दो करोड़ रुपये लगने हैं, उस ड्रेन का निर्माण कराया जाये ताकि पैकोली, परीवा, नरदही, वेनहरी, खैराकन्कू जो गांव असिंचित हैं वह इससे लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

* डा० मोहसिन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर बहुत जमाने से नहर की खुदाई का काम चल रहा है और अत्यन्त ही धीमे गति से चल रहा है, बहुत ही घने क्षेत्रों में चल रहा है, तमाम किसानों की जमीनें भी इन नहरों में जा चुकी है। अगर इन नहरों का काम शीघ्र पूरा नहीं कराया जाता तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं सरकार का ध्यान गोला सरयू नहर की खुदाई की तरफ आकर्षित करता हूं। जब तक नहरों की खुदाई का काम नहीं होता तब तक वहां ट्यूबवेल की व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे क्षेत्र धुरियापार में घाघरा और कुंमानों नदियां बहती हैं, उन नदियों के किनारे जो बन्धे हैं वह बहुत जर्जर हालत में हैं, अगर बरसात से पूर्व इन बन्धों का निर्माण कराया गया तो इससे उस क्षेत्र के लिये खतरा पैदा हो जायेगा। गोरखपुर–धुरियापार क्षेत्र में कुआंनों नदी और घाघरा नदी के बीच में शाहपुर ऐतिहासिक कस्बा है वहां दोनों नदियों का संगम होता है, वहां पर लिंक मार्ग बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री दल बहादुर कोरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका ध्यान सलोन विधान सभा की ओर दिलाना चाहता हूं। सलोन विधान सभा के नहर की पटरियां नेस्तानाबूत हो चुकी हैं और नहरों के किनारे इतना जल रिसाव होता है कि वहां गेहूं की फसल नहीं हो पाती है। मान्यवर, सलोन विधान सभा क्षेत्र के नहर की पटरियों का निर्माण कराया जाये। मान्यवर, बार-बार सत्ता पक्ष के सम्मानित विधायक लोग एक कटाक्ष करते हैं। अगर आप मौका दें तो एक चुटकुला सुना दूं। वह घर पर घण्टी लाया और उसे बजाई तो दस रुपये मिले, इससे पड़ोसी को ईर्ष्या हुयी, तो पड़ोसी ने उससे पूछा, तब उसने बताया। पड़ोसी एक घण्टी के बजाय दो घण्टी ले आया, उसने कहा एक घण्टी बजाने से एक रुपया मिलता है तो मैं दो घण्टी बजाकर दो रुपया लूंगा। पड़ोसी ने ईर्ष्या से कहा, इसी तरह एक घण्टी बजाने से मेरी एक आंख फूटेगी तो तुम्हारी दो आंखें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फूटेंगी । एक घण्टी बजाओगे तो एक रुपया मिलेगा, अगर दो घण्टी बजाओगे तो दो रुपया पावोगे, जब एक घण्टी का दस रुपया ... (व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, नहरों से सिंचाई की जाती है, जो भूमि अधिगृहीत की जाती है उस भूमि का उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है, इस संबंध में स्पष्ट शासनादेश है कि जिन लोगों, काश्तकारों की भूमि अधिगृहीत की जायगी, उन्हें मुआवजा दिया जाय, उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाय । मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि अधिगृहीत करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये, स्पष्ट शासनादेश है विकलांगों, अनुसूचित जाति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये, चाहे वह संक्रमित भूमिधर हो, या असंक्रमित भूमिधर हो, भूमिहीन नहीं बनाया जाय, इन सभी का कड़ाई से पालन किया जाय । हमारे क्षेत्र में सारे राजकीय नलकूप खराब पड़े हुए हैं, सिंचाई के साधन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, वहां के किसानों को अपनी भूमि और फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर नलकूपों की तत्काल व्यवस्था करायें ताकि उनको सिंचाई का उचित साधन मिल सके और उन्हें अपनी फसल का समुचित लाभ मिल सके । मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिकों के लिये वहां पर कोई कारगर योजना चलाई जाय..

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री आजाद जी आप अपनी बात समाप्त करें ।

* श्री अम्बिका–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं इस बजट का समर्थन करते हुए श्रीमन् दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । मुश्किल तो यह है कि आप दो मिनट ही दे रहे हैं, मैं दो मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करूंगा, इस संबंध में एक शेर अर्ज कर रहा हूं ।

"जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम,
जिन्हें प्यास हैं उन्हें कम से कम,
शाकिया तेरी बज्म का यह,
उसूल है कि मजाक है ।।"

मान्यवर, मैं उस जिले की ओर से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । चूंकि इस जिले के संबंध में तो बजट में कोई प्राविधान है और न ही बजट भाषण में । बलिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद बिल्कुल किनारे बसा हुआ है और यह एक सरहदी जिले के रूप में जाना जाता है। वहां पर गंगा और घाघरा दो नदियां पड़ती हैं और यह दोनों नदियां यहां पर तबाही कर जाती हैं। इस बजट में यहां के लिये कोई योजना न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। शासन की यह नीति रही है कि पिछड़े इलाकों को खास तौर से वरीयता देने की बात कही गयी है। चूंकि हमारे माननीय मंत्री जी की नियत में कोई गड़बड़ी नहीं है, मान्यवर, मुझे जो विचार व्यक्त करने का मौका मिला, इसी के माध्यम से इस जनपद को इस अवसर का लाभ मिलेगा, यह मेरी संभावना है। मैं आशा करता हूं कि इस ओर ध्यान दिये जाने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे। कटौती के प्रस्ताव पर श्री मल्ल जी ने कहा। किसानों को जो सहायता दी जाती हैं, उन्हें पूर्ण रूप से दिया जाना चाहिये।

सरकार के पास अनेकों योजनायें हैं उन योजनाओं को लागू किया जाना चाहिये और कुछ योजनायें लागू भी की गयी हैं। बजट का जो प्रारूप है, उसमें सारी बीमारी का इलाज मिल जायेगा, जिनको पाने की क्षमता है, माननीय मंत्री जी इस पर आश्वासन देंगे, मेरा ऐसा विचार है, श्री ओम प्रकाश जी ने भी कहा, भूमि के संबंध में। सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इस विषय पर आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी बात को मात्र औपचारिकता न समझें, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इसे गम्भीरता से लेंगे। पहली बात यह है कि ट्यूबवेल का जो कमान्डिंग एरिया होता है, वास्तव में वह उतना होता नहीं है। जिसके कारण दो ट्यूबवेल्स के बीच में भूमि की पट्टी सूखी रह जाती है, इसलिये इसके कमान्डिंग एरिया को घटाया जाय। दूसरी बात, यह है कि बुन्देलखण्ड में हैवी बोरिंग हेतु 50 हजार ऋण देने की बात कही गयी है। मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में कई स्थान पठारी हैं। बनारस में पठारी इलाका है। मिर्जापुर, सोनभद्र, नौगढ़ व चकिया भी पठारी इलाके में आ जाता है, इसलिये यह सुविधा यहां पर भी दी जाय। तीसरा, बनारस में विद्यापीठ मण्डल के मूढादेवी गांव में पम्प कैनाल से सिंचाई की सुविधा थी परन्तु यह 3 साल से काम नहीं कर रहा है, गंगा के पानी का स्तर नीचे होने से यह बन्द हो गया है, इसलिये इस पम्प कैनाल को ठीक किया जाय। चौथी बात यह है कि बहुत से ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। लोग प्रार्थना-पत्र देते हैं। ट्यूबवेल को ठोक-पीट कर ठीक कर दिया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि दफ्तरपुर गांव, खुशीपुर गांव में जो खराब ट्यूबवेल हैं, उनमें समरसेबुल लगाया जाय, जो इन ट्यूबवेल की वास्तविक जरूरत है। ठोकने-पीटने से तो ये दो दिन बाद फिर खराब हो जाते हैं। पांचवीं बात यह है कि जो ट्यूबवेल्स की नालियां हैं, इन्हें गांव वाले ठीक करते हैं, लेकिन जब वह नाली दूसरे गांव में जाती है तो उसे काट दिया जाता है, जिसके कारण एक गांव में तो सिंचाई हो जाती है परन्तु दूसरे गांव में सिंचाई नहीं हो पाती है, इसलिये ऐसे लोगों को दण्डित किया जाय और नाले से पानी दूसरे गांव के लोगों को भी मिले।

(श्री छोटे लाल जी का नाम पुकारे जाने पर)

सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने की इच्छा रखने वाले सदस्यों के लिखित सुझाव मांगे जाने तथा उन्हें कार्यवाही का अंग माने जाने के संबंध में सुझाव

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है। बजट महत्वपूर्ण है। इस पर सभी रुचि रखते हैं। अगर आप उचित समझें तो यह व्यवस्था दे दें कि जो माननीय सदस्य अपने सुझाव लिखित रूप में आज ही इस सदन के भीतर देते हैं, तो उन्हें आप कार्यवाही का अंग मान लें। समय भी ज्यादा हो गया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आपको कुछ कहना है दीक्षित जी के सुझाव पर।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों के लिखित सुझाव आज ही मंत्री जी को मिल जायेंगे उन्हें कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा।†

(इस समय 8 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं मल्ल जी कुछ सुझाव देना चाहते हैं वह संक्षेप में रख दें उसके बाद माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण होगा।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, सिंचाई जैसा महत्वपूर्ण विभाग है जिस पर माननीय सदस्य सुझाव रखना चाहते हैं। जो आज पत्रकारों के मामले पर चर्चा है उसे दूसरे दिन रख लें आज हम वापस ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें। माननीय मल्ल साहब आप अपनी बात संक्षेप में कहें फिर माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण देंगे।

वित्तीय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (क्रमागत)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखने थे, सिंचाई विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का बजट है बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते थे लेकिन उनको अवसर नहीं मिला।

नोट :– † सुझावों के लिये देखिये आगे नत्थी 'ग' पृष्ठ 283।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आज फंसे हैं। सीमित समय में बहुत सारी बातें दोनों पक्षों ने रखी हैं माननीय मंत्री जी उनकी बातों से मन से सहमत हैं।

मान्यवर, सिंचाई की जितनी भी योजनायें हैं वह पहले से बनी हुई हैं उन पर करोड़ों और अरबों रुपया व्यय हो चुका है। आज जो बजट यहां पर हम पास करने जा रहे हैं वह भी उन योजनाओं को पूरा नहीं कर सकता है। मेरा आग्रह है इन तमाम योजनाओं की समीक्षा के लिये केन्द्र सरकार से पहल करने के लिये उन पर दबाव डाल कर जैसे भी हो उन अधूरी योजनाओं को पूरा करने का काम किया जाय। उसकी समीक्षा के लिये सिंचाई विभाग की एक प्रभावी कमेटी गठित की जाय जिसमें 2, 4 और 5 लोग हों जो यह देखे कि कौन सी योजनाओं को समय से पूरा किया जाय जिससे लोगों को अधिक लाभ हो और उसके लिये सरकार धन दे सके और उस योजना की उपयोगिता को ध्यान में रखा जाय जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिले।

1992 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में एक ट्यूबवेल की योजना बनायी थी जिसमें 100 अनुसूचित जाति के गांवों में 100 ट्यूबवेल बनाने के लिये बजट में प्राविधान किया गया था लेकिन उन ट्यूबवेलों का जिक्र इस बजट में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 100 ट्यूबवेल अनुसूचित जाति के 100 गांवों के लिये योजना थी उस अधूरे काम को पूरा करेंगे।

हमारी सरकार ने नलकूपों के रखरखाव के लिये 5 हजार का जो प्राविधान पहले था उसे बढ़ाकर 7 हजार किया था उसको भी बढ़ाने की बात है क्योंकि अगर आपको ट्यूबवेलों को उपयोगी बनाना है और जैसा आपने कहा है कि ट्यूबवेलों की सिंचन क्षमता बढ़ायेंगे और एक ट्यूबवेल के लिये 100 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य बनाया है तो उसके लिये रखरखाव की इस धनराशि को 7 हजार से बढ़ा कर कम से कम 10 हजार करेंगे। बाढ़ से बचाव के लिये जो धनराशि रखी गयी है वह अत्यन्त कम है, इसलिये मुख्य मंत्री जी से बात करके इसे बढ़ाया जाये। साथ ही बाढ़ से प्रभावित गांवों को दूसरी जगह बसाने की योजना बनायी जाये और बाढ़ के नाम पर जो साढ़े नौ करोड़ रुपये का बजट है उसको बढ़ाया जाये। मान्यवर, गण्डक परियोजना पूर्वांचल के लिये बहुत आवश्यक है। इसलिये छोटे-छोटे पुलों एवं अन्य छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए जिससे गण्डक परियोजना का काम पूरा हो सके।

मान्यवर, मुझे आशा है कि इन सारी चीजों पर बल दिया जायेगा और किसानों के लिये सरल प्रक्रिया बनाने की बात कही गयी है तो इस संबंध में मंत्री जी उत्तर में बतायेंगे। साथ ही अवैध कटान और नहरों के रखरखाव के लिये जो पर्याप्त पैसा नहीं दिया जा रहा है उसे दिया जाएगा। गांव का किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिये नहरों को काट देता है इसलिये इसकी रोकथाम की व्यवस्था करें और किसानों को दंडित न किया जाए। मान्यवर, मैं मंत्री जी से स्पष्ट और सही सही घोषणायें और उत्तर चाहता हूं और संसदीय कार्य मंत्री जी की तरह घुमा कर उत्तर न दें, इसलिये आप ऐसी घोषणायें करें जो पूरी हो जायें और तभी हम समझेंगे कि यह सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपने जो मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया उसके लिये आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, इस सिंचाई विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर सम्मानित सदस्यों ने बहुत अमूल्य सुझाव दिये हैं और अपने-अपने क्षेत्रों की गम्भीर समस्यायें भी बतायी हैं ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मैं जानना चाहता हूं कि सुझाव लिखकर कल देना है कि आज ही ?

श्री बलराम यादव–

सुझाव लिखकर आज ही दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी नहरों से तालाबों और ट्यूबवेल बनवाने के संबंध में बता देंगे ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, यह तो आपका निर्देश है । जो आपके निर्देश हैं तो उनको पूरा किया जाएगा ।

मान्यवर, जो पानी का अभाव है तो जो नहरें चलेंगी उसमें गांव सभाओं को प्रायरिटी दी जाएगी ।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्यायें रखते हुए हमारे बजट का समर्थन किया है । मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के साधन सीमित हैं और उसके अन्तर्गत सिंचाई की जो सुविधायें उपलब्ध हैं उनको बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने का हमने प्रयास किया है । मान्यवर, हम भी मल्ल जी के आभारी हैं कि उन्होंने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को मानक और मार्गदर्शक बनाकर कटौती का प्रस्ताव रखा है । इसलिये आज जो विशेष रूप से उन्होंने जो एक बात कही बीहड़ और ऊसर जमीन के संबंध में कि भूमि सुधार के माध्यम से जो हमारी अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि सृजित हो रही है, उनके लिये कोई सिंचाई की योजना नहीं निर्धारित की गयी है । उसके संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री द्वारा कृषि विभाग से संबंधित विषय पर बोलते हुए कहा गया है कि भूमि सुधार की योजना भूमि सेना के माध्यम से की जायेगी और जो कृषि योग्य भूमि उससे उपलब्ध होगी, उस पर उसके सिंचाई की योजना, भूमि सुधार सेना के माध्यम से ही रखी गयी है। इसके साथ ही हमारी तीन वर्ष की जो योजना है, वह भी उन भूमि पर उन क्षेत्रों में अपना काम करेगी । दूसरी बात मल्ल जी ने यह कही कि जो नहर टूट जाती हैं, उसमें किसानों को भूमि का मुआवजा नहीं दिया जाता है । इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि जो विभाग के दोष के कारण नहरें टूटती हैं, वहां उन क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर किसानों को मुआवजा देने का प्राविधान है, लेकिन किसानों द्वारा काटी गयी नहरों से जो फसलें नष्ट होती हैं, उसके लिये किसानों को मुआवजा देने का कोई हमारे यहां प्राविधान नहीं है ।

एक बात पाल साहब ने कही, मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि हम सिंचाई क्षमता की वृद्धि करके अधिक से अधिक सिंचाई का कार्य करेंगे और विशेष रूप से उन्होंने राजकीय नलकूपों के बारे में जानकारी चाही है, हम यह कहना चाहते हैं कि 4 दिसम्बर, 93 को पूरे प्रदेश में कुल 2981 ट्यूबवेल खराब थे, लेकिन अब 31 मार्च, 94 को केवल 2366 ट्यूबवेल ही खराब पड़े थे, शेष को इस बीच ठीक

करा लिया गया है । यह संख्या भी हम अच्छी और क्षम्य नहीं समझते हैं, इसलिये हमारे जो भी साधन हैं, उनका पूरा-पूरा उपयोग करके इनको अधिक से अधिक ठीक हालत में रखने का हम प्रयास करेंगे । यह भी कहा गया कि बहुत जगह टेल तक पानी नहीं पहुंचता । इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो हमारी नहरें हैं, उसमें 98 प्रतिशत तक में टेल तक पानी पहुंचने की हमारे पास रिपोर्ट आयी हैं । इसके अलावा भी जब भी हम जनपदों के दौरे पर जाते हैं, जनता के बीच उनसे यह सवाल कर लिया करते हैं कि उन्हें क्या 16 घंटे बिजली मिल रही है और उनके यहां क्या नहरों में टेल तक पानी पहुंचता है ? इसके जवाब में उन्होंने हाथ उठाकर स्वीकार किया है कि उनकी टेल तक पानी पहुंचता है । 9876 में से 9800 में टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य गत वर्ष हुआ है । इसी तरह गत वर्षों में जिन नहरों, कुलावों और गूलों में कभी पानी नहीं गया, उन 209 नहरों में भी पानी पहुंचाने का कार्य इस वर्ष किया गया है। इसके अतिरिक्त एक जो हमारी क्रान्तिकारी योजना है–अपना नलकूप योजना है,उसके अन्तर्गत श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी ने सुझाव दिया है, उससे हम अपनी सहमति व्यक्त करते हुए यह कहना चाहते हैं कि यह सही है कि बुन्देलखण्ड के अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी का भी कुछ हिस्सा पथरीला क्षेत्र है, वहां के लिये भी हम 50 हजार रुपया निजी नलकूप के लिये अनुदान देने के लिये परीक्षण करेंगे ।

एक माननीय सदस्य ओम प्रकाश जी ने कहा कि जमनियां पर 5 पम्प हटाकर उसकी सिंचन क्षमता को कम कर दिया गया है, उसको हम दिखवा लेंगे, क्योंकि हम प्रदेश में सारे सिंचाई साधनों को पूरी क्षमता से चालित करना चाहते हैं, जिससे पूरी क्षमता का सिंचाई के लिये उपयोग हो सके । उन्होंने उसके लिये जो सुझाव दिया है तथा इस तरह के और भी जो सुझाव आये हैं, उनका अध्ययन करके प्रभावी कदम उठाये जायेंगे । हम सिंचन क्षमता को बढ़ायेंगे । बाढ़ से सुरक्षा के बारे में जो बातें कही गयी वह सही हैं कि सीमित संसाधनों के द्वारा हम कुछ कर नहीं पाते हैं । अभी जैसा कि पाल साहब और मल्ल जी ने बताया कि बाढ़ की विभीषिका से पूर्वांचल अस्त-व्यस्त हो जाता है, करोड़ों रुपये की फसल की क्षति होती है, मकान गिर जाते हैं और सारी अर्थव्यवस्था लुन्ज-पुन्ज हो जाती है । पाल जी ने कहा था कि उनकी सरकार के समय में ऐसा नहीं था । मान्यवर, कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि आजादी के बाद से बहुत समय तक उन्हीं की पार्टी का राज्य रहा है । केन्द्रीय टीम बुलाकर, बाह्य संगठनों की मदद से बाढ़ विभीषिका से बचने की योजनाएं लागू करके और इनका पोषण करके इसे काफी हद तक सुधारने का प्रयास किया जायेगा । प्रदेश के सीमित संसाधन हैं, इस बात को सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं । इन्होंने जो प्रस्ताव रखें हैं निश्चित रूप से इनके प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

भारत सरकार और बाह्य संगठनों, विश्व बैंक आदि से बाढ़ की विभीषिका और विभिन्न परियोजनाएं जो गत वर्षों से लम्बित पड़ी हैं, उनको पूरा करने का प्रयास किया जायेगा । गण्डक परियोजना, पश्चिमी गण्डक परियोजना, पर्वतीय जिलों की जो नहरें हैं, सिंचाई के स्रोत है अपने सीमित संसाधनों में पोषण करके उनको पूरी क्षमता से चलाने का प्रयास किया जायेगा । मैं यहां पुनः दोहराना चाहता हूं कि हमारी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है । तीन वर्षों में प्रत्येक पैदावार करने वाले क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने का जो संकल्प किया है, उसको पूरा किया जायेगा । 1994-95 के लिये जो प्रस्तावित योजनाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको सही ढंग से लागू करके सिंचिन क्षमता को बढ़ाया जायेगा ।

तीन साल के लिये जो नीति योजना निर्धारित की हैं, उनका सही निर्धारण करके संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेंगे । मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर उन्होंने अपने सुझाव दिये । कृषि प्रधान देश के लिये यह महत्वपूर्ण विभाग है, इसके बजट में माननीय सदस्यों ने चर्चा की और अपने सुझाव व्यक्त किये ।

मल्ल जी भी एक कृषक परिवार से संबंधित हैं और पुराने सम्मानित साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कटौती करने के वक्त उन्होंने जो सुझाव दिया कि एक रुपये कर दिया जाय । एक रुपये के माध्यम से इतनी सम्भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं । मैं इस विभाग के लिये जो बजट प्रस्तावित किया गया है उसके अलावा अन्य स्रोतों से संसाधन प्राप्त करके सिंचाई की सिंचित क्षमता की वृद्धि करेंगे और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर लायेंगे । मैं मल्ल जी से अनुरोध करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर इसे सर्वसम्मति से पास कराने में सहयोग करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बदन सिंह जी एक स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

श्री बदन सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जनपद आगरा और मथुरा में मानव और पशु दोनों के लिये पेयजल का संकट हो गया है इसके निवारण के लिये व्यवस्था करेंगे ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, यह पेयजल का मामला जल निगम का है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मल्ल जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

अभी माननीय मंत्री जी ने सारे कार्यों को तीन वर्ष में पूरा करने की बात कही । हमारी शुभकामना है कि यह सरकार तीन साल चले लेकिन इनके मुखिया तो कांशी राम जी हैं वह चाहते हैं कि तीन महीने में सब रफा दफा कर दें । मैंने जो कहा है बड़ी-बड़ी योजना हैं और सुझाव दिया था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिये.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

श्रीमन्, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,64,85,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 943–सिंचाई विभाग ((निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,12,51,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 अप्रैल, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल की है इन्होंने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा कथित रूप से की जा रही गम्भीर अनियमितताएं एवं मनमानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री नरेन्द्र कुमार सिंह की है इन्होंने प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के डिप्लोमा इन्जीनियरों द्वारा कतिपय मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया गया है। तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की है इन्होंने वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, इसमें सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है। चौथी सूचना श्री मन्नूलाल कुरील की है। इनकी जनपद बांदा की कर्वी तहसील के अन्तर्गत कर्वी से गनीबा फार्म मार्ग की 4 कि०मी० तक सड़क धंस

जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसमें ध्यान आकृष्ट कराया गया है । पांचवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की है इन्होंने वाराणसी नगर महापालिका की परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नगर प्रमुख की क्षमता में कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है । इसमें ध्यान आकृष्ट कराया गया है । छठी सूचना श्री रमेशकांत लवानिया की है इन्होंने जनपद आगरा में वन विभाग के बार रेन्ज के कतिपय ग्रामों में संरक्षित वनों के अवैध कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसमें ध्यान आकृष्ट कराया गया है । सातवीं सूचना डा० रामबाबू हरित की है इन्होंने आगरा महानगर में नगर महापालिका द्वारा मार्ग प्रकाश की समुचित व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसमें ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है । शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं ।

आगरा जिले के सिकन्दरा थाना अन्तर्गत ग्राम नगला सोहनलाल में बिजली के तारों से आग लगने की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

आगरा जनपद के सिकन्दरा तथा अन्य.....

श्री अध्यक्ष–

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[मान्यवर, ... तथा अन्य क्षेत्रों में बिजली के तारों की जर्जर हालत नहीं है । अतः यह कहना उपयुक्त नहीं है कि तार टूटने से आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित होती रहती है । वस्तुस्थिति यह है कि इस क्षेत्र में विद्युत दुर्घटना के बहुत कम मामले प्रकाश में आये हैं ।

जहां तक दिनांक 18-3-94 की घटना का प्रश्न है, इस संबंध में जांचोपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि ग्राम नगला सोहनलाल में बिजली के तार टूटने से कोई दुर्घटना नहीं हुई ।]

[4 बजकर 30 मिनट]

श्री रमेश कान्त लवानियां–

आपने जो उत्तर दिया है, मैं उससे संतुष्ट तो नहीं हूं । आपने जल्दी में इसकी रिपोर्ट दी है इसलिये इसको मैंने पढ़ा नहीं है । इसलिये संतुष्ट न होते हुए भी मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैं आपकी इज्जत करता हूं । रिपोर्ट तो यही आयी है कि इस तरह की हालत नहीं है । इसके बाद भी आपको कोई शंका हो तो आप अलग से मुझे दे दीजिये । हम अलग से उसकी जांच करवा लेंगे ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

प्रदेश के बिजली कर्मचारियों द्वारा विद्युत मजदूर संगठन की लेसू कमेटी के आह्वान पर आमरण अनशन प्रारम्भ किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

लेसू प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं.....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[श्रीमन्,..... के प्रति जागरूक हैं एवं कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का निराकरण समय-समय पर किया जाता है । विद्युत मजदूर संगठन लेसू कमेटी द्वारा दिनांक 21-3-94 से आमरण अनशन की सूचना दी गयी थी जिस पर संगटन के प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु दिनांक 22-3-94 को आमंत्रित किया गया था किन्तु संगटन के प्रतिनिधियों ने वार्ता में भाग नहीं लिया ।

संगठन के प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु पुनः दिनांक 24-3-94 को आमंत्रित किया गया तथा प्रतिनिधियों से 32 बिन्दुओं पर वार्ता की गयी । उक्त वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई । सौहार्दपूर्ण वार्ता के उपरान्त संगठन ने अपना आमरण अनशन दिनांक 24-3-94 को ही समाप्त कर दिया था । इस संगठन के प्रतिनिधियों से इसके पूर्व दिनांक 26-2-94 को भी वार्ता हुई थी ।

विद्युत मजदूर संगठन की इस आन्दोलनात्मक कार्यवाही से विद्युत परिषद् के कार्यों, विद्युत आपूर्ति एवं राजस्व वसूली में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।]

इलाहाबाद परिक्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

प्राप्त सूचनानुसार इलाहाबाद परिक्षेत्र में.....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[श्रीमन्, विगत दो माह में हत्या की 79 डकैती के 13, लूट की 62, फिरौती के लिये अपहरण की 1, अन्य अपहरण की 31, बलात्कार की 11, दहेज हत्या की 9, हत्या के प्रयास की 80, चोरी की 357 तथा नकबजनी की 158 घटनायें घटित हुई । उक्त क्रमवार घटनाओं से संबंधित क्रमशः 140, 50, 71, 20, 24, 18, 151, 128 तथा 63 अभियुक्तों को बन्दी बनाकर जेल भेजा गया है । डकैती, लूट, चोरी तथा नकबजनी की घटनाओं से संबंधित अभियुक्तों के पास से क्रमशः 1, 91, 905 रुपये 2,07,085 रुपए 44, 79, 720 रुपये तथा 2,94,930 रुपये मूल्य की सम्पत्ति भी बरामद की गयी है ।

इलाहाबाद नगर में जनवरी, 1994 से 31 मार्च, 1994 तक कुल 52 वाहन चोरी गये हैं तथा 18 वाहन लूटे गये हैं एवं 6 मारुति कारें चोरी गयी हैं । अब तक चोरी व लूटे गये वाहनों में से 4 वाहन व एक मारुति कार बरामद की जा चुकी है । इन अपराधों से संबंधित 7 अभियुक्तों को बन्दी बनाया गया है । थाना जार्जटाऊन क्षेत्र में विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष वाहन चोरी की घटनाओं में कमी आयी है ।

अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दशा में व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप 8 शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ों में मारे गये तथा 120 बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 राईफल, 16 बन्दूक, 76 तमंचा, 458 कारतूस, 87 बम तथा 15 अन्य घातक हथियार बरामद किये गये । इसके अतिरिक्त विभिन्न अधिनियमों/धाराओं में कुल 1531 अभियुक्तों को बन्दी बनाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त घटनाओं को लेकर परिक्षेत्र की जनता में भय, असन्तोष एवं असुरक्षा की भावना बढ़ रही है ।]

वाराणसी जनपद में भदोही स्थित इन्द्रा उल्लेंस लिमि० की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर वक्तव्य

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

वाराणसी जनपद के भदोही में .....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[इन्द्रा उलेन्स लि० के नाम से कोई मिल नहीं है । माननीय सदस्य का आशय यदि किसी और मिल से है तो उसके बारे में पुनः सूचना दिये जाने पर सदन को अवगत करा दिया जाय ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद उन्नाव में अवैध बसों के संचालक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

परिवहन राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा)–

प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति जनपद.....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

। उन्नाव में भी अवैध बस संचालन को नियंत्रित किये जाने के लिये प्रवर्तन दल द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 1993-94 में जनपद उन्नाव में किये गये प्रवर्तन कार्य का विवरण निम्न प्रकार है–

1–बसों/मिनी बसों के चालानों की संख्या	75
2–प्राइवेट जीपों के चालानों की संख्या	116
3–बन्द वाहनों की संख्या	100
4–चालानों के फलस्वरूप वसूल किया गया प्रशासन शुल्क	64,473
5–वसूल किया गया यात्रीकर रुपया	48,302
6–निलम्बित की गयी पंजीयन पुस्तिका	18

प्रर्वतन दल द्वारा किये गये कार्यों को देखते हुए ए० आर० टी० ओ० (ई) श्री डी० के० पाण्डे की अवैध संचालन में साझेदारी होने की पुष्टि नहीं होती है ।

वाहन संख्या यू० पी० 35/7606 बस नहीं है बल्कि इस नम्बर पर ट्रैक्टर पंजीकृत है । वाहन संख्या यू० जे० वी० 9098 नम्बर की कोई गाड़ी पंजीकृत नहीं है । यू० वी० जे० 9098 वाहन डी० सी० एम० टोयटा मिनी ट्रक के रूप में लखनऊ में पंजीकृत हैं । इसके बस के रूप में संचालन की जांच करायी जा रही है ।

अवैध संचालन में किसी राजनैतिक दल के नेताओं के संरक्षण अथवा किसी समुदाय विशेष की गाड़ियों को बन्द किये जाने की पुष्टि प्रारम्भिक जांच में नहीं हुई है । बस संख्या यू० पी० 78/311 को जबरदस्ती छीन कर बारात हेतु मा० सांसद को दिये जाने की जांच करायी जा रही है ।

बस संख्या यू० पी० 78वी/5617 का दिनांक 20 मार्च, 1994 को बारात ले जाने हेतु कानपुर से बनी के लिये स्वीकृत विशेष अस्थायी परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कानपुर–पुरवा मार्ग पर अवैध रूप से सवारियां ढोते हुए पकड़े जाने पर चालान किया गया ।

उन्नाव जनपद में वर्ष 1993-94 में किये गये प्रर्वतन कार्यों को देखते हुए ए० आर० टी० ओ० (ई) की अवैध संचालन को बढ़ावा देने की पुष्टि नहीं हुयी । विषयगत मार्गों की विशेष जांच करा ली जायगी ।

श्री हृदय नारायण–

जिन अधिकारियों के संबंध में आरोप लगाये गये हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं । जिनके विरुद्ध आरोप गम्भीर हैं । उनको वहां से हटाकर जांच कराने की कृपा करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

इस संबंध में जांच के आदेश कर दिये गये हैं । दोषी अधिकारियों को वहां से हटाने के आदेश कर दिये गये हैं ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संवाददाताओं पत्रकारों को शासन द्वारा सुविधा प्रदान करने तथा सूचना विभाग को सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के उपाय किये जाने विषयक 8 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 नत्थी (ग) के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18 को स्थगित किया जाता है ।

अब हम कल पूर्वाह्न 11.00 तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 28 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया) ।

लखनऊ :
12 अप्रैल, 1994

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28-29 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के चौथे मंगलवार हेतु निर्धारित सर्वश्री शिवराम कुशवाहा, ऊदल, विजय सिंह, फौजदार एवं बी० आर० वर्मा, सदस्यगण विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–4 का उत्तर का संलग्नक ।

शाखा काम नाम	5 वर्ष से अधिक समय से एक ही शाखा में कार्यरतकर्मचारियों/ अधिकारियों की संख्या
1	2
1–राज्य सम्पत्ति विभाग	19
2–सचिवालय प्रशासन विभाग	382
3–सिंचाई विभाग	68
4–राजस्व विभाग	72
5–संस्थागत वित्त विभाग	11
6–वित्त विभाग	187
7–शिक्षा विभाग	106
8–भाषा विभाग	11
9–परिवहन विभाग	13
10–प्राविधिक शिक्षा विभाग	13
11–श्रम विभाग	38
12–ग्राम्य विकास विभाग	71
13–न्याय विभाग	77
14–सार्वजनिक उद्यम विभाग	04
15–महिला एवं बाल विकास विभाग	—
16–कृषि विभाग	69
17–समाज कल्याण विभाग	13
18–वन विभाग	20
19–प्रशासनिक सुधार विभाग	35
20–लोक निर्माण विभाग	62

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
21–नगर विकास विभाग	43
22–आवास विभाग	26
23–चिकित्सा विभाग	49
24–उत्तराखण्ड विकास विभाग	43
25–नियुक्ति विभाग	40
26–खाद्य एवं रसद विभाग	35
27–उद्योग विभाग	47
28–चीनी उद्योग विभाग	15
29–मुख्यमंत्री कार्यालय विभाग	69
30–लोक शिकायत विभाग	16
31–गृह (पुलिस) विभाग	150
32–नियोजन विभाग	26
33–सूचना विभाग	07
कुल संख्या	1847

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–60 का संलग्नक

वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की चारों श्रेणियों के आरक्षण की स्थिति

श्रेणी	स्वीकृत नियतन	उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारी	स्तम्भ–3 के अन्तर्गत उपलब्ध			
			अनसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
			उपलब्ध	प्रतिशत	उपलब्ध	प्रतिशत
1	2	3	4		5	
प्रथम	388	231	47	12.11%	2	0.52%
द्वितीय	1928	1562	229	11.88%	23	1.19%
तृतीय	171647	166142	30092	18.06%	1279	0.75%
चतुर्थ	10852	10804	2515	23.18%	52	0.48%

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

देखिये पूर्व पृष्ठ 256 पर श्री अधिष्ठाता के आदेश

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर,

मेरा अपना निर्वाचन क्षेत्र गोवर्धन विधान सभा टेल पर बसा हुआ है जिसमें सिंचाई की समस्या हर समय पड़ी रहती है तथा कास्तकारों को सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। सिंचाई को पानी उपलब्ध न होने पर मुख्य मंत्री जी एवं शासन के वरिष्ठ लोगों को मौके के लिए भी आमंत्रित किया गया कि वह स्वयं देख लें कि पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध नहीं है।

अपर केनाल, आगरा द्वारा जतीपुरा टेल, पलसां माइनर, जुल्देद्री माइनर द्वारा नगला वोहरा एवं नरहोली लोअर केनाल आगरा द्वारा रसूल पुर रजवाह को लालापुर माइनर या शैया गांव मथुरा भरतपुर मार्ग से लालपुर माइनर द्वारा जोड़ा जा सकता है जिससे पानी आ सकता है, पीगरी, जौधपुर, किरावली, फरह रजवाह, बरारी रजवाह आदि में पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाय।

अपर केनाल आगरा एवं लोअर केनाल आगरा की समस्त पटरियां टूटी पड़ी हैं उन्हें तुरन्त बनवाया जाय।

बरारी रजवाह के पुलिया 5/7 पर 8-9 अप्रैल 94 की मध्य रात्रि को टूटने पर हुई किसानों की हानि लगभग 3 लाख की क्षति पूर्ति की जमा तथा उक्त स्थल पर दो सौ मीटर तक पक्का निर्माण दोनों ओर किया जाय जिससे बार-बार टूटने से कास्तकारों को होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है तथा 100 बीघा कास्तकारों का खलियान तैर रहा है सिंचाई विभाग एवं जिलाधिकारी को सूचना देने के उपरान्त भी अभी तक कोई कार्यवाही राहत नहीं की गयी है। तुरन्त राहत पहुंचाई जाय।

बछगांव माइनर पर सींचपाल बाबूलाल एवं जिलेदार 5-5 द्वारा कुलावा नं० 10 एवं 12 के मध्य अपने दूर के रिस्तेदारों को काटकर पानी उपलब्ध कराता है जिससे आम कास्तकार प्रभावित होते हैं सिंचाई को पानी नहीं मिल पाता है, के विरुद्ध कार्यवाही की जाय इस संबंध में 19-3-94 को पत्र लिखकर कार्यवाही की भी मांग संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

ओल-मरखम मथुरा जनपद में गुड़ावई के पास निर्माण कार्य पुल शीघ्र बनवाया जाय।

कोनई पुल जो कि लगभग 2 वर्ष से टूटा है जिसके संबंध में सिंचाई विभाग की बैठक सिंचाई वन्धु में उठाया गया है पुल का निर्माण हो जनहित में, इस बात को पूर्ण करने के लिए धन की अविलम्ब लोअर केनाल आगरा से पूर्ण कराये जाने की कृपा करें।

यह है कि गोवर्धन क्षेत्र हेतु पानी अपर केनाल आगरा एवं लोअर केनाल आगरा को पानी की क्षमता और बढ़ायी जाय।

यह है कि समस्त रजवाह माइनरों नहरों की सिल्ट जब तब नहीं उठेगी तब तक पानी आगे नहीं बढ़ सकता और टेल तक नहीं पहुंच सकता है।

यह है कि समस्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र के माइनर, रजवाह, नहरों की पटरी पक्की करायी जायं जिससे कटान (काटने) की समस्या हल हो सके।

यह है कि स्थानीय स्तर पर लोअर केनाल आगरा का कार्यालय पूर्व है मथुरा में ही स्थापित किया जाय जिससे समस्याओं का हल मथुरा में ही हो सके।

यह है कि स्थानीय स्तर पर लोअर निवासियों की नियुक्ति को बाहर दूर किया जाय।

समस्त पोखरों को शीघ्र भरवाया जाय।

नगर विकास मंत्री (श्री सन्त बक्स रावत)–

माननीय सिंचाई मंत्री/मुख्यमंत्री जी, मैं प्रस्तुत सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूं। मेरे क्षेत्र में मोहनलाल गंज लखनऊ में शारदा सहायक पोषक नहर के 1978 में चालू होने के परिणाम स्वरूप पुरानी शारदा नहर प्रणाली से सिंचित होने वाले क्षेत्र में करीब 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र करीब 13 वर्ष से असिंचित हो गया है। जिसमें सिंचाई हेतु मा० मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री जी के आदेश पर शारदा सहायक पोषक नहर से 1990-91 में एक हेड बनाकर गोसाई गंज पोषक नहर का निर्माण कराया था। जिससे करीब 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है सुधार हो जाने से 3 हजार और भूमि की सिंचाई संभव हो सकेगी। जिसके लिए करीब 50 लाख रुपये की आवश्यकता है। जिसे प्रदान कर योजना को पूर्ण कराने की मांग करता हूं।

वर्ष 1990-91 में स्वीकृत कि० मी० 171 पर बेदखली माइनर पर हेड अभी तक नहीं बना है जिसे बनाने की स्वीकृति माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जनवरी, 1994 में की गई है। किन्तु अभी निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ। कृपया इसी माह से प्रारम्भ बन्दी में हेड निर्माण कर केवल पोषक नहर बनाने की कृपा करें। तथा शेष भूमि को सिंचित करने हेतु 25 राजकीय नलकूपों का एक कलस्टर प्रदान कर विधान सभा क्षेत्र मोहनलाल गंज लखनऊ में सिंचाई व्यवस्था करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री विश्राम सिंह यादव–

हरदोई जनपद में 4 अधिशासी अभियन्ता हैं जिनमें एक शाहजहांपुर दूसरा उन्नाव तीसरा हरदोई (संडीला) चौथा हरदोई में बैठते हैं चारों बराबर के हैं सभी एक साथ एक जगह बैठ नहीं पाते हैं तथा इन चारों की अलग जिम्मेदारी है। इन चारों की एक कोई कन्ट्रोलिंग एथारिटी नहीं है। जिससे सिंचाई व्यवस्था ठीक नहीं है। अतः इन्हीं में से एक किसी अभियन्ता को कन्ट्रोलिंग एथारिटी बना दिया जाये या जिलाधिकारी को सबके ऊपर कन्ट्रोलिंग एथारिटी बनाया जाय।

90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में नदियों द्वारा कटान को भी सिंचाई विभाग द्वारा रोका जाय।

ट्यूबवेल आपरेटरों को उनके गांव या आस-पास के ट्यूबवेलों पर नियुक्त न करके दूर के ट्यूबवेलों पर नियुक्त किया जाये ताकि यह गांव की पाटी वन्दी से ऊपर उठकर किसानों को सिंचाई सुविधा दे सके।

90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के ट्यूबवलों को अविलम्ब ठीक कराया जाय।

बावन रजबहा पकरी माइनर, सवायजपुर रजबहा, घोड़ीकर रजबहा, बिलग्राम रजबहा लीमा माइनर, रेडेना माइनर ककेडी माइनर तक टेल तक पानी पहुंचाया जाय ।

पिन्डारी ड्रेन मदारा ड्रेन की सफाई की जाय ।

श्री लाल जी यादव––

मा० सिंचाई मंत्री उ० प्र० शासन निवेदन है कि हमारे जनपद जौनपुर विधान सभा रारी ग्राम देवरिया पो० लोदुका माइनर जब से बना है आज तक उसमें पानी कभी नहीं गया है उसकी हालत भी बड़ी खराब है ।

अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त माइनर को यदि सड़क के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तो लोगों के आने-जाने का मार्ग सुलभ हो जायेगा ।

श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर,

सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं । प्रदेश के सारे जिलों में सिंचाई की समस्या है । हर खेत को पानी की बात तो कही जाती पर कार्यरूप के परिणत नहीं होता । क्या सरकार अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के कास्तकारों को ट्यूबवेल मुफ्त की बात यर्थातरूप से करायी जाये । बाढ़ के रोक की व्यवस्था और सुनिश्चित की जाये । नहरों को टेल तक न पहुंच पाने पर विभाग के कर्मचारी हो तो उसे दंडनीय अपराध माना जाये । सिंचाई खेतों की प्राथमिकता है पर मैं कहना चाहता हूं कि टयूबवेल से तालाब भरवा दिये जाये ताकी जानवरों को पीने का पानी मिल सके । इसी के साथ कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मुक्तिनाथ यादव–

मान्यवर,

श्रीमान जी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसमें देवरिया जिले का जिक्र नहीं है ।

मान्यवर ।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में निम्न पर ध्यान दिया जाय ।

रुद्रपुर क्षेत्र में गोर्रा एवं राप्ती के कटान का रोकने के प्रभावकारी उपाय ।

बन्धों की रखरखाव तथा सोलिंग पिचींग ।

कटान के गांवों पर बोल्डर ठोकर तथा पीचिंग ।

रुद्रपुर क्षेत्र में स्वीकृत नलकूप को लगाने तथा और नलकूपों की स्वीकृति धन के साथ बाढ़ के बचाव का प्रभावकारी उपाय ।

'आपका अपना नलकूप योजना'

रुद्रपुर में कम से कम 1000 एक हजार लगाया जाय ।

देवरिया जिले के रेलवे लाइन के दक्षिण नहरों की योजना लागू किया जाय ।

जिला देवरिया में कार्यरत गोरखपुर तथा पड़ोसी जिले के कर्मचारियों के स्थान पर बाहरी लोगों का समायोजन क्योंकि ये कर्मचारी जिले में विभागीय कार्यवाही में रुचि नहीं लेते हैं ।

श्री परशुराम यादव–

जनपद फैजाबाद का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र बीकापुर है जहां पर सिंचाई हेतु कोई भी नहर नहीं है 95 प्रतिशत किसानों को राजकीय नलकूपों पर ही सिंचाई के लिए निर्भर रहना पड़ता है ।

1 माह से लेकर 1 वर्ष से तमाम नलकूप खराब पड़े हैं ।

मेरा आग्रह है कि खराब नलकूपों को अविलम्ब ठीक कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए नलकूपों के निकट के तालाबों को भी निःशुल्क भरने का निर्देश दिया जाय ।

डा० शिवप्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मा० सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल इनपर प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें ।

जनपद गोण्डा के तराई क्षेत्र में स्थित गैंसड़ी, पंचपेड़वा हर्रैया सतघरवा व तुलसीपुर विकास खण्डों की सतह पथरीली होने के कारण साधारण बोरिंग नहीं हो पाती है । इसलिए अधिकांश भूभाग असिंचित है । इसलिए सघन सर्वे कराकर रिंग मशीन से डीप बोरिंग कराकर तराई क्षेत्र के विभिन्न गांवों में नलकूप की स्थापना की जाय ।

गैंसड़ी वि० स० क्षेत्र में स्थित कोहरगड्डी व मजगवां तथा भगवानपुर व बघेलखण्ड जलाशयों के बांधों व नहरों का मरम्मत कराने की आवश्यकता है । कोंहरगड्डी जलाशय के फीडर चैनल की सफाई व गहराई की अति आवश्यकता है । सिंचाई खण्ड गोण्डा से फीडर चैनल की सफाई हेतु 9.5 लाख रुपये का आगणन शासन को भेजा गया है जिसकी व्यवस्था शासन स्तर से तत्काल कराकर कार्य पूर्ण कराया जाय । कोंहरगड्डी जलाशय की नहरों की सफाई व मरम्मत तत्काल कराया जाय ।

राप्ती नदी पर स्थित करमहना-गौरा तट बन्ध के अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जाय एवं गैप्स को भराया जाना अति आवश्यक है जिससे बाढ़ से सुरक्षा हो सके । इस कार्य हेतु सिंचाई खण्ड गोंडा द्वारा 4.50 लाख रुपये का आंगणन डी० आर० डी० ए० गोंडा को भेजा गया है । धन को उपलब्ध कराया जाय ।

भूमि अध्याप्ति अधिकारी गोण्डा में मुआवजा के निर्धारण में व्यापक भ्रष्टाचार को रोका जाय । विभाग में कार्यरत कर्मचारी जमुना प्रसाद 20% कमीशन लेकर किसानों को भूमि का मुआवजा देता है । तथा नहरों, मार्गों आदि के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के निर्धारण में भेदभाव को रोका जाय ।

चित्तौड़गढ़ बांध के कर्मचारियों द्वारा मानपुर, सोनबरसा, धवाई, औंरहवा, गनवरिया, रमवापुर, संग्रामपुर लालपुर, भवनडीह आदि गांवों के किसानों पर लगाए गये फर्जी सिंचाई कर को समाप्त किया जाय ।

इसके साथ बजट का समर्थन करता हूं।

भगवानपुर , कोंहरगड्डी, गिरगिटही, मजगवां, बघेलखण्ड आदि जलाशयों में स्थित भूमि के पट्टे को पात्रता के आधार पर दिया जाय और आवंटन में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाय।

श्री मेवा लाल बागी–

कृपया आपका ध्यान भदोही क्षेत्र की ओर आकृष्ट करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना न्याय संगत होगा।

1–नाड़ौरा माइनर के दोनों तरफ ट्यूबवेल द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय। नहर के कटाव की मरम्मत कराई जाय।

2–दुमानिंग माइनर से दोनों तरफ पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय। नहरों की सफाई ठीक ढंग से कराई जाय।

3–नहर की खुदाई में अधिग्रहीत जमीनों का मुआयजा किसानों को तत्काल दिलवाया जाय।

4–धुर्मागंज क्षेत्र में ट्यूबवेल एवं नीनी पंम्पिंग सेट हेतु कार्यरत मात्र पावर हाउस दूर होने के कारण उपलब्ध मात्रा में बिजली नहीं मिल पाती। इसके लिए दुर्गागंज में एक पावर हाउस दिया जाय।

5–भदोही क्षेत्र में कम से कम 10 ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाय। गांव के पास पुलिया का निर्माण कराया जाय बन्द ट्यूबवेल को चालू कराया जाय एवं नालियों की मरम्मत कराई जाय।

श्री रतन लाल पवार–

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई के बजट में कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, पैदावार वृद्धि के लिए सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। मान्यवर, मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। जहां कृष्णा और हिण्डन का दोआब क्षेत्र है जो पेयजल और सिंचाई जल के अभाव में रेगिस्तान बनने के कगार पर है। इस क्षेत्र में सिंचाई में सुधार के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस आशा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर विचार कर कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर यमुना पूर्वी नहर है। इसमें पर्याप्त जल नहीं आता। इसकी माईनर नहरों और राजबाहों की टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। अतः इस नहर में पर्याप्त जल के लिए नाले है, को जो गत 11 वर्षों से निर्माणाधीन जो पक्का बनवाया जाय ताकि हमें अपने हिस्से का पानी मिल सके। इस निर्माण को केवल हरियाणा सरकार पर ही न छोड़ा जाय। इसमें अपने अभियन्ताओं और वैज्ञानिकों के तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाकर हैण्ड के निर्माण में अपने प्रान्त की भागेदारी सुनश्चित करें।

हिण्डन कृष्णा दोआब की खरीफ नहरों के निर्माण की योजना ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि इन नहरों में लिफ्ट हाउस से पानी उठाकर सिंचाई की जाएगी। मान्यवर, दोनों ही नदियां भूगर्भ जल स्तर की गहराई पर बहती हैं। उनमें जो थोड़ा सा जल बहता है वो भूस्तर जल के स्राव के कारण

होता है । परिणाम स्वरूप भूजल स्तर गिर रहा है । अतः इन दोनों नदियों में अवरोध बनाकर पानी रोककर जल स्तर के गिरने को रोका जाय । तथा इस क्षेत्र में बनाई जाने वाली नहर में खतौली से पानी लेकर बुढ़ाना के ऊपर गंगा की नहर से पानी डाल कर इस क्षेत्र में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था की जाय । पेयजल हेतु इस क्षेत्र के गांवों में 200 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प इण्डिया II के हिसाब से हैण्ड पम्प लगाया जायं ।

पांच हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों फुगाना, लिसाढ़, खरन्द, कुरावा, मोहम्मदपुर, कुरालसी, बिटावदाटयावा, भिंडकावी बड़ौदा, कुरंथल, टाली, नगवा, दताना, उकावली में जल निगम द्वारा बड़ी टंकियां बनवाकर पेयजल की आपूर्ति की जाय । पटकारी नल कूप ठीक कराए जांय तथा नए सरकारी नलकूप बनाए जांय ।

श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

महोदय जी,

माननीय सिंचाई मंत्री के द्वारा सिंचाई विभाग पर रखें गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हैं । साथ ही साथ अपने क्षेत्र में बेलन नहर और टौंस पम्प के नाले के अलावा ट्यूबवेल से सिंचाई के स्रोत हैं । इसलिए इनकी सुरक्षा हेतु नहरों की तलहटी साफ करायी जाय तथा कटाव को रोकने के लिए रामनगर शाखा, भाण्डा शाखा तथा टोंस प्रखण्ड में करवाटा लोंहटी माइनर, बनपुरवा से करहना तक की पट्टी को पक्की करायी जाय । सेहरा ड्रेन पर एक पुल का निर्माण अविलम्ब कराया जाय । ट्यूबवेल को कमांड एरिया तक पाइप लाइन बिछायी जाय ।

श्री बाबू लाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई आय व्ययक पर विचार व्यक्त करने का समय आप ने दिया उसके प्रति आभार प्रगट करते हुए माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहते हैं । मान्यवर, सरजू नहर परियोजना या (वाया तटीय का नहर)

बहराइच, गोण्डा, बहराईच, सिद्धार्थनगर तथा गोरखपुर वह क्षेत्र जो बस्ती सिद्धार्थननगर से जुड़े हुए क्षेत्र सिंचाई का नितान्त अभाव के कारण उसके क्षेत्र 12 लाख हैक्टर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1256 करोड़ की सरजू नहर परियोजना निर्माणाधीन है । इसके अन्तर्गत घाघरा नदी के बायें तट पर 360 घन मीटर प्रति सेकेन्ड क्षमता की 47135 कि० मी० लम्बी एक योजक नहर निकाली गई है जो घाघरा नदी के जल को सरजू नदी में लायेगी सिंचन क्षमता उपलब्ध करायेगी । इस परियोजना के अन्तर्गत अयोध्या पम्प नहर, गोण्डा पम्प नहर योजना उत्तरौला, डुमरियागंज पम्प नहर योजना, दो हजार नये नलकूपों, 9 हजार कि० मी० नाले का निर्माण एवं साढ़े 4 करोड़ वृक्ष भी लगाने का प्राविधान है जिससे राज्यस्तरीय तथा भूमिगत जलों का सदुपयोग हो सके जिससे जल भराव की आशंका न रहे ।

इस परियोजना पर कुल 12 लाख हैक्टर भूमि कृषि योग्य 117 प्रतिशत तीव्रता पर लगभग 9 लाख हैक्टर भूमि खरीफ में तथा 4.8 हैक्टर भूमि की सिंचाई रबी में प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त 14,000 हैक्टर भूमि में गन्ने के उत्पादन को प्रश्रय मिलेगा ।

सरजू नहर परियोजना, 1976-77 में आरम्भ हुई । कार्य पूर्ण होने का कार्य 7 प्रथम चरण में पूरा करना था । 1985-86 पुनरीक्षित प्रत्याशित 1995-1996 (प्रथम सात चरण) 71190.10 वर्ष 93-94 में 37846 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था । 94-95 के लिए 711990.10 व्यय का प्राविधान किया गया है । परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा गोरखपुर जनपद की एक इंच जमीन की सिंचाई नहीं हो पा रही है । चकबन्दी के दौर में गोण्डा-बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं गोरखपुर में हजारों एकड़ भूमि छोड़ी गयी है एक विडम्बना है कि परियोजना के समय से न पूरा होने कारण प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत के हिसाब लागत बढ़ती जा रही है । बस्ती जनपद में कुलाबों पर पिपरा गौतम पम्प नहर योजना, कीनरा पम्प नहर का अधिशासी अभियन्ता जौनपुर में बैठते हैं पम्प में एक नट वोल्ट को बदलने की आवश्यकता होती है तो महीनों लग जाता है । मान्यवर, आप के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कुआनों नदी के पम्प कैनाल पिपरा एवं बखिरा का अधिशासी अभियन्ता कार्यालय वही हो जो भरवालीसपुर पम्प कैनाल की है । बस्ती जनपद के तीनों पम्प कैनाल का एक अधिशासी अभियन्ता बस्ती जिला केन्द्र पर होना चाहिए । मुखालीसपुर पम्प कैनाल के ऊपर मुख्य मंत्री की घोषणा पानी नहर के अन्तिम छोर तक जायेगा उसका अनुपालन नहीं किया गया उसी प्रकार पिपरा पम्प कैनाल पानी की भी यही दशा रही ।

मान्यवर, बस्ती जनपद की दक्षिणी सीमा पर 85 किलो मीटर लम्बाई में घाघरा नदी बहती है । विक्रम जोत से हैसर के विड़हर घाट सामान्तर बंधे का निर्माण कराया जाना था विधान सभा क्षेत्र हरैया कप्तानगंज तथा हैसर विधान सभा क्षेत्र में बंधे का पूर्ण हो गया है केवल विधान सभा क्षेत्र में बंधा अधूरा होने के कारण बस्ती तहसील का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ के चपेट में आ जाता है । बरसात में राप्ती, कुवानों, मनोरमा, आमी कठिनाइयों आदि छोटी-छोटी नदियों के बाढ़ से लगभग 4 लाख हैक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाती है । सरजू नहर परियोजना के पूरा हो जाने पर घाघरा नदी की बाढ़ का पानी नहरों के माध्यम से सिंचाई के कार्य में लाया जा सकता है । सरकार को बाढ़ के निदान के लिए स्थायी योजना बनानी पड़ती है । घाघरा नदी की कटान के अन्दर ठोकर बनाने की योजना है । प्रति वर्ष लाखों रुपयों का बोरन्डर खरीदा जाता है उसका भुगतान हो जाता दोनों कार्य कागज पर हो रहे हैं । बस्ती में कम से कम सौ नलकूप लगाये जायं । अन्त में सिंचाई बजट का स्वागत करते हैं ।

श्री धनराज यादव–

महोदय,

सरजू नहर परियोजना का कार्य बहुत ही मन्दगति से चल रहा है । सिद्धार्थ नगर जनपद में वान गंगा बैराज सिस्टम एवं बड़ेपुर शोहरतगढ़ में जमींदारी सिस्टम की सिंचाई प्रणाली कार्यरत थी । दोनों सिस्टम का स्रोत नेपाल में था । नेपाल ने पानी रोक लिया दोनों सिंचाई प्रणाली पानी के अभाव में फेल होने के कगार पर हैं ।

यदि सरयू नहर परियोजना की राप्ती बाम नहर की खुदायी कराकर वान गंगा एवं जमींदारी सिस्टम के सागरों तक मिला दिया जाय तो दोनों प्रणालियां जल में संपूर्ति होकर सिंचाई कर सकेंगी ।

विभाग की ओर से आपका अपना नलकूप योजना का साहित्य वितरित हुआ है । यह योजना बहुत अच्छी है । जिसमें विभाग ने 30 हजार से 50 हजार रु० तक का अनुदान निजी नलकूप के लिये देने का

आश्वासन दिया गया है । मेरा सुझाव है कि जब एक सरकारी नलकूप पर 12 हजार रु० व्यय करते हैं तो निजी नलकूप में अनुदान देने की कंजूसी सरकार को नहीं करना चाहिए । 1 लाख, सवा लाख रु० में निजी मिनी नलकूप तैयार होगा । उसमें कम से कम 75 हजार रुपये का अनुदान शेष आसान किस्तों पर नावार्ड से ऋण दिलाना चाहिए । इससे सिंचाई की व्यवस्था में क्रान्तिकारी सुधार होगा ।

सिद्धार्थनगर जनपद के उस्का बाजार भोगलहा पर्ती बाजार को कूड़ा नदी की बाढ़ से बचाने के लिये नदी के किनारे एक बांध जिसमें नदी के किनारे पत्थर की पिचिंग करवा दी जाय ।

कूड़ा-घो घी नदियों के वाच के खखरा भिलौगी परसौना-बड़हरा, सैनुय्या कठहा आदि पचासों गांव में बाढ़ बरसात का पानी महीनों भरा रहता है। उसमें जो रेगुलेटर लगा है वह पानी को खीचने में बहुत कम है ।

अतएव एक रेगुलेटर सुनेय्या और मेड़हा के बीच में किसी उपयुक्त स्थान पर बना दिया जाये तो पचासों गांवों का जलभराव रूपी बाढ़ की विनाश लीला से बच जायेगा । धन्यवाद ।

श्री रघुवीर सिंह–

मान्यवर अध्यक्ष, विधान सभा

महोदय,

मुझे आपने सिंचाई बजट में बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं । इसके साथ ही माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । लेकिन मैं ऐसे क्षेत्र जलोई से हूं जहां पर करीब 70 गांव कडुरापानी की चपेट में है । अतः मान्यवर मेरा ये सुझाव है कि वहां पानी की व्यवस्था के लिये पानी की टंकी लगाकर पानी की सही व्यवस्था कर दी जाय । तथा साथ ही आपका अपना नलकूप योजना को पूर्ण रूप से जलेसर क्षेत्र में लागू कराने की कृपा करें । अंत में मैं पुनः मंत्री जी को बजट भाषण का समर्थन करता हूं ।

श्री इश्तियाक अन्सारी (गाजीपुर)–

माननीय सिंचाई मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि नहरों में पानी छोड़ने से पहले नहर को अच्छी तरह से चेक कर लिया जाय कि कहीं टूटा तो नहीं है ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक बड़ी नहर है जो देवकली पम्प कैनाल से आती है और कई गांव के पास से गुजरती है उन गांव में एक गांव वाराचंवर है जो कि नहर गांव के बीच से गुजरती है । जब नहर में पानी आता है तो गांव के लोगों को खतरा महसूस होता है कि कहीं नहर टूट न जाय । मान्यवर आप के माध्यम से वारचंवर गांव के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर पक्का बनवाया जाय ।

एक नहर मेरे क्षेत्र में रामगढ़ कैनाल है जो कि बहुत खराब है और कहीं भरा कहीं टूटा है बनाया जाय ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जो छोटी नहरें खुदी हैं अधूरी है बीच-बीच में रुकी हैं । उसको आप के माध्यम से खुदवा कर उसमें भी पानी दिया जाय ।

श्री वी० के० गुप्ता–

मान्यवर,

आपकी अनुज्ञा से सिंचाई के बजट पर मैं अपने निम्न सुझाव देना चाहता हूं आशा है कि आप इन सुझावों को माननीय सिंचाई मंत्री से कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे ।

प्रत्येक विकास खण्ड में एक नलकूप इन्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प प्रत्येक ग्राम में 250 की जनसंख्या के आधार पर पीने के पानी हेतु लगाये जावें ।

जनपद पीलीभीत में नानक सागर डाम में आने वाली बाढ़ से जो कटान ग्राम निवाढ़ विकास खण्ड अमरिया पीलीभीत में प्रत्येक वर्ष हो रहा है उस पर ठोकर बनाने की कृपा की जावे तथा इसी प्रकार ग्राम वक्शपुर विकास खण्ड भरौरी, पीलीभीत में खकरा नदी से जो कटान प्रत्येक वर्ष हो रहा है गांव को बचाने हेतु ठोकरें बनायी जायें ।

ग्राम के किनारे जो नहर निकलती है उस पर गऊ घाट जानवरों को पानी पीने हेतु बनाए जावें ।

नहरों के किनारे की पटरी पक्की लेपन स्तर की बनायी जावे जिससे नहर का कटान भी बचेगा तथा आधिक से अधिक ग्राम नहर के माध्यम से जुड़ जावेंगे तथा आवागमन सुलभ हो जायेगा ।

ग्रामों के किनारे से गुजरने वाली नहर पर पक्की पुलियों का निर्माण कराया जाये ताकि ग्रामीणों को नहर से दूसरी तरफ अपनी भूमि पर जाने में आसानी हो सके तथा फसल की देखरेख आसानी से हो सके ।

नहरों की सफाई जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड अमरिया तथा भरौरी से गुजरने वाली प्रत्येक नहर की सफाई करायी जाये ताकि टेल तक पानी आसानी से पहुंच सके ।

किसी भी ग्राम में नहर के अवैधानिक कटान हो जाने से अन्य ग्राम जहां नहर का पानी पहुंच जाता है तायवान दूसरे ग्रामों में न डाला जाये ।

अतः मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए उक्त भागों का निराकरण आप अवश्य करायेंगे ।

श्री रामसरन वर्मा–

किसी भी कृषि प्रधान देश में आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति, राजनैतिक आदि के लिए हरित क्रान्ति लानी होगी । हरित क्रान्ति के लिए सिंचाई क्रान्ति अनिवार्य है । नहरों तथा ट्यूबवेलों का उतना ही महत्व है जितना कि शरीर में धमनियो का।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र की जो व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण है उससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्पूर्ण प्रदेश में सिंचाई की स्थिति कितनी खराब होगी । जिस हेतु निम्न प्रकार सुझाव हैं :–

जनपद पीलीभीत में प्रतिवर्ष नानक समय से दियोहा नदी में जो पानी छोड़ा जाता है उससे प्रतिवर्ष दियोहा नदी में बाढ़ आना लगभग निश्चित सा है । जिसके कारण हजारें एकड़ कृषि की फसलें प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती हैं । मेरा सुझाव है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का राजस्व, सिंचाई, मसूल शुल्क किया जाये । कटान से सम्भावित स्थानों को तटबन्धित किया जाये । तथा फसलों को होने वाली प्रतिवर्ष क्षति को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाये तथा अहेतुक सहायता में भी वृद्धि की जाये ।

जनपद पीलीभीत में विधान सभा क्षेत्र बमिलपुर में जो भी ट्यूबवेल है उनमें नालियों के अभाव के कारण पूर्ण सिंचन क्षमता का लाभ नहीं हो पाता है नालियां बनाना अनिवार्य है । अभी तमिलपुर तहसील के कुछ ट्यूबवेलों की नालियां निर्माण हेतु 2 लाख रुपया निकाला गया परन्तु नालियां नहीं बनी हैं । कृपया जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

सफाई व्यवस्था हेतु अधिक मुलाजिमों की नियुक्ति शीघ्र की जाये ।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में निगोही ब्रान्च व शाहजहांपुर ब्रान्च नहर का अधिशासी अभियन्ता शाहजहांपुर में तथा अधीक्षण अभियन्ता सीतापुर बैठते है । जिसके कारण सिंचाई की समस्यायें प्रगाढ़ होती चली जा रही हैं यह लोग सिंचाई बन्धु की बैठकों में कभी नहीं जाते हैं । कृपया इन नहरों को जनपद पीलीभीत के क्षेत्र को क्रमशः पीलीभीत व बरेली से सम्बद्ध किया जाये ।

बीगवार विधान सभा में बाढ़ से कटी नहरें मितेपुर माइनर, सावेइर माइनर, गावेल माइनर, बरेली माइनर, बेनीपुर का पुनर्निर्माण कराया जाये ।

श्री रामकरन आर्य–

मा० अध्यक्ष जी,

मैं सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश के विशाल जनसंख्या वाले प्रान्त के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था निहायत ही जरूरी है । दुर्भाग्य है कि प्रदेश में खेती की जाने वाली परती की मात्रा 31.2% ही निश्चित है । जब तक शत प्रतिशत भूमि की सिंचाई नही की जायेगी । तब तक प्रदेश तरक्की नहीं करेगा और न ही प्रदेश का चतुर्मुखी विकास होगा ।

मान्यवर, मेरा नगर पूरब क्षेत्र सिंचाई के मामले में पिछड़ा है । घाघरा और कुआनो नदी के बाढ़ से परेशान हैं । मान्यवर, घाघरा नदी के किनारे बंधा बनाकर एक जलाशय का निर्माण कराया जाये ताकि बाढ़ के पानी को रोककर सिंचाई का कार्य किया जाय । साथ ही साथ खराब पड़े क्षेत्र के ट्यूबवेलों को ठीक किया जाय ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बगड़ी पम्प नहर कैनाल है । जो अब बहुत ही कम पानी देता है उसकी नयी मशीन लगाकर पानी की क्षमता बढ़ाई जाय ।

क्योंकि 10 किलोमीटर लम्बी नहर से मात्र 3 किलोमीटर पानी जाता है । पम्प से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाय ताकि किसानों को पानी मिल सके और सिंचाई हो सके ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कम से कम 10 ट्यूबवेल राजकीय लगाये जायें ताकि मेरे क्षेत्र की ऊसर भूमि की सिंचाई की जा सके ।

मान्यवर, मैं इन्हीं सुझावों के साथ इस जनप्रिय सरकार के सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मोलई प्रसाद–

महोदय,

बजट का समर्थन करते हुए मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर जनपद के बांसगांव विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूं गोरखपुर जनपद के दक्षिणी क्षेत्र में कही भी नहरों द्वारा सिंचाई नहीं होती सिर्फ निजी नलकूपों एवं ट्यूबवेलों द्वारा ही होती है । कृपया ट्यूबवेल आपरेटरों की नियुक्ति एवं ट्यूबवेलों की सुरक्षा करने का उपाय करेंगे ।

मान्यवर, जनपद में विभिन्न नदियां बहती हैं जिसमें गोरखपुर राप्ती नदी आमी नदी के बाढ़ से लालपुर बघराई, बांसगांव, सरसो पार, भूसवल करहल, धनईपुर चमौली, गोरसैरा गांव को दस लाख कूप योजना के द्वारा बाढ़ से सुरक्षा की व्यवस्था किया जाय ।

बाढ़ के नियंत्रण के लिये दस लाख कूप योजना का धन बाढ़ से पीड़ित गांवों की सुरक्षा में लगाया जाये ।

श्री लाल बहादुर सिंह–

मान्यवर,

मैं माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र सदर प्रतापगढ़ की समस्याओं से आपके माध्यम से मंत्री जी एवं उ० प्र० सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

मेरे विधान सभा की नहरों का कार्यालय इलाहाबाद में है, अतः विधान सभाओं की नटराका कार्यालय, जौनपुर, सुल्तानपुर में है जिस कारण जिले की बैठकों में अधिकारी उपस्थित नहीं होते जिला कलक्टर की सूचना पर भी नहरों के किनारे बने सीपेज से बचने वाले लाखों का कार्यालय भी इलाहाबाद में है जिससे सफाई कई वर्षों से नहीं की गई है जिस कारण हमारा विधान सभा के मडियाहूं ब्रांच पर स्थित ग्राम हरिहर रामपुर, नौवापुर, हासामई, छितपाल गढ़ मझिगवां आदि गांवों में अत्यधिक जल भराव है उससे रबी की फसल नहीं बोई जा सकी नालों की सफाई कराई जाये, ग्राम ऐजका में नहर बांध दी जाती है जिससे शेखपुर बनी आदि ग्रामों में जो टेल पर है पानी नहीं पहुंचता उसकी सफाई - गहराई बढ़ाई जावे । असामाजिक तत्व ऐजका में जो बांधते है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे ।

पूरे सुखदेव गांव की नहर की सही सफाई न होने के कारण पानी पूरी क्षमता से नहीं पहुंच पाता है उसकी सफाई सही ढंग से कराई जावे ।

ट्यूबवेल ज्यादातर खराब पहले से हैं उनमें पूरे जिले में अभी भी 100 ट्यूबवेल खराब हैं । नाली ज्यादातर ट्यूबवेलों की खराब है ।

ग्राम-चमसपुर ब्लाक मानधाता में गूलों की सफाई न होने के कारण इस वर्ष फसल सूख गई उसको खुदवाया जावे ।

नालों, नहरों के मुख्यालय प्रतापगढ़ जिले का जिले में ही रक्खा जावे ।

सिंचाई बंधु एवं सिंचाई सलाहकार की बैठकें लिखित सूचना मेरे द्वारा देने पर अधिशासी अभियन्ता श्री हरेन्द्र नाथ जिद करके विधान सभा की बैठक के समय भी किए । और मुझको दिसम्बर, जनवरी, फरवरी माह की सिंचाई की सलाहकार-सिंचाई वन्धु की बैठको की सूचना जनप्रतिनिधियों को नहीं दिया । मनमानी ढंग से कार्य करते हैं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करते हैं ।

श्री महावीर सिंह

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया। मान्यवर मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। भारत कृषि प्रधान देश है। इसकी प्रगति खेती पर निर्भर है। खेती का संबंध सिंचाई से है। जैसे वायु के बिना मानव जिन्दा नहीं रह सकता ठीक उसी प्रकार पानी के बिना किसान की फसल नहीं हो सकती। किन्तु इस सरकार का किसान और खेत से कोई लेना देना नहीं। वर्तमान सिंचाई बजट से लगता है। इससे सिंचाई साधनों में कोई बढ़ोत्तरी होने वाली नहीं। हर खेत को पानी देने का नारा मात्र नारा बन कर रह जायेगा।

मान्यवर, सिंचाई मुख्य रूप से नलकूपों एवं नहरों द्वारा होती है लेकिन कुछ नलकूप विद्युत ट्रांसफारमर एवं विद्युत लाइन खराब व चोरी होने के कारण बन्द पड़े हैं। और कुछ नलकूप मैकेनिक अभाव के कारण बन्द पड़े हैं। जैसे मोटर खराब है, स्टार्टर खराब है। जो चल रहे हैं। उनका पानी निकास घट गया है। नालियां खराब हैं। टूटी फूटी पड़ी हैं, और न उनकी सफाई हुई है। साइफन व साइफन पाइप लीकेज कर रहे हैं। वर्कशाप में मोटर बांधने में घटिया तार का उपयोग होता है।

मान्यवर, दूसरा साधन नहरों का है। उनमें पानी नहीं चल रहा है। पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में फसलों के बोये जाने और पकने में अन्तर होता है। किन्तु नहरों का रोस्टर पूर्वी क्षेत्र के हिसाब से तैयार किया जाता है। इस कारण पश्चिमी क्षेत्र में आवश्यकता के समय नहरों में पानी नहीं पहुंचता है। कृपया इस ओर सरकार ध्यान दे। माइनरों/नहरों/कुलाबों की अधिकांश टेलों तक पानी नहीं पहुंच रहा है जिसके कारण सैकड़ों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रह जाती है। मान्यवर नहरों की सफाई भी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। साथ ही इस विभाग में मान्यवर भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर व्याप्त है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के कास्तकारों की एक विशेष समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। ग्रा० शहापुर खेड़ी वहसी लधामपुर जनपद बिजनौर के अनुसूचित कास्तकारों एवं अन्य कास्तकारों की रामगंगा नहर जो कि सिंचाई विभाग खण्ड मुरादाबाद के अन्तर्गत है, के द्वारा की जाती है। यह नहर हर वर्ष एक ही स्थान लम्बिया ग्रा० के दक्षिण में कटती है। और लाखों रुपये की हानि कास्तकारों की कर जाती है। 31 दिसम्बर, 1993 को कटी किसानों को बरबाद कर गई, जांच करा लें। इससे पूर्व 1990 में कटी, 1991 में कटी लाखों रुपये की हानि हुई है। पतरौल ने मुआवजा बनाया है। फाइलों में दबा पड़ा है। किन्तु अभी तक कास्तकारों को नहीं मिला। कृपया ध्यान दें, धन्यवाद अदा करते हुए कटौती के प्रस्ताव पुर पुनः बल देता हूं।

मो० बशीर–

मान्यवर, सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करते हुए निम्नलिखित सुझाव सम्मिलित करने का कष्ट करें :–

सिंचाई विभाग के सभी कार्यों को राष्ट्रीय कार्य अल्प बचत व नसबन्दी की तरह लक्ष्य निर्धारित करने का कष्ट करें।

बुन्देलखण्ड को उत्तरांचल की तरह 12 करोड़ के स्थान पर 48 करोड़ रुपया देने का कष्ट करें।

जनपद हमीरपुर में 470 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं जिसमें हमीरपुर विधान सभा में 276 राजकीय नलकूप लगे हैं 170 नलकूप राठ विधान सभा में लगे हैं । मौदहा विधान सभा में केवल लगभग 80 नलकूप लगाये गये हैं । महोदय कम से कम मौदहा विधान सभा में 200 राजकीय नलकूप लगवाने का कष्ट करें जिससे विषमता दूर की जा सके ।

राजकीय नलकूप का डिसचार्ज मानक प्रति मिनट तीन हजार से घटाकर पन्द्रह सो 1500 गैलन प्रति मिनट करने का कष्ट करें ।

निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत मौदहा विधान सभा के लिये विशेष योजना के तहत कम से कम दो रिंग मशीनें राज्य सेक्टर द्वारा देने का कष्ट करें । 50000/- के स्थान पर 100000/- की छूट करें ।

केन नदी पर बनी लिफ्ट कैनालों में ट्रासफारमरों की छमता लगे पम्पों से अधिक क्षमता के ट्रासफारमर लगवाकर टेल तक पानी पहुंचाया जाय ।

श्री संग्राम सिंह यादव–

महोदय, बलिया जनपद एक अत्यन्त ही पिछड़ा जनपद है जहां सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं है । मुख्य रूप से बलिया जनपद की सिंचाई के लिये बनाई जा रही दो परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं जिन्हें पूरा कराया जाना आवश्यक है ।

(1) शारदा सहायक परियोजना मिलिंग (इन्दारा राजवाहा) नहर रसड़ा–उचेड़ा होते हुए टोंस नदी को जाने वाली नहर को पूरा कराना ।

(2) अहिरौली माइनर को पानी देने की व्यवस्था करना ।

डा० मोहसिन–

मान्यवर, आय-व्ययक पर पेश किये गये बजट का समर्थन करते हुए गोरखपुर जनपद के धुरियापार क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

1–गोला सरयू नहर का काम एक दशक से आरम्भ है कार्य की गति तेज की जाये तथा व्यापक पैमाने पर किये गये धन के दुरुपयोग की जांच की जाये ।

2–सरयू नहर के बन्धे से जलजमाव के कारण गांव के लोग परेशान हैं जल निकासी की व्यवस्था की जाये ।

3–घाघरा कुवानों नदी के किनारे जर्जर बन्धे की मरम्मत एवं ईंट द्वारा सोलिंग का काम बाढ़ व बरसात से पहले कराया जाये ।

4–भर्सी–रतनपुर में रेगुलेट बनवाया जाये ।

5–शिशवाबाबू, चपरहत, रतनपुर, शाहपुर में सुरक्षा कार्य, बोल्डर ठोकर बनवाया जाये ।

6–सिंचाई के लिये 50 नलकूप के लिये धन उपलब्ध कराया जाये ।

7–बिगड़े नलकूप बनवाये जायें ।

8–कस्बा शाहपुर में रिंग बांध बनवाया जाये ।

श्री फौजदार प्रसाद–

मान्यवर, आज सिंचाई बजट हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया उसका समर्थन करता हूं तथा जनपद मऊ की विधान सभा मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में 50% राजकीय नलकूप खराब हैं उनको तत्काल चालू हालत में कराया जाय ।

मोहम्मदाबाद टोंस नदी पर निर्मित बांध पर चार रेगुलेटरों का निर्माण होना अति आवश्यक है । उसको तुरन्त बनवाया जाय ।

मोहम्मदाबाद वि० स० में 8 नये राजकीय नलकूप स्वीकृत लगवाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

खुरहर पम्प कैनाल का जीर्णोद्धार कराया जाय तथा पम्प कैनाल खुरहर की खुदाई कर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया जाय तथा देवरिया ग्राम, ववुआपुर रेकवारही, इटौरा चौबेपुर बस्ती कुतुबपुर आदि में नलकूप लगाये जावं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि सिंचाई न हो पाने के कारण असिंचित रह जाती है ।

कृपया निम्न स्थानों पर राजकीय नलकूप बनवाने की अनुमति प्रदान करें :–

	विकास खण्ड
(1) शाहपुर कुनौरा	बी० के० टी०
(2) उमरिया	बी० के० टी०
(3) सिहामऊ	
(4) देवरिया	चिनहट
(5) गोसाईपुरवा मल्हौर	चिनहट

श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश ने बजट प्रस्तुत किया बहुत महत्वपूर्ण है मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करता हूं ।

नियोजन के तहत बाढ़ रोकने हेतु सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु बहने वाले पानी के रिजर्वायर बनायें जायें ।

जनपद जालौन में 10 वर्ष पहले अनुसूचित जाति कम्पोनेंट के अन्तर्गत 18 ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं सिंचाई विभाग अपने हाथ में ले वे थोड़ा पैसा लगाकर सिंचाई योग्य हो सकते हैं ।

निजी बोरिंग करने वालों को जो अनुदान तथा लोन दिया जाता है नकद दिया जाये, जिससे सम्पूर्ण पैसा का सदुपयोग हो सके ।

डेटा तक बोरिंग के लिये कड़ा कानून बनाया जाये। पूर्ण बोरिंग न होने से ट्यूबवेल सही कार्य नहीं करते।

नहरों की खुदाई तथा पटरियां जनपद जालौन की ठीक की जायें।

प्रतिशत रोका जाये।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री दीनानाथ भाष्कर)–

जनपद वाराणसी अन्तर्गत ब्लाक चन्दौली के गड़ई नदी में अहिरौरा बांध द्वारा (सिंचाई विभाग) सिंचाई हेतु पानी छोड़ा जाता है तथा चन्द्रप्रभा नदी में चन्द्रप्रभा बांध से सिंचाई के लिये ही पानी छोड़ा जाता है, इससे कृषकों को कृषि सिंचन से बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचता है परन्तु चन्द्रप्रभा नदी के गोरारी-हथियानी तथा गड़ई नदी के मद्धूपुर के सामने पुल न होने से एक दूसरे तरफ आने जाने का कोई साधन न होने से कृषकों को ट्रैक्टर, जीप, ले जाने-ले आने में बड़ी परेशानी होती है आग लग जाने या किसी गम्भीर बीमारी में कोई साधन न जाने से दिक्कतें आती है बच्चों को कालेज आने-जाने में परेशानी का शिकार होते हैं। इस संदर्भ में मा० मुख्य मंत्री जी को कई पत्र दिये जा चुके हैं। उन्होंने कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को भेज भी चुके हैं।

अतः पुनः मैं चाहूंगा कि चन्द्रप्रभा नदी पर गोरारी-हथियानी तथा गड़ई नदी पर मद्धूपुर के सामने पुल बनवाने की संस्तुति देते हुए सिंचाई विभाग के बजट में जोड़ने का कष्ट करें।

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित स्थान पर राजकीय नलकूप लगवाने का कष्ट करें:–

कलना	विकास खण्ड हंडिया
राका	,,
मवैया	,,
अजोरवा	विकास खण्ड सैदाबाद
असवां	विकास खण्ड हंडिया

श्री शिवदानी–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र चायल में सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। छाता रजबहा से मात्र 20% भूमि की सिंचाई हो पाती है शेष 80% भूमि ईश्वर के भरोसे रहती है। इस बार छाता रजबहा की हालत यह है कि आठ पम्प सरकार की तरफ से लगाये हैं किन्तु मात्र तीन पम्प ही चलते हैं शेष बन्द पड़े हैं उसको अविलम्ब ठीक कराया जाय लेकिन सरकार की घोषणा के बाद भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा वहां किसानों की पूरी फसल सूख गयी है। उसकी वसूली न किया जाय। जो भी बन्द है उन्हें तत्काल ठीक कराया जाय अधिकांश नलकूप विद्युत आपूर्ति के कारण बन्द हैं। कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

महोदय, सिंचाई विभाग के बजट के संदर्भ में श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए निम्न सुझाव देना चाहूंगा ।

पूर्व सरकार के समय में हिन्डन कृष्णी दोआब परियोजना के विषय में बल दिया गया था, लम्बे समय से यह योजना लम्बित है आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस महत्वपूर्ण योजना हेतु क्षेत्रीय परिस्थितियों को इस समय देखते हुए विशेष ध्यान देते हुए शीघ्र पूरा कराए जाने हेतु धन की व्यवस्था करते हुए पूरा कराया जाये ।

'ताजे वाला' हैड की समस्या का निराकरण शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर किया जाये, उत्तर प्रदेश के हिस्से का पानी अनुबंधानुसार मिलना ही चाहिए । मेरा आशय पूर्व यमुना नहर के हैड के ठीक कराये जाने से है ।

निचली व मध्य गंगा नहर के निर्माण की प्रगति को तीव्र किया जाये ।

नलकूप पंचायत समितियों का गठन तीव्रता के साथ होना चाहिए । इस योजना को सुधार करते हुए लागू कराने से सिंचाई की समस्याओं का निराकरण बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है ।

नलकूपों के निर्माण को तीव्र कराया जाये ।

नहरों की कटिंग को रोकने हेतु विशेष अभियान छेड़ा जाये ।

नहरों की सफाई पर विशेष ध्यान दिलायें ।

उपेक्षित पड़े सिंचाई विभाग के बंगलों व इसकी सम्पति पर विशेष ध्यान दिलायें । भारी मात्रा में उनका दुरुपयोग व अवैध कब्जे हो रहे हैं ।

उदाहरणार्थ जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर व खतौली के बीच मुख्य मार्ग पर नहर के किनारे स्थित नावला डाक बंगले पर हुए अवैध कब्जे को विशेष रूप से हटाया जाये ।

नलकूपों की खराब व अनुपयोगी हो गयी नालियों की भूमि के अवैध कब्जों को हटाने की व्यवस्था करा दें या इस भूमि को निकट के किसानों को आवंटित करने की प्रक्रिया को शुरू करा दें यह अच्छा कदम किसानों हेतु भी होगा ।

विद्युत बोर्ड द्वारा किसानों से वरीयता पर कनेक्शन देने हेतु जमा की जाने वाली 5000 रु० की धनराशि की व्यवस्था या तो उनके खाते में जमा करने की की जाये या न ली जाये या बिलों में समायोजित की जाये ।

यह सुझाव ध्यान देने योग्य है । आप इनके अनुसार कुछ कार्य सम्पन्न करा सकें तो आभारी हूंगा ।

श्री राम देव वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कटेहरी फैजाबाद में सिंचाई के दो साधन हैं । नहर एवं ट्यूबवेल । पुरानी ट्यूबवेल जो खराब हो उन्हें मरम्मत कराया जाय । शारदा नहर से कई नहरें निकालकर और 50 कुलाबों का टेल पर बनी झील में डाला जाता है । रबी की फसल बोई नहीं जाती है

दरबन झील से दरबन ताल ड्रेन निकाली गयी है पानी नहीं निकल पाता है । ड्रेन की सफाई की जाय और इस ड्रेन पर बने रेल पुल का तल 7 मीटर ऊंचा है । पानी निकल नहीं पाता है । उसे नीचा कराने हेतु रेलवे विभाग से सम्पर्क करके पुल का फिर निर्माण कराया जाय और तल को 1 मीटर नीचा कराकर ड्रेन की सफाई करा दी जाये जिससे 13 ग्राम सभा के लोग भुखमरी से बच जायेंगे । हजारों एकड़ जमीन इस नहर से जलमग्न हो जाती है । मेरे यहां अधिक जल जाने से दरबन झील के आसपास के गांव तबाह हो जाते हैं । सरकार इस तरफ ध्यान दे । रेल विभाग को धन उपलब्ध कराकर दरबन ताल को चौड़ा, गहरा कराने की व्यवस्था करें । मैं आपका आभारी रहूंगा ।

श्री हृदय नारायण–

मेरे विधान सभा क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) में नहरों में सिल्ट सफाई नहीं हुई है । भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है । पुरवा ब्रांच, मौरावां ब्रांच की पूरी नहर प्रणाली अस्त-व्यस्त है ।

मौरावां ब्रांच का टेल में अकोहरी, गुलरिहा, जयसिंह खेड़ा में कभी भी पानी नहीं पहुंचता है । पुरवा ब्रांच के रजबहों में टोपरा मोहीउद्दीनपुर में पानी कभी नहीं गया ।

मा० मुख्य मंत्री जी कृपापूर्वक मेरे अनुरोध पर 20 ट्यूबवेल सरकारी लगाने के आदेश किये थे । उन्हें शीघ्र लगाया जाना चाहिए । सिल्ट सफाई के भ्रष्टाचार की जांच टी० ए० सी० से होनी चाहिए । वर्ष 92-93 व 93-94 की सफाई में कहीं कार्य नहीं हुआ है ।

श्री घूराराम–

मान्यवर, आग्रह के साथ कहना है कि विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया में तीन और चार नहरें अधूरे खोद कर छोड़ी गयी हैं । टेल तक नहीं पहुंचायी गयी हैं । अतः आपसे आग्रह है कि रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में विकास के लिये अधिक से अधिक धन देने का कष्ट करेंगे ।

ई० राम लोटन सिंह पटेल–

मान्यवर, सिंचाई विभाग के बजट पर समर्थन करते हुए मेरा निम्न सुझाव है कि मिर्जापुर व सोनभद्र के खेतों के सिंचाई हेतु जो सोन पम्प कैनाल को सैकड़ों करोड़ रुपया लगा कर बना लिया गया है । पम्प बैठने हेतु पम्प हाउस वगैरह बना लिया गया है परन्तु आवश्यक पम्प न होने के कारण पूर्ण क्षमता से पानी नहीं मिल पा रहा है । अतः मेरा सुझाव है कि सभी 12 पम्प लगाने हेतु आवश्यक धन स्वीकृत करके पूरे क्षमता से नहर चलाने हेतु निर्देश दिया जाये ।

नगवा बंधा व धनरौला बंधा की क्षमता बंधा को ऊंचा करके बढ़ाया जावे ।

सतही पानी का सदुपयोग करने हेतु अमृत जल धारा को बड़े पैमाने पर लागू कराया जावे ।

भक्सी नदी पर रेगुलेटर बनाये जाने का कार्य प्राथमिकता पर कराई जावे ।

बर्राक व महुली (राजपुर) सोनभद्र में प्राथमिकता पर बन्धो व नहर बनाने का कार्य कराया जावे ।

वारा महेवा सोनभद्र में रेगुलेटर बनवा कर सिंचाई की व्यवस्था प्राथमिकता पर कराया जावे ।

शक्तेसगढ़ क्षेत्र के असिंचित क्षेत्र के सिंचाई हेतु गंगा लिफ्ट कैनाल प्राथमिकता पर बनवाने का कार्य किया जावे ।

निवेदन है कि मेरे सुझाव पर माननीय मंत्री जी गम्भीरता से विचार करके प्राथमिकता पर कार्य कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करेंगे ।

श्री इन्द्र पाल सिंह–

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र औरैया में यमुना व सेंगर नदी का अधिक भाग है जिससे नहर बम्बा की अधिक व्यवस्था नहीं हो पायी । जिससे उक्त नदियों के किनारे के सैकड़ों ग्राम असिंचित रह जाते हैं ।

अतः मैं सुझाव देता हूं कि हमारे क्षेत्र के यमुना व सेंगर नदी के किनारे के ग्रामों में अधिक से अधिक स्टेट ट्यूबवेल लगवाये जायें तथा बिगड़े हुए ट्यूबवेलों को ठीक कराया जावे व सही ट्यूबवेलों में नालियों की व्यवस्था किया जावे ।

श्री छोटे लाल वर्मा–

महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद, जनपद आगरा में सिंचाई की अनेक समस्यायें हैं ।

केवल से सिंचाई की जाती है । जो इस फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में अन्त होता है । पानी टेल तक नहीं पहुंचता है । इनकी क्षमता बढ़ाई जाय जिससे कि पानी टेल तक पहुंच सके ।

किसान का दूसरा साधन सरकारी ट्यूबवेल से करता है परन्तु दुर्भाग्य किसान का है कि जो राजकीय ट्यूबवेल लगे हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 111 ट्यूबवेल हैं । इनमें से 35 ट्बूबवेल अस्थाई खराब हैं और 44 ट्यूबवेल खराब पड़े हैं । तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो ट्यूबवेल खराब पड़े हैं उन्हें दुबारा नयी बोरिंग करा कर सिंचाई करने के लिये किसानों को सुविधा उपलब्ध करें ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहर के सहारे राजकीय ट्यूबवेलों की बोरिंग की गयी है जिनमें करोड़ों रुपया व्यय किया गया है । तो उनको तत्काल चालू करने की कृपा करें ताकि किसानों को पानी सिंचाई के लिये मिल सके ।

मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि चौथा साधन किसान का निजी ट्यूबवेल लगा कर है परन्तु किसान को सरकार ने 16 घंटे बिजली देने की घोषणा की है । मेरे क्षेत्र फतेहाबाद में बिजली के 2 पावर हाउस लगे हैं जिनकी क्षमता कम है और पावर हाउस लगाने की कृपा करें ताकि किसानों को बिजली मिल सके जो निम्न स्थान हैं ।

रुपपुर

नगला पाटम इन स्थानों पर लगाये जाये धन्यवाद ।

श्री दौलत राम–

जनपद सीतापुर में सिंचाई की समस्या के निदान हेतु सुझाव

जनपद सीतापुर में पम्प नहरें बिल्कुल सिंचाई नहीं कर पा रही हैं एक तरीके से बन्द ही हैं जिस कारण किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है पम्प नहरें पुनः चलायी जायं तथा पम्प नहरों को पक्का भी किया जाय ।

जनपद सीतापुर में नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाया जाय ।

जनपद सीतापुर में राजकीय नलकूप अधिकांश काफी दिनों से खराब पड़े हैं खराब ट्यूबवेलों को ठीक कराकर सिंचाई की व्यवस्था की जाय ।

जनपद सीतापुर में राजकीय नलकूपों पर नाली की समुचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है राजकीय नलकूपों पर पक्की नाली बनवाई जाय ।

नहर कटिंग की समस्या गम्भीर है नहर कटिंग को रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाय ।

राजकीय ट्यूबवेलों में जहां भी पाइप लाइन डाली गयी थी वह टूट जाने के कारण पानी व्यर्थ में बह जाता है सिंचाई अवरुद्ध हो जाती है इसलिये जहां भी पाइप लाइनें डाली गयी हैं उनकी जांच कराकर पाइप लाइन ठीक करायी जाय ।

श्री छोटे लाल–

जनपद हरदोई के बरवन रजबहा में 12 वर्ष से पानी नहीं छोड़ा गया । पानी छोड़ने अथवा रजबहा बरवन चालू करने की कृपा की जाय ।

सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप बन्द पड़े हैं चालू कराई जाय ।

श्री मुरलीधर–

महोदय, सानुरोध शासन का ध्यान किशुनपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद फतेहपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं । निम्न सुझाव प्रेषित हैं ।

निचली गंगा नहर (दक्षिणी) जिसका छाता से हटा कर बी० जे० पी० सरकार ने असोधर तक कर दिया था पुनः छाता टेल किया जाय ।

जरौली लिफ्ट कैनाल योजना फतेहपुर अधूरी है अतिशीघ्र पूर्ण किया जाय जिससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके ।

सरकारी नलकूप जिनमें कभी पानी नहीं निकला बन्द है उनको चालू दिखाकर रुपया हड़प लिया गया है जांच कराकर अपव्यय होने से रोका जाय ।

श्री राम सजीवन निर्मल–

माननीय मंत्री जी सिंचाई के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राम गंगा कमाण्ड तथा करारी माइनर की नहर है इनमें करीब 10 वर्षों से पानी नहीं आता है ।

पानी न पहुंचने के कारण अधिकारियों का कहना है पानी उपलब्ध नहीं हो पाता साथ ही साथ खाजा तहसील में औरया ग्राम धुनी सिंह ठाकुर नहर की पट्टी कटवा देता है जिसको अधिकारी नहीं रोक पाते हैं ।

सिंचाई सुचारू रूप से चलाने के लिए गंगा नदी से लिफ्ट कैनाल कि व्यवस्था की जाय तथा अधिक से अधिक नलकूप की व्यवस्था की जाय ।

मंझनपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चक में 44बी नलकूप को सामन्तवादियों द्वारा ध्वंस कर दिया गया है उसकी सही करवायें ।

सिराकू विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50 राजकीय नलकूप लगवायें जाय ।

श्री बाल गोविन्द राजवंशी–

आदरणीय मंत्री जी–

हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है । सरकार बनते ही मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की सभी नहरों में टेल तक पानी पहुंचना, नलकूपों को 16 घण्टे बिजली जो सभी घोषणायें क्रियान्वित हुई । आगामी वर्ष 1994-95 के बजट को प्रस्तुत करते हुए तमाम सिंचाई में सुधार एवं तीन के अन्दर प्रत्येक खेत को पानी देने का वायदा किया ।

"आपका अपना नलकूप" योजना भी काश्तकारों के लिए बड़ी ही बरदान सिद्ध होगी । इस प्रकार हम बजट प्रस्ताव को समर्थन देते हुए । अपने क्षेत्र मछरेहरा की भी सिंचाई समस्याओं तक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में नहरों की टेल तक सफाई नहीं हो पाई । ज्यादातर नलकूप खराब पड़े हैं । जिन्हें शिघ्रताशीघ्र चालू किया जाय ।

सिराथू विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50 नलकूप न लगवाए जाऐं ।

श्री धामू राम भास्कर–

महोदय,

मैं आप का ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज फैजाबाद की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहरों का अभाव हैं । जिसमें किसानों के लिये सिंचाई की समस्या है ।

जहां नहरे हैं वहां झराई नहीं हुई है । जिससे नहरों का पानी नहरों से ऊपर होकर मैदानी भागों में फैल जाता है । जिससे किसानों के हजारों बीघे खेत पानी से डूब जाते हैं । नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता । इस प्रकार से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं ।

मेरे क्षेत्र में कहीं-कहीं ऐसा-ऐसा स्थान हैं जहां नहरें स्वीकृत हैं लेकिन खोदी नहीं गयी है।

अतः आपसे आग्रह है कि आप नहरों का सर्वे कराकर किसानों की फसलों की सुरक्षा की जा सके।

श्री यशपल चौधरी–

आपका ध्यान तहसील धोरेहरा चाहूंगा। जिसमें हर वर्ष शारदा नदी में बाढ़ के कारण करोड़ों रुपये की फसले नष्ट हो जाती है। खरीफ की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, मेरा सुझाव हैं कि 916 रोकने के लिये बंधे की आवश्यकता है।

श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, 325 महोबा विधान सभा का निर्वाचित सदस्य हूं। यह क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। मेरा आपसे सिंचाई को मोहय्या करने के लिये निम्नलिखित सुझाव है।

उर्मिल बांध से नहर निकली है। तक इसी नदी में कैमाध पम्प हाउस भी लगाकर अब बांध बन जाने के कारण पम्प हाउस हटाया जायेगा। उनके उन कर-ग्राम अतरार के लिफ्ट सिस्टम लगाया जाये। जिससे मेरे क्षेत्र में 10 गांव लाभान्वित होंगे।

श्री नगर-पिपरा नगौरा-बिवखी-पम्प सिंजाहरी-झैरानी इत्यादि गांवों को लाभ होगा।

सकरपुर बांध को ऊंचा किया जाये। तथा पानी का स्टाक बढ़ाया जाये। तथा इस बांध में उर्मिल बांध से नहर के द्वारा पानी डाला गया है। इसके द्वारा 15 गांव लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे रतौली-कैनगांव, पासवारा-मकरबई-पहरा, कबरई-वीका-अलीपुर इत्यादि।

चन्डावल बांध से भी किवनर सिस्टम द्वारा 10 या 15 गांव कम खर्चे में बनवा दिया जा सकता है। जिसका सर्वे कुछ गांवों का हो चुका है।

चन्डावल बांध में पम्प हाउस लगाया जाये। जिससे ग्राम उण्या, जुझारगंज धरोन, गहरा-बम्होरी, कला-सिंचौरा इत्यादि गांवों को सिंचाई की जा सकती है।

माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र में कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। यह मशीनरी युग है। तथा D.R.D. C ने अभी बोरिंग करायी है। जो कामयाब है। तक जो किसानों ने बोरिंग करायी है वह कामयाब है।

अतः मेरे सुझावों में विचार किया जाये।

श्रीअखिलेश–

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर जनपद महराजगंज में मात्र दो नहरे डांडा नहर प्रणाली और रोहिन नहर प्रणाली की हैं जिसके द्वारा मेरे क्षेत्र के 1/6 भू-भाग की भी सिंचाई नहीं हो पाती है। डांडा नहर प्रणाली का डेड भारत नेपाल सीमा पर है रबी के दिनों में उक्त वर्ष के नेपाल सीमा क्षेत्र में वहां के किसानों द्वारा बांध बनाकर पूरे पानी का उपयोग कर लिया जाता है जिससे डांडा नहर की सिंचन क्षमता

नगण्य हो गयी है । यदि घाघरा नदी पर अरघा ग्राम के पास बांध बनाकर नहर निकाली जाये तो भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेरे क्षेत्र के हदौडाली, बारदही इत्यादि गांवों को पानी प्राप्त हो जायेगा तथा यदि इसको दूसरी शाखा को डांडा नहर में मिला दिया जाये तो डांडा नहर को पूरा पानी मिल जायेगा । इसी प्रकार रोहिन नहर प्रणाली के अन्तर्गत रोहिन नदी के दोनों तटबांधों पर नेपाल सीमा तक बांध बनाकर पूरा रोहिन नदी का पानी रोकने की व्यवस्था कर ली जाये तो रोहिन नहर की सिंचन क्षमता को दुगना बढ़ाया जा सकता है ।

नेपाल से गंडक नहर की शाखा के जिस पानी को बहाव नदी के पूर्व गिराकर सोनिया नाले में छोड़ दिया जाता है यदि उपरोक्त पानी को मात्र 2 कि० मी० नहर खोदकर महाव नदी में नेपाल राज्य में ही मिला दिया जाये और महाव नदी को नहर में परिवर्तित कर दिया जाये तो लगभग 10000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकती है ।

इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत नेपाल से निकलने वाली नदियों डांडा, बघेला, रोहिन के निचले हिस्सों में छोटे-छोटे पम्प कैनाल बनाकर जो दो-तीन गांव की सिंचाई क्षमता के पूर्ण को बनाये जाये तो इस ऊपरी पानी का दोहन करके सिंचाई की समस्या को दूर किया जा सकता है । सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में भूगर्भ का जल स्तर अधिकांश जगहों पर नीचे है । इस सन्दर्भ में केन्द्रीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण परिषद् द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र के निपनिया ग्राम में कार्य किया जा रहा है । उक्त परिषद् से मेरे क्षेत्र के सीमावर्ती ग्राम सेवतरी, हदौडाली, चकदह में भी कार्य सम्पादित कराने का कष्ट करें । जिससे मेरे क्षेत्र के भूगर्भ जलस्तर का ठीक ढंग से पता चल सके और नलकूप का निर्माण सही तकनीक से हो सके ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के डांडा नहर प्रणाली और रोहिन नहर प्रणाली के रख-रखाव हेतु बहुत कम धन आवंटित होता है जिससे नहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है उपरोक्त नहरों के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष धन मुहैया कराने का कष्ट करें । इसी के साथ बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जयवीर सिंह भदौरिया–

मान्यवर,

सिंचाई विभाग के बजट पर सुझाव चम्बल पिनहट लिफ्ट योजना जो कई वर्षों से अधूरी पड़ी है उसे पूरा कराया जाये ।

नलकूप खराब है व सफल नहीं हो सके उस जगह दूसरे नलकूप लगाये जाये ।

नलकूप की नालियों की मरम्मत करायी जाये ।

श्री महराज सिंह यादव–

सिंचाई विभाग के बजट पर सुझावों के सम्मिलित करने की कृपा करें ।

1977 में जनपद इटावा में अहनैया नदी को गहरा एवं चौड़ा करने का अवशेष भाग को पूरा करना ।

जहां तक पानी नहीं पहुंचता है लेकिन सिंचाई देनी पड़ती है अतः तो भूमि सिंचित नहीं होती है। उसको आमवासी से अलग रखा जाये।

इटैली माइनर की पटरियों की मरम्मत कराकर 5 K. m. आगे नन्दपुर ग्वारी तक बढ़ाने की कृपा करें।

पुरहां नदी के आसपास हजारों एकड़ भूमि जलमग्न रहती है उसे गहरा करके पानी निकालने की व्यवस्था करने से उपजाऊ भूमि पर कृषि की जा सकती है।

ट्यूबवेल की मरम्मत एवं नालियां बनवा कर अधिक भूमि को सिंचित बनाया जा सकता है।

अथवा जनपद के बम्बों का टेल तक पानी पहुंचाया जाये।

श्री भगवती प्रसाद सागर–

महोदय,

मेरा प्रस्ताव है कि विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर जो कि नहरों की टेल का क्षेत्र है तथा नहर विभाग ने लिखकर अपना कमान्ड समाप्त कर ट्यूबवेल विभाग को दे दी है। मेरा प्रस्ताव है कि भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टेल के माइनरों में 5-5 ट्यूबवेल के समूह लगाकर पम्पों में डाल दी जाय ताकि नाली आदि के बनाने का खर्चा भी बच जाए और असिंचित क्षेत्र सिंचित हो जायेगा।

आशा है कि प्रस्ताव को स्वीकार कर मेरे क्षेत्र में उक्त कार्यक्रम लागू करायेंगे। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी/सिंचाई मंत्री जी को दो बार प्रार्थना-पत्र दिये हैं।

आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

श्री मामचन्द्र लाम्बा–

मेरे विधान सभा क्षेत्र नागल जनपद सहारनपुर में सिंचाई कुछ समस्यायें है मैं आपका ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम ईस्माइलपुर, फरीदपुर, कौरवा, भुवनपुर, अबदुलापुर, अलीपुर आदि में ट्यूबवेल सत्तर-अस्सी घंटे भी बिजली की पूर्ति भी नहीं होती यहां पर सेवारत जे० ई० व लाईनमैन बिना सुविधा शुल्क लिए कार्य नहीं करता (किसान) जनता उसके शोषण से त्रस्त है एवं ब्लाक रामपुर में उमाही कलां गांव में माईनर की पटरी मंगल सिंह किसान के खेत पर बारबार टूट जाती है। मैंने कई बार अधिशासी अभियन्ता को लिखा है। मेरा आपसे अनुरोध है आप अपने स्तर से करीब 100 मीटर इस माईनर की पटरी की पिचिंग का आदेश पारित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री स्वयंवर चौधरी–

महोदय,

हमको सिंचाई विभाग के बजट पर सुझाव देने का मौका दिया गया हम आपका स्वागत करते हैं। मान्यवर, सिंचाई विभाग के बजट पर हमारे माननीय सदस्य श्री मल्ल जी ने जो कटौती पेश किया है उससे हम अपने को सम्बद्ध करते हैं। मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के सरजू नहर परियोजना की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। इस योजना को बहुत पहले ही पूरा होकर पानी देना था लेकिन

अभी तक पूरा नहीं हो पाई है । हम चाहते हैं कि सरजू नहर को पूरा करने हेतु धन की उपबन्धता कराकर धन देने की व्यवस्था करें । मान्यवर जनपद सिद्धार्थनगर में नेपाल राष्ट्र से कहीं महत्वपूर्ण नाले आए है । जिससे भरपूर पानी रहता है । अगर इन नालों में अवरोधक बांध बना दिए जायं तो बहुत सारे क्षेत्रों में सिंचाई हो सकती है ।

हमारे वरिष्ठ लाबी की जगदम्बिका पाल जी ने एक सुझाव रखा है कि हर विधान सभा क्षेत्र में एक-एक ट्यूबवेल लगाया जाय । हम अपने को इस मांग से सम्बद्ध करते हुये माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि एक-एक ट्यूबवेल पूरी विधान सभा क्षेत्रों में लगायी जायं । जो जमीन सरजू नहर में बन्धक कर लिया जाता है जिससे कृषक परेशान है । हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे कृषकों की मुआवजा तत्काल देने का प्राविधान करे । ट्यूबवेल जो सही भी है उनकी नाली ठीक न होने से पानी खेतों में नहीं पहुंच पा रहा है हम चाहते हैं कि सरकार ट्यूबवेलों की नाली बनवाकर खेतों में पानी पहुचाने का कष्ट करें । हम अपने चर्चा पर बल देते हुये माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर कि सिंचाई एवं बाढ़ की समस्याएं गंभीर रूप से कार्यवाही करें ।

श्री नसीरउद्दीन–

निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में एक बम्बा था जो अलीगढ़ से चलता था उसमें करीब पांच वर्ष से पानी आना बन्द हो गया और यह करीब-करीब बन्द हो गया है, और शहरी आबादी में शामिल हो गया है ।

श्रीमान जी से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में कम से कम पचास नये ट्यूबवेल स्थापित करने का आदेश करने का कष्ट करें । आपका हमारे यहां के किसानों पर आप का स्नेह होगा ।

श्री ज्ञानी हरिन्दर सिंह–

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में सेंजनी नदी का डैम जो विगत 5 वर्ष से बाढ़ से बह गया है बनाया जाना अति आवश्यक है । इससे लगभग पचास हजार हैक्टेयर जमीन असिंचित हो गई है और दो नहरें बिल्कुल बन्द पड़ी हैं ।

डकरा नदी जो बिलासपुर तहसील के बहुत बड़े क्षेत्र को नहरों द्वारा सिंचित करती है टूटा पड़ा है शीघ्र बनाया जाय ।

उपरोक्त नहरों को पानी देने वाले जनपद नैनीताल में बने डैमों, हरिपुरा, (गूलरभोज) एवं (बौर) तीनों में एक दीवार बनानी चाहिये ताकि गूलर भोज डैम का पानी रुका रहे, इन डैमो एवं नहरों के किनारे सरकारी ट्यूबवेल लगाये जायें ताकि सूखे के मौसम में पानी न घटने पाये ।

श्री रामवीर सिंह यादव–

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बम्बों की दशा अच्छी नहीं है इनकी मरम्मत करने की व्यवस्था करें जिससे की खेतों की सिंचाई सुचारु रूप से हो सके ।

मेरा विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड खेरसड़ में खारी पानी होने के कारण दो नये बम्बों की आवश्यकता है ।

छेज में जो ट्यूबवेल है उसमें ज्यादातर खराब पड़े हैं उनको ठीक करवाने की तरफ आदेश किया जाय और नये ट्यूबवेल बनवाने का आदेश पारित करने का कष्ट करें । सुझाव देते हुये हम इस बजट का समर्थन करते हैं ।

पी० एस० यू० पी० एल–112 वि० सभा (172) 1995–813 डी० टी० पी० ।